खण्ड-334, अंक-3
बुधवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(23 अगस्त, 1978 ई0)

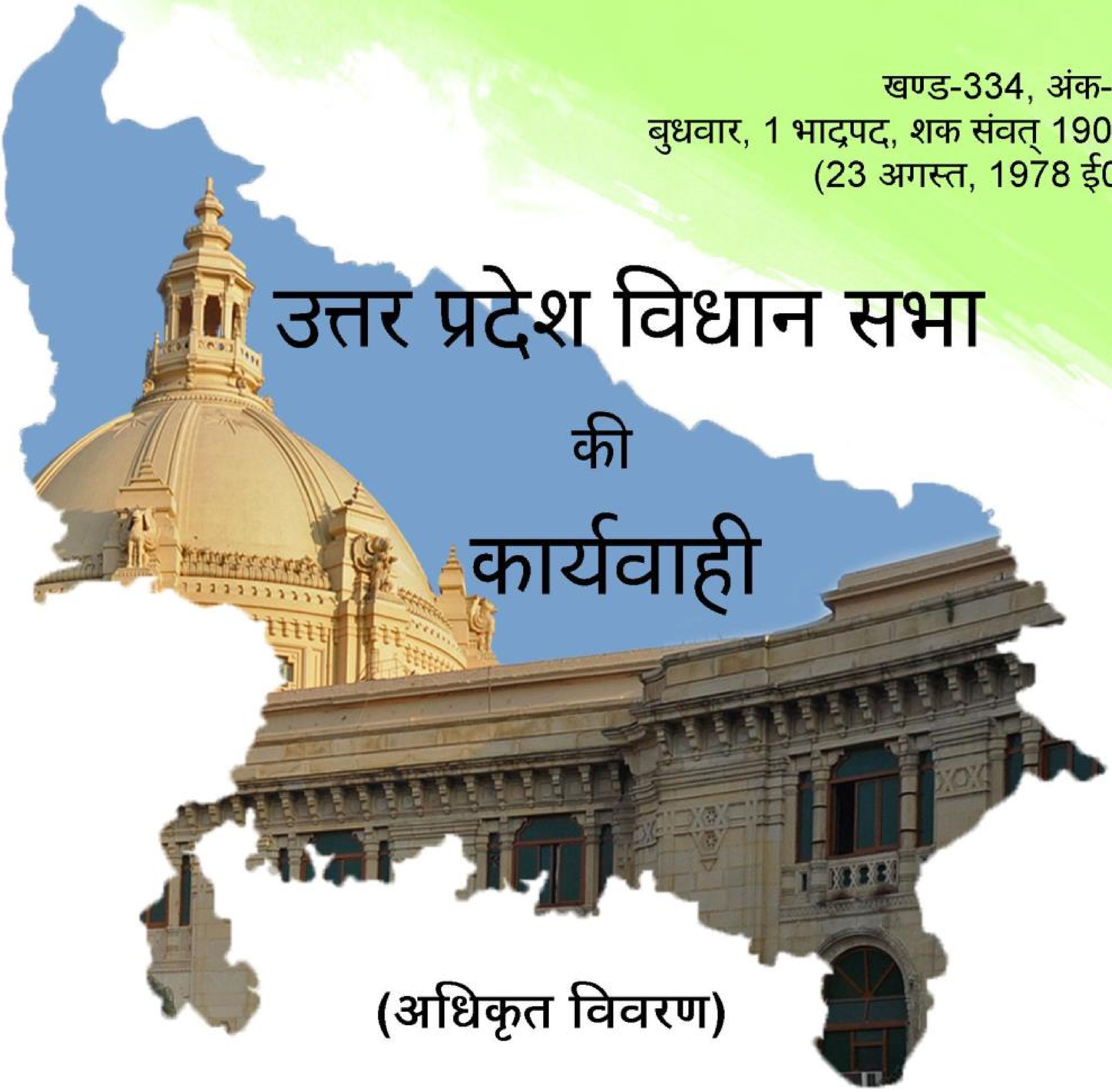

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	२५१-२५५
प्रश्नोत्तर (जारी) ..	२५७-२७२
नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के स्थानान्तरण पर आपत्ति ..	२७२-२७३
प्रश्नोत्तर ..	२७३-३११
प्रश्नों के स्थगन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३११-३१२
राजस्व परिषद् को समाप्त किए जाने के विषय में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ की ग्राह्यता पर आपत्ति ..	३१२-३१३
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ..	३१३-३१४
श्री गुलाब सेहरा द्वारा बिना पूर्व सूचना के भ्रष्टाचार का एक मामला उठाने का प्रयास ..	३१४-३१५
प्रदेश के चिकित्सालयों में नर्सेज द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन तथा उनकी मांगों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३१५
आन्दोलनकारी छात्रों की सूची बनाकर गिरफ्तार किए जाने सम्बन्धी जिलाधिकारियों को गृह सचिव के आदेश से छात्रों में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	३१५-३१६
फैजाबाद रेलवे स्टेशन के समीप बसे कुष्ठ रोगियों से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	३१६
बलिया जिले के हलधरपुर ग्राम में बिना भोजन के योगासन पर बैठी बालिका जनक दुलारी के दर्शनार्थियों को नियंत्रित करने तथा बालिका की मनोवैज्ञानिक जांच कराने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३१७
इलाहाबाद के लोकनाथ मुहल्ले में श्री भोला पहलवान की बम प्रहार से मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३१८
प्रदेश के पंच महानगरों में कृषि उत्पादन मन्डी शुल्क लगाए जाने से व्यापक असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३१८-३१९
वाराणसी में बिजली की अनियमित आपूर्ति से जनता में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३१९-३२०

विषय	पृष्ठ संख्या
वर्षा से देहरादून जनपद में १३ व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य प्रकार की क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३२०–३२१
देवनागरी कालेज, मेरठ में एम० काम० की कक्षायें खोले जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	३२१
पी० ए० सी० में कांस्टेबिलों की भर्ती सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३२२
सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र न दिए जाने पर आपत्ति ..	३२२–३२३
शून्य प्रहर की सूचनाओं को स्वीकृत करने में विरोधी पक्ष का अनुपात कम होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३२४
एक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३२४–३३२
श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा कहे गए शब्दों को कार्यवाही से निकालने के श्री अध्यक्ष के आदेश पर व्यवस्था का प्रश्न ..	३३२–३४१
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के लिए समय के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३४२–३४३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी ..	३४३ ३४४
दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ को पूछे गए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य नियोजन मंत्री का शोधन वक्तव्य ..	३४४
छात्र–छात्राओं को नियंत्रित मूल्य पर कापियां न मिलने के कारण असुविधा के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३४४ ३४५
जी० पी० ओ० पार्क, लखनऊ के सामने एक जलूस पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३४५–३४७
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३४७
गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३४८
विधान सभा की कतिपय समितियों तथा स्थायी समितियों में रिक्त स्थानों पर सदस्यों के नाम निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३४८–३४९
विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३४९–३५०

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ (पुरः स्थापित किया गया)	३५०
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, १९७८ को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३५१–३५२
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	३५२–३५३
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (विचारोपरान्त पारित) ..	३५३–३७०
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विचारोपरान्त पारित) ..	३७१–३८४
उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विचारोपरान्त पारित) ..	३८४–३९२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	३९२
जिला प्रशासन, झांसी द्वारा आग्नेयास्त्रों की नीलामी में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	३९२–३९८
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (जारी) ..	३९८–४२३
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .	४२३
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (समाप्त) ..	४२४–४२८
नत्थियां ..	४२९–४३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ अगस्त, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई :

उपस्थित सदस्य (३७८)

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद अतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री

गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान भौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री

बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठ ई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजीलाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह, 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री

रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री

सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

विधानसभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ अगस्त, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर मण्डल में केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा बाढ़ का निरीक्षण एवं उसकी रिपोर्ट

**१--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि १ अगस्त, १९७८ को गोरखपुर मण्डल में बाढ़ सम्बन्धित स्थिति को देखने के बाद केन्द्रीय दल ने कोई संस्तुति प्रदेश सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो संस्तुति क्या है एवं राज्य सरकार उन्हें कब तक लागू करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का स्थलीय निरीक्षण करने के लिये भेजे गये केन्द्रीय दल ने गोरखपुर मंडल में बाढ़ सम्बन्धित स्थिति का दिनांक ३१ जुलाई, १९७८ से २ अगस्त, १९७८ तक अध्ययन किया । केन्द्रीय दल द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी गई है । दल को अपनी संस्तुति भारत सरकार को ही देनी है, प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय अध्ययन दल, जो आया था, उससे क्या माननीय मंत्री जी की भी मुलाकात हुई और हुई, तो उस अध्ययन दल की दृष्टि में बाढ़ से हुई क्षति के विषय में क्या अनुमान था, उनके क्या विचार थे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जब वह टीम आयी थी, तो मेरी भी उनसे बात हुई थी और वे उस समय आये थे जब कि व्यापक बाढ़ आयी हुई थी । यह पहला अवसर था जब हम उस दल को उस समय बुलाने में समर्थ हुये, जिस समय कि हमारे यहां बाढ़ आयी हुई थी । उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को प्रत्यक्ष देखा और उसे देख कर वे बहुत प्रभावित हुये । मैंने दिल्ली में भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की । आशा है इस माह के अन्त तक उनकी कोई न कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या इस दल के समक्ष इस प्रदेशीय सरकार ने भी कोई योजना दूरगामी या दीर्घकालीन, बाढ़ से बचाव की रखी ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उस दल की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

कोई विस्तृत योजना तो नहीं रखी, लेकिन बातचीत के दौरान यह बात अवश्य कही गयी कि इसके लिये कोई दूरगामी योजना होनी चाहिये और मेरा जहां तक खयाल है, उस दल ने इसकी आवश्यकता को स्वीकार भी किया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर मंडल के जो प्रभावित बाढ़ के जिले हैं जैसे गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच आदि, इनके लिये कितने रुपयों की मांग की है और किस-किस काम के लिये की है ? क्योंकि बाढ़ के बाद सड़कों की मरम्मत का कार्य होता है, वाटर लागिंग की समस्या होती है और तरह-तरह के कार्य करने होते हैं, तो किस-किस काम के लिये कितने-कितने रुपयों की मांग की है ? उसका विवरण कृपया बता दें ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जो मांग उनके सामने रखी गयी है, उसके सम्बन्ध में बहुत विस्तृत पुस्तिका तैयार है, अगर विरोधी दल के नेता चाहें, तो मैं उसको दे दूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुख्य-मुख्य तो बात बतला सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

हां, मुख्य बात बतला दीजिए ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

जितनी भी हानि हुई है, इमारत, फसल आदि के बारे में है, ये सारे विस्तृत रूप में मैंने बताया कि मैं उसको दे सकूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कितने करोड़ का है ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

१२२ करोड़ का है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

गोरखपुर मंडल के लिए १२२ करोड़ की है कि सारे प्रदेश के लिए है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिलेवार मांग नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जो केन्द्रीय अध्ययन दल गोरखपुर आया था, उसकी बातें जो हुई हैं उसमें गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड से अधिक शक्तिशाली किसी बोर्ड के गठन की तथा जल कुंडी योजना की नदियों के तल को गहरा करने की छितौनी ब्रिज की विलेज रीजन के लिए तथा फसलों की प्रति वर्ष होने वाली बरबादी को रोकने के लिए सामान्य बोर्ड योजना के प्रश्नों पर क्या कोई सामान्य योजना की बात हुई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि द्रुतगामी योजना में ये सारे सवाल निहित हैं और उसके सम्बन्ध में एक योजना बनाई जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय राजस्व मंत्री का काम है अहेतुक सहायता और राजस्व सहायता देना, बाढ़ के लिए स्थायी व्यवस्था करने का काम है सिंचाई मंत्री जी का । मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित करा दिया जाय और सिंचाई मंत्री जी से उत्तर दिलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व है । इसलिए माननीय राजस्व मंत्री का उत्तर देना सही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा स्पष्ट मतलब सिंचाई से था, जो योजनाओं के सम्बन्ध में आया था, जिसका सीधा सम्बन्ध सिंचाई से था, मेरा निवेदन है कि इसको आज स्थगित रखें, अगले दिन माननीय सिंचाई मंत्री जी से उत्तर दिलवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

आपने स्वयं राजस्व मंत्री से प्रश्न किया है, इसलिए यह कहना कि सिंचाई मंत्री जबाब दें उचित नहीं, कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है, इसलिए स्थगित करने की आवश्यकता नहीं ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

यह पूर्वी क्षेत्र में जो बाढ़ आई है, इसमें कितने बन्धों के टूटने के कारण क्षति हुई है, जिनके कारण सर्वेक्षण दल ने यह रिपोर्ट दिया है कि यह विभीषिका बन गयी है। उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न परिधि से बाहर है, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

जब यह केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर में आया, तो क्या प्रान्तीय सरकार ने उनसे निवेदन किया था ? क्या जहां-जहां बाढ़ की विभीषिका है, वहां हर जगह वह प्रतिनिधि-मंडल गया, तभी केन्द्रीय सरकार रुपया देगी, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, बाढ़ जिस भयंकरता से आई है, मैं ऐसा समझता हूं कि प्रदेश अकेले उस सारी बाढ़ की योजनाओं को करने में समर्थ नहीं है और इसलिये प्रत्यक्ष हमारे सामने क्या स्थिति है, और क्या समस्यायें हैं, इसलिये आवश्यक था । पूर्वी जिलों में बाढ़ आयी, तो केन्द्र सरकार से प्रार्थना की गयी कि वह एक सेंट्रल टीम भेजे और इसके लिये अलग से पुस्तिका दे दी और ७५ करोड़ रुपये की मांग की गयी ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि क्या आपकी विशेष प्रार्थना थी कि गोरखपुर मंडल में टीम जाय या अन्य जिलों में बाढ़ आयी उसके लिये कहा था ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

गोरखपुर मंडल के लिये नहीं लेकिन पूर्वी जिलों में जो बाढ़ आयी थी, इसके लिये प्रार्थना की गयी थी कि अध्ययन दल आये और अध्ययन करले और हमारी आवश्यकता को समझ ले। इसलिये पूर्वी जिलों की बाढ़ के समय में वह आया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, राप्ती और भखला नदियां गोरखपुर होते हुये बाहर जाती हैं। राप्ती, भखला नदी पर कोई बांध या ऐसी चीज जिससे गोरखपुर मंडल बाढ़ से प्रभावित न हो, क्या ऐसी कोई योजना के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल को सुझाव दिया गया ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, कोई अलग से योजना इन नदियों के लिये नहीं दी गयी है, लेकिन वहां पर बाढ़ न आ सके, इस पर विचार किया गया क्योंकि पिछले ३० वर्षों से बराबर बाढ़ आती है और हर साल नुकसान होता है। इसलिये बाढ़ न आये इस पर विचार हुआ। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रभावी योजना सदन के सामने आयेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों और गोरखपुर मंडल में जो प्रति वर्ष बाढ़ आती है, उसके सम्बन्ध में एक जलकुंडी योजना बनी थी। इससे भारत और नैपाल दोनों सम्बन्धित हैं। किसी वजह से नैपाल और भारत के सम्बन्ध खराब हो गये, इसलिये योजना स्थगित हो गयी। तो जब दल आया, तो क्या यह प्रश्न उठाया गया था और क्या केन्द्रीय अध्ययन दल से अनुरोध किया गया कि नेपाल सरकार से गलत फहमियों को दूर करके, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाये जायें ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

नैपाल से बातचीत तो हो रही है, लेकिन मैंने केन्द्रीय दल से बातचीत की है बाढ़ को समाप्त करने के लिये। किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना हमारे लिये बहुत सम्मान का कार्य नहीं है, लेकिन वह हमारी मदद करते हैं, तो अच्छी बात है। हमने कहा है कि हमारी योजना अलग से बननी चाहिये, नैपाल से मदद हो जाय तो अच्छा है।

छात्र समस्याओं से सम्बन्धित छात्र नेताओं और शिक्षाविदों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव

**२--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून मास १९७८ में छात्र नेताओं और शासन के प्रतिनिधियों की कोई बैठक छात्र समस्याओं पर विचार करने के लिए सम्पन्न हुई ? यदि हां, तो उसने क्या-क्या संस्तुति की है और शासन ने उसमें अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

राज्य सरकार द्वारा १० जुलाई, १९७८ को छात्र समस्याओं पर विचार करने हेतु शिक्षाविदों एवं छात्र प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन की कार्यवाही का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये, इस सम्मेलन ने जो अपने प्रस्ताव और सुझाव शासन को दिये हैं, उन मुख्य-मुख्य सुझावों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, यह विभिन्न छात्र संगठनों और युवा वर्गों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन था । लगभग सभी को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया था । अपने-अपने दृष्टिकोण से सब ने अपने विचार प्रकट किये । खास मुद्दे जो उनके विचारों मे आये, वह यह थे कुलपतियों के सम्मेलन ने जो सुझाव दिये हैं, उसे स्वीकार न किया जाय, विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद, शैक्षिक परिषद् इन सब में चुने हुये छात्र प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाय । सस्ते दर पर छात्रावासों में भोजन, उनके लिये स्टेशनरी, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था, छात्रावास में प्रबन्ध की व्यवस्था की जाय । जातिवाद के आधार पर आरक्षण न किया जाय । बेरोजगारों को भत्ता दिया जाय । शिक्षा को रोजगारपूरक बनाया जाय । विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक यदि कुलपति बनाया जाता है, तो उसे उसी विश्वविद्यालय का कुलपति न बनाया जाय, जिस विश्वविद्यालय का वह प्राध्यापक है । मौखिक परीक्षाओं की समाप्ति की जाए । भ्रष्टाचार की जांच के लिये कमेटी बनायी जाय । पब्लिक स्कूल बन्द किये जायं । सभी उच्च प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं का आयोजन हिन्दी भाषा में किया जाए । शिक्षा सत्र को नियमित किया जाय । पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया जाय । विश्वविद्यालय विधेयक नया बनाया जाए । विश्वविद्यालयों में अध्यापकों द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन कराया जाय । नैनीताल क्लब में जो अग्नि दुर्घटना हुई थी, उसकी जांच करायी जाय । यह मुख्य मुद्दे थे, जो छात्रों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये थे ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

मंत्री जी ने जो सुझाव बतायें उनमें क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सुझावों के सम्बन्ध में, क्या आप सैद्धान्तिक रूप में सहमत हैं और क्या आपने कोई सुझाव स्वीकार किया है, कार्यान्वित करने के लिये ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, शुरू में मैंने, बताया कि यह तो मुख्य-मुख्य उनके सुझाव हैं । सम्पूर्ण कार्यवाही का परीक्षण किया जा रहा है और उसके निर्णय के बाद सब चीजें आपके सामने आ जायेंगी ।

श्री विक्रम राय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, कुलपतियों का जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पास हुआ था कि ५५ प्रतिशत से ऊपर सवर्ण के लोग प्रवेश पायेंगे और ३३ प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग । इसको लेकर पूरे प्रदेश में असंतोष हुआ, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नीतित–इसे स्वीकार कर लिया है? यदि नहीं, तो क्या इसका खंडन करेंगे ?

श्री काली चरण––

इस तरह का कोई प्रस्ताव न तो पेश हुआ है और न कोई स्वीकार किया गया है ।

(श्री विक्रमा राय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष––

मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है । तो खंडन करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)––

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सम्मेलन हुआ था, उसमें किन–किन संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे और उस पर कुल कितना खर्चा हुआ था ? क्या यह भी सही है कि छात्र युवा संघर्ष समिति और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जैसे संगठनों को उसमें नहीं बुलाया गया था ?

श्री काली चरण––

श्रीमन्, छात्र युवा संघर्ष समिति या छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का वजूद कहां है और कैसे हो जाता है, इसके बारे में तो माननीय सदस्य पूर्ण रूप से भिज्ञ होंगे । जहां तक जितने संगठनों को बुलाया गया था उसमें राष्ट्रीय छात्र संगठन, विद्यार्थी परिषद्, स्टूडेन्ट फेडरेशन, युवा छात्र संगठन, जनता युवा मोर्चा, जितने आवासीय विश्वविद्यालय हैं, उनके छात्र संघों के अध्यक्ष और महामंत्री, जो विभिन्न सम्बद्ध विश्वविद्यालय हैं, उसके कुछ चुने हुए महा विद्यालयों के अध्यक्ष और मंत्री, विश्व–विद्यालयों के छात्र कल्याण के अधिष्ठाता तथा माध्यमिक तथा डिग्री कालेजों के संघों के पदाधिकारी इस सम्मेलन में बुलाये गये थे ।

श्री राम आसरे वर्मा––

एक अंश यह रह गया कि खर्चे का विवरण ।

श्री अध्यक्ष––

आपने जिन संस्थाओं का जिक्र किया था उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा––

मेरी मंशा यह है कि सम्मेलन नहीं हुआ, मुर्ग मुसल्लम उड़ाया गया तो कितना व्यय हुआ ?

श्री काली चरण––

खर्चे के विवरण के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

सम्मेलन में जो सुझाव आये थे, उनका परीक्षण किया जा रहा है, यह हम सब लोगों की जानकारी है तो परीक्षण करने में कितना समय और लगेगा, जिससे छात्र अशान्ति को दूर करने हेतु कदम उठाये जा सकें ?

श्री काली चरण--

यह आशा की जाती है कि इसी महीने में परीक्षण पूर्ण हो कर निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या सम्मेलन में कोई निर्णय इस सम्बन्ध में लिया गया कि पिछले सत्र में पढ़ाई नहीं हो सकी जिसके कारण इम्तहान नहीं हो सके, तो उस पढ़ाई को पूरा-करा कर इम्तहान कराने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री काली चरण--

पढ़ाई उनको पूरी कराई गयी है और परीक्षायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

छात्र प्रतिनिधियों द्वारा कुछ सुझाव जब रखे गये और सरकार उनसे सिद्धान्ततः सहमत है, तो उन पर अमल करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि वह इसका परीक्षण करा रहे हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कुलपतियों के इस सम्मेलन में क्या एक प्रस्ताव द्वारा यह सिफारिश सरकार से की गयी है कि कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ऊंची कक्षाओं में प्रवेश न दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या विचार है ?

श्री काली चरण--

एक प्रश्न के उत्तर में मैंने अभी बताया है कि कुलपतियों के सम्मेलन में इस तरह का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है ।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

शिक्षाविदों तथा छात्र प्रतिनिधियों का यह जो सम्मेलन हुआ था उसने जो भी संस्तुतियां दी, क्या उनको सदन के सम्मुख रखा जायगा तथा कुलपतियों के सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये ?

श्री अध्यक्ष--

निर्णय तो संक्षेप में पेश कर दिये गये । अब माननीय मंत्री केवल उनकी संस्तुतियों को सदन में रख देंगे ।

श्री काली चरन--

जो मुख्य मुद्दे उठाये गये थे उन सबको नोट कर लिया गया था । जो मुख्य बातें आई थीं उनको सदन के समक्ष रख दिया गया है ।

कुलपतियों के सम्मेलन की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, उनको मैं सदन के सामने बतलाने को तैयार हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मंत्री जी ने कहा कि छात्र सम्मेलन में यह भी मांग की गई थी कि कुलपतियों के सम्मेलन की जो सिफारिशें हैं, उनको निरस्त कर दिया जाय । तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुलपतियों की क्या-क्या संस्तुतियां थी और उनको किन आधारों पर रद्द करने का तर्क दिया गया ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, कुलपतियों ने विचार विमर्श के दौरान विश्वविद्यालयों के संचालन में मुख्य रूप से उनके सामने जो कठिनाईयां आती थीं, उन पर विचार किया कि विश्वविद्यालय सुचारु रूप से नहीं चल पा रहे हैं । दूसरी बात यह थी कि आवासीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनको निर्देश दिया है कि उसको नियंत्रित करें और नियंत्रित करके उनमें गवेषण एवं शोध का कार्य आगे बढ़ा कर देश को कुछ देने की बात होनी चाहिये । श्रीमन्, कुलपतियों के सम्मेलन मे कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ यह उनके सुझाव हैं । इसलिए मैं सिफारिश बता रहा हूं । इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पिछले दो वर्षों में जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, तो तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा कर विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या आधी कर दी गई थी । इसलिए कुलपतियों ने सुझाव दिये थे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, यह भाषण हो रहा है या उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर बिना भाषण के नहीं हो सकता । (व्यवधान) माननीय सदस्यों का यह प्रश्न था कि कुलपतियों, छात्रों और अन्य लोगों की जो कानफ्रेंस हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट है क्या विचारार्थ उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह नहीं था । प्रश्न यह था कि कुलपतियों के सम्मेलन की क्या-क्या सिफारिशें थी और दूसरे सम्मेलन में क्या तर्क दिया था कि उन सिफारिशों को न माना जाय ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें इतना विस्तृत नहीं (व्यवधान) आप लोग कृपया बात कम कीजिये । कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशें और छात्रों की सिफारिशें क्या थीं, क्या उसको आप सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

सिफारिश और विचार में इनको भ्रम हो गया है । यह उसमें गड़बड़ होगये हैं ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक प्रश्न पर १५ मिनट का समय क्यों दिया जा रहा है ?

श्री ऊदल--

दिघे जी को भ्रम है। मैंने जो प्रश्न उपस्थित किया था, वह यही था कि जो भीड़ है, उसको नियंत्रित करने के लिए कुलपति सम्मेलन में कोई सिफारिश की गई थी .....।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने ऊदल जी को बुलाया नहीं आपने तो शिक्षा मन्त्री जी को बुलाया था इसलिए इनका भाषण निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिये।

श्री काली चरण--

श्रीमन्, आपने जो आदेश दिये हैं....।

श्री अध्यक्ष--

मेरे आदेश नहीं है यह तो आपको निश्चय करना है।

श्री काली चरण--

माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा है इसको बताने में थोड़ा समय लगेगा इसीलिए धैर्य की आवश्यकता है, दो दिन के सम्मेलन हैं और उनकी रिपोर्ट है, तो उसे बताने में समय लगेगा।

श्रीमन्, उन्होंने यह कहा था कि जो प्रदेश के तीन आवासीय विश्वविद्यालय, हैं लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर इसमें प्रवेश के लिये न्यूनतम ५५% अंक निर्धारित किये जाय। श्रीमन्, एक बात थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय नेगी जी और माननीय ऊदल ने कहा कि कोई प्रस्ताव पास किया था। मैंने उत्तर दिया था कि कोई प्रस्ताव नहीं पास किया। मैंने यही उत्तर दिया था।

श्री श्यामधर मिश्र--

तो, मान्यवर, क्या हम लोग माननीय मंत्री जी की ना को हां समझें और हां को ना समझें ? यह उनका मतलब है ?

श्री अध्यक्ष--

अब बीच में नहीं।

श्री काली चरण--

श्रीमन्, दूसरी बात शिक्षा सत्र में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इस व्यवधान को समाप्त करने के लिये ताकि नियमित रूप से शिक्षा सत्र चल सके, इस पर उनका विचार था कि इसके लिये अध्यापक और विद्यार्थी संघ के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया जाय। सन् १९७५ में इस सम्बन्ध में एक सिफारिश की गयी थी कि विद्यार्थी संघ को किस तरह बनाया जाय। उस सिफारिश के अनुसार उन्होंने कहा कि कोठारी कमीशन में जो दिया था, वह, और सन् १९७५ में जो सिफारिश थी, उसी को उन्होंने दोहराया। इस प्रकार जो वर्तमान छात्र संघों का स्वरूप है, उसमें परिवर्तन किया जाय और पूरे विश्वविद्यालय का जो चुनाव होता है, वह न होकर, विभिन्न विषयों के संगठन बनाये जांय और उनके माध्यम से छात्र संघ का चुनाव कराया जाय ताकि जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, वह न रहे और इसको नियंत्रित किया जा सके।

इसी तरह से अध्यापकों के वार्षिक कार्यों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में जो उनके पास परिपत्र होगा, उसमें वे जो साल भर कार्य करेंगे, जो गवेषण और पठन-पाठन सम्बन्धी कार्य होंगे, उसको स्वतः लिखेंगे। उनके विभागाध्यक्ष अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो विश्वविद्यालय के कुलपति देखेंगे उसका मूल्यांकन होगा, जिससे अध्यापकगण अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान रहें। तो ये मुख्य-मुख्य बातें हैं जो कुलपतियों के सम्मेलन में सुझाव दिये गये थे।

हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील में बाढ़

**३--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में कौन-कौन से क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आए हैं ? क्या यह भी सही है कि परगना कछन्दऊ तथा कटरी के लगभग ५० गांव बाढ़ की भीषण विभीषिका से ग्रस्त हुए हैं ? यदि हां, तो बाढ़ पीड़ित गांवों के लिए कौन-कौन से तत्काल सहायतार्थ कार्य किए गए ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत इस वर्ष बाढ़ से परगना कछन्दऊ, कटियारी पांडी तथा बिलग्राम के कुल ६० ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। परगना कछन्दऊ, कटियारी के कुल २६ गांव बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को नावों के द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है तथा तत्काल खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त कछन्दऊ व कटियारी के बाढ़ पीड़ित असहाय लोगों को ३,००० रुपये की भी सहायता दी गयी है।

बाढ़ क्षेत्रों में तत्काल चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिये ६१ बाढ़ चौकियों की स्थापना की गयी है। बीमारियों के बचाव के लिये १४५५ लोगों को टीके लगाये गये। ५९८ कुएं विसंक्रमित किये गये हैं तथा ५०१ लोगों के अन्य उपचार किये गये। सहायता कार्य अभी जारी है।

उपर्युक्त सहायता कार्यों के अतिरिक्त जिन जोतदारों की फसल को ५०% से अधिक हानि हुई है उनसे मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गयी है।

इसी प्रकार कक्षा ७ से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के जिन छात्रों के अभिभावकों की जोतों पर ५०% से अधिक की हानि हुई है उनकी ट्यूशन फीस स्थगित करने के आदेश भी जारी किये गये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलग्राम तहसील में जो ६० गांव प्रभावित बताये हैं, वे ६० गांव पूरी तहसील में हैं या कछन्दऊ, कटियारी, सांडी परगना जो है, उसमें है, क्योंकि यह परगना जो पूरी तरह से प्रभावित रहा है, वह शामिल नहीं किया गया ? तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन लोगों को, किन-किन की नावों द्वारा किस सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया । कौन सी सामग्री वितरित की गयी ? ३,००० की सामग्री जो दी गयी, वह किन-किन गांवों में दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जहां तक अलग-अलग गांव का विवरण है, वह इस समय उपलब्ध नहीं है । उसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित तमाम गांव के लोगों की बरबादी को देखते हुए इस वर्ष की मालगुजारी तथा अन्य दूसरे कर्जे माफ करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मैंने अभी बताया कि जहां ५० फीसदी से अधिक हानि हुई है वहां जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि वह स्थगित कर दें और पूरा विवरण बनाकर शासन को भेज दें, जिससे कि आगे कार्यवाही की जा सके ?

राजस्व परिषद् को समाप्त किये जाने की मांग

**४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार राजस्व परिषद् को समाप्त किए जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७१-७२) के दशम् प्रतिवेदन में राजस्व परिषद् को समाप्त करने की संस्तुति की गई थी जिसे शासन ने अस्वीकार कर दिया था । प्राक्कलन समिति (१९७६-७७) के तेरहवें प्रतिवेदन में शासन के निर्णय से असहमति प्रकट करते हुए राजस्व परिषद् को समाप्त करने पर बल दिया गया है । यह प्रतिवेदन सितम्बर, १९७७ में प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यह सवाल आ ही नहीं सकता और इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि राजस्व संहिता विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द है और यह उसके विचाराधीन है। यह प्रश्न नियमतः नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आपत्ति आपने की है वह अपनी जगह पर ठीक नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि मामला सब जुडिस है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सब जुडिस नहीं। आपकी अध्यक्ष पीठ की रूलिंग है और वह यह कि २५ मार्च, १९५७, को श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति न देते हुये श्री अधिष्ठाता ने कहा, "मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता, इस वास्ते कि आप पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य हैं और नियम के अनुसार जो मामले हाउस की किसी कमेटी के सामने आ सकते हैं या उसके सामने आये हैं, उसके बारे मे मैं आपको अनुमति नहीं देता पूछने की।" इस सम्बन्ध में पुनः आग्रह किये जाने पर श्री अधिष्ठाता ने सम्बन्धित नियम पढ़ कर सुनाया, "मैं अभी रूल पढ़े देता हूं। इसके बाद आप विचार करें।" "वह सदन द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष विषयों से अथवा प्रवर समिति के सभापति अथवा सदन के प्राधिकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विषयों से सम्बद्ध नहीं होगा।" क्योंकि राजस्व संहिता विधेयक के अन्तर्गत राजस्व परिषद् से लेकर लेखपाल तक का मामला अन्तर्निहित है इसलिए यह प्रश्न सदन में नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष--

श्री कल्पनाथ सिंह जी ने यह प्रश्न उपस्थित किया है। सदन को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। जो राजस्व संहिता से सम्बन्धित विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द है, इससे कोई व्यवधान नहीं पड़ता क्योंकि अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस प्रश्न की अनुमति देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में शासन के निर्णय के प्रति असहमति प्रकट करते हुए जो संस्तुति की उसके सम्बन्ध में मंत्रिमन्डल अथवा मंत्रिमन्डल की किसी उप-समिति द्वारा विचार किया गया? यदि हां, तो निर्णय क्या है?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, श्री कल्पनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा ने नियम १०३ के अन्तर्गत प्राक्कलन समिति (१९७६-७७) के अनुसार राजस्व परिषद् को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। विधान सभा के इस प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद् की एक उप-समिति ने दिनांक १८-५-७६ को अपनी बैठक में विचार किया था और

यह निश्चय किया था कि शासन प्राक्कलन समिति की संस्तुति से सिद्धान्त रूप में सहमत है और आगे की कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं। अतः माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शासन ने राजस्व परिषद् को समाप्त करने के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और राजस्व परिषद् के पास प्रशासनिक और न्यायिक काम भी हैं तो इसकी समाप्ति के बाद यह काम किस प्रकार किया जायगा। इस सिलसिले में शासन ने किसी रूपरेखा पर विचार किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

इस पर विचार हो रहा है। क्या रूपरेखा होगी अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सन् १९७१-७२ और १९७६-७७ की प्राक्कलन समिति ने क्यों राजस्व परिषद् को समाप्त करने की संस्तुति की है ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी रिपोर्ट मौजूद है। यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि सन् ७६ में जो प्राक्कलन समिति की संस्तुति थी, सिद्धान्त रूप में सरकार उस सिफारिश से सहमत थी कि समाप्त किया जाय। तब से दो वर्ष का समय बीत गया, ऐसी कौन कठिनाई है, जो निर्णय लेने में इतनी बाधक हो रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, सदस्य महोदय शायद समझ नहीं सके। सन् ७६-७७ की प्राक्कलन समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में यह संस्तुति की गयी जो वह शासन को सितम्बर, सन्, १९७७ में प्राप्त हुई है। तब से विचार हो रहा है, सन् ७६ से नहीं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपने बताया नहीं कि सन् ७७ में आई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आखिर कौन सी कठिनाई उसे मानने में बाधक हो रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, सारी व्यवस्था अभी राजस्व परिषद् द्वारा की जा रही है। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा न्यायिक कार्य भी उनके जिम्मे है।

सारी व्यवस्था के विकल्प के रूप में क्या किया जाय फिर जैसा अभी कहा गया राजस्व संहिता भी बन रही है और उसमें भी कुछ विचार हो रहा है। पूरी तरह विचार कर लेने के बाद ही निर्णय किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य, डाक्टर जगदीश लाल को 'सर्व इंजीनियरिंग कम्पनी' चलाने की कथित अनुमति

*1—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद) तथा डाक्टर [illegible] लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य डा० जगदीश लाल ने अपनी कम्पनी सर्व इंजीनियरिंग में बिजली प्राप्त करने के लिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत, गाजियाबाद को दिनांक २३ नवम्बर, १९७३ को अन्य सम्बन्धित कागजातों सहित प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें नौकरी में होते उद्योग लगाने की अनुमति दी गई थी ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (कुंवर सत्यवीर)—

जी हां, किन्तु प्रार्थना-पत्र दिनांक १७ नवम्बर, १९७३ का था।

प्रसंगगत अनुमति दिए जाने का एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का सम्बन्ध मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद की प्रशासकीय परिषद् से है। सम्पूर्ण तथ्यों की जांच के उपरान्त संस्था की प्रशासकीय परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जायगा।

श्री गुरु प्रसाद—

उक्त कालेज की प्रशासकीय परिषद् के क्या अधिकार हैं और उक्त प्रधानाचार्य के खिलाफ जो आरोप हैं, उसे जांचने का अधिकार है या नहीं ?

कुंवर सत्यवीर—

प्रशासकीय परिषद् को अधिकार है, लेकिन हम लोगों को तो कोई अधिकार है नहीं।

श्री गुरु प्रसाद—

इसी सम्बन्ध में आपने अपने पूर्व के प्रश्न संख्या ५९ के संबन्ध में यह लिखा है कि इस आरोप, अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच के लिए सतर्कता विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है और वहां से जब रिपोर्ट आ जायगी, तो उस रिपोर्ट पर कार्यवाही की जायगी, लेकिन आज के उत्तर के साथ उसे रखने पर दोनों उत्तरों में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, तो दोनों में से कौन सा उत्तर ठीक है ?

श्री काली चरण--

जिस पुराने उत्तर का सन्दर्भ माननीय सदस्य ने दिया है, वह भी सही है और जो अभी-अभी उत्तर दिया जा रहा है, यह भी सही है। श्रीमन्, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कुछ शिकायतें शासन को आई थीं, जिस पर सतर्कता विभाग से जांच करने के लिए अनुरोध किया गया था, उसको शासन ने सतर्कता विभाग के पास भेज दिया है, वह जांच कर रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आपके सहयोगी ने उत्तर दिया कि हमें कोई अधिकार नहीं है, तो आपने सतर्कता विभाग को किस अधिकार से भेजा ?

श्री काली चरण--

मेरे सहयोगी की बात जो आपने की है, उन्होंने एक व्यक्ति की बात कही है। मैंने यह उत्तर दिया है कि शासन ने आदेश दिए हैं, सतर्कता विभाग से जांच करने के। दूसरी बात उन्होंने कही है कि उक्त कालेज की एक प्रशासकीय परिषद् है जो पूर्णरूप से स्वायत्तशासी संस्था है, वह प्रधानाचार्य या अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उनके सेवा के मसले देखती है और उन पर कार्यवाही करती है। जहां तक सतर्कता विभाग का प्रश्न है, किसी भी प्रकार के जो शासन से सन्दर्भित मसले होते हैं, उनकी जांच करके उसे शासन को भेजने का अधिकार है, फिर उसकी रिपोर्ट पर शासन जो उचित समझे, कार्यवाही करने का उसे अधिकार है।

श्री गुरु प्रसाद--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं प्रशासकीय परिषद् का सन् १९७३ से १९७७ तक चार साल लगातार सदस्य रहा हूं, मेरी जानकारी है कि उनको यह अधिकार बिलकुल नहीं है। प्रशासकीय परिषद् के क्या अधिकार हैं, उनको मंत्री जी सदन के सामने रखेंगे?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि उक्त परिषद् के अधिकार क्या हैं, क्या आप उनको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री काली चरण--

उस परिषद् की पूरी नियमावली, जिसमें प्रशासकीय परिषद् के अधिकार दिए हुए हैं, उनके अवलोकनार्थ उनके पास भेज दी जायगी, हालांकि माननीय सदस्य ने उसे देखा होगा, भले ही दो-तीन साल हुए, इसलिए भूल गए हों।

मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर की अध्यापिकाओं और कर्मचारियों का अवशेष वेतन

*२--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर की अध्यापिकाओं और कर्मचारियों के वेतन का गत कई मासों से भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त स्टाफ के वेतन का भुगतान शीघ्र कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर की अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों का नियमित भुगतान फरवरी, १९७७ से धनाभाव के कारण नहीं किया गया है ।

मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के वेतन वितरण का उत्तरदायित्व पूर्णतया प्रबन्धाधिकरण का ही है

*३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[नियम ३८ (२) के अन्तर्गत २रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के स्थानान्तरण पर आपत्ति

(प्रश्न संख्या ४ पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा प्रश्न संख्या ३ पर एक व्यवस्था का प्रश्न है, ३ नम्बर का जो प्रश्न है, पिछली बार जब रबी की बोवाई चल रही थी, उस समय हमारे क्षेत्र में जबरदस्ती खड़ी हुई फसल को वहां के लोग काट रहे थे और सड़क बना रहे थे ।

श्री अध्यक्ष--

जनार्दन जी, इसकी इजाजत नहीं है । आप बतलाइए आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस प्रश्न की तात्कालिकता को मान्यवर, देखें । पिछली मार्च का प्रश्न है और उसको बराबर टाला जा रहा है और फिर टाल दिया गया । इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया । जहां तक मेरी स्मरणशक्ति ठीक है, मैंने यह प्रश्न शार्ट नोटिस के रूप में दिया था । पिछली बार जब रबी की फसल बोई जा चुकी थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों की बात जानते हैं। अगर कोई प्रश्न अल्पसूचित भी स्वीकार किया जाता है, तो यह सरकार को अधिकार है कि उसका उत्तर देया न दे । अगर सरकार अल्पसूचित प्रश्न के रूप में उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है तब उसको तारांकित प्रश्न के रूप में ले लिया जाता है । यह नियम ३८ के उपनियम (२) के अनुसार ट्रान्सफर किया गया है । इस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस प्रश्न की तात्कालिकता को देखते हुए आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

कृषि विभाग से सम्बन्धित प्रश्न था । कृषि विभाग का दिन अन्यत्र था, आज कृषि विभाग को उत्तर नहीं देना था । इसलिए दूसरे दिन के लिए तब्दील कर दिया गया ।

श्री ऊदल--

प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के बाद ही हो सकता है, उस बीच में नहीं हो सकता। इसलिए निवेदन है कि इस समय किसी भी व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

प्रश्नोत्तर [क्रमागत]

आदर्श कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, जवर, बुलन्दशहर की अध्यापिका का अवशेष वेतन

*४--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री मुकुन्दी सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि आदर्श कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, जवर, बुलन्दशहर के अन्तर्गत कितनी ऐसी अध्यापिकाएं हैं, जिनको १ जनवरी, १९७५ से १६ अक्तूबर, १९७५ तक का वेतन अभी तक नहीं मिला है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री काली चरण--

इस संस्था की केवल एक अध्यापिका को ही प्रश्नगत अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि उनका उस अवधि का अवकाश प्रकरण अभी प्रबन्ध समिति ने स्वीकार नहीं किया। मंडलीय निरीक्षिका ने प्रबन्ध समिति को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने अपना पत्र कब दिया है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री काली चरण--

उक्त अध्यापिका के कुछ अवकाश प्रकरण हैं, जिस पर निर्णय करने हैं। २४-५-७७, १३-७-७७ और २२-७-७७ को सम्बन्धित अभिलेख भेजने के लिए मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने लिखा था। यह तिथियां हैं, जिसमें भेजा था।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

अध्यक्ष जी, मेरा सीधा प्रश्न यह था कि इतना विलम्ब होने के बाद जो यह समस्या सामने आयी है, सो विद्यालय निरीक्षिका ने, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर में बताया है, उन्होंने कब आदेश दिया कि इसकी तनख्वाह दे देनी चाहिए, कब पत्र गया है और अब तक क्या प्रगति हुई है ? यह मैंने प्रश्न किया था।

श्री काली चरण--

श्रीमन, प्रश्न यह है कि उक्त अवधि के अवकाश का प्रकरण प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णीत नहीं हुआ, स्वीकृत नहीं हुआ, वेतन का भुगतान नहीं हुआ है।

मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने जिन तिथियों को आदेश भेजा है वह बता दी। जहां तक अवकाश का सम्बन्ध है, किसी भी विद्यालय में अवकाश स्वीकृत करना या न करना यह प्रबन्ध समिति का अधिकार है। उसके निर्णय के लिए मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने लिखा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर आप शीघ्र ही इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लेते, तो प्रबन्ध समिति के विरुद्ध इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा १६ (डी) के अनुसार कार्यवाही की जायगी। यह सूचना भी उनको दे दी गयी है।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में व्याप्त गड़बड़ी के विरुद्ध जांच आयोग

*५—श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

सितम्बर, १९७७ में सदन में की गयी घोषणा के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखंड विश्वविद्यालय झांसी में व्याप्त गड़बड़ियों की जांच तत्कालीन मंडलायुक्त, झांसी (श्री किशोर) द्वारा की जा रही थी? उक्त जांच में अब तक क्या प्रगति हुयी है? क्या उक्त जांच के दौरान दयानन्द महाविद्यालय, उरई के प्रिन्सिपल जो इस समय विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति हैं, के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं?

श्री काली चरण—

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी में व्याप्त गड़बड़ियों की जांच पहले श्री कृष्ण किशोर, आयुक्त, झांसी मंडल और बाद में उनका स्थानान्तरण होने पर उनके उत्तराधिकारी श्री वी० के० सक्सेना द्वारा की गई। जांच पूरी हो चुकी है और जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है। जांच में दयानन्द महाविद्यालय, उरई के प्रिंसिपल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच आख्या प्राप्त हुई है उसके तथ्य क्या हैं और उसमें क्या तत्कालीन उपकुलपति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए हैं?

श्री काली चरण—

चूंकि जांच के लिए एक जांच कमीशन नियुक्त हुआ था, उसकी जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है और शासन के परीक्षण के पूर्व कोई बात उसके बारे में कहना उपयुक्त न होगी।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

जांच के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष झांसी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के विरुद्ध कोई ज्ञापन दिया था और क्या उसमें दयानन्द महाविद्यालय, उरई के प्राचार्य के विरुद्ध भी कोई आरोप हैं?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि दयानन्द कालेज के प्राचार्य के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

हमारे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

बिलकुल स्पष्ट है । पहले ही दिया जा चुका है ।

प्राविधिक शिक्षा निदेशक के पद पर नियुक्ति

*६--श्री बाबू राम वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा के निदेशक की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर न करके चुनाव पद्धति से की गई है ? यदि हां, तो इस नियुक्ति के लिए नई पद्धति अपनाए जाने का क्या कारण है ?

कुंवर सत्यवीर--

जी नहीं । निदेशक के पद पर वर्तमान तदर्थ नियुक्ति वरिष्ठतम उप निदेशक को प्रोन्नति देकर की गई है, जो तदर्थ नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है । नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायगी ।

श्री बाबू राम वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा के निदेशक की नियमितता के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है ?

कुंवर सत्यवीर--

जो व्यक्ति उप निदेशक होता है, उसको वरिष्ठता के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

नियमित नियुक्ति के लिए क्या लोक सेवा आयोग ने १६ जनवरी, १९७८ को श्री मन्ना शरण शर्मा का चयन किया है ?

कुंवर सत्यवीर--

जो चयन हुआ है वह अभी विचाराधीन है । वह गोपनीय है, इसलिए उसको बताया नहीं जा सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि जो प्रक्रिया है, वह यह है कि जो ज्येष्ठतम व्यक्ति होता है, उसको बना दिया जाता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तदर्थ नियुक्ति की क्या आवश्यकता है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, पद रिक्त होने पर वह पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आ जाता है । लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव होने के पूर्व विभाग का जो भी स्थायी उप निदेशक वरिष्ठतम होता है, उसकी तदर्थ नियुक्ति कर दी जाती है । वरिष्ठतम उप निदेशक, श्री कृष्ण मित्तल थे, उनकी निदेशक के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गयी है । लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रक्रिया है, उसमें लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य, सचिव, प्राविधिक शिक्षा और मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत आयुक्त एवं खाद्य सचिव, यह तीनों सदस्यों की एक चयन समिति बनायी गयी थी, जिसने इसके चयन

पर विचार किया है और अपनी संस्तुति भेज दी है। कार्मिक विभाग उसका परीक्षण कर रहा है, उसके बाद उसकी नियुक्ति कर दी जायेगी

गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का अवशेष वेतन

*७—श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० एस० ए०, गोंडा के कितने अध्यापक और अध्यापिकाओं का वेतन अभी तक बाकी है ? उसके अब तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोंडा के अधीन ५५८ अध्यापकों तथा ८२ अध्यापिकाओं का वेतन अवकाश प्रकरणों का निर्णय न होना, कार्यभार ग्रहण की सूचना प्राप्त न होना, अनुपस्थिति की रिपोर्ट होना, निलम्बन आदि कारणों से अब तक भुगतान नहीं किया जा सका है।

के० बी० इन्टर कालेज, पयागपुर, जिला बहराइच के वैकल्पिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

*८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि के० बी० इन्टर कालेज, पयागपुर, जनपद बहराइच के वैकल्पिक शिक्षकों का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत फरवरी, १९७८ में जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को शिक्षकों ने की ? यदि हां, तो अब तक उन वैकल्पिक शिक्षकों को वेतन न देने के लिए कौन-कौन दोषी हैं और कब तक उन्हें वेतन मिल जायेगा ?

श्री काली चरण—

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय में दिनांक ११ जनवरी, १९७८ को निरीक्षक द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को विद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया एवं दिनांक ११ जनवरी, १९७८ को ही विद्यालय के हड़ताली अध्यापकों ने हड़ताल से वापस आकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। अतः प्रश्नगत वैकल्पिक शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद्, फर्रुखाबाद के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण

*९—श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत दिसम्बर, १९७७ के शासनादेश होने के बाद १५ मार्च, १९७८ तक कितने स्थानान्तरण अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के किए गए ? स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं ?

नोट—नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया है।

श्री काली चरण--

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में शिक्षा निदेशक के प्रश्नगत निर्देशों के बावजूद उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फर्रुखाबाद द्वारा २२ अस्थायी स्थानान्तरण, सहायक/प्रधान अध्यापिकाओं के किए गए थे, जिनको उन्होंने अस्थायी प्रबन्ध के रूप में किया था ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बरेली के आयुर्वेदिक डाक्टरों का वेतनमान

*१०--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, बरेली के अन्तर्गत चलने वाले प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों की चिकित्सा हेतु आयुर्वेदिक डाक्टर नियुक्त हैं ? उनका वेतन क्रम क्या है ? क्या यह सच है कि उक्त डाक्टर का वेतन-क्रम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के समान है ? यदि हां, तो आयुर्वेदिक डाक्टर को उनके वेतन-क्रम के अनुसार वेतन न देने का क्या-क्या कारण है ?

श्री काली चरण--

जी हां । उसका पुराना वेतनमान रु० १५०--६--१८०--द० रो०--१०--२२०--द० रो०--१०--२६० है, जिसका प्रारम्भिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नवीन वेतनमान १६५--२१५ रु० से कम है । शासन के शिक्षा विभाग द्वारा उपर्युक्त वेतनमान के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार किया गया तथा इस पद को सम्बन्धित स्थानीय निकाय को प्रत्यावर्तित करने के लिए शिक्षा निदेशक को १४-६-७८ को आदेश दे दिए गए ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बरेली को औषधियों हेतु की गई धनराशि

*११--श्री नेतराम सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाली आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बरेली को गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि की औषधियां द गई ? यदि नहीं, तो औषधियां न देने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री काली चरण--

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के पास शुल्काय तथा अनुदान के अतिरिक्त आय के कोई अन्य साधन न होने के कारण औषधि के लिए कोई धनराशि नहीं स्वीकृत की गई ।

*१२--श्री देव कुमार यादव--

[३रे मंगलवार में ३८(२) में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

बाराबंकी जिले की बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का स्थानान्तरण

*१३--श्री राम लाल अहेरवार--

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत दिसम्बर, १९७७ के शासनादेश होने के बाद

से कितने स्थानान्तरण अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के १० मार्च, १९७८ तक किए गए ? स्थानान्तरण करने का कारण क्या है ?

श्री काली चरण—

शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश दिनांक ९-१२-७७ में प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे कि किसी अध्यापक/अध्यापिका का स्थानान्तरण उक्त आदेशों की प्राप्ति के बाद न किया जाय, किन्तु जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत ३४ अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण दिसम्बर, १९७७ से दिनांक १०-३-७८ तक की अवधि में किए गए। ये स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किए गए।

स्थानीय निकायों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना

*१४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकाय कौन-कौन हैं, जहां कि अभी भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू नहीं है ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की हड़ताल एवं छात्रों से ली गई शिक्षण-शुल्क की वापसी

*१५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि गैर सरकारी मान्यताप्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि का शिक्षा शुल्क छात्रों से न लिए जाने की घोषणा के बाद भी प्रदेश के अनेक विद्यालयों में छात्रों से फीस ली गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार वसूल की गई फीस को वापस कराने तथा फीस लेने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए शासन द्वारा क्या किया गया है ?

श्री काली चरण—

शासन को अब तक ३५ जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार २६८ विद्यालयों में छात्रों से शिक्षण-शुल्क ले ली गई थी, जिनमें से २५७ विद्यालयों में वसूल की गई शुल्क छात्रों को या तो वापस कर दी गई अथवा आगामी माह की देय शुल्क में समायोजित कर दी गई। शेष ११ विद्यालयों को भी सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा शुल्क वापसी या समायोजन हेतु आदेश दिए जा चुके हैं।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, रेलवे कालोनी, गोंडा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध लिखाई गई गबन की रिपोर्ट

*१६—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बजरंग बिहारी मिश्र, प्रबन्धक, गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, रेलवे कालोनी बड़ गांव, गोंडा के प्रधानाचार्य के

विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं के लिए थाना कोतवाली, गोंडा के यहां दिनांक ११ नवम्बर, १९७६ तथा १९ नवम्बर, १९७६ को कोई मुकदमा कायम कराया था ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन है और क्या-क्या आरोप लगाया है ? अब तक उक्त मामले की जांच किस अधिकारी ने किया और जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री काली चरण--

जी हां, प्रबन्धक ने ११-११-७६ तथा १९-११-७६ को कोतवाली, गोंडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० ९२४ और ९२४ (ए) धारा ४०८/४०९ के अन्तर्गत दर्ज कराई थी । प्रधानाचार्य के विरुद्ध १२,९४८.५५ रुपया के गबन के आरोप हैं । श्री रामायण सिंह एस० आई, इसकी जांच कर रहे थे । उनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण यह कार्य दूसरे अधिकारी को सौंपा गया है । पुलिस जांच अभी जारी है ।

नगरमहापालिका, कानपुर की भवन विहीन बेसिक प्राइमरी पाठशालायें, सुखनीपुर व मदारपुर

*१७--श्री बाबू राम शुक्ल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका, कानपुर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम सुखनीपुर तथा मदारपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाए जाने वाले दोनों स्कूल खुले चबूतरे पर चलते हैं तथा इन स्कूलों का अपना फर्नीचर भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब व्यवस्था करेगी ?

श्री काली चरण--

जी हां, नगर महापालिका, कानपुर की सीमा के अन्तर्गत बेसिक प्राइमरी स्कूल, मदारपुर एक कोठरी चबूतरे पर चलता है तथा बेसिक प्राइमरी स्कूल सुखनीपुर खुले चबूतरे पर चलता है ।

दोनों स्कूलों में अपना फर्नीचर है किन्तु पर्याप्त मात्रा में नहीं है ।

मैनपुरी जिले के विकास खण्ड एका के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का अवशेष वेतन

*१८--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अध्यापकों के अवशेष भुगतान हेतु पत्र संख्या मु० वि० अधि० जि० परि० ४९३ (ए)-३७६५, तारीख २७ अगस्त, १९७७ को राजाज्ञा हुई है ? यदि हां, तो ऐसे जिला मैनपुरी के विकास खंड एक प्राइमरी स्कूलों में कौन-कौन से अध्यापक हैं कि जिनका अवशेष वेतन अब तक नहीं दिया गया है ? अब तक अवशेष वेतन भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री काली चरण--

मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या मु० वि० अधि०/जि० परि०/४९३ (ए)/३७६५, दिनांक २७ अगस्त, १९७७ द्वारा

अध्यापकों के अवशेष वेतन भुगतान हेतु राजाज्ञा नहीं हुई थी वरन् जिला परिषदों द्वारा अध्यापकों के वेतन पर किए गए व्यय के समायोजन हेतु आंकड़े एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद् उत्तर प्रदेश को निर्देश भेजे गए थे ।

जिला मैनपुरी के विकास खंड एका के ऐसे अध्यापकों की सूची संलग्न है जिनका अवशेष वेतन अगस्त, १९७२ के पूर्व का बकाया है । इन अवशेषों के औचित्यों की छानबीन पूर्ण न होने के कारण यह बकाया है । छानबीन की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत विलम्ब हुआ जिसके लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराना संभव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२९ पर) ।

एस० आर० पी० इन्टर कालेज, कोंच के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

*१९—श्री श्याम सुन्दर गुप्त तथा श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मन्त्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ३० दिसम्बर, १९७५ को शिक्षा निदेशक के पत्रांक शिविर ३६२७५-३५३-७५/७६, के अनुसार डीम्ड एप्रूवल मानकर केवल उन्हें प्रधानाचार्यों के मामले निस्तारण करने के निर्देश उप शिक्षा निदेशकों को दिए गए थे जिन्हें प्रबन्ध तन्त्र ने ७ जुलाई, १९७५ के पूर्व नियुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपरोक्त विभागीय आदेश के विपरीत प्रबन्ध तन्त्र के द्वारा नियुक्त न किए जाने पर उप शिक्षा निदेशक, झांसी मन्डल, झांसी ने शालिग्राम पाठक इन्टर कालेज, कोंच के प्रबन्धक को स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए निर्देश उपरोक्त तिथि के बाद दिए ? यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाहियों के कारण शासन ने उक्त शिक्षा उप निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री काली चरण—

शिक्षा निदेशक के पत्रांक शिविर ३६२७५-३५३/७५-७६, दिनांक ३० दिसम्बर, १९७५ के अनुसार ऐसे प्रधानाचार्यों जिनके मामले वस्तुतः २३ जून, १९७५ तक अनुमोदन हेतु मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों के कार्यालय में प्राप्त हो गये थे और जिनके सम्बन्ध में अनुमोदन अथवा निरनुमोदन का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, को स्वतः अनुमोदित मानने के निर्देश थे । एस० आर० पी० इन्टर कालेज, कोंच के प्रधानाचार्य के चुनाव का जो अनुमोदन दिया गया वह उपर्युक्त आदेशों के अनुसार ही था । अतः उप शिक्षा निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यापकों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु दी गयी धनराशि और अध्यापकों के भविष्य निधि का हिसाब

*२०—श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७२ के पूर्व जिस समय जिला परिषद् का शिक्षा विभाग उनके अधीन था उस समय का अध्यापकों के वेतन के बकाए की सम्पूर्ण रकम १,६५,००० रु० बकाया बेसिक शिक्षा परिषद् कानपुर को शासन द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित शिक्षकों को वेतन का बकाया बांटा गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री काली चरण—

वर्ष १९७२ के पूर्व जिला परिषद् कार्यालय का शिक्षकों के वेतनादि के बकाये के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् कानपुर को १,१०,५१३ रु० की धनराशि स्वीकृति की गई थी। अब तक ६३०४.९९ रु० का भुगतान किया जा चुका है और ७१५९.५९ रु० का भुगतान निकट भविष्य में कर दिया जायगा। इस प्रकार वर्ष १९६९ से १९७२ तक के सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है अथवा भुगतान हो रहा है। सम्बन्धित शिक्षकों को वेतन का बकाया अभी पूरा नहीं बांटा जा सका है क्योंकि अवशेष वेतन के भुगतान के मामले बहुत पुराने हैं और वर्ष १९६९ से पूर्व के रिकार्ड न मिलने के कारण उनमें निर्णय नहीं लिया जा सका है तथापि निकट भविष्य में विशेष अभियान आयोजित करके प्रसंगगत मामलों में देय वेतन की छानबीन कर उसकी प्रमाणिकता से जांच करने के पश्चात् भुगतान कर दिया जायेगा।

*२१—श्री मौजी लाल कुरील—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि सन १९७२ के पूर्व कार्यरत अध्यापकों का भविष्य निधि का हिसाब सन् १९७७-७८ बेसिक शिक्षा परिषद्, कानपुर द्वारा किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण—

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन तथा १९७२ के पूर्व ग्रामीण क्षेत्र कानपुर के अध्यापकों का भविष्य निधि का हिसाब जून, १९६५ तक ही तैयार था जिसे फरवरी, १९७० तक अब पूरा कर लिया गया है। नगर क्षेत्र कानपुर के अध्यापकों के भविष्य निधि के लेखों का कार्य उनके बेसिक शिक्षा परिषद् में हस्तान्तरण के पूर्व समय का पूर्ण है। अवशेष अवधि तथा १९७७-७८ तक के भविष्य निधि का हिसाब शीघ्र पूरा कर दिया जायगा।

भूतपूर्व शिक्षक तथा वर्तमान विधान सभा सदस्य के वेतन का भुगतान

*२२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) श्री भाभी (जिला आजमगढ़) तथा श्री बाबू राम वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्तमान विधान सभा के कुछ सदस्यगण सदन की सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व शिक्षक का कार्य करते रहे हैं? यदि हां, तो कितने? क्या यह सही है कि ऐसे माननीय सदस्यगण विधायक होने की हैसियत और पूर्व शिक्षक होने के कारण दोहरा वेतन प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर?

श्री काली चरण—

जी हां, वर्तमान विधान सभा के कुछ माननीन सदस्यगण सदन की सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व शिक्षक का कार्य करते रहे हैं। ऐसे कितने सदस्य हैं, यह सूचना एकत्र की जा रही है। ऐसे सदस्यों को शिक्षक के पद का वेतन उस अवधि के लिए जब वे विधान मंडल या उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए विद्यालय से अवमुक्त कर दिए जाते हैं, तभी दिया जाता है यदि उनके स्थान पर विद्यालय में किसी प्रतिस्थानी की नियुक्ति न हुई हो।

आजमगढ़ जिले के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अम्बारी में कर्मचारियों की नियुक्ति

*२३—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अम्बारी में १ जनवरी, १९७८ से १५ मार्च, १९७८ तक कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई उनमें किन-किन जाति के कितने-कितने लोगों को नियुक्त किया गया है ? उनकी योग्यतायें क्या हैं और वे किन-किन पदों पर नियुक्त किए गए हैं ?

श्री काली चरण—

जी हां । कुल १० कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जिनमें से ८ व्यक्ति यादव जाति के तथा शेष २ में से १ व्यक्ति राजभर और १ व्यक्ति लोहार जाति का है । शेष विवरण संलग्न तालिका में दिए हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३० पर) ।

उप शिक्षा निदेशक, तृतीय मण्डल बरेली, के विरुद्ध कथित जांच

*२४—श्री अकबर हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, तृतीय मंडल बरेली, की अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद श्री पी० के० शुक्ल, ने दिनांक १६, १७ मार्च, १९७८ को जांच की है ? वह जांच किन लोगों की शिकायत पर थी, क्या सिद्ध हुआ और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के श्री राम नगीना तिवारी की, पी० टी० टीचर्स के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर किया गया रिट पिटीशन

*२५—श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के राम नगीना तिवारी वगैरह के द्वारा किए गए रिट पेटीशन का फैसला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने १ सितम्बर, १९७७ को ही कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के बाद प्रान्त के सभी पी० टी० टीचर्स जिनका एल० टी० ग्रेड से प्रत्यावर्तन सी० टी० ग्रेड में हो गया है, को आदेशानुसार एल० टी० ग्रेड मिलना शुरू हो गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

जी नहीं ।

उच्च न्यायालय का निर्णय केवल सम्बन्धित पांच अध्यापकों के बारे में ही था ।

देवरिया जिले में गंडक नहर द्वारा रेगुलेटर के निर्माण हेतु आमंत्रित टेन्डर और निर्माण-कार्य का स्थगन

*२६--श्री बसन्त (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देवरिया में देवरिया ब्रांच के किलोमीटर ७३ से लगायत २०० पर रेगुलेटर बनाने के सम्बन्ध में गण्डक नहर विभाग के द्वारा कोई टेंन्डर वर्ष १९७६-७७ के ३१ मार्च तक आमन्त्रित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य आरम्भ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२७--श्री बसन्त--

क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य को पूरा करने से पूर्व सम्बन्धित इंजीनियर द्वारा भारी धनराशि का मांग टेन्डर निकले ठेकेदार द्वारा प्राप्त न होने के कारण कार्य स्थगित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त इंजीनियर के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने पर मन्त्री जी विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर के अध्यापकों का स्थानान्तरण

*२८--श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर द्वारा जुलाई, १९७७ से दिसम्बर, १९७७ तक कितने शिक्षक, शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण किया गया ? दोनों जनपदों में अलग-अलग कुल कितने अध्यापकों में स्थानान्तरण से प्रभावित होने वाले शिक्षकों/शिक्षिकाओं की संख्या व प्रतिशत क्या था ? जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ तक कितने अस्थायी स्थानान्तरण इन जिलों में किए गए ? इसके क्या कारण थे ?

श्री कालीचरण--

जहां तक बेसिक शिक्षा परिषद्, सुल्तानपुर के अधीन शिक्षकों के स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, जुलाई, १९७७ से दिसम्बर, १९७७ तक की स्थिति निम्न प्रकार है :—

कुल पुरुष शिक्षकों की संख्या ४५४३ थी, जिनमें ७६२ का स्थानान्तरण किया गया, जो कुल संख्या का १६.७ प्रतिशत था । महिला शिक्षकों की कुल संख्या ५२५ थी, जिनमें से ६७ का स्थानान्तरण किया गया, जो कुल संख्या का १२.७ प्रतिशत था ।

जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ तक कुल ५ शिक्षकों के अस्थायी स्थानान्तरण किए गए, जिसका मूल कारण उन्हें सुविधा प्रदान करना था ।

जहां तक बेसिक शिक्षा परिषद, प्रतापगढ़ के शिक्षकों के स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, जुलाई, १९७७ से दिसम्बर, १९७७ तक ५६९ अध्यापकों एवं ३५ अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण हुए, जो कुल अध्यापकों का १३ प्रतिशत था। जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ तक प्रतापगढ़ में कोई अध्यापक का स्थानान्तरण नहीं हुआ।

नेशनल इन्टर कालेज, मौदहा, जिला हमीरपुर के कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान

*२९---श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्टर कालेज, मौदहा (हमीरपुर) में सन् १९७५-७६ की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के रूप में तैनात अध्यापकों को अब तक उनका पारिश्रमिक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं, पारिश्रमिक का भुगतान सभी कक्ष निरीक्षकों को हो चुका है।

प्राइमरी पाठशाला, अंचलापुर, बरगदही व अनघुसरा के अध्यापकों का अवशेष वेतन

*३०---श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, अंचलापुर, बरगदही व अनघुसरा शिक्षा क्षेत्र, खरगूपुर बाजार, जिला गोंडा के सहायक अध्यापकों को जनवरी, फरवरी, १९७८ का वेतन नहीं दिया गया है और इस सम्बन्ध में उपरोक्त स्कूलों के अध्यापकों ने उप विद्यालय निरीक्षक, गोंडा को २८ मार्च, १९७८ को प्रार्थना-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री काली चरण--

प्राइमरी पाठशाला, अंचलापुर, बरगदही व अनघुसरा शिक्षा क्षेत्र, खरगूपुर बाजार जिला गोंडा के सहायक अध्यापकों को जनवरी, फरवरी, १९७८ का वेतन दे दिया गया है। उपरोक्त स्कूलों के अध्यापकों ने उप विद्यालय निरीक्षक, गोंडा को २८-३-७८ को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था, जिससे स्थिति स्पष्ट होने पर वेतन भुगतान की कार्यवाही की गई।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३१---श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी शिक्षक संघ, बांदा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री श्रीपाल सिंह ने १८ मार्च, १९७८ को बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

गांधी महाविद्यालय, उरई में प्राचार्य की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश एवं वेतन का भुगतान

*३२--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि गांधी महाविद्यालय, उरई के प्राचार्य को बुन्देलखन्ड विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किए गए आदेशों के बावजूद प्रबन्ध समिति न तो उन्हें कार्य करने दे रही है और न ही उनको दिसम्बर से वेतन का भुगतान ही कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यू० पी० स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट की धारा ६० डी० के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत एक तरफ गांधी महाविद्यालय के वेतन भुगतान का अधिकार अपने हाथ में लेकर प्राचार्य के वेतन का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण--

जी हां । कुलपति, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के आदेशों के विरुद्ध इस कालेज के प्रबन्धतन्त्र ने कुलाधिपति महोदय के समक्ष अपील कर रखी थी और उक्त अपील कुलाधिपति महोदय द्वारा स्वीकार कर ली गई है और कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय को यह आदेश दिए हैं कि दोनों पक्षों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देकर इस मामले पर पुनर्विचार करें । अतएव यू० पी० स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट की धारा ६० डी० के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

[दिनांक २३ अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न] ।

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित] ।

*२--श्री रवीन्द्र सिंह--

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*३--श्री हाकिम लाल--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित] ।

उन्नाव जिले के बल्लापुर-शिवधरपुर-नौबतगंज मार्ग के निर्माण की मांग

*४--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद में गंज मुरादाबाद के बल्लापुर, सिवधरपुर पतसिया, जाफराबाद आदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के ग्रामों में जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, जिससे ग्रामवासियों तथा कस्बे में पढ़ने जाने वाले छात्रों को घोर कठिनाई उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी गंजमुरादाबाद में बल्लापुर सिवधरपुर होकर नौबतगंज तक मार्ग बनवाने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जी हां ।

इस मार्ग की लम्बाई २२ कि० मी० है, इसमें से जितना अंश सम्भव हो सकेगा, उतना इस वर्ष की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत बनाने पर विचार किया जा रहा है ।

सहायक आयुक्त, खाद्य तथा रसद, लखनऊ के विरुद्ध चटाइयों की खरीद में पाई गई अनियमितता

*५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद कार्यालय, लखनऊ के वर्तमान सहायक आयुक्त (शिकायत) के विरुद्ध चटाई की खरीद में लाखों रुपये का घपला किए जाने का मामला जो पिछले ५–६ वर्षों से चल रहा था, में उनको जांच पर पूर्णतय दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उनको इस सम्बन्ध में क्या दन्ड दिया गया ? यदि नहीं, दिया गया, तो क्यों ? उनको वर्तमान पद पर रखने का औचित्य क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री हरिशचन्द्र)—

लखनऊ क्षेत्र म चटाइयों की खरीद में हुई अनियमितताओं और शासन को पहुंचाई गयी वित्तीय हानि की जांच अपराध अनुसंधान विभाग ने की थी, जिसमें आयुक्त, खाद्य तथा रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में तैनात एक सहायक आयुक्त भी अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं ।

उनके विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु यह मामला प्रशासनाधिकरण को अभिदिष्ट कर दिया गया है ।

प्रशासनाधिकरण द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को आरोप पत्र दे दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही उनके स्तर पर विचाराधीन है । प्रशासनाधिकरण की जांच में यदि सम्बन्धित अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

सम्बन्धित अधिकारी रुपया ६५०–१३०० वेतनमान के अधिकारी हैं और यही वेतन सहायक आयुक्त खाद्य तथा रसद का भी है । इसी कारण उनको सहायक आयुक्त के पद पर, तत्कालीन शासन द्वारा तैनात किया गया ।

*६—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

*७—श्री राम आसरे वर्मा—

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई जिले की ग्राम सभा हरियावां में सड़क का कथित निर्माण

*८—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले के अन्तर्गत ग्राम सभा हरियावां में इस समय २४ फीट चौड़ी डामर सड़क का निर्माण

हो रहा है ? यदि हां, तो यह सड़क ग्राम सभा द्वारा बनवाई जा रही है या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तथा इस सड़क के सम्बन्ध में कब प्रस्ताव हुआ और किस विभाग द्वारा इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई ? क्या यह सही है कि इसमें लगने वाला पैसा हरियावां से गोपामऊ मार्ग के लिए स्वीकृत धनराशि में से निकाला गया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जिला हरदोई में ग्राम सभा हरियावां में २४ फुट डामर की सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है । सही स्थिति यह है कि हरियावां ग्राम को हरदोई-पिहानी सड़क से मिलाने वाला सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई १·८ कि० मी०, कुल चौड़ाई ६ मीटर है, तथा पक्की सड़क की चौड़ाई ३ मीटर होगी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ।

हरदोई जिले में लिंक मार्ग का चयन २६ नवम्बर, १९७७ को किया गया तथा ग्राम्य विकास विभाग ने इसके निर्माण की स्वीकृति दी ।

यह सही नहीं है कि इस सड़क पर लगने वाला पैसा हरियावां-गोपामऊ मार्ग के लिए स्वीकृत धनराशि में से निकाला गया है क्योंकि हरियावां-गोपामऊ मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है ।

लोकमान्य तिलक इन्टर कालेज, पचपेड़वा, जिला गोंडा के कर्मचारियों की बकाया अनिवार्य जमा योजना की धनराशि

*९--श्री बिन्दूलाल (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकमान्य तिलक इन्टर कालेज, पचपेड़वा, जनपद गोन्डा के सभी कर्मचारियों के अनिवार्य जमा योजना की किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य जमा योजना की कटौतियां नियमित रूप से होती रहीं, परन्तु विद्यालय अधिकारियों द्वारा उक्त धनराशि का चेक रीजनल प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर, कानपुर को समय से न भेजने के कारण कर्मचारियों का खाता नम्बर देर में निर्धारित हुआ । जिसके कारण अभी किस्तों का भुगतान नहीं हो सका है ।

गोंडा जिले के राप्ती पुल के निर्माण में लगायी गयी अन्य संस्थाओं की धनराशि एवं टोल टैक्स की वसूली

*१०--श्री बिन्दू लाल--

प्रथम सत्र १९७८ के आठवें बुधवार के अतारांकित प्रश्न १२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राप्ती पुल निर्माण में लगी अन्य संस्थाओं की धनराशि उन्हें वापिस की जायेगी ? यदि नहीं, तो निर्माण लागत से अधिक वसूल हो जाने के उपरान्त भी अब तक टोल टैक्स न समाप्त किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

पुल निर्माण में लगी स्थानीय संस्थाओं की धनराशि को उनको वापिस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । टोल टैक्स की समाप्ति तभी संभव होगी जब पुल की

निर्माण लागत के अतिरिक्त निर्माण लागत पर ब्याज, अधिष्ठान रख-रखाव आदि पर व्यय की पूर्ण रूप से वसूली हो जाये या पथकर पुल घोषित करने के दिनांक से ५० वर्ष, जो भी पहले हो, बीत जाय ।

राजकीय इन्टर कालेज, कोटाबाग, नैनीताल में प्रवक्ताओं की नियुक्ति

*११--श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद में राजकीय इन्टर कालेज, कोटाबाग में कितने विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति अभी तक नहीं की जा सकी है जबकि वार्षिक परीक्षाएं सन्निकट हैं और आवश्यक प्रवक्ताओं की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण--

राजकीय इन्टर कालेज कोटाबाग, नैनीताल में तीन विषयों के पद रिक्त थे, जिन पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ।

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के कार्यालय में लिपिक के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

*१२--श्री दुक्खी प्रसाद--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने अभी हाल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को १०० प्रतिशत लिपिक वर्ग में कर दिया है, जब कि शासकीय आदेश के अनुसार १० प्रतिशत ही होना चाहिए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं । अक्तूबर, १९७७ से जनवरी, १९७८ तक की अवधि में गोरखपुर मण्डल में हुई नैत्यक लिपिक की कुल सात रिक्तियों में से छः पदों पर अर्ह चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति द्वारा उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने जनवरी-फरवरी, १९७८ में नियुक्त किया है ।

आगरा जिले के फिरोजाबाद में बी० एड० एवं एल० एल० बी० की कक्षाएं खोलने की मांग

*१३--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा, नगर फिरोजाबाद में बी० एड० और एल-एल० बी० की कक्षाओं को खोलने के लिए कोई ज्ञापन सन् १९७७ में उन्हें मिला था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री काली चरण--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जहांगीरगंज, फैजाबाद में बालिका विद्यालय की स्थापना की मांग

*१४--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २० मार्च, १९७८ को एक प्रार्थना-पत्र गर्ल्स इन्टर कालेज, जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद में स्वीकृति हेतु दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण--

जी हां । जांचोपरान्त जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद में बालिका विद्यालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

*१५--श्री रवीन्द्र सिंह--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*१६--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

*१७--श्री ओम प्रकाश--

[१७ मई, १९७८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ द्वारा उत्तरित]

*१८--श्री ओम प्रकाश--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

विक्टोरिया इन्टर कालेज, आगरा के प्राचार्य, श्री एस० मोरभट्ट का प्राविडेन्ट फंड

*१९--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री एस० मोरभट्ट, जिन्होंने विक्टोरिया इन्टर कालेज, आगरा ३० जून, १९७० को प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त किया, को पेन्शन तथा प्राविडेन्ट फंड को सरकारी कन्ट्रीब्यूशन का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त भुगतान तुरन्त करायेगी ?

श्री काली चरण--

जी हां, किन्तु इस सम्बन्ध में आधारभूत कार्यवाही सरकार को नहीं वरन् स्वयं कालेज प्रबन्धतंत्र की ही करनी है ।

*२०--रियासत हुसैन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*२१--श्री दया राम भास्कर--

[४थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२२--श्री दयाराम भास्कर--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*२३--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

[२२-३-७८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के द्वारा उत्तरित]

*२४--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*२५-२६--श्री बदन सिंह--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*२७-२८--श्री संग्राम सिंह--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*२९--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

*३०--श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हैदरगढ़ (बाराबंकी जनपद) तहसील स्तर पर डिग्री कालेज खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

हैदरगढ़ (बाराबंकी) में शासन द्वारा सम्प्रति कोई डिग्री कालेज खोले जाने की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि बाराबंकी जनपद में ही एक अन्य स्थान रामनगर में निजी प्रयासों द्वारा एक कालेज खोलने की मांग प्राप्त हुई है जिस पर विचार किया जा रहा है।

*३१--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

जिला अस्पताल, फैजाबाद के लिए कोरोनरी इन्टेंसिव यूनिट के भवन का निर्माण

*३२--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि फैजाबाद जिला अस्पताल में स्थित कोरोनरी इन्टेंसिव यूनिट का भवन पूरा होने के बावजूद अभी तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है और दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

भवन निर्माण तथा बिजली की फिटिंग आदि का कार्य ३१-७-७८ को पूरा हो गया है। बिजली का कनेक्शन शीघ्र मिलने वाला है इसके बाद भवन स्वास्थ्य

विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायगा । इस कार्य में विलम्ब नहीं हुआ है । अतः किसी के दोषी होने तथा उसे दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

एल० पी० इण्टर कालेज, भीमताल, जिला नैनीताल के अध्यापकों के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*३३--श्री रामदत्त जोशी--

क्या शिक्षा मंत्री को एल० पी० इन्टर कालेज, भीमताल (जिला नैनीताल) के अध्यापकों के विरुद्ध अभिभावकों की ओर से रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक ३० जून, १९७७ को भेजा गया शिकायती-पत्र उनके कार्यालय में तथा उसकी प्रतिलिपि दिनांक ३० जून, १९७७, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उपरोक्त शिकायतों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और ३ वर्ष से अधिक अवधि से उपरोक्त विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों का स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

पत्र न प्राप्त होने की स्थिति में उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता, उक्त संस्था में ३० जून, १९७७ को केवल १७ अध्यापक ३ वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित थे, जिनमें से ४ अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके हैं। न्यूनतम स्थानांतरण किए जाने की नीति के अनुसार सभी अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है ।

कस्बा अम्बारी में डाक्टर नन्द किशोर यादव द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

*३४--श्री मंजूर अली खां (जिला रामपुर) तथा श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले में स्थित कस्बा अम्बारी में मुख्य मन्त्री जी के भतीजे डा० नन्द किशोर यादव ने अपनी कोठी के सामने सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और बिना इजाजत सड़क की दूसरी ओर भी अपनी कोठी के सामने सड़क की पटरी पर लगे दो शीशम के पेड़ अनधिकृत रूप से काट कर जबरदस्ती पटरी को खोदकर मछली पालने हेतु तालाब बना लिया है ? क्या इस योजना के लिए सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया है, सड़क की पटरी काटे जाने के कारण वहां दुर्घटना हो जाने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है । क्या इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है । अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने, शीशम के पेड़ काटने का प्रश्न नहीं उठता ।

* ३५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला खीरी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३६--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता ने मार्च व अप्रैल, १९७८ में बेसिक शिक्षा अधिकारी, खीरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लगाते हुए, कुछ पत्र मन्त्री महोदय, शिक्षा संचालक, उपशिक्षा संचालक व शिक्षा सचिव को दिए हैं ? यदि हां, तो क्या कोई जांच कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

*३७-३८--श्री गिरधारी लाल--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*३९--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वाराणसी जिले के भोजूवीर-सिधोरा मार्ग के पलटी-पट्टी नाले पर पुल निर्माण

*४०--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भोजूवीर-सिधोरा मार्ग, वाराणसी में पलटी पट्टी नाले का पुल जो बन रहा था उसे अधूरा छोड़ दिया, गया है और बाई पास को भी नहीं बनाया जा रहा है। यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं। पुल का निर्माण करीब-करीब पूरा है।

बाई पास बना हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के बाबतपुर-जमालपुर मार्ग का निर्माण

*४१--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की बाबतपुर-जमालपुर रोड पर सन् १९७६ से कार्य शुरू किया गया है और कार्य बहुत ही कम हुआ है यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायगी और क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क में स्थान कुवार के आग अभी मिट्टी का भी कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं। कार्य फरवरी, १९७७ में शुरू किया गया, यह मार्ग केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। कार्य की प्रगति अनुदान के

अनुसार है। यह अभी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है। जी हां, धन सीमित होने के कारण मार्ग के प्रथम ७ कि० मी० में ही कार्य हाथ में लिया गया था।

*४२—श्री रामदत्त जोशी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आगरा जिले के अधिशासी अभियन्ता, नलकूप के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४३—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक १ मार्च, १९७८ को प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र जिला आगरा के नलकूप अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध टूंडला निर्वाचन क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण में अनियमिततायें व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, शिकायती पत्र जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल, मैनपुरी को भेज दिया गया था। अधीक्षण अभियन्ता से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

आगरा जिले में सिरसा एवं सेंगर नदी की बाढ़ से गरकी

*४४—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को यह जानकारी है कि आगरा जनपद में प्रति वर्ष सिरसा एवं सेंगर नदियों के बाढ़ के कारण हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न व गरकी से प्रभावित होती है ? क्या सरकार उपरोक्त नदियों की बाढ़ व गरकी से कृषि भूमि को बचाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

आगरा जनपद में सिरसा एवं सेंगर नदियों की बाढ़ के कारण क्रमशः ९९५ एकड़ तथा १२८०० एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न व गरकी से प्रभावित होती है। इन नदियों की बाढ़ व गरकी से कृषि भूमि को बचाने के लिए कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

*४५—श्री मंसूर अली खां—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

क्षत्रपति शिवाजी विद्यालय, चौरी चौरा, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४६—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षत्रपति शिवाजी विद्यालय, चौरीचौरा, गोरखपुर में आर्थिक गोलमाल व कमेटी में विवाद को लेकर कई

आवेदन-पत्र सदस्यों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिनांक २१ मार्च, १९७८ को दिए गए थे कि विद्यालय के किसी भी अनुदान का भुगतान पुराने प्रबन्धक को न किया जाय, उसके बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुदान का भुगतान पुराने प्रबन्धक को कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

इस पर किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबन्धक द्वारा धन का उपयोग नियमानुसार ही किया गया है ।

श्री प्रेम नारायण टंडन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गोमती बैराज, लखनऊ के विरुद्ध कथित गबन का आरोप

*४७--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री प्रेम नारायण टंडन, अधिशासी अभियन्ता, सरजू बैराज निर्माण खन्ड, नानपारा पर आपातकाल में जब वे गोमती बैराज, लखनऊ में इसी पद पर कार्यरत थे, १० लाख गबन के सन्देह में छापा पड़ा था और इस की पुष्टि होने पर उन्हें निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन आदेश का पालन किस कारण से नहीं किया गया ? क्या निलम्बन आदेश का पालन कराया जावेगा और गबन की रकम को उनसे वसूल किया जावेगा ?

श्री बलवीर सिंह--

प्रश्न का प्रथम भाग--

श्री प्रेम नारायण टन्डन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गोमती बैराज खन्ड, लखनऊ पर कोई छापा डालने अथवा उन्हें निलम्बित करने की सूचना शासन को नहीं है ।

प्रश्न का दूसरा तथा तीसरा भाग--

प्रश्न नहीं उठता ।

*४८--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

फर्रुखाबाद जिले शमशाबाद-ढाई घाट व कम्पिल-बहबलपुर मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

*४९--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज तहसील में बूढ़ी गंगा पर कम्पिल-बहबलपुर मार्ग तथा शमशाबाद-ढाई मार्ग में पुलों का निर्माण कब स्वीकृत हुआ था और उसका निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ? विलम्ब का क्या कारण है ? क्या पुल के दोनों ओर सड़क निर्माण हो चुके हैं ? पुल के निर्माण की उदासीनता का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत दोनों पुलों का निर्माण २३ नवम्बर, १९७६ को स्वीकृत किया गया था। इनका निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

विस्तृत सर्वेक्षण, परिकल्पना एवं आगणन तैयार करने में जो अपरिहार्य समय लगा उसके कारण निर्माणकार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

जी नहीं। शमशाबाद-ढाई घाट मार्ग पर एक ओर पहुंच-मार्ग बन चुका है तथा दूसरी ओर प्रगति पर है। कम्पिल-बहबलपुर-गौरखेड़ा मार्ग पर एक ओर पहुंच-मार्ग प्रगति में है।

प्रारम्भिक औपचारिकताएं एवं धनाभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

सिंचाई कार्य हेतु सिंचाई विभाग को आवंटित धनराशि और बचत

*५०—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७-७८ में सिंचाई सुविधा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जो बजट शासन द्वारा विभाग को आवंटित किया गया था, १ मार्च, १९७८ तक बजट की कितनी धनराशि खर्च हुई है और कितनी धनराशि विभाग द्वारा समर्पित की गयी है? समर्पण करने के क्या कारण थे?

श्री बलबीर सिंह—

वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में विभाग के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सिंचाई के कार्यों हेतु कुल रु० १४,४०२.१८ लाख की व्यवस्था आय-व्ययक के माध्यम से हुई थी, जिसमें से २८ फरवरी, १९७८ तक रुपया ९,२९१.६५ लाख का व्यय हुआ। उक्त वर्ष में सिंचाई योजनाओं पर विभागीय आंकड़ों के अनुसार कुल रु० १४,२३०.९२९ लाख का व्यय हुआ और रु० १७१.२५१ लाख की बचत हुई। सिंचाई विभाग में उक्त वर्ष में लगभग ४०० प्रखण्ड कार्यरत थे, जो कि बजट प्राविधान का उपयोग कर रहे थे। अतः उक्त समस्त प्रखण्डों में कुछ-कुछ बचत उपलब्ध हुई थी, जिसका पहले से अनुमान लगाना सम्भव नहीं था। उपर्युक्त व्यय के वैभागीय आंकड़े अनन्तिम हैं। व्यय की सही स्थिति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से सत्यापित आंकड़े उपलब्ध होने पर ज्ञात हो सकेगी।

वैभागीय आंकड़ों के अनुसार व्यय की जो राशि रु० १४,२३०.९२९ अनन्तिम रूप से बतलाई गई है, वह उक्त वर्ष के आय-व्ययक प्राविधान रु० १४,४०२.१८ लाख की तुलना में बचत की राशि केवल लगभग १.२ प्रतिशत है। अतः विभिन्न प्रखण्डों से उपलब्ध बचत नगण्य थी।

फैजाबाद जिले के डाक्टर जी० के० जतली हायर सेकेन्डरी स्कूल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*५१—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में डा० जी० के० जतली हायर सेकेन्डरी स्कूल, अकबरपुर के प्रबन्धक समिति के विरुद्ध

भ्रष्टाचार की शिकायत शासन को वर्ष १९७८-७९ में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार कौन-कौन थे ? क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां । प्राप्त शिकायती-पत्र में कार्यवाहक प्रधानाचार्य का अवैधानिक चयन, चपरासियों से बेगार लेना, अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान न करना, चयन समिति के सदस्यों का मनमाने ढंग से चुनाव, विद्यार्थियों की समस्यायें तथा संस्था की अवरुद्ध प्रगति जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख है । जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को पूर्ण जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

बाराबंकी जिले के इन्टर कालेज, हरख से साधिकार नियंत्रक हटाने सम्बन्धी कथित आदेश

*५२--श्री हरी राम वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में जनपद इन्टर कालेज, हरख से साधिकार नियन्त्रक हटाने के लिए दिनांक १७ जनवरी, १९७८ को शिक्षा मन्त्री ने आदेश दिए थे ? यदि हां, तो परिपालन कब हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

बांदा जिले की चिलीमल पम्प नहर की पटरियों को पक्का किये जाने की मांग

*५३--श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चिलीमल पम्प कैनाल की नहर की दोनों शाखाओं की सर्विस रोड को जनहित में पक्का कराकर जनता को यातायात के लिए खोल देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं । संसाधनों को देखते हुये इस वर्ष (१९७८-७९) में प्रत्येक जिले में लगभग ५ किलोमीटर ही महत्वपूर्ण नहरों की पटरियों को पक्का कराने का कार्य स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*५४--श्री राम सजीवन--

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद जिले की बरसाती नहर के बिदांव स्केप पर पुलिया निर्माण की मांग

*५५—श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत बरसाती नहर पर जो सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गयी है ग्राम कड़ाहा और वैश्य काटी के बीच में पुल बनवाने की मांग उक्त क्षेत्र की जनता द्वारा दिनांक २६ नवम्बर, १९७७ अभियन्ता, रामगंगा डिवीजन, इलाहाबाद व अधीक्षण अभियन्ता, रामगंगा नहर, फतेहपुर क्षेत्रीय प्रश्नकर्ता विधायक के माध्यम से दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? और कब तक बन कर तैयार हो जाएगी ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां । इस प्रार्थना-पत्र में विदांव स्केप पर एक पुलिया की मांग की गई है । पुलिया के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि वर्तमान पुल इस स्थान से केवल २ फर्लांग ४३६ फीट की दूरी पर है ।

*५६—श्री रामपति तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

सीमेंट का जिलेवार आवंटन

*५७—श्री चेत राम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल और मई, १९७८ में प्रदेश में जिलेवार कुल कितना बोरी सीमेन्ट दिया गया ? क्या यह सही है कि बरेली जिला में जो सीमेंट मिला उसका ८० प्रतिशत दुकानदारों को कार्ड तथा मकान की रसीद पर बांटने हेतु जिले के अधिकारियों ने दे दिया ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ?

श्री हरिश्चन्द्र—

सीमेंट का आवंटन त्रैमासिक आधार पर होता है । सन् १९७८ के अप्रैल-जून त्रैमास के लिये फ्री-सेल कोटे के अन्तर्गत विभिन्न जिलों को आवंटित सीमेंट की सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है । यह सही नहीं है कि जिला अधिकारी, बरेली ने ८० प्रतिशत सीमेंट स्टाकिस्टों द्वारा राशन कार्ड तथा मकान की रसीद पर बेचने की अनुमति दी थी । प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३१ पर ।)

बहराइच जिले के पाण्डेपुरवा ईकौना तथा लक्ष्मनपुर-सिरसिया मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

*५८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जनपद के अनेक विधायकों द्वारा पाण्डेपुरवा से इकौना व लक्ष्मनपुर बाजार से जोखवा बाजार होते हुए सिरसिया तथा बी० एस० सी० रोड, बहराइच को पक्की कराने के लिए

पिछले एक वर्ष से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को प्राप्त हुए हैं ? अब तक इन सड़कों के निर्माणार्थ कार्यवाही एवं महती कृपा न करने का क्या कारण है और कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इन मार्गों को पक्का कराने के लिये पिछले एक साल में कई पत्र प्राप्त हुए हैं । धनाभाव के कारण इन मार्गों की अभी तक स्वीकृति नहीं दी जा सकी है । परिव्यय उपलब्ध होने पर इन मार्गों की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

५९--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*६०--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

*६१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*६२--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*६३-६४--श्री बिहारी लाल हंस--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

नगरपालिका के शिक्षा विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को पेन्शन

*६५--श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को, जो नगरपालिका के क्षेत्र में कार्यरत हैं, को पेन्शन की सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को पेन्शन की सुविधा देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां, क्योंकि नगरपालिकाओं से जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित हुये हैं उनको अपनी नगरपालिका सेवा शर्तों के अनुसार पेन्शन की सुविधा अनुमन्य नहीं थी । इन कर्मचारियों को पेन्शन की सुविधा देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

शिक्षा अधीक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की मांग

*६६--श्री अब्दुल हफीज--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि नगर क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिकायें जो सभी

प्रकार से उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं से अनुभव तथा योग्यता में कम नहीं होते, को बेसिक शिक्षा अधिकारी/अधिकारियों के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? पदोन्नति के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई शीघ्र निर्णय लेने जा रही है ? यदि हां, तो कब और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां, क्योंकि शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिका के पद बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन है जो एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद राज्य सरकार के अधीन है और दोनों सेवाओं के संवर्ग एवं सेवा शर्तें अलग-अलग हैं । शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका के पद को राजकीय सेवा का पद घोषित करने और उप विद्यालय निरीक्षक के संवर्ग में संविलीन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*६७--श्री नारायण सिंह भैंसोरा--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

प्रतापगढ़ जिले की बकुलाही नदी को सीधा किये जाने की मांग

*६८--श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ से होकर बहने वाली निहायत टेढ़ी-मेढ़ी नदी बकुलाही को सीधी करने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? अगर हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

बकुलाही नदी पर अनेकों लूप हैं । इनमें से यदि लूप कटिंग पर कोई कार्य किया जाता है तो इसके लिए बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि अध्याप्त करनी होगी । अतः बकुलाही नदी को सीधा करने की कोई योजना इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*६९-७०--श्री रणवीर सिंह--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*७१--श्री अशर्फी लाल यादव, श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री सुन्दर लाल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*७२--श्री देव बहादुर सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

बस्ती जिले के झकहिया--कठेला--बदरहवा--होरिलापुर मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

*७३--श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत झकाही-कठेला संसदीय मार्ग पर वर्ष १९७६-७७ में कितना धन

निर्माण हेतु आबंटित किया गया ? और वह किस कार्य में व्यय किया गया ? क्या इस धन के व्यय के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक आवेदन-पत्र माननीय मन्त्री को जांच हेतु माह मार्च, १९७८ के प्रथम सप्ताह में दिया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

बस्ती जिले में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत झकहिया-कठेला-मदरहवा-होरिलापुर मार्ग पर वर्ष १९७६-७७ में ५०,००० रुपये निर्माण हेतु आबंटित किये गये थे । उक्त धन जिन मदों पर व्यय किया गया उसकी तालिका संलग्न है ।

जी हां ।

जी हां ।

(देखिये नथी 'घ' आगे पृष्ठ ४३३ पर ।)

आगरा जिले के फिरोजाबाद के सीमेंट बिक्रेता मेसर्स जफर ट्रेडिंग का आकस्मिक निरीक्षण

*७४--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला हाजीपुरा में स्थित सीमेन्ट बिक्रेता के यहां गत अप्रल/मई, १९७८ में अधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण पर सीमेन्ट का बोरा ३० किलो का पकड़ा गया जो निर्धारित ५० किलो से कम था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

दिनांक १० मई, १९७८ के आकस्मिक निरीक्षण में नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला हाजीपुरा में एक सीमेन्ट बिक्रेता के यहां ३० किलो भार की नहीं, बल्कि ४१·५ किलोग्राम की सीमेंट की चोरी पकड़ी गयी थी जिसके लिये व्यापारी मेसर्स जफर ट्रेडिंग पर बांट तथा माप सहायक नियंत्रक ने १५० रुपये जुर्माना किया जिसका भुगतान व्यापारी द्वारा कर दिया गया है ।

जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र और कालेज को खोले जाने की मांग

*७५--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने मई एवं जून, १९७८ में कुछ पत्र उन्हें दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां, ५ जून, १९७८ का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उल्लिखित शिकायतें संलग्नक में दी गयी हैं ? इस कालेज के स्पेशल आडिट कराने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३४ पर ।)

*७६—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महाराजगंज (गोरखपुर) अकारण फरवरी, १९७८ से ही बन्द है, जिसके शीघ्र खुलवाने का आश्वासन विगत विधान सभा में प्रश्नकर्त्ता को मिला था ? यदि हां, तो शासकीय निदेशों की अवहेलना करने वाली इस प्रबन्ध समिति को भंग करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण—

कालेज अब खुल गया है और परीक्षायें हो रही हैं । अतः अब इस आधार पर प्रबन्ध समिति को भंग किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री आर० बी० सिंह, सहायक अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*७७—श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० बी० सिंह, सहायक अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शासन सतर्कता अधिष्ठान तथा मुख्य अभियन्ता को कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? उनमें कितने पर कौन सी कार्यवाही हुई, अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध शासन में ६, तथा मुख्य अभियंता को ३ शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनपर जांच कराई जा रही है । सतर्कता अधिष्ठान को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लगाये गये आरोपों को दिखवाया जा रहा है ।

*७८—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[५वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७९—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविंद'—

[४थे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई निर्माण खण्ड पुरोला का कार्यालय

*८०—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविंद' (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई डिवीजन, पुरोला के उत्तरकाशी रखने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि पुरोला में आवास व्यवस्था व कार्यालय के लिए भवन की कमी है ? यदि हां, तो क्या अधिशासी अभियन्ता को तुरन्त उत्तरकाशी से पुरोला में कार्यालय स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे ?

श्री बलबीर सिंह—

सिंचाई निर्माण खंड पुरोला, उत्तरकाशी में न होकर पुरोला में है ।

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय पुरेला में कार्यरत है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में खोले गये जूनियर हाई स्कूलों में गैर मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९७७ से प्रदेश में जो जूनियर हाई स्कूल खोले गये हैं उनमें ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है, जोकि पहले से निजी प्रबन्धों के द्वारा गैर-मान्यताप्राप्त रूप में चल रहे थे ?

श्री काली चरण—

सीतापुर जिले की सूचना अप्राप्त है । शेष जिलों में ऐसे विद्यालयों की संख्या ८१ है ।

२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है जो नौकरी से निकाल दिये गये हैं । क्या उन्हें किन्हीं भी शर्तों पर सेवा में रखने के बारे में सरकार विचार कर रही है तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री काली चरण—

गैर मान्यताप्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों में से अधिकांशतः स्वयं ही विद्यालय छोड़ गये हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार ६१ अध्यापकों की सेवायें समाप्त की गयी हैं । इन अध्यापकों को सेवा में रखने का विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि गैर मान्यताप्राप्त विद्यालयों में कार्य करने के आधार पर ही उन्हें सेवा में नहीं रखा जा सकता है । ये अध्यापक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति के सामान्य नियमों के अनुसार प्रविष्ट हो सकते हैं ।

बाराबंकी जिले में बेसिक अध्यापकों की नियुक्ति

३—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक अध्यापकों की नई नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या ४९/१५-५-७७-४७-३०९, दिनांक ४ अगस्त, १९७७ के अनुसार जनपद बाराबंकी में छात्रों एवं अध्यापकों में अनुपात १/४० को ध्यान में रखकर वर्ष १९७७-७८ में कितनी नियुक्तियां की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त जनपद में निर्धारित अनुपात का ध्यान न रखकर अनियमित रूप से अधिक नियुक्तियां करके सरकारी धन का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दन्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां, २४० नियुक्तियां की गई ।

नियुक्तियों के औचित्य की जांच की जा रही है ।

फैजाबाद जिले में नसबन्दी के कारण रोका गया प्राथमिक शिक्षकों का वेतन

४—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद में आपात्काल में कितने शिक्षकों का वेतन नसबन्दी के कारण रोक दिया गया ? क्या यह सही

है कि काफी संख्या में फैजाबाद जनपद में प्राथमिक शिक्षकों का रुका हुआ वेतन क्या अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण—

फैजाबाद जनपद में आपात काल में नसबन्दी के कारण ११३ अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन रोका गया था ।

जी नहीं, उक्त जनपद में नसबन्दी के कारण किसी भी अध्यापक/अध्यापिका का वेतन अब रुका हुआ नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ में प्रधानाचार्या के पद हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र

५—श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)—

दिनांक २८ मार्च, १९७८ के विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी शिक्षा निकेतन के लखनऊ के प्रधानाचार्या पद के लिए कितनी अभ्यर्थिनियों ने प्रार्थना–पत्र भेजे और कितने लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ? वह सब किस योग्यता और अनुभव के थे ?

श्री काली चरण—

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ, के प्रधानाचार्या पद के लिये ११ अभ्यर्थिनियों ने प्रार्थना–पत्र भेजे थे । सभी अभ्यर्थिनियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था । अभ्यर्थिनियों की योग्यता और अनुभव संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४३५ पर) ।

अवकाश प्राप्त उपस्थिति अधिकारियों की पेन्शन

६—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान व अवकाश प्राप्त उपस्थिति अधिकारियों की सुविधा हेतु पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

अवकाश प्राप्त उपस्थिति अधिकारियों को पेन्शन व ग्रेच्युटी की सुविधा दिया जाना संभव नहीं है । वर्तमान कार्यरत उपस्थिति अधिकारियों को केवल पेन्शन की सुविधा दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

मथुरा, अलीगढ़ व मैनपुरी जिलों में बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्ति

७—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में जुलाई, १९७७ से मार्च, १९७८ तक बी० टी० सी० वेतन–मान में कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी है ? क्या यह सही है कि अलीगढ़, मैनपुरी जनपदों में

बी० टी० सी० वेतन-मान पर जो नियुक्तियां की गयी हैं उनका मानक १ : ४० अनुपात नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

मथुरा जनपद में प्रसंगत अवधि में १ : ४० अनुपात से अधिक अध्यापक होने के कारण कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

जी नहीं ।

अलीगढ़ व मैनपुरी जनपदों में अध्यापक-छात्र अनुपात १ : ४० को दृष्टिकोण में रखकर ही नियुक्तियां की गई है।

कुर्मांचल माध्यमिक विद्यामन्दिर, जिला नैनीताल का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण

८--श्री राम दत्त जोशी--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुर्मांचल माध्यमिक विद्यामन्दिर अंतरौजखान (जिला नैनीताल) का उच्चीकरण तथा प्रान्तीयकरण किस तिथि को किया गया और उस तिथि में उपरोक्त विद्यालय में अध्यापकों सहित कुल कितने कर्मचारी थे तथा उच्चीकरण के पश्चात् क्या उपरोक्त विद्यालय में एक लिपिक की नियुक्ति चयन समिति द्वारा नियमानुसार की गई थी ?

श्री काली चरण--

विद्यालय का प्रान्तीयकरण तथा उच्चीकरण ८ जुलाई, १९७६ से किया गया । ८ जुलाई, १९७६ को अध्यापकों सहित ६ कर्मचारी थे । विद्यालय का प्रान्तीयकरण होने के कारण नियमानुसार लिपिक की अस्थायी नियुक्ति मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (नैनीताल) द्वारा की गई ।

हरीचन्द्र इन्टर कालेज, लखनऊ के अध्यापकों के वेतन का निर्धारण

९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ स्थित हरीचन्द्र इन्टर कालेज के कुछ अध्यापकों के पुनरीक्षित नवीन वेतनमान १९६९ में वेतन निर्धारण सम्बन्धी मामले अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ? यदि हां, तो वह अध्यापक कौन-कौन हैं तथा वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री काली चरण--

जी नहीं । सभी अध्यापकों के वेतन निर्धारित कर दिये गये हैं उनमें से एक अध्यापक श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव ने अपने वेतन निर्धारण के विरुद्ध एक प्रत्यावेदन दिया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

टिहरी गढ़वाल जिले के टिहरी बांध के निर्माण से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वासन की व्यवस्था

१०--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी गंगा पर बनने वाले बांध के कारण हो रहे विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा क्या किया जाना शेष है ? कितने परिवार विस्थापित हो रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह--

(१) भागीरथी नदी पर बनाये जा रहे टिहरी बांध से डूबे क्षेत्र के लगभग ३४०० कृषक परिवार व १२०० टिहरी नगर निवासियों के परिवार प्रभावित होंगे ।

(२) प्रभावित विस्थापितों के पुर्नवास हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है ।

(अ) ग्रामीण विस्थापितों हेतु की जा रही कार्यवाही :

(i) ग्रामीण विस्थापितों के पुनर्वास हेतु लगभग ९००० एकड़ वन भूमि देहरादून जिले में (एवं हरिद्वार के निकट पथरी ब्लाक में) वन विभाग से ली जा रही है । इस भूमि को कृषि योग्य बनाकर आवंटित किया जायेगा ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र को निजी कृषि भूमि का प्रतिकर अध्याप्ति नियमों के अनुसार दिया जायगा । प्रतिकर के अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान निम्न-लिखित दरों पर दिया जायगा ।

तलाऊ (सिंचित) भूमि	..	रु० 12,000 प्रति एकड़
अव्वल भूमि	..	रु० 6,000 प्रति एकड़
दोयम भूमि	..	रु० 4,000 प्रति एकड़

(iii) निजी भवनों का मूल्य वर्तमान निर्माण दरों पर निकाला जायेगा तथा नियमानुसार अवमूल्यन प्रतिकर की धनराशि निश्चित की जायेगी । प्रतिकर के अतिरिक्त इतनी धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी कि दोनों मिल कर भवन के वर्तमान दर पर मूल्य के बराबर हो जाय । किसी एक भवन जो मार्च, 1978 से पूर्व का बना है, के लिए प्रतिकर एवं अनुग्रह अनुदान दोनों मिलकर ८,००० रु० से कम नहीं होंगे । किसी एक भवन के लिए अनुग्रह अनुदान की धनराशि 20,000 रु० से अधिक नहीं होगी ।

(iv) ग्रामीण क्षेत्र के जो भू-स्वामी भूमि के बदले भूमि लेना चाहेंगे उन्हें उनकी भूमि के बराबर वन विभाग से प्राप्त उपरोक्त भूमि में से कृषि योग्य बनाकर दी जायेगी । किसी एक परिवार को दो एकड़ से कम और १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जायेगी ।

(v) ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को भी दो एकड़ भूमि प्रति परिवार दी जायेगी, जिसका कोई मूल्य उनसे नहीं लिया जायेगा ।

(vi) विस्थापित परिवारों को अपने नये निवास स्थान को जाने के लिए एक हजार रुपया प्रति परिवार विस्थापन अनुदान दिया जायेगा । जो कृषक परिवार बजाय नकद प्रतिकर के कृषि भूमि लेंगे उनको कृषि कार्य आरम्भ करने हेतु एक हजार रुपया प्रति परिवार पुर्नवास अनुदान दिया जायेगा ।

(2) टिहरी नगर के विस्थापितों हेतु की जा रही कार्यवाही :—

(i) नये टिहरी नगर को कोटी, कुठा मागणा, पिपली, बौराड़ी इत्यादि ग्रामों के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं सहित एक आधुनिक आदर्श पर्वतीय नगर के रूप में बसाया जायेगा ।

(ii) टिहरी नगर के निजी भवनों का मूल्यांकन एवं भुगतान भी ग्रामीण भवनों के मूल्यांकन एवं भुगतान के अनुसार होगा ।

(iii) टिहरी नगर के उन विस्थापितों को जो किराये के मकान में रहते हैं या किराये की दुकान में व्यवसाय करते हैं पुनर्वास अनुदान व किराये पर कुछ सरकारी मकान व दुकानें अतिरिक्त सुविधा के रूप में दी जायेंगी ।

(iv) टिहरी नगर के विस्थापित परिवारों को अपने घरेलू सामान और दुकानों के सामान ढोकर ले जाने हेतु विस्थापन अनुदान दिया जायेगा ।

(v) बनी हुई दुकानें व मकान लेने के इच्छुक टिहरी नगर के विस्थापितों को ऐसे भवन बनाकर बेचने का प्रबन्ध यथा संभव किया जायेगा । इन भवनों का मूल्य उचित किस्तों में वसूल किया जायेगा ।

(vi) नये टिहरीनगर में जो विस्थापित मकान या दुकान का प्लाट लेना चाहेंगे उन्हें मकान के विभिन्न नाप के प्लाट ५ रु० प्रति वर्ग मीटर व दुकान के प्लाट 10 रु० प्रति वर्गमीटर की दर से बेचे जायेंगे ।

(3) पुनर्वास कार्यों की प्रगति :—नये टिहरी नगर को पहले मार्च, 1975 के शासनादेश के अनुसार बादशाही थौल नामक स्थल पर वन भूमि में बसाने का निर्णय लिया गया था । इस स्थल पर नये टिहरीनगर के निर्माण हेतु नगर की महायोजना (मास्टर प्लान) के बनाने की कार्यवाही, पीने के पानी की व्यवस्था का कार्य, बिजली की व्यवस्था हेतु लाईन बिछाये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया था । टिहरी नगर के निवासियों ने नये टिहरी नगर को बादशाही थौल स्थल पर बसाने का विरोध मुख्यतः इस स्थल की ऊंचाई (५,००० से ६,००० फुट) होने के कारण किया । दिनांक ५ मार्च, 1978 को नये टिहरीनगर को कोटि, कुठा, पिपली गाजना व बौराड़ी इत्यादि ग्रामों के क्षेत्र में बसाने का निर्णय टिहरी नियंत्रण परिषद की मंत्रियों का उप समिति द्वारा लिया गया । इस नवीन स्थल पर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है । पानी एवं बिजली की व्यवस्था का कार्य जारी है । ग्रामीण विस्थापितों के पुनर्वास हेतु देहरादून जिले में ऋषिकेश के निकट ६१३ एकड़ वन भूमि ली जा चुकी है तथा उसको कृषि योग्य बनाकर आवंटन की कार्यवाही की जा रही है । इसी भूमि के आस पास १,४०० एकड़ अतिरिक्त वन भूमि तुरन्त ली जा रही है, जिसे भी कृषि योग्य बनाकर शीघ्र आवंटित किया जायेगा । ७,००० एकड़ वन भूमि शेष विस्थापितों के पुनर्वास हेतु लिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ।

बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को विवाह हेतु अग्रिम धनराशि दिये जाने की सुविधा

११—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को विवाह आदि के लिए विभाग से कर्ज लेने पर नियमानुसार मात्र ३ मास के वेतन

के बराबर धन ही दिया जा सकता है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह धन अत्यन्त ही अल्प है तो क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण--

बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को विवाह आदि के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली १९७५ के प्राविधानों के अधीन उनके भविष्य निधि से तीन माह के वेतन से अनधिक या भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि का आधा, इसमें जो भी कम हो, अस्थायी अग्रिम लेने की स्वीकृति दी जाती है। इस राशि में वृद्धि करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

१२--श्री हरीराम वर्मा--

[५वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, रानीखेत के ठेकेदार, श्री विपिन चन्द्र गुररानी व श्री श्याम दत्त विष्ट द्वारा आमरण अनशन

१३--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ अगस्त, १९७७ से १४ अगस्त, १९७७ तक सार्वजनिक निर्माण विभाग रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के प्रान्तीय खंड के अहाते में किन्हीं दो ठेकेदारों द्वारा आमरण अनशन किया गया था ? क्या उनकी मांगें पूर्ण हुईं उनको आमरण अनशन के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा ? उनको आमरण अनशन के लिए बाधित करने के लिए क्या कोई अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार थे तो विभाग ने उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सार्वजनिक निर्माण विभाग रानीखेत के दो ठेकेदार श्री विपिन चन्द्र गुररानी तथा श्री श्याम दत्त विष्ट ने आमरण अनशन किया था। उनकी मांग भुगतान हेतु थी। मामले में अधीक्षण अभियन्ता ने स्वयं मौके की जांच करने के पश्चात उक्त दोनों ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य का जो भी भुगतान बाकी निकलता था करा दिया। ठेकेदारों को आमरण अनशन के लिये बाधित करने के लिये कोई भी अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार नहीं पाये गये अतः विभाग द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा सड़क निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा

१४--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७६-७७ व वर्ष १९७७-७८ में अलग-अलग वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग, रानीखेत के प्रान्तीय खंड द्वारा कितनी किलोमीटर नयी सड़क बनाने की निविदायें आहूत की गयी है ? दोनों वर्षों में नयी सड़क निर्माण के लिए आहूत की गयी निविदाओं में कुल कितने किलोमीटर का अन्तर है और क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा नयी सड़क के निर्माण हेतु निविदायें वर्ष वार निम्नलिखित किलोमीटर के लिये आहूत की गई :—

(१) १९७६–७७	..	११५ १/२ किलोमीटर ।
(२) १९७७–७८	..	४३ किलोमीटर ।
दोनों वर्षों में आहूत की गई निविदाओं में अंतर	..	७२ १/२ किलोमीटर ।

अन्तर का कारण यह था कि जो धन १९७७–७८ में उपलब्ध हुआ उससे पिछले वर्षों में स्वीकृत अनुबन्धों द्वारा काफी काम कराना था, इसलिए नये अनुबन्ध कम बनाये गये ।

इस खण्ड में वर्ष १९७६–७७ में ५७·९८५ लाख रुपये तथा वर्ष १९७७–७८ में ५९·४७ लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ जो पूरा का पूरा व्यय किया गया ।

लोक मान्य तिलक इन्टर कालेज, गोंडा के अध्यापकों की वेतन वृद्धि की स्वीकृति

१५—श्री बिन्दू लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक मान्य तिलक इन्टर कालेज, जनपद गोंडा के अध्यापकों को देय दक्षता रोक (वेतन वृद्धि) जो नवम्बर, १९७५ से स्वीकार हो जाने पर भी अभी तक नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण—

नवम्बर, १९७५ से स्वीकृत वेतन वृद्धि की सम्पूर्ण अवशेष धनराशि का आहरण करके सम्बन्धित अध्यापकों के खातों में दिनांक ७ जून, १९७८ को ही जमा की जा चुकी है ।

गोंडा जिले के भाभर नाला के पुल पर टोल टैक्स की धनराशि

१६—श्री बिन्दू लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में भाभर नाला के पुल पर १ अप्रैल, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक कितना टोल टैक्स वसूला गया और विभाग के कर्मचारियों का वेतन आदि पर कितना व्यय हुआ ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

१ अप्रैल, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक टोल टैक्स की वसूली ३२,२०३·७५ रु० थी । विभाग को इस दौरान कर्मचारियों के वेतन, रख–रखाव तथा लागत पर ब्याज की मदों में कुल २,२८,१२२.८५ रु० व्यय करना पड़ा ।

१७—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[३ रे बुधवार के लिये स्थगित]

१८—श्रीमती रामरति देवी—

[५वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जिले की त्वरित योजना की सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

१९---श्रीमती रामरति देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जिले की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित कौन-कौन सी सड़कें रख-रखाव के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

फैजाबाद जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जो अपूर्ण मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है । इनका निर्माण कराया जा रहा है । निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर ही इनके रख-रखाव का प्रश्न उठेगा ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४३८ पर)

मांझा कन्हरिया ब्लाक, जहांगीरगंज, फैजाबाद के कतिपय जलमग्न गांव

२०---श्रीमती रामरति देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मांझा कन्हरिया ब्लाक जहांगीरगंज, फैजाबाद के लगभग १० व १२ गांव बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाते हैं ? यदि हां, तो उनका जन तथा धन हानि से बचाने के लिए एक रिंग बांध बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, मांझा कन्हरिया ब्लाक जहांगीरगंज, फैजाबाद के कुछ गांव बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाते हैं । इन ग्रामों को जलमग्न होने से बचाने के लिए ऊंचा करने की आवश्यकता है और उसके लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जो इस कार्य के लिए उत्तरदायी है, से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है ।

निर्मला जूनियर हाई स्कूल, जिला फैजाबाद के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

२१---श्री हरीराम वर्मा---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्मला जूनियर हाई स्कूल, चितौना कलां, पोस्ट कालेपुर महूवल, जिला फैजाबाद के चार अध्यापकों को सन् १९७५ में निकाल दिया था ? यदि हां, तो क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में विद्यालय के प्राचार्य की रिपोर्ट दिनांक ५ जुलाई, १९७७ को शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करेंगे ? क्या सरकार पुनः नियुक्ति का आदेश देगी ?

श्री काली चरण---

जी हां ।

अस्थाई अप्रशिक्षित होने के कारण उन्हें सेवा से निकाल कर प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया गया । विद्यालय के प्राचार्य की कोई रिपोर्ट दिनांक ५-७-७७ को शासन को प्राप्त नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा दिये जाने की मांग

२२—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

बालकों की कक्षा ६ तक तथा बालिकाओं की कक्षा १० तक शिक्षा शुल्क पहले से ही माफ है । बालकों की कक्षा ७ से १० तक शिक्षण शुल्क माफ करने के प्रश्न पर विचार किया गया किन्तु सीमित साधनों के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका ।

२३—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले के अकबरपुर-महरुआ मार्ग के मरम्मत की मांग

२४—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर-महरुआ बाजार सड़कों की मरम्मत कराने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक ९ जनवरी, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और क्या यह कार्य बरसात के पहले पूरा हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

माननीय सदस्य का दिनांक ९-१-७८ का पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें संदर्भित मार्ग को शीघ्र पूरा करने के लिये आदेश मुख्य अभियन्ता को दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर महरुआ बाजार मार्ग पर प्रथम सतह लेपन तक का कार्य बरसात से पहले पूर्ण नहीं हो जायेगा, [illegible] बरसात के दिनों में सतह लेपन का कार्य सम्भव नहीं है । १६·५० कि० मी० लम्बे मार्ग के १४ कि० मी० मार्ग पर प्रथम सतह लेपन कार्य पूरा हो चुका है।

२५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[१०-५-७८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ द्वारा उत्तरित]

२६—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[१७-५-७८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २० द्वारा उत्तरित]

२७-२८—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

बीकापुर तहसील, जिला फैजाबाद में लड़कियों के हाई स्कूल खोले जाने की मांग

२९—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकापुर तहसील, फैजाबाद जनपद में ५ लाख की आबादी पर लड़कियों का कोई हाई स्कूल नहीं है ? क्या बीकापुर में लड़कियों के हाई स्कूल खोलने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह विद्यालय कब तक खुलेगा ?

श्री कालीचरण—

बीकापुर तहसील, जनपद फैजाबाद में लड़कियों का कोई हाई स्कूल नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य अपेक्षित सुविधाओं के अभाव के कारण बीकापुर में लड़कियों का हाई स्कूल खोलने का मामला सम्प्रति शासन के विचाराधीन भी नहीं है।

प्रश्नों के स्थगन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल की जो कार्यसूची है उसमें प्रश्न संख्या ४ के विषय में बताया गया है कि इसे स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया है। यह प्रश्न फिर कब आयेगा यह नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

यह कल की कार्यसूची का है। इस सम्बन्ध में यहां पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। इस सम्बन्ध में आप मिलकर मुझसे बात कर लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आज की कार्यसूची देख लीजिए, मान्यवर। नत्थी (ख) में आज ३२ प्रश्न ऐसे हैं जो स्थगित हुए हैं। इस हिसाब से अगर स्थगित होते रहे तो मान्यवर, जो नये प्रश्न हैं उनका नम्बर नहीं आयेगा। इसी प्रकार अगर आवश्यक रूप से प्रश्न स्थगित होते रहे तो उनका उत्तर सदन में नहीं आ सकेगा। इस सम्बन्ध में आप थोड़ी सी सख्ती का रुख अपनायें ताकि सदन का समय बर्बाद न हो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी जी आप नियमों को देखें। १५ दिन तक तो सरकार को अधिकार है। मैं तो कोई निर्देश नियमों के अनुसार ही दे सकता हूं। तो इसलिए इसमें नियम के विरुद्ध कोई बात नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न माननीय ओझा जी ने उठाया था। प्रश्नोत्तर काल में, अधिकार १५ दिन का है लेकिन यह प्रश्न तो मार्च का है अतः आप इस बारे में निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है मैंने उसका उत्तर दे दिया है। यह सवाल कल आना था। वह दिन कृषि मन्त्री के लिए नियत था। आज यह दिन नियत नहीं है। आगे जिस दिन कृषि मन्त्री का दिन आयेगा, यह अवश्य आयेगा।

श्री ऊबल--

श्रीमन, कन्फ्यूजन हो गया है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो बार-बार स्थगित होते जा रहे हैं। आज के एजेण्डे में भी हैं। मैं एक किसी विशेष प्रश्न के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊबल जी, इस तरह के प्रश्न जो मेरी जानकारी में आयेंगे मैं फाइल देखूंगा, जो शिकायतें आयेंगी अगर मैं देखूंगा कि उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है तो सम्बन्धित मंत्रियों को आवश्यक निर्देश दूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब इस सत्र में केवल ११ बैठकें ही होंगी और यह तय है कि १५ दिन का सत्र है तो यह छठा मंगलवार और सातवां बुधवार कहां से आयेगा, यह धोखाधड़ी की गयी है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। आप बैठें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[×××] इससे बड़ा प्रश्न और क्या हो सकता है ?

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे संज्ञान में लायें। जब मैं आपको समय दूंगा तब आप अपनी बात कहें।

राजस्व परिषद् को समाप्त किये जाने के विषय में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ की ग्राह्यता पर आपत्ति

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

चूंकि प्रश्नों का घंटा बहुत अहम घंटा होता है इसलिये मैंने ज्यादा बात न करके केवल आपका ध्यान आकृष्ट किया था। इस समय मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम २८ के उप-नियम १६ पृष्ठम १३) की ओर आकृष्ट करता हूं, जिसमें दिया हुआ है कि" वह किसी समिति के समक्ष विषयों से अथवा समिति के सभापति अथवा सदन के प्राधिकारियों के क्षत्राधिकार के अन्तर्गत विषयों से सम्बद्ध नहीं होगा।" मान्यवर, इस नियम के रहते हुए सदन में प्रश्न पूछने में बड़ी कठिनाई है। इसके रहते हुए ये प्रश्न सामने नहीं आ सकते हैं। अतः या तो इस नियम को हटवा दें या आपने जो व्यवस्था दी है उस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें अन्यथा आपकी व्यवस्था प्रतिकूल हो जायगा।

नोट [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो मेरा ध्यान नियम २८ के उपनियम (१६) की ओर आकर्षित किया है उसमें दिया है कि "वह किसी समिति के समक्ष विषयों से अथवा समिति के सभापति अथवा सदन के प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विषयों से सम्बद्ध नहीं होगा।" लेकिन जो प्रश्न आज हमारे सामने विचारार्थ है वह इसकी परिधि में नहीं आता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, माननीय राजस्व मन्त्री जी बैठ हुए हैं। जो विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द है उसमें ये सारी बातें मौजूद हैं। मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि राजस्व परिषद् से लेकर लेखपाल तक की नियुक्तियों के सन्दर्भ में क्या-क्या कार्यवाही होगी यह सारी व्यवस्था विधेयक में हैं। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत रेवेन्यू बोर्ड का गठन हुआ था और उसी के मातहत आज जो ऐक्ट रिपीट होने जा रहा है और विधेयक सदन के सामने लंबित है, वह प्रवर समिति के सुपुर्द है। आप कृपा करके उसकी जानकारी कर लें। इसलिए मैंने निवेदन किया कि आप अपनी व्यवस्था देने के पूर्व राजस्व मन्त्री को भी सुन लें और मुझको भी सुन लें। आप व्यवस्था दे दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आज आप यह प्रश्न एलाऊ कर दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह हो जायगा कि अब तक की सारी रूलिंग्स कि किसी समिति के समक्ष कोई विषय होगा उस पर सदन में प्रश्न करने की जो मनाही है, वह समाप्त हो जायगी। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें। यह प्रक्रिया समाप्त न हो जाय, इसलिए ही मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। आप उस विधेयक को मंगा लें, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि यह प्रश्न आ सकता है। तो फिर आप अपनी व्यवस्था दे दीजिए, मुझे कुछ कहना नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया, मैंने विचार किया। राजस्व संहिता विधेयक में बहुत सी बातें हैं। उसमें यह नहीं है कि समाप्त किया जाय या न किया जाय। अगर मैं आपका तर्क मान लूं तो राजस्व सम्बन्धी कोई प्रश्न जो राजस्व संहिता में विचारार्थ है, सदन के अन्दर नहीं आ सकता। इसका अर्थ यह होता है कि अगर सरकार ने कोई विधेयक पुरःस्थापित कर दिया या विचारार्थ है तो उस विषय पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। इससे सदन के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। इसलिये मैंने उस प्रश्न की अनुमति दी थी। लेकिन फिर भी जो सुझाव आपने उपस्थित किया है मैं इस पर पुनः पूर्णतया विचार करूंगा। अगर आवश्यकता हुई और मैं समझूंगा कि मुझे अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो मैं कर दूंगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक तारांकित प्रश्न दिया था। जो कल की कार्य-सूची में नं० ७१ पर है। अब तक जो प्रश्न माननीय सदस्य करते थे उसके

[श्री विद्या शंकर]

लिखित उत्तर उनको मिल जाते थे। मुझे इस प्रश्न का लिखित उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर ही नहीं मिलते तो फिर हम लोगों के प्रश्न पूछने का महत्व ही क्या रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे देखूंगा कि आपको प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिला। यह तो माननीय सदस्यों का अधिकार है कि उनके प्रश्नों का उत्तर एक दिन पूर्व उनको मिल जाया करें। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं इसकी जानकारी करूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आज अगर प्रश्न हैं तो उत्तर सबेरे मिलते हैं। एक दिन पहले नहीं मिलते।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मन्त्री जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे कार्यालय को उस वक्त बड़ी कठिनाई होती है जब विभागों से उत्तर समय से नहीं आते। प्रायः जिस दिन प्रश्न होने होते हैं उसके पहले रात के ९ बजे उत्तर प्राप्त होते हैं। इस कारण माननीय सदस्यों को समय से उत्तर भेजने में कठिनाई होती है। सभी विभागों को चाहिये कि वे अपना उत्तर एक दिन पूर्व अवश्य मारे यहां भेज दिया करें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य-सूची में नत्थी (ग) पर मेरा एक प्रश्न नं० २३ था जिसके आगे लिखा है कि २३-३-७८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के द्वारा उत्तरित। वह प्रश्न दूसरा था . . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में व्यवस्था उठाने का यह समय नहीं है। प्रश्नों के बारे में जो कठिनाइयां हों वे आप मुझसे मेरे कक्ष में आकर कहें, तभी मैं उसे देख सकूंगा।

श्री गुलाब सेहरा द्वारा बिना पूर्व सूचना के भ्रष्टाचार का एक मामला उठाने का प्रयास

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैं मान्यवर, इस सदन के पटल पर एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला रखने जा रहा हूं। . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरे संज्ञान में वह नहीं है, पहले आप मुझे सूचना दें उसकी, तब आप मेरी इजाजत से रख सकते हैं। अभी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री गुलाब सेहरा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आपको चाहिए था कि १० बजे से पहले मेरे संज्ञान में लाते।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। मैंने कल भी इसको दिखाया था तो आपने कहा था कि इसको प्रस्तुत कर दीजियेगा, तो मैं इसको प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं देखने के बाद तय करूंगा।

प्रदेश के चिकित्सालयों में नर्सेज द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन तथा उनकी मांगों के विषय के नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष, मैं सदन का ध्यान प्रदेश नर्सेज संगठन के आवाहन पर प्रदेश भर के चिकित्सालयों में नर्सेज द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। २६ तारीख को प्रदेश भर के जिलों ने अपनी न्यायोचित मांगों के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है तत्पश्चात् विधान भवन के सामने प्रदर्शन का निर्णय है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने अपना काम बन्द कर दिया तो अत्यन्त ही जटिल परिस्थिति पैदा हो जायेगी।

अतः अनरोध है कि शीघ्र उनकी मागों पर सरकार विचार करे तथा आंदोलन में हड़ताल की परिस्थिति न पैदा हो इसके लिए प्रभावी कदम उठायें।

आन्दोलनकारी छात्रों की सूची बनाकर गिरफ्तार किए जाने संबन्धी जिलाधिकारियों को गृह सचिव के आदेश से छात्रों में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह सचिव उत्तर प्रदेश ने ५ जुलाई को लिखे गये अपनी दस्ती पत्र में समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को इस आशय का सख्त निदेश दिया है कि आंदोलनकारी छात्रों की विधिवत सूची बना ली जाय और उन पर कड़ी नजर रखी जाय। दस्ती पत्र में आंदोलनकारी छात्रों को उपद्रवी कुख्यात छात्र भी लिखा गया है।

नोट-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्र सेन--]

मान्यवर, पत्र के अनुसार छात्र आंदोलन की आशंका होने पर उन्हें पहले ही पकड़ लिया जाय और शांति भंग वाली धारा के अलावा अन्य विभिन्न निश्चित अपराधों के अभियोग भी उन पर लगाये जांय । उन्हे बार-बार पकड़ कर जेल भेजा जाय और उन पर बार-बार विभिन्न अपराधों के अभियोग लगाये जांय जिसमें वे अगर जेल से छूट भी जांय तो उनको जमानत जब्ती की सख्त कार्यवाही की जाय । आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं के परिसर में दृढ़ता पूर्वक पुलिस कार्यवाही की जाय ।

मान्यवर, गृह सचिव का यह आदेश इस आशय का है कि जान बूझकर जबरदस्ती छात्रों को विभिन्न धाराओ के अन्तर्गत हिरासत में लिया, इससे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी तौर पर हनन हो रहा है तथा नागरिक आजादी को प्रतिबन्धित किया जा रहा है । निश्चय ही इस आदेश से पुलिस को व्यापक अधिकार दिये जा रहे हैं जिसका दुरुपयोग होगा और लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट पहुंचेगी और स्वाभावतः छात्र आक्रोश असन्तोष को बढ़ावा मिलेगा तथा छात्र आंदोलित होंगे ।

अतएव श्रीमन्, आप के माध्यम से शासन का ध्यान इस गम्भीर नीतिगत मौलिक प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि आप शासन को यह स्पष्ट निर्देश दें कि गृह सचिव के उपरोक्त आदेश के पीछे शासन की क्या मंशा है ? गृह सचिव, उत्तर प्रदेश के उक्त आदेश की जांच करा कर सदन के पटल पर रखा जाय जिससे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर उभड़ते हुए छात्र आक्रोश, असंतोष एवं आंदोलन को रोका जा सके ।

फैजाबाद रेलवे स्टेशन के समीप बसे कुष्ट रोगियों से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जय शंकर पान्डेय (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शासन का ध्यान फैजाबाद जनपद के फैजाबाद रेलवे जंकशन स्टेशन के दक्षिण की तरफ बसे करीब तीन चार सौ कुष्ट रोगियों से उत्पन्न परिस्थितियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । फैजाबाद के मसोधा ब्लाक में जमूरत गंज में एक बहुत बड़ा कुष्ट आश्रम है जिसमें कुष्ट रोगियों के रहने तथा दवा इत्यादि का समुचित प्रबंध है । आज से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व थोड़ी थोड़ी संख्या में कुष्ट रोगियों ने रेलवे जंकशन के दक्षिण तरफ आकर बसना शुरु कर दिया । अब कोढ़ियों ने बकायदा एक कालोनी सी बना ली है । फैजाबाद अयोध्या से जुड़े रहने के कारण एक धार्मिक स्थान है जहां पर बहुत से विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं । जहां पर यह कुष्ट रोगी सारे दिन भीख मांगते हैं तथा आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी आतंकित करते हैं । आस पास के लोगों में यह संक्रामक रोग धीरे धीरे फैल रहा है । जनता में इससे घोर असंतोष और वेदना का प्रजनन हो रहा है । विधि में प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार नगरपालिका के क्षेत्र में खुले रूप से कुष्ट रोगियों का रहना तथा भिक्षा मांगना प्रतिबंधित है । इस गंभीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरा निवेदन है कि कुष्ट रोगियों को वहां से हटाने के लिए अविलंब कार्यवाही की जाय तथा संबन्धित मंत्री जी को इस संबंध में सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बलिया जिले के हलधरपुर ग्राम में बिना भोजन के योगासन बैठी बालिका जनक दुलारी के दर्शनार्थियों को नियंत्रित करने तथा बालिका की मनोवैज्ञानिक जांच कराने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नू राम (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, ग्राम हलधरपुर जनपद बलिया जो हमारे रसड़ा सुरक्षित क्षेत्र का पश्चिमांचल और आजमगढ़ जनपद की सरहदी सीमा है, वही पर एक बनवाल कुल की बालिका जिसका नाम जनक दुलारी, उम्र करीब १६ साल है। करीब १७ माह से भोजन नहीं किया है। लगभग ६ माह से पानी भी नही पी रही है। अपने मस्तक पर त्रिमुंड का टीका लगा कर आंखें बंद करके दक्षिण दिशा में एक साधारण कोठरी में बैठी है, जिसमें उनके भाई, माता तथा अन्य परिवार के लोग रहते हैं। प्रतिदिन करीब १० हजार की भीड़ होने से वहां का आवागमन ठप हो गया है तथा घर वालों की परेशानी काफी बढ़ गयी है। कितने बच्चे तथा बूढ़े इस भीड़ में दब गये। थाना हलधरपुर जनपद बलिया की पुलिस इस भीड़ को नियत्रंण में न ला सकी है। लड़की के शरीर का अब केवल अस्थि पंजर रह गया है। अब केवल रविवार को दर्शन करने का दिन निश्चित हो जाने के कारण भीड़ की संख्या लगभग ३० व ४० हजार के करीब हो गयी है। घर में प्रवेश के स्थान न होने और गांव की गलियां संकरी होने के कारण भीड़ करीब डेढ़ किलो मीटर के अंतर्गत ठसाठस भर जाती है और जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दर्शनार्थी अपने जान की बाजी लगा कर दर्शन के लिए दिन भर खड़े रहते हैं। सरकार की तरफ से आवागमन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण, अखबारों के माध्यम से तथा लिखित रूप से बार-बार सूचनायें सरकार को पहुंचाने के बावजूद भी मार्ग तथा वहां की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया है। जिसके वजह से वहां की कठिनाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अतः मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि योगासन में १७ माह से बैठी हुई, अन्न जल न ग्रहण करने वाली अस्थि पंजरमयी लड़की की समुचित व्यवस्था करायी जाय तथा वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान यथाशीघ्र करायें जायें। आवागमन के मार्ग को शीघ्र दुरुस्त कराया जाय तथा अन्य समुचित व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, यह आपको विदित होगा कि जान डिक्सन एवं सिरो अमेरिकी भविष्य वक्ताओं ने कहा था कि सन् १९६२ में मध्य एशिया मे वह शक्ति पैदा होगी जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगी। इस लड़की का जन्म १९६२ में हुआ है और यह एशिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद के लोकनाथ मुहल्ले में श्री भोला पहलवान की बम प्रहार से मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २० अगस्त, १९७८ को रात लगभग ९ बजे इलाहाबाद के अत्यंत ही घनी आबादी वाले मुहल्ला लोकनाथ पर व्यास जी की गली में मशहूर पहलवान श्री भोला नाथ पाण्डे उर्फ भोला पहलवान को बम से प्रहार करके निर्मम हत्या कर दी गयी तथा घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी । भोला पहलवान उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख पहलवानों में से थे और पहलवानी में उन्हें जिलाजीत की उपाधि प्राप्त हुई थी । दिनांक २९ अगस्त, को पोस्टमार्टम के बाद उनका शवदाह संस्कार हजारों नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ लेकिन अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं ।

उक्त भयंकर व दर्दनाक कांड से आम जनता में घोर दुख, असंतोष व भय व्याप्त हैं । नागरिकों में आरक्षा की भावना व्याप्त है । आवश्यकता इस बात की है कि अपराधी तत्काल गिरफ्तार किए जायं । शोक में २१ अगस्त को इलाहाबाद की दुकाने बंद थीं । नागरिकों में जो अरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है वह दूर कराना आवश्यक है । विषय सार्वजनिक महत्व का है और शासन की ओर से तत्क्षण कार्यवाही कराने की आवश्यकता है ।

प्रदेश के पंच महानगरों में कृषि उत्पादन मण्डी शुल्क लगाये जाने से व्यापक असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान प्रदेश के पांच महानगरों के बाजारों पर लगाए गए कृषि उत्पादन मण्डी शुल्क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इन महानगरों में कानपुर सबसे बड़ा नगर है, यहां की किराना मंडी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी है । इस मंडी में मेवा तथा किराना वस्तुए अन्य प्रदेशों से आयात की जाती हैं जिन पर यहां का व्यापारी ४ प्रतिशत सेन्ट्रल सेल्स टैक्स तथा ७ से १५ प्रतिशत तक प्रान्तीय बिक्री कर देता है । इसके अतिरिक्त नगर महापालिका की चुंगी भी इन आयातित वस्तुओं पर लगती है । ऐसी परिस्थितियों मे उपर्युक्त वस्तुओं पर मंडी शुल्क का भार और लगने से न केवल वस्तुएं मंहगी हो रही है वरन् मेवा और किराने की मंडी कानपुर के बजाय दिल्ली के लिए स्थानान्तरित हो जावेगी ।

सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि शासन ने शाक, सब्जी, फल, भूसा, लकड़ी आदि जो दैनिक उपयोग की वस्तुए हैं तथा जिन्हे गरीब आदमी इस्तेमाल करता है और छोटा दुकानदार बेचता है, फिर भी मंडी शुल्क लगा दिया है जिसके परिणाम स्वरूप यह वस्तुएं मंहगी हो रही हैं तथा छोटे दुकानदार को लिखित हिसाब किताब रखने में बेहद कठिनाई हो रही है । इस हिसाब किताब के अभाव में सरकारी कर्मचारी जितना मंडी शुल्क वसुल करते हैं उसका अधिकांश भाग सरकारी खजाने में न जाकर उनकी जेबों में चला जाता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक मंडी स्थल का प्रश्न है, कानपुर महानगर से लगभग १५ किलोमीटर दूर एक मंडी स्थल का निर्माण किया गया है जिसमें केवल गल्ला व्यापारियों को भेजने का प्राविधान है । किराना तथा अन्य व्यापारियों को वहां भेजने की कोई योजना नहीं हैं । इसके अतिरिक्त कानपुर स्थित उत्तर भारत की सबसे बड़ी किराना मंडी को किसी अन्य स्थान पर ले जाना न तो व्यौहारिक है और न संभव ही है । गत लगभग १०० वर्ष से जिस स्थान पर किराना मंडी है उसका रख रखाव दुकानदार स्वयं करते है तथा यहां सफाई, रोशनी पानी, सड़कों आदि की व्यवस्था नगर महापालिका द्वारा की जाती है जो इन व्यापारियों से चुंगी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, आदि वसूल करती है । ऐसी परिस्थितियों में किराना बाजार पर मंडी शुल्क लगाना न्याय संगत नहीं हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, उपर्युक्त परिस्थित के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वह प्रदेश के पांच बड़े नगरों में लगाये गये कृषि उत्पादन मंडी शुल्क को अविलम्ब वापस ले ले जिससे व्यापारियों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले तथा व्यापार चौपट होने से बच सके ।

वाराणसी में बिजली की अनियमित आपूर्ति से जनता में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्रीशतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जनपद वाराणसी में पिछले चार दिनों से बिजली की आपूर्ति ठप्प पड़ गयी है । विशेष कर वाराणसी नगर में बिजली की आपूर्ति के नियमित व्यवधान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है । बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं । जिसके कारण अस्पतालों में विशेष असुविधा हो रही है । विशेष कर सरकारी अस्पाल श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में पिछले दो दिनों से बिजली की आपूर्ति न होने से एक्सरे एवं अन्य आवश्यक कार्य बन्द हो गए हैं ।

जन जीवन में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है । विद्युत परिषद् का ध्यान इस संबन्ध में बराबर आकर्षित किया जा रहा है । किन्तु अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गयी है । मुझे यह बताया गया है कि वाराणसी बिजली विभाग के एक क्लर्क को वहां के मुख्य अभियन्ता हरपाल सिंह ने नाहक बिला वजह परेशान करने की नियत से स्थानान्तरित कर दिया है । जिसकी वजह से कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है । कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्यवाही की जा रही है । जो कि गैर जनतान्त्रिक है । कल दिनांक २२-८-७८ को श्री विश्वनाथ वर्मानी नामक मिस्त्री बिजली के खम्भे पर वाराणसी के कबीरचौरा नामक मोहल्ले में चढ़ गया और बिजली के करेन्ट लगने की वजह से उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी । और उक्त मिस्त्री की लाश को पुलिस प्रशासन ने बगैर उसके घर वालों को दिए गंगा में बहा दिया । जिससे कर्मचारियों में और भी असंतोष व्याप्त हो गया है । मृतक की विधवा मां अपने करीब ३५ वर्षीय पुत्र की लाश जिला प्रशासन से मांग रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]—

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय प्रश्न पर महत्वपूर्ण सूचना देते हुए आपसे निवेदन है कि कृपया विद्युत मंत्री को वक्तव्य देने का निदेश दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विद्युत मंत्री कृपया इस संबन्ध में वक्तव्य दें ।

वर्षा से देहरादून जनपद में १३ व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य प्रकार की क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं । मान्यवर, १८ अगस्त की रात्रि को हुई भीषण वर्षा के कारण जनपद देहरादून में हुई विनाश लीला से हजारों परिवार बेघर हो गये हैं और कल तक की सूचना के अनुसार १३ व्यक्ति मर चुके हैं और कई लापता हैं ।

मान्यवर, मैंने भी कुछ ग्रामों का जिलाधिकारी के साथ दौरा किया है ।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के मर्द, औरत बच्चे सभी भीषण तबाही के कारण बिलबिला रहे हैं, उनका रुदन, क्रन्दन सुन कर कलेजा मुंह को आता है । हजारों बीघों में लहलहाती धान, मक्का व गन्ने आदि की फसल कृषकों के अपने देखते-देखते नदी के गर्त में समा गई । इतना भयंकर कटान पिछले कई दशकों से देखने में नहीं आया है ।

मान्यवर, मैंने ८ अगस्त को तार भेजकर एवं स्वयं मिल कर मुख्य मंत्री जी एवं सिंचाई मंत्री जी को इस सम्बन्ध में चेतावनी दी थी कि तुरन्त बाढ़ की रोकथाम के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । यदि तार एवं मेरे लिखे पत्रों को गम्भीरता से लिया गया होता तो आज सैकड़ों परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सकता था ।

मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस वर्ष बाढ़ नियंत्रण के लिए जनपद देहरादून को एक भी पैसे का आबंटन नहीं किया गया है । जो बाढ़ नियंत्रण योजनाएं जिले से बना कर लखनऊ भेजी गयी थी सभी रद्द कर दी गयी । मेरा मुख्य मंत्री व सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि तुरन्त बाढ़ नियंत्रण हेतु धन का आबंटन करें तथा जो बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बन चुकी हैं उन पर अविलम्ब कार्य आरम्भ कराया जाय एवं दूसरे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाए जाने के आदेश दिए जांय जिससे भविष्य में बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके । ऐसे परिवारों को जिनके घर बाढ़ से नष्ट हो गए हैं गृह निर्माण हेतु समुचित धन आबंटित किया जाय । उन्हें राशन, कपड़े की व्यवस्था के अतिरिक्त उनके पुर्नवास की भी व्यवस्था की जाय । मृतकों के परिवारों को मुख्य मंत्री जी के सहायता कोष से कम से कम दस-दस हजार रुपये की धनराशि दिलाई जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

यह देहरादून की बहुत महत्वपूर्ण घटना है । इस सम्बन्ध में किसी भी दिन वक्तव्य दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष --

वैसे तो यह प्रथा बहुत गलत होगी । फिर भी इसमें राजस्व मंत्री का वक्तव्य होगा । अगर यह समझा जायगा कि विस्तार से इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है तो मैं अवश्य उनसे कहूंगा कि इस पर पूर्ण प्रकाश डालें ।

देवनागरी कालेज, मेरठ में एम० काम० की कक्षायें खोले जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शून्य प्रहर में निम्न प्रस्ताव करता हूं :

मेरठ में बी० काम० उत्तीर्ण करने के पश्चात एम० काम० में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को केवल मेरठ कालेज मेरठ में ही एम० काम० की कक्षायें चलने के कारण प्रदेश में काफी असुविधा हो रही है ।

देवनागरी कालेज मेरठ में इस समय बी० काम० के लगभग नौ सौ छात्र हैं जिन्हें इस विद्यालय में एम० काम० की सुविधा सुलभ न होने के कारण वाणिज्य की स्नातकोत्तर शिक्षा में प्रवेश हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ।

मेरठ कालेज मेरठ में एम० काम० के लगभग १२५ छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता है तथा इस विद्यालय में बी० काम० के लगभग ८०० छात्र हैं जिन्हें एम० काम० में प्रवेश के समय वरीयता भी देनी होती है । अतः मेरठ में एम० काम० की सुविधा अन्य छात्रों को भी सुलभ कराने के लिए आवश्यक है कि अन्य विद्यालयों में भी एम० काम० हो ।

देवनागरी कालेज मेरठ में एम० काम० की कक्षायें खोलने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र फरवरी ७८ से शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

अब तक नया शिक्षण सत्र प्रारम्भ हो चुका है मैं आपके माध्यम से शासन तथा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि छात्रों के हित में देवनागरी कालेज मेरठ में एम० काम० की कक्षाओं को चलाने की अनुमति तुरन्त प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी यह केवल मेरठ का प्रश्न नहीं है, अन्य जगह भी विद्यार्थियों के दाखिले में कठिनाई हो रही है । इस सम्बन्ध में आप शीघ्र व्यवस्था करें और उससे सदन को भी अवगत करा दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैंने परसों यहां व्यवस्था का सवाल उठाया था ।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें । अभी दूसरे प्रश्न लिए जायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पी० ए० सी० में कांस्टेबिलों की भर्ती सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सरकार का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं :--

यह कि आजकल प्रदेश में पुलिस कान्सटेबिलों की भर्ती हो रही है किन्तु नये कान्सटेबिल की भर्ती में यह प्रतिबन्ध लग गया है कि जिन नौजवानों ने सन् १९७६ से पहले हाई स्कूल पास कर लिया है वह इस भर्ती में नहीं आ सकते। १९७६ के पहले जिस विद्यार्थी ने हाई स्कूल पास कर लिया है और उस समय उसकी उमर निर्धारित समय से कम थी और धनाभाव के कारण आगे न पढ़ सका तथा घर बैठा रहा, उस नौजवान की जब भर्ती की उमर आई तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को तो विशेषकर हानि हुई है; क्योंकि सरकार ने उनकी भर्ती की आयु सामान्य अभ्यर्थियों से पांच वर्ष अधिक रखी है।

सन् १९७६ के पहले के पासशुदा अभ्यर्थियों को न भरने से उनकी आयु बढ़ने का कोई लाभ नहीं हुआ। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस स्थिति को तुरन्त स्पष्ट करे और वक्तव्य दें।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र न दिये जाने पर आपत्ति

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, किसके लिए मुझे आपने इजाजत दी है क्योंकि मैं दो बार उठा था मैंने शून्य प्रहर की सूचना के लिए भी लिख कर दिया था। तो जो शून्य प्रहर के लिए दिया था उसको पढ़े ?

श्री अध्यक्ष--

आपने जो शून्य प्रहर के प्रश्नों के उत्तर के लिए दिया था।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, वाराणसी जिले में जंगीगंज सहकारी समिति...

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। इसकी इजाजत नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र--

तो किस की इजाजत है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इजाजत जो दी है वह यह है कि जो आपकी शून्य प्रहर की सूचनाओं के जवाब नहीं आते उसके सम्बन्ध में (व्यवधान) (श्री पुरुषोत्तम कौशिक के खड़े होने पर) कौशिक जी, आप इस तरह से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, आप शिक्षित होकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं जो प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं वह ऐसा नहीं है कि जो पहले न उठा हो लेकिन दुख के साथ फिर उठा रहा हूं और आप उसकी ताईद करेंगे। हम चाहते हैं कि आप उस पर अंतिम रूप से व्यवस्था दें। शून्य प्रहर के बारे में आपने निर्णय किया है और निर्देश दिये हैं कि अंतरिम रूप से ७ दिन के अन्दर उत्तर दिये जायं। लेकिन हो क्या रहा है कि इन तीन महीनों में जितने नोटिस दिये थे उस पर न तो अंतरिम रिप्लाई दिये और न पूर्ण रिप्लाई दिये गये। ऐसी सूरत में आपने कहा था कि हम एक तरीका अपनायेंगे आज तीन महीने हो गये और ६ महीने पहले भी आपका निश्चयात्मक आदेश सरकार को नहीं मिला। हम लोगों को अंतरिम रिप्लाई मिलते हैं लेकिन अन्तिम रिप्लाई नहीं मिलते हैं। इस सम्बन्ध में हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर हमें बार-बार न उठना पड़े।

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, अंतिम उत्तर के लिए समय की अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है और अंतरिम उत्तर पहुंच ही जाता है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने यह निश्चय किया था कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री, संसदीय कार्य मंत्री और सभी दलों के नताओं को बुला कर विचार किया जाय। वह तारीख मैं निश्चित कर रहा हूं।

यह जो प्रश्न शून्य प्रहर में उठते हैं उसके लिए मैंने पहले निर्देश किया था कि इसका अंतरिम उत्तर कम से कम एक सप्ताह में हो जाय और दूसरा मेरा निर्देश था कि यह उत्तर केवल सम्बन्धित मन्त्री के हस्ताक्षर से होना चाहिये न कि विभागीय सचिवों की ओर से जैसा कि प्रश्नों के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि तीन महीने तक कोई उत्तर न दिया जाय, माननीय सदस्यों के प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिये; ताकि उसका उपयोग हो सके। लेकिन मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि विभागों को या तो मंत्रिगणों ने स्पष्ट आदेश नहीं दिये हैं या इन सूचनाओं की उपेक्षा की जाती है जो अत्यन्त अनुचित है। मैं पुनः सभी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो शून्य प्रहर में सूचनायें आती हैं उनका उत्तर यथासम्भव सदस्यों को शीघ्र मिल जाना चाहिये और वह उत्तर किसी अनुसचिव या सचिव की तरफ से न हो। ऐसे उत्तर को उत्तर नहीं माना जायेगा। सम्बन्धित मन्त्री के हस्ताक्षर से उत्तर आना चाहिये।

शून्य प्रहर की सूचनाओं को स्वीकृत करने में विरोधी पक्ष का अनुपात कम होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने शून्य प्रहर की सूचनायें पढ़ाईं और १२ लोगों ने पढ़ी लेकिन इधर से केवल एक व्यक्ति को आपने अवसर दिया। तो श्रीमन्, यह बंटवारा जो है इस पर विचार करें। हम विरोधी लोगों को भी अनुपात के हिसाब से पढ़ने की आज्ञा दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

इसमें विरोध पक्ष का सवाल नहीं है वैसे श्री मित्रसेन यादव विरोध पक्ष के के हैं और अजीत सिंह सेठी जी किस पक्ष के हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

उधर से १० बोले।

श्री अध्यक्ष--

अनुपात के हिसाब से आपका २५ प्रतिशत है। १० में से दो आपकी तरफ से बोले हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

यह कम है। इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

१० सूचनायें स्वीकार की हैं। (व्यवधान) प्रश्नों के बारे में इस तरह का नियंत्रण नहीं हो सकता और न मैं इस बात को ध्यान में रखता हूं। जो सूचनाएं विरोध पक्ष की हैं उनको भी उनके अनुपात के अनुसार अवसर दिया गया है। मैं यह नहीं देखता हूं कि यह सूचना विरोध पक्ष की है या शासक दल की है। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रश्नों के सम्बन्ध में और शून्य प्रहर की सूचनाओं के उत्तर के सम्बन्ध में मंत्रियों को अनेक बार आदेश दिये कि सुचारु रूप से उत्तर दें। लेकिन आपके आदेशों का पालन न करने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई नियम नहीं है। आपके आदेश क्या केवल मेम्बरों पर ही लागू होंगे ?

एक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

[× × ×]

नोट [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है (व्यवधान) इसकी मैं अनुमति नहीं देता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।(व्यवधान) यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मुझे सुन लें । मुझे दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं दे रहा इसकी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

किस चीज की अनुमति नहीं दे रहे हैं ? पहले सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप उसको मेरे संज्ञान में लाइये । व्यवस्था किसी नियम के अनुसार होती है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× × ×]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, नियमों में ऐसी व्यवस्था है और आपने भी व्यवस्था दी है कि हम व्यवस्था के प्रश्न को किसी नियमावली की तहत में उठा सकते हैं । माननीय सदस्य ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे तो व्यवस्था के प्रश्न से भिन्न कोई विषय आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं तो सदन चलने के पूर्व आपकी सहमति प्राप्त करें । तो क्या माननीय सदस्य ने सदन चलने से पूर्व इस सम्बन्ध में आपकी सहमति प्राप्त की है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने अपना निर्णय दिया । मैंने कोई अनुमति नहीं दी है ।

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने किया है, उस पर मुझे विशेषाधिकार की सूचना भी दी गयी है । जब मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना लूंगा तो इस विषय में सदन को अवगत कराऊंगा । मैंने इस सम्बन्ध में आपको अनुमति नहीं दी है । अतः शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो कहा है, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं रहेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

वह मन्त्री कौन हैं, हम बता दें ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

[× × ×]

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं, अब आप बैठिये ।

नोट: [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपके आदेश का उल्लंघन करके माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है। जहां तक अनुमति का प्रश्न है मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल रहा हूं। जब आप एक सवाल पर अनुमति नहीं देते तो मेरा कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर इस सवाल को सदन में उठाते हैं केवल पब्लिसिटी की दृष्टि से और सदन का समय खराब करते हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। इस सदन में कोई भी कार्यवाही हो तो नियम के अनुसार होनी चाहिए। कौन विषय किस प्रकार लिया जाय उसके अलग-अलग प्रकार हैं लेकिन अगर कोई आदमी खड़ा हो जाय और वह बोलता रहे और आप भी सुनते रहें तो यह सदन कैसे चलेगा? जो कुछ भी इस समय कहा गया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री शतरुद्ध प्रकाश और रवीन्द्र सिंह को इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी और जो कुछ भी कहा गया है वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। माननीय सदस्यों का इस प्रकार बिना अनुमति खड़ा होना अनुचित है और सदन का समय नष्ट करना है। मैंने अनुमति नहीं दी और यह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

हम लोगों को भी सुन लें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर.... ।

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

हम लोगों को भी अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले शाही जी को बुला लिया है ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

अध्यक्ष जी....।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

आपने शाही जी को बुलाया था ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने इस प्रश्न को कार्यवाही का अंग नहीं बनने दिया तो आपको किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(शोरगुल के बीच) श्री रवीन्द्र जी, आप बैठ जायं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य वाराणसी और माननीय सदस्य गोरखपुर ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यहां पर एक प्रश्न रखा और रविवार अखबार में प्रकाशित कुछ बातों के बारे में कहना चाहा । अब श्रीमन्, आपने..

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय सदस्य, वाराणसी और गोरखपुर ने जिस प्रश्न को उठाया उस पर आपकी अनुमति नहीं थी और वह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं माना जायगा । जब वह विषय सदन की कार्यवाही का अंग नहीं है तो उस विषय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य काशीपुर (नैनीताल) चर्चा कैसे उठा सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं यही कहने उठा हूं कि इसे सदन की कार्यवाही का अंग माना जाय । आप अपनी इस रूलिंग पर दोबारा विचार करें ।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

श्री तिवारी जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पहले मेरी बात तो सुन लें।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने पहले ही यह व्यवस्था दी है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के आधार पर कोई तथ्यात्मक बात सदन में नहीं रखी जा सकती जब तक कि अनुमति न मिल जाय। श्री शाही के खिलाफ पहले भी कुछ पम्फलेट आये हैं, जिनमें आरोप लगाये गये थे, जिस पर आपने उनको सुनने का अवसर दिया। आज भी आप श्री शाही को अपनी बात कहने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह व्यवस्था दी कि श्री शतरुद्र प्रकाश को इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी और जो उन्होंने कहा उसको कार्यवाही का अंग भी मैंने नहीं माना तो शाही जी को उस पर कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। अखबार में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जब आपने मुझे अनुमति नहीं दी और मैंने जो कुछ कहा उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। तो विद्युत मंत्री जी ने जो कहा [× × ×] यह भी इस सदन की कार्यवाही से निकालें। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह असत्य और बिल्कुल झूठ कहा है, अन्यथा मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि अगर वे यह साबित कर दें [× × ×] तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो इनको तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जिस गम्भीर विषय पर हुई चर्चा को आपने कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था दे दी, वह अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस चीज को सारा सदन गैलरियों में बैठा हुआ पूरा प्रदेश और प्रेस वाले देख रहे हैं, उसे कार्यवाही से निकालने की, ड्राप सीन करने की शक्ति क्या आपके पास है। इसे आपको देखना होगा। जो विषय सामने आ गया है, उसे सामने रखते हुए आपको सोचने की जरूरत है कि इसका समाधान किस सूरत से हो। यह चीज सारे प्रदेश व देश तथा प्रेस के सामने आ गई है, अब यह आप पर है कि उसका समाधान कैसे हो ?

(श्री रवीन्द्र सिंह के कुछ कहने पर)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र सिंह जी, आप स्वयं अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, तो व्यवस्था का क्या प्रश्न है। ऐसा सम्भव है कि सदन में बिना किसी नियम के, बिना पूर्व सूचना के, जब कोई विषय विचाराधीन नहीं है, उस पर माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे तो मैंने कहा था कि यह सब कार्यवाही का अंग नहीं होगा। उसके बाद श्री रवीन्द्र किशोर शाही जी ने कहा। उस पर मैंने कहा कि उनके स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं थी, वह भी कार्यवाही का अंग नहीं होगा। इसलिए जो उन्होंने आक्षेप किया वह भी इस सदन की कार्यवाही का अंग नहीं हो सकता है। तो यह विषय सदन के सामने विचारार्थ नहीं है और मेरे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है, किसी नियम के अनुसार कोई चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए जो आप बोलना चाहते हैं, मैं समझता हूं, नियमों को निलम्बित किए देता हूं, आप जो उचित समझें, वह बोलें। वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[× × ×]

श्री नेम सिंह चौहान--

[× × ×]

श्री मित्र सेन--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कोई कार्यवाही नहीं होगी, यह भी कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपकी रूलिंग भी क्या कार्यवाही का अंग नहीं होगी ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आपने सही निर्णय दिया है, जो कुछ चर्चा होगी, वह कार्यवाही का अंग नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर शाही जी का नाम लिया है, तो आप शाही जी की बात सुनें। कार्यवाही का अंग भले ही न बने, लेकिन उनको सुन तो लीजिए। उनको अपनी बात कहने का तो अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मेरे सामने कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है, जिसपर आपको मैं वाद-विवाद की इजाजत दूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं समझता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है वह नियमों के अनुकूल नहीं है। शाही जी का आपने नाम लिया और वह आपकी इजाजत से खड़े हुए।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

फिर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बड़े-बड़े पैसे वाले प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शतरुद्र प्रकाश जी पैसे वालों के हाथ बिके हुए हैं यह कार्यवाही में यहां आ गया है। आपकी इजाजत से माननीय शाही ने जो बात कही वह बात रेकार्ड में आ गई। आपकी इजाजत से वह बात कही, वह रेकार्ड का भाग बन चुकी। वह सदन के संज्ञान में आ गयी। एक अभियोग लग गया है

[× × ×]

माननीय सदस्यों के ऊपर आक्षेप लगाया। चूंकि वह कार्यवाही का अंग बन गया है इसलिए इस पर चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेगी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है, मैं कैसे जान सकता था कि श्री शाही क्या कहना चाहते थे? श्री शाही जी ने जो कुछ कहा उसको भी कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दिया है। इसलिए कोई विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं नयी बात कहता हूं। (शोर) मैं इतनी देर से खड़ा ही रहा हूं। आप बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

अध्यक्ष, कुछ ऐसा दिखायी देता है कि नियमों के अनुसार इस सदन में कोई बोल नहीं सकता। इसी विषय पर जिस पर इतनी देर से चर्चा हुई है, मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सम्मुख भेजा है, मुझे बोलने से वंचित किया जा रहा है, इसलिए कि मैंने नियम के अन्तर्गत भेजा है। इस तरह से हम लोगों को, ऐसे सदस्यों का सदस्य रहने का कोई औचित्य नहीं रखता जो नियम के अनुसार काम करना चाहते हैं। यह विषय जिस सदस्य ने नियमानुसार भेजा है उसको बोलने का अधिकार दिया जाय तो सारा प्रश्न सदन के सामने आ जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैंने पहले कहा था कि श्री तोमर ने, जिस विषय को श्री शतरुद्र प्रकाश उठाना चाहते हैं, उस विषय पर विशेषाधिकार का एक प्रश्न मुझे दिया। मैं जब विशेषाधिकार के प्रश्न लूंगा तब इस प्रश्न पर विचार किया जायगा। लेकिन मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके माननीय शतरुद्र प्रकाश अपनी बात कहते चले गये। इस सदन में सभी सदस्य बड़े जिम्मेदार लोग हैं। मैं तो उनसे यह आशा करता हूं कि वह नियमों का पालन करें और अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो सदन की कार्यवाही नियमित नहीं चल सकती है।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप जो व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहते हैं, कौन सा विषय विचाराधीन है जिस पर आप रखना चाहते हैं?

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

आरोप झूठे हैं तो उनका प्रतिवाद माननीय शाही कर रहे हैं। उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका संचालन माननीय मित्रसेन नहीं कर रहे हैं। यह मेरा काम है। मैं देखूंगा। जब कोई विषय विचाराधीन नहीं है तो मैं शाही जी को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

अन्त में मैं चाहूंगा आप अनुमति दे दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही को निलम्बित करके अस्थायी आपातकाल जारी कर दिया है सदन में ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कहा कि मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस वक्त सदन के अन्दर जिसको वाकई में कहते हैं जोरो आवर, आप पूरी तरह आजादी के साथ अपने फेफड़े की पूरी तरह से कसरत कर सकते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा कहे गये शब्दों को कार्यवाही से निकालने के श्री अध्यक्ष के आदेश पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आज सारा दिन व्यवस्था के लिए रखा जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब मैं शुरू से कह रहा था और कुछ कहना चाहता था, मेरी व्यवस्था का..

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

संजय गांधी के साथी हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप बैठे हैं। कार्यवाही से निकालने का जो प्रश्न है, तो कौन-कौन से विषय कार्यवाही से निकाले जा सकते हैं, कृपया आप इस पर अपनी रूलिंग दें। अनपार्लियामेन्टरी जो विषय हैं, लोक सभा में एक प्रश्न आया और राज्य सभा में भी आया वहां पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि जो असंसदीय शब्द हैं उन्हीं को कार्यवाही से निकाला जायेगा। किसी भी कार्यवाही को निकाल दे यह कहीं पर नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संस्थागत वित्त मंत्री (केशरी नाथ त्रिपाठी)--

यह आप पर श्रीमन्, आक्षेप है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप कृपया इसको फिर देखें । अपनी रूलिंग रिजर्व रखें ।

(शोर)

एक सदस्य--

यह मर्यादा भंग कर रहे हैं, तिवारी जी ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

यह आरोप लगा रहे हैं ।

श्री गुलाब सिंह सेहरा (जिला आगरा)--

नेम सिंह जी, बोलने नहीं दिया जायेगा, अगर नहीं सुनेंगे ।

एक सदस्य--

वाक आउट कर जाओ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब तक कोई बात असंसदीय न हो तब तक उसे कार्यवाही से नहीं निकाला जायेगा । माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने जो प्रस्ताव रखा, हो सकता है कि नियमानुकूल न हो यह आप रूलिंग दे सकते हैं परन्तु उसे आप कार्यवाही से निकाल नहीं सकते हैं । किसी सदस्य ने उसे कार्यवाही से निकालने का प्रस्ताव भी नहीं किया । कार्यवाही से निकालने का प्रश्न तब आता है जब कोई माननीय सदस्य कहें कि फलां फलां कथन असंसदीय हैं और उनको कार्यवाही से निकाला जाये, तब माननीय अध्यक्ष उस पर विचार करते हैं । आज यहां पर कोई प्रस्ताव किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं किया है कि माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी कह रहे हैं वह असंसदीय है । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया । जो शतरुद्ध प्रकाश कह रहे थे वह नियमों के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन कार्यवाही का पार्ट न हो ऐसा नहीं है । वह कौन सा नियम है कि नियमों के विपरीत बोलने पर सारा कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । यदि ऐसा होगा तो फिर कोई भी कार्यवाही श्रीमन्, यहां पर नहीं चलेगी जिसको कि कार्यवाही का हिस्सा माना जायेगा । अध्यक्ष जी, अपनी गरिमा और मर्यादा के अनुसार अपनी रूलिंग पर पुनः विचार करेंगे और जो कुछ भी हो आपने विद्युत मंत्री जी को बुलाया और उन्होंने कुछ कहा । मेरी विद्युत मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर वह सफाई देना चाहते हैं तो उन्हें सफाई देने का अधिकार होना चाहिए । जिस समय कोई बात कही जाये तो उसका स्पष्टीकरण हो । जब सरकार के प्रति कोई आक्षेप होता है तो उसे कार्यवाही का अंग बनना चाहिए और शासन को मौका मिलना चाहिए कि वह सफाई दे । आक्षेप होता है तो यह जनतांत्रिक हित में है कि उसकी सफाई हो और शासन को अधिकार है कि अपनी बात कहे । श्रीमन्, लपझप से काम होने वाला नहीं है । मेरा आपसे आग्रह यह है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और जो बात यहां पर हुई है उसे कार्यवाही का अंग रहने दें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप सब लोग अपनी जगह पर बैठें ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आप नियम ३०४ देख लें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

यह कोई महफिल है या सदन ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुनते ही नहीं हैं । माननीय अध्यक्ष जी... ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय विद्युत मंत्री जी के विरुद्ध एक चार्ज लगाया गया । तो जो प्रश्न उठाया गया है उनको भी इस पर स्पष्टीकरण देने का अवसर आप दीजिए ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से बहुत ही सूक्ष्म में कहना चाहता हूं । मैं नियम ३०४ पढ़े देता हूं--

> "यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिए जायं ।"

मान्यवर, दूसरी बात कह रहा हूं । इसी सदन में पिछले सत्र में श्रीमन्, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पीठासीन होते हुए आपने यह निर्णय दिया गया था कि अखबारों के द्वारा यदि कोई प्रकाशित बातें हम यहां लाते हैं विशेषाधिकार या कार्यस्थगन में तो आप आज्ञा देते हैं । आपने स्वतः कहा है कि आप आज्ञा दें । आज अगर आप स्वयं उस पर उल्टी आज्ञा दे देंगे कि इन अखबारों द्वारा कोई चीज निकलती है तो आप स्वयं अपनी आज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं जो कि मान्यताप्राप्त हैं । न केवल मान्यता प्राप्त हैं आपने श्रीमन्, उस समय बिल्कुल सही चीज कही थी कि हम लोग बन्ध जायं तो हम लोग कोई कार्य कर ही नहीं सकते । हम हर जिले में जाते नहीं है । हर जिले की सूचना सुबह उठकर अखबारों के जरिये लेते हैं । या तो फिर हमें हर जिले में पी० आर० ओ०

दे दीजिए जिसे आप नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आप अपनी दी हुई व्यवस्था को न उल्टें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, पिछले १४ महीनों से इस सदन की कार्यवाही को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सदन के अन्दर जो भी कार्यवाही होगी वह आपकी अनुमति से होगी, आपकी आज्ञा के अनुरूप होगी और आपका निर्णय किसी भी मामले में गलत या सही, सर्वोपरि होगा और अन्तिम होगा। मान्यवर, किसी भी कारण से इस विषय पर चर्चा बन्द कर दी गयी है। अब मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा कल करें। जीरो आवर भी समाप्त हो चुका है इसलिए अगले विषय को आप ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी माननीय नारायण दत्त तिवारी और माननीय श्यामधर मिश्र ने कुछ व्यवस्थाओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। मैं इस सम्बन्ध में २ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। समाचार पत्रों के माध्यम से छपी किसी बात पर चर्चा नहीं हो सकती है लेकिन यहां पर जो प्रश्न है, वह समाचार-पत्र का नहीं है। जो व्यवस्था के रूप में उठा और आपने असहमति भी प्रकट की। प्रश्न यह है कि क्या कोई सदस्य इस आदरणीय सदन में औचित्य के प्रश्न के अलावा इस तरह का प्रश्न शून्य प्रहर में उठा सकता है जिसके लिए उसने आपके कक्ष में आपसे अनुमति प्राप्त नहीं की। मान्यवर, मेरा स्पष्ट मत है और मैंने आज स्वयं आपके कक्ष में जाकर इस प्रश्न पर अनुमति प्राप्त की, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं बोलूं। माननीया शतरुद्र प्रकाश ने आपसे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की, इसलिए आपने उनको रोका, यह आपने ठीक किया। यह समाचार-पत्र से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। अभी माननीय तिवारी जी और माननीय मिश्र जी ने अपनी-अपनी बात रखी, आपने उन्हें निकालने के लिए कहा, बिल्कुल ठीक है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम २८६ के उपनियम ९ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि "कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे। चीत्कार नहीं करेंगे, या बाधा नहीं डालेंगे और जब सदन में भाषण दिये जा रहे हों, तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेंगे।"

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तो मैं निवेदन कर रहा था कि कोई भी माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे जिसका तात्पर्य यह है कि कार्यवाही चल रही है, एक कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बोलना था। उस कार्यवाही में बाधा डालने के लिए यह कार्य किया गया है। इस आदरणीय सदन में बाधा सम्बन्धी जो भी काम

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

किया जायगा, उसके सम्बन्ध में जो भी कथन किया जायगा वह सब असंसदीय होगा । ऐसी परम्परा भी यहां पर रही है कि जिस समय इस प्रकार की कोई कार्यवाही हो, जो आपकी अनुमति के बिना माननीय सदस्य बोलने की चेष्टा करें, आपने उनको रोका और कार्यवाही से निकालने के भी आपने आदेश दिए जिसका हम पालन करते हैं । तो यह कथन कार्यवाहीम नहीं आनी चाहिए । ये प्रश्न अखबार से सम्बन्धित नहीं हैं । क्या आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करने के लिए आपको कोई नोटिस दिया गया ? तीसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है आपने आदेश दे दिया कि कोई भी कार्यवाही लिखी नहीं जायेगी तो जो हम यह बोल रहे हैं, क्या यह भी लिखी जा रही है या नहीं ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अव्यवस्थापर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं आ सकता है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मैं नियम २८६ के अन्तर्गत प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अभी एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय तिवारी जी ने उठाया है क्या आप उसी पर कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

हां, मान्यवर, मैं उसी पर बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था पर कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने जो निर्णय दिया है कार्यवाही से निकालने का वह उचित ही है । नियम २८७ के अन्तर्गत वही सदस्य बोल सकता है जिसे आप बोलने की अनुमति प्रदान करें । अपनी मर्जी से कोई भी यहां नहीं बोल सकता । अगर हर एक को अपनी मर्जी से बोलने की यहां पर इजाजत दे दी जायेगी तो फिर यह सदन नहीं रह जायेगा, हर सदस्य का अलग-अलग सदन बन जायेगा । वह सदन होगा, वही मंत्री होगा, वही सब कुछ हो जायेगा ।

श्रीमन् पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो तर्क उपस्थित किया उसे सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अध्यक्ष पीठ से अनेकों बार इस प्रकार के निर्णय हो चुके हैं । पंडित नारायण दत्त तिवारी (हंसी) जी से एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य व्यक्तिगत आरोप या लांछन नहीं लगा सकते हैं । जो हमारे नियमों में नहीं है उसके लिए नियम ३१३ है "अवशिष्ट शक्तियां" जिसके अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष को शक्ति प्रदान की गई है । इसमें जिक्र है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनको इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था

नहीं की गई है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बन्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें। इसलिए आपने कार्यवाही से निकालने का जो आदेश दिया है वह सर्वथा उचित ही है।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

श्रीमन्, आप जो भी आदेश देते हैं मैं उसे मान लेता हूं। मैं अनुशासित सदस्य हूं और नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आपने यह व्यवस्था दी कि मैं जो बोलूंगा वह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं होगा, पर आपने मुझे बोलने से मनाही नहीं की, बोलने के लिए आपने मना नहीं किया, आपके आदेशानुसार ही मैं बोलता रहा। नियम ३०४ में वह स्पष्ट है जो कार्यवाही का अंग नहीं होगा। मैं इस नियम के विरुद्ध बोल रहा था ऐसी बात नहीं थी। नियम ३०४ के अन्तर्गत मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, न ही कोई अभद्र बात कही। मैंने तो केवल इतना कहा [* * *] (व्यवधान) उसके लिए जांच की मांग की (हंसी)।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब किसी को मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(वित्त मंत्री) *श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, आज बहुत देर से प्रयत्न कर रहा था कि मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूं और निवेदन करूं कि इस सदन की पूरी कार्यवाही जो चलनी है, वह नियमों के अन्तर्गत चले और माननीय अध्यक्ष जो पीठासीन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। इन दोनों बातों से मैं अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं यह कहते हुए कि जब माननीय शतरुद्ध प्रकाश बोलने के लिए खड़े हुए और प्रश्न उठाना चाहा, आपने तब यह कहा कि मैं इनकी अनुमति नहीं दूंगा। जब अनुमति आपने नहीं दी तो माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी का यह कर्त्तव्य था कि वे बैठ जाते और यदि उनको कोई आपत्ति थी, तो वे आपके कक्ष में जाकर बताते कि यह बात थी। अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो, तो वह निकाल दी जाय कि हम आरोपों के जवाब देने से कतराते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

२९९ में निकाल दिया जाना चाहिए।

नोट :--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मधुकर दिघे--

उसका जवाब हम मजबूती से देना चाहते हैं, केवल प्रश्न यह है कि क्या माननीय शतरुद्र प्रकाश जिस प्रश्न को उठाना चाहते हैं वह प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं। माननीय शतरुद्र प्रकाश को पूरा-पूरा अधिकार है कि यदि अखबार में कोई चीज निकली है या अखबार में नहीं भी निकली है, उनको अगर इस बात की जानकारी हो गई है, यह जो नियमावली है, उस नियमावली के अन्तर्गत उस प्रश्न को उठा सकते थे। जैसे मैंने इशारे से बात कही थी कि माननीय शतरुद्र प्रकाश नहीं उठाना चाहते थे, किसी माननीय सदस्य पर आरोप नहीं लगाना चाहते थे, वे केवल यह उठाना चाहते थे कि अखबार में निकली है, ऐसा उनका इरादा था कहने का कि ऐसा अखबार में निकला है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी इस प्रश्न को जो नियम है, जो उनका अधिकार है, उस अधिकार के तहत उठा सकते हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न दे सकते हैं, ३०१ में इस प्रश्न को उठा सकते थे और अगर आपकी इजाजत मिल जाती तो यहां पर चर्चा की जा सकती थी। अगर माननीय विरोधीदल के लोगों को भी इसकी जानकारी है, तो अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब हम लोग भी बैठते थे तो इस बात की तैयारी करके आते थे कि क्या इस बात की सत्यता है कि नहीं, इस सदन की पूरी कार्यवाही आपकी अनुमति से मान्यवर, चलती है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कार्यवाही से निकालने की रूलिंग को चुनौती दे दी। ३०४ में आपको अधिकार है, "यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।" कोई 'ऐसा शब्द या ऐसे शब्द' का मतलब केवल कुछ ऐसे शब्दों से ही नहीं है, वाक्यों से भी है यदि उनमें इस प्रकार के पूरे शब्द हों तो आपको पूरा अधिकार है निकालने का। पूरा भाषण भी निकाल सकते हैं, अगर आपकी अनुमति है, क्योंकि आपने कोई ऐसा अधिकार दिया ही नहीं था कि वह उठ कर इस प्रश्न को उठाते।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैंने नियमानुसार आपके संज्ञान में इस प्रश्न को ला दिया था। मैंने यह नियमानुसार उठाया।

श्री अध्यक्ष--

शतरुद्र प्रकाश जी, मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री मधुकर दिघे--

नियम २८७, जिसका हवाला माननीय कल्प नाथ सिंह ने दिया, तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। २८७ में है कि जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो अध्यक्ष नाम पुकारेंगे। तो बोलने का अधिकार नहीं है जबतक नाम न पुकारेंगे। जब बोलने का अधिकार नहीं है तो वह कार्यवाही का अंग कैसे होगा? चूंकि इजाजत नहीं थी इसलिए यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। यह निश्चय है। इस निश्चय पर माननीय तिवारी जी को विचार करना चाहिये था। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि वह इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, कभी भी चाहते हैं तो उनको पूरा अधिकार है। लेकिन उसके लिए, के अनुसार उसको उठायें। इस प्रश्न पर माननीय विद्युत मन्त्री जी से मैं

निवेदन करूंगा कि जब यह प्रश्न नियमानुसार उठे तभी जवाब दें। यही मेरी राय है।

(शोर)

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब कोई विवाद नहीं होगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, वह कार्यवाही का अंग होगा या नहीं ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

आपने तो इसको कार्यवाही से निकाल दिया। लेकिन क्या यह अखबारों में निकलेगा। अगर निकल गया तो सारी दुनिया में निकल जायगा। तब लोगों के दिमाग से कैसे निकलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न जो उपस्थित किया गया है, पहला व्यवस्था का प्रश्न श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किया। उनका प्रश्न यह था कि अध्यक्ष को कोई अधिकार, जो शब्द कहे गये हैं, निकालने का नहीं है, यदि वह नियम के विरुद्ध भी हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

(बैठे बैठे) नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

देव बहादुर जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आप बैठकर टिप्पणी करना बन्द करें।

(शोर)

श्री देव बहादुर सिंह--

उधर से सारी बातें कही गयीं। आप चेतावनी मुझको दे रहे हैं। ऐसे सदन आप चलायेंगे ?

(शोर)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

किस बात की चेतावनी उनको दे रहे हैं ?

(शोर)

श्री श्यामधर मिश्र--

जिसको चेतावनी देनी चाहिये, उसको दीजिये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप शांत रहिये ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, व्यवस्था देने के पहले जरा सुन लें। आपने नहीं रोका । शत्रुद्ध प्रकाश जी उठा रहे थे । राम अधार राय जी के पास कापी थी । शत्रुद्ध प्रकाश जी ने कहा कि इस तरह की पत्र-पत्रिकायें नहीं पढ़नी चाहिये । किसके बारे में था यह मैं नहीं जानता । इधर से किसी भी माननीय सदस्य ने न चोर कहा है न डाकू कहा है और न किसी पत्रिका का उद्धरण दिया है । उधर से माननीय सदस्यों ने सब बातें कहीं हैं । इधर के माननीय सदस्यों ने कहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और मंत्रि मंडल से भी क्षमा चाहता हूं । उसके बावजूद आप चेतावनी माननीय देव बहादुर सिंह को दे रहे हैं । माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि आप निकाल नहीं सकते । आपको निकालने का अधिकार है, अगर कोई बात संसदीय प्रणाली के विरुद्ध हो तो निकाल सकते हैं । अगर ऐसी बात तिवारी जी ने कही तो मैं समझता हूं कि उनकी जानकारी संसदीय प्रणाली की नहीं है । इसमें जितने लोग बैठे हुये हैं, माननीय अध्यक्ष समेत, सबसे ज्यादा संसदीय प्रणाली की जानकारी माननीय नारायण दत्त तिवारी को है, यह मैं कहना चाहता हूं । इसलिए अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है । इस पर उत्तेजित होने का प्रश्न नहीं है । आप किसी भी शब्द को, वाक्य को जो संसदीय प्रणाली के अनुकूल न हो, निकाल सकते हैं । इसलिये उसपर व्यवस्था न दें । आपके अधिकार को मैं चुनौती नहीं देना चाहता हूं । बाकी जो प्रश्न है उस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो प्रश्न उपस्थित किया कि किसी कार्यवाही से जब तक कोई अंश असंसदीय न हो, आपत्तिजनक न हो तब तक अध्यक्ष को निकालने का अधिकार नहीं है । तो तिवारी जी, जैसा ऊदल जी ने कहा मैं मानता हूं कि वह व्यवस्था के नियमों के ज्ञाता हैं, लेकिन पूरी तरह से जानबूझकर यदि वह गलत मुकदमे की पैरवी करने लगें तो नियम की वह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । जैसा कल्पनाथ जी ने, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि नियम, २८७ में लिखा है--"जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे । यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायें तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायेगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा ।" मैंने श्री शत्रुद्ध प्रकाश को नहीं पुकारा । इसलिए मैंने कहा वह जो कुछ बोल रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं । अब श्यामधर मिश्र जी ने मेरा ध्यान नियम ३०४ की ओर आकर्षित किया । तो उसमें लिखा है कि—"यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि वह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं बनेंगे ।" जब मेरे बिना पुकारे हुए कोई सदस्य बोलता है तो वह नियम के विरुद्ध है । जैसा कल्पनाथ जी ने कहा कि यदि सदस्य बिना अनुमति के बोलने के लिए खड़े हो जायें तो एक साथ १०० या ५० सदस्य भी खड़े हो सकते हैं तो कार्यवाही नहीं चल सकती है । इसी प्रकार पहले की व्यवस्था को यदि आप देखें तो कौल और शकधर की अंग्रेजी किताब में पेज ८५२ में लिखा है कि जहां पर कोई सदस्य बिना अध्यक्ष के पुकारे हुए यदि वह अध्यक्ष के मना करने पर बोलता चला जाय तो अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि वह उसे कार्यवाही से निकाल दे । इसी प्रकार यदि कोई सदस्य बराबर किसी दूसरे सदस्य के भाषण में व्यवधान डालते हैं, किसी मंत्री के भाषण में व्यवधान डालते हैं, तो स्पीकर का अधिकार है कि वह इस तरह के व्यवधान को कार्यवाही से निकाल सकता है । इसी नियम का निराकरण करते हुए १९६३ में श्री नेकराम शर्मा ने एक प्रश्न उठाया था कि 'आप की तो रोजमर्रा सदन में आदत पड़ गई है कि जो आदरणीय सदस्य कहें उनकी बात को एक्सपंज करते हैं, माननीय सदस्य का अधिकार है कहने का कि हर वस्तु को इक्सपंज नहीं कर सकते हैं, आपको यह अधिकार नहीं है । अध्यक्ष ने कहा—यह बात गलत है कि मैं एक्सपंज कर रहा हूं । यदि कोई माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बोलते हैं तो यह अनियमित है और जितनी बात वह कहेंगे वह रिकार्ड में नहीं आ सकती इसलिए कि वह बिना मेरी अनुमति के बोलते हैं । तो मैं बोल रहा था कि किसी कारण से स्वीकार नहीं कर रहा हूं । तो १९६३ में और इसी तरह का १७ मार्च, १९६४ को भाषण था । तो आपत्तिजनक भाग को कार्यवाही से निकाले जाने की अध्यक्ष की व्यवस्था के श्री टम्बेश्वर प्रसाद और श्री काशी नाथ मिश्र ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो अध्यक्ष ने निर्णय दिया था ।

ये सब बातें जो अनुचित रूप से यहां कही जा रही हैं वे रिकार्ड के अन्दर नहीं हो सकती है) । इसी तरह से सन् १९६५ में २७ अप्रैल को हुआ था कि बिना अनुमति के बोले हुए अंश अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही से निकाले जा सकते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

यह ठीक है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोले हुए अंश रिकार्ड से निकाले जा सकते हैं । इसे फिर आप सुना क्या रहे हैं ? आप आगे की कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये श्री शाही न जो कुछ कहा उसे एक्सपंज किया गया और वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा । अब यह विवाद समाप्त किया जाता है और अब आगे की कार्यवाही चलेगी ।

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

जो कुछ कहा गया है वह बेबुनियाद बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तथ्यों से परे हैं । उसके बारे में कहने का मुझे अवश्य हक है ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के लिए समय के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी २३ अगस्त, १९७८ की बैठक में अपनी २२ अगस्त, १९७८ की संस्तुतियों पर पुनर्विचार करके यह सिफारिश की है कि सदन के २३ अगस्त, १९७८ से २८ अगस्त, १९७८ तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्य म रखा जाय :—

बुधवार, २३ अगस्त, १९७८

(क) अपराह्न ४·३० बजे तक निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव :—

(१) मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८,

(२) उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८, एवं

(३) उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ ।

(ख) तदुपरान्त प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर ०८·०० बजे अपराह्न तक चर्चा ।

गुरुवार, २४ अगस्त, १९७८—

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव :—

(१) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८,

(२) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८,

(३) उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ एवं,

(४) उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ ।

सोमवार, २८ अगस्त, १९७८—

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(१) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८;

(२) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८,

(३) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८; तथा

(४) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

अब नियोजन राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य लिया जायगा ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरीगढ़वाल)—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न नहीं लिये गये ?

श्री अध्यक्ष—

आज समय नहीं है, कल लिये जायेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक विशेषाधिकार की सूचना तोमर जी ने दी है । उनका विषय मालूम हो जाता । बहस चाहे आप कल करायें ताकि लोग तैयार होकर आयें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

तोमर जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है । वह पेश हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अगर, इन विषयों को लेंगे तो.... आप देखते हैं कि आज समय कम है । इसलिए कल प्रश्नों के तुरन्त बाद इन प्रश्नों को ले लिया जायेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

लेकिन मान्यवर, सूचना तो मिल जाय कि... ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

विषय क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय तोमर जी ने उनको दिया है । हम जानना चाहते हैं कि किस किस्म का प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—

कल जितने प्रश्न होंगे, आ जायेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, हम तो केवल सूचना चाहते हैं कि विषय कौन सा है। आप कल ले लें। मेरा निवेदन था कि यहां पर विषय उठा। उस विषय पर चर्चा हुयी। आपने स्वयं कहा कि आपको विशेषाधिकार का प्रश्न मिला है। उसी बात पर श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने कहा। तो कृपया सूचना दे दें कि विषय क्या है।

श्री अध्यक्ष--

यह सभी सूचनायें कल आपको मिल जायेंगी।

दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य नियोजन मंत्री का शोधन वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ को सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सोहन वीर सिंह तोमर तथा ऊधल के अनुपूरक प्रश्नों के सदन में उत्तर दिए गये थे कि २२ हजार शिकायती-पत्र शाह जांच आयोग से आये हैं। इसके अतिरिक्त इसी सूचना के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने श्री तोमर के प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया था कि २०,००० शिकायतें हैं। उक्त उत्तर ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार हैं :--

२५ जून, १९७५ से २० मार्च, १९७७ तक आपात् स्थिति में हुई ज्यादतियों की शिकायतों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश श्री जे० सी० शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग को सहायतार्थ आयोग के सुझाव एवं भारत सरकार की स्वीकृति से एक आपादतिरेक जांच अधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष हाई कोर्ट इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री गंगेश्वर प्रसाद हैं।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४३९ पर)

छात्र-छात्राओं को नियंत्रित मूल्य पर कापियां न मिलने के कारण असुविधा के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

मान्यवर, बाजार के कागज पर उपलब्ध अभ्यास पुस्तिकाओं के अतिरिक्त, कम मूल्यों पर कुछ निर्धारित प्रकार की अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था गत तीन वर्षों से राज्य सरकार द्वारा की गई। इन निर्धारित मूल्य की कापियों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य के कागज का आवंटन कापी निर्माताओं को किया जाता है। यह कागज निश्चित मात्रा में प्रति त्रैमास में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता है और मिलों से इनकी उपलब्धता तथा नियंत्रण केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय करता है। इस वर्ष त्रैमासिक सत्र के प्रारम्भ में अभ्यास पुस्तिकाओं की उपलब्धता में

जो कठिनाई हुयी उसका मुख्य कारण मिलों से इस हेतु रियायती मूल्य का कागज अत्यन्त विलम्ब से प्राप्त होना है। इसके अतिरिक्त २००० टन कागज मेसर्स बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज को इस राज्य को कापियां भेजे जाने के लिए भारत सरकार ने विशेष कर कागज उपलब्ध कराया था उसमें से केवल ७०० टन कागज की कापियां ही उपलब्ध हुई जिसके फलस्वरूप भी अभ्यास पुस्तिकाओं की कमी हुई।

२—अप्रैल, जून तथा जुलाई, सितम्बर, १९७८ के त्रैमासों में, विशेष प्रयास करने पर भारत सरकार ने क्रमशः ५,००० टन और ४,००० टन कुल ९,००० टन कागज अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए आवंटित किया। परन्तु इसमें से जून के अन्त तक २,२०० टन कागज ही मिलों ने भेजा जब कि गत वर्ष अप्रैल, जून, १९७७ के त्रैमास में ६,००० टन कागज भारत सरकार ने आवंटित किया था और लगभग ५,००० टन कागज जून तक उपलब्ध हो गया था।

३—यदि इस वर्ष भी कागज मिलों द्वारा शीघ्रता से सप्लाई कर दिया जाता तब भी जुलाई में पर्याप्त अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध हो ही जाती। मिलों द्वारा देरी करने पर, राज्य सरकार और भारत सरकार के उद्योग तथा शिक्षा मंत्रालय ने मिलों से कई बार अनुरोध किया। केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी को भी लिखा गया। इसके उपरान्त भी अगस्त मास के द्वितीय सप्ताह तक अप्रैल, जून त्रैमास का ३,६०० टन जुलाई, सितम्बर के त्रैमास का ९५० टन कुल ४,५५० टन कागज ही मिलों द्वारा भेजा गया है। अतः अब कापियों की उपलब्धता की स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है। जिन मिलों से अब भी कागज आने में विलम्ब हो रहा है, उनके लिए केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय से कार्यवाही करायी जा रही है। केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया है। मिलों से और अधिक कागज की उपलब्धि होने पर, पूर्ण आशा है कि यह अस्थायी कमी शीघ्र दूर हो जायगी।

4—गत मई मास के मध्य में जब यह स्थिति ज्ञात हुयी कि मिलों द्वारा कागज भेजने में विलम्ब हो रहा है, उसी समय से एक ओर तो मिलों से अधिक कागज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से प्रयास किया गया और दूसरी ओर शिक्षा निदेशक को यह निर्देशित किया गया कि सत्र के प्रारम्भ में केवल आवश्यकतानुसार सीमित संख्या में कापियां क्रय करायी जायं, और शनैः शनैः जब अधिक कापियां मिलने लगें, तब शेष कापियां क्रय करायी जायं। जिलाधिकारियों से यह अनुरोध किया गया कि वे कापी निर्माताओं के स्टाक का निरीक्षण करें और तलाशियां भी लें जिससे जमा खोरी या राज्य के बाहर निर्यात न हो। यह उल्लेखनीय है कि इन अभ्यास पुस्तिकाओं को आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुयें घोषित किया जा चुका है और उस आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी करके इनके मूल्यों और निर्माण पर नियंत्रण जिलाधिकारियों के माध्यम से रखा जाता है। जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार रियायती मूल्य के कागज को अभ्यास पुस्तिकाओं को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत सही नहीं पायी गयी है।

जी० पी० ओ० पार्क, लखनऊ के सामने एक जुलूस पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

माध्यवर, उत्तर प्रदेश नौजवान सभा ने दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को झण्डे वाला पार्क, अमीनाबाद से जी०पी०ओ० पार्क, हजरतगंज तक जलूस निकालने के एवं

[श्री राम सिंह]

जी० पी० ओ० पार्क में आम सभा करने की जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी जो उन्हें दे दी गयी थी ।

२--दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को झन्डे वाला पार्क, अमीनाबाद से लगभग ११·२५ बजे करीब १,००० व्यक्तियों का एक जलूस चला । जलूस में लोगों के पास लाठियों में लगे हुए झण्डे, पोस्टर, प्लेकार्ड आदि थे तथा जलूस के लोग उत्तेजनात्मक नारे लगाते जी० पी० ओ० पार्क तक आये । वहां पहुंचने पर जलूस पार्क में न जाकर विधान सभा की ओर उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए बढ़ने लगा । मौके पर तैनात पुलिस एवं मजिस्ट्रेट ने उन्हें समझाया-बुझाया तथा जी० पी० ओ० पार्क में जाने का अनुरोध किया । इस पर जलूस के लोग और अधिक उत्तेजित होकर विधान सभा की ओर जाने लगे । पुलिस एवं उपस्थित मजिस्ट्रेट ने उनसे अनुरोध किया कि वे निषेधाज्ञा को भंग न करें परन्तु भीड़ ने नहीं माना और अधिक उत्तेजित होकर लाठियों एवं डंडों से पुलिस पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ी । इस पर पुलिस ने विधिवत चेतावनी देने के पश्चात हिंसा पर उतारू भीड़ को हटाने के लिए हल्का लाठी चार्ज किया । भीड़ के बाकी लोग अशोक मार्ग पर जाकर ईंटे, पत्थर, लाठी, डंडे चला कर क्षति पहुंचाने लगे तथा पुलिस पर भारी पथराव किया । वहां भी पुलिस ने उन्हें तितर-बितर किया ।

३--इस घटना में एक प्लाटून कमान्डर के सिर में गम्भीर चोट आयी तथा ८ पुलिस कर्मचारियों तथा जलूस के ११ व्यक्तियों के चोटें आयीं । सिटी मजिस्ट्रेट को भी चोट आयी है । इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७ के अन्तर्गत २७ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है ।

इसमें मुझे एक सूचना और शामिल करनी है । इसमें ११ व्यक्तियों के बारे में सूचना है । इनके अतिरिक्त १० व्यक्तियों की जेल से डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट और आयी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

आपने लड़कों को पुलिस द्वारा पिटवा दिया । अब जो लड़के जेल में बंद है उनको भी कृपया रिहा करने के आदेश कर दें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

इसमें लिखा है कि इस सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७ के अन्तर्गत २७ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है । मैं जानकारी चाहता हूं कि लोगों को जो चोटें आयी हैं उस सम्बन्ध में क्या कोई रिपोर्ट ली गई है ?

श्री राम सिंह--

११ व्यक्तियों की चोटों की सूचना तो इस रिपोर्ट में दी है और १० अन्य व्यक्तियों की जो जेल चले गये थे सूचना आयी है । वहां डाक्टरी मुआयना किया गया और साधारण किस्म की चोटें हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या मंत्री जी उन विद्यार्थियों को जो जेल के अन्दर बन्द हैं, रिहा करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इसमें विधिवत रिपोर्ट दर्ज हुई है और मुकदमा कायम हुआ है। अब जो कानूनी कार्यवाही होगी, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

(श्री मित्र सेन के खड़े होने पर) उस रोज भी मैंने कहा था कि इस प्रकार के विषयों में ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं होंगे। अब इस पर स्पष्टीकरण हो चुका। अब आप बैठें।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कौन-कौन सी दफायें हैं ?

श्री राम सिंह--

दफा ३२३, ३३२ और १४७ वगैरह हैं।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ६४(३) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ६४(३) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ६४(३) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ६४ (३) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा की कतिपय समितियों तथा स्थायी समितियों में रिक्त स्थानों पर सदस्यों के नाम निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष १९७८-७९ के लिए गठित लोक लेखा समिति में ४ स्थान, प्राक्कलन समिति में एक स्थान, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में २ स्थान तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में २ स्थान एवं वर्ष १९७८-७९ के लिए गठित मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों में से सहकारी स्थायी समिति, श्रम स्थायी समिति तथा कृषि तथा पशुपालन स्थायी समितियों में क्रमशः एक-एक स्थान की आकस्मिक रिक्तयां हैं।

सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्तावों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलंबित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को इन समस्त समितियों में उक्त आकस्मिक रिक्तियों पर विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि ऐसे नाम-निर्देशन उक्त समितियों में सम्बन्धित नियम एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष १९७८-७९ के लिए गठित लोक लेखा समिति में ४ स्थान, प्राक्कलन समिति में एक स्थान, सार्वजनिक

उपक्रम एवं निगम समिति में २ स्थान तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में २ स्थान एवं वर्ष १९७८-७९ के लिए गठित मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों में से सहकारी स्थायी समिति, श्रम स्थायी समिति तथा कृषि तथा पशुपालन स्थायी समितियों में क्रमशः एक-एक स्थान की आकस्मिक रिक्तियां हैं ।

सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्तावों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलंबित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को इन समस्त समितियों में उक्त आकस्मिक रिक्तियों पर विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि ऐसे नाम-निर्देशन उक्त समितियों में सम्बन्धित नियम एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, विशेषाधिकार समिति आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

चूंकि श्री भगवती सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री दीनानारायण पाण्डेय एवं श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री मोती लाल देहलवी सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन के अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी० पी० वरुण, तत्कालीन सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वेद प्रकाश गौतम, थानेदार नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पीलीभीत की बस नं० २२५५ के ड्राइवर एवं कन्डक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, तथा

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

श्री राम गोविन, सदस्य, विधान सभा द्वारा गोरखपुर के ट्रैफिक कान्स-टेबिल नं० २७३ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न, विशेषाधिकार समिति को माननीय अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर वर्ष १९७७ एवं वर्ष १९७८ में निर्दिष्ट किये गये थे, किन्तु समिति ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात् पूर्णतया गठित होने पर १३ मई, १९७८ से ही अपना कार्य करना प्रारम्भ किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को अपना प्रतिवेदन १३ जून, १९७८ तक दे देना था,

और चूंकि समिति इस समय के भीतर उपर्युक्त छहों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है। अतः यह सदन निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति ने जो प्रस्ताव रखा है कि समिति इस समय के भीतर उपर्युक्त छहों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है, अतएव यह सदन निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८†

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ के पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काली चरण—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†दिनांक २३ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, १९७८ को वापस लेने का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, १९७८, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक ११ मई, १९७८ को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा विवादास्पद विधेयक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज स्टे भी दे दिया है इस सम्बन्ध में । मैं जानना चाहूंगा कि वापस करने का क्या कारण है, स्टे आर्डर का प्रभाव है या शासन ने नीतिगत रूप से वापस ले लिया है ? आप उस समय के जो अध्यापक हैं उनको रखना चाहते हैं । क्या बात है, स्पष्ट कर दें ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

ठीक यही प्रश्न मेरा था ।

श्री काली चरण--

यह गत सत्र जो चल रहा था उसमें यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उस समय विचार नहीं हो सका और आपकी अनुमति से इस सदन में इस सत्र में प्रस्तुत किया जा चुका है । इस लिए पिछले सत्र में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसे वापस लेने की अनुमति मांग रहा हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

रीजन ?

श्री काली चरण--

कारण बताया कि गत सत्र में उपस्थित किया गया था । सत्र समाप्त होने के पहले इस पर विचार नहीं हो सका । इस सदन में यह पुनः उपस्थित किया जा चुका है जो विगत सत्र में उपस्थित किया गया था । उसे वापस लेने की अनुमति मांग रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उनका यह कथन है कि नया विधेयक उन्होंने उपस्थित किया है । वह पुरःस्थापित हो चुका है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो सत्र का नाम न लें ।

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि पिछले सत्र में जो पेश किया था उसको वापस कर रहे हैं। नया बिल पेश किया है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, १९७८, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक ११ मई, १९७८ को पुरः स्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज कार्यस्थगन के लिए श्री देवबहादुर जी का एक प्रश्न मुझे मिला है। श्री राज बहादुर यादव, सदस्य विधान सभा की २१ अगस्त को जिला अस्पताल, मिर्जापुर में डाक्टरों की लापरवाही से इंजेक्शन लगाने के कारण मृत्यु हो गयी। इस पर जब तक शासन की पूरी रिपोर्ट न आ जाय, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने कहा है, वह इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करके रिपोर्ट मंगा, इस पर जब तक रिपोर्ट न हो इस पर कार्यस्थगन करके कोई विचार नहीं हो सकेगा।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

एक बात सुन लें। संदिग्ध अवस्था में उनका देहावसान हुआ है, पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाने से बहुत से मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, प्रदेश और देश में। डाक्टर ने वह इंजेक्शन लगाने में सतर्कता नहीं बरती, टेस्ट करके नहीं लगाया। दूसरी बात यह संदिग्ध है कि जानबूझ कर ऐसा काम तो नहीं हुआ है। एक विधायक की मौत हो जाय और हम लोग चुपचाप बैठे रहें। कार्यस्थगन का जो अधिकार मिला है, उसका हम अपने लिए भी प्रयोग न कर सकें तो काहे के लिए आपने यह अधिकार दे रखा है। किसी विधायक की किसी की लापरवाही से, या उसके जानबूझ कर किसी कार्य से मौत हो जाय और हम मौन बैठे रहें यह कैसे हो सकता है? मान्यवर, हम को अवसर दें। कोई सूचना उनको मिल गयी होगी। वह मौन हैं। हम कैसे मौन रहें? एक घंटे में, आध घंटे में रखवा दें, बतला दें।

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या इस सम्बन्ध में आपको कोई सूचना मिली है या नहीं? कृपया आप इस सम्बन्ध में शीघ्र ही किन परिस्थितियों में श्री राजबहादुर यादव की मृत्यु हुई इसका पूर्ण विवरण सदन के सामने रखें। अगर आपको कोई सूचना हो तो कृपया सदन को सूचित करें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

मान्यवर, आज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से सदन को अवगत कराऊंगा कि किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

समय तो बतावें ।

श्री अध्यक्ष--

रिपोर्ट तो मंगाने दीजिए । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप इसे शीघ्रातिशीघ्र मंगावें । बेहतर तो यह होगा कि २८ तारीख को अवश्य सदन में सूचित करें ।

श्री कल्याण सिंह--

२८ तारीख को सदन में सूचित कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्यामधर मिश्र जी ने एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है....।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक प्रक्रिया चल रही है छठी पंचवर्षीय योजना की । उसमें हमें नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है ? ३०० करोड़ केन्द्र दे रही है और ५०५ करोड़ प्रान्तीय सरकार मांग रही है । इस पर कम से कम माननीय सदस्यों की राय सरकार को मालूम होनी चाहिए । इसीलिए मैंने यह कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है । ५०५ करोड़ की संख्या आयी, क्या कमी होनी चाहिए । इसके सम्बन्ध में क्या सुझाव है माननीय सदस्यों के जिससे इसमें कोई सुधार हो । ५०५ करोड़ से अधिक हो या कम हमारी राय करके माननीय सदस्यों से राय करके सरकार केन्द्रीय सरकार के पास जाये, तो सही है । हम अखबारों से सुन रहे हैं कि ३८० करोड़ की योजना स्वीकार हो रही है । ५०५ करोड़ क्यों मांग रहे हैं ? इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है । इसलिए हम चाहते हैं कि विवाद हो ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न माननीय श्यामधर मिश्र ने प्रस्तुत किया है, वह मंत्रि मंडल के सदस्यों की जानकारी में आ गया है और कार्य-स्थगन करके इस पर बहस नहीं की जा सकती है लेकिन मैं मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करें कि ६ठीं योजना का प्रारूप यदि बन गया है तो सदन को जानकारी दें और उनके सुझाव से लाभान्वित हों । इसके लिए इस पर विचार कर । इसलिए इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८†

*परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये । मान्यवर परिवहन निगम में बिना टिकट चलने वालों की एक बड़ी समस्या है । इससे निगम की आय में तो हानि होती है उसके साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ़ता है । इस चीज को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है । अभी तक यात्रियों को टिकट लेने की जिम्मेदारी नहीं थी, अगर कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता था तो उसकी जिम्मेदारी

†दिनांक २२ मार्च, १९७८ से असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री आबिद अली—]

स्टाफ पर आती थी और उसी के विरुद्ध ऐक्शन होता था, लेकिन यात्रियों पर कोई ऐक्शन नहीं होता था। इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि अगर कोई यात्री बिना टिकट चलता पाया जायेगा तो उस पर पेनाल्टी होगी। अगर ५ रुपये से ज्यादा किराया है तो किराया और पैसेन्जर टैक्स की डबल पैनाल्टी ली जायेगी और अगर ५ रुपये से कम है तो किराया और पैसेन्जर टैक्स और ५ रुपये जुर्माने की शकल में लिए जावेंगे। अब अगर वह यात्री उस रकम को उसी समय दे देता है तो ठीक है और अगर नहीं देता है और कहता है कि हम नहीं देंगे या हमारे पास नहीं है तो उसका चालान करके उसको पुलिस स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया जायेगा और उस पर मुकदमा चलायेंगे। १०० रुपये से लेकर ३०० रुपये तक जुर्माना हो सकता है और अगर वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और अपना केस कम्पाउन्ड कराना चाहता है तो....।

(इस समय २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

इस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट ने जो अफसर इस काम के लिए नियुक्त किया होगा वह, जो पैसा उसको देना चाहिए था वह लेगा और कम्पाउन्डिंग फीस पहली मर्तबा में सौ रुपये और आधी यानी ५० रुपये तक और इसके बाद में ३०० रुपया और उसका आधा १५० रुपया लेकर कम्पाउन्ड कर देगा। इस तरीके से यह यात्रियों की जिम्मेदारी हो जायेगी कि वह टिकट लें। इसमें एक संशोधन यह भी किया गया है कि अब यात्रियों पर यह जिम्मेदारी हो जायेगी कि जब वह यात्रा करने चलें तो टिकट भी ले लें और यह घोषित कर दें कि हम बस से सफर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे रियासत हुसैन साहब भी इससे सहमत होंगे और इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं। इससे हमारे निगम की आय भी बढ़ेगी और जो गड़बड़ियां हैं वे भी कम होंगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

'मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।'

श्रीमन्, मैं कोई ज्यादा वक्त इसमें नहीं लूंगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि भले ही देर से यह एक अच्छा काम उन्होंने किया है लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा गम्भीरता से देखा तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि इससे पहले कि इसे सदन के अन्दर पुरःस्थापित किया जाता और सदन की अनुज्ञा मांगी जाती, इसको आपने गौर से देखा नहीं। सरकारी अफसरों ने जिस रूप में बनाकर दे दिया बिना उसकी चेकिंग और तबदील किये वह पुरःस्थापित हो गया। मैं यह नहीं समझ पाया कि एम० एण्ड आब्जेक्ट्स को मंत्री जी गौर से देखें तो उसमें स्पष्ट है कि १०० रुपये पहली बार और जेल भी उसको हो सकती है। जेल के लिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है परन्तु मंत्री जी ने अपने भाषण में इसकी चर्चा नहीं की। केवल कस्टडी की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कही है। मन्त्री जी ने कहा कि अगर वह जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाता है तो मामला कम्पाउन्ड कर के उसको कस्टडी से छोड़ दिया जाय। इसलिए मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है उद्देश्य और कारणों में जेल शब्द कैसे नहीं लिखा गया है।

दूसरी बात, मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह स्पष्ट नहीं की कि यह केवल सरकारी बसों पर लागू होता है या निजी बसों पर भी। इस प्रदेश के अन्दर सैकड़ों और हजारों की तादाद में निजी बसें चल रही हैं। लखनऊ शहर के अन्दर ही पचासों बसें चल रही हैं और जो उनका हाल है वह सभी जानते हैं। माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा। किस तरीके से बसों के अन्दर आदमियों को भरा जाता है। लड़कियां उनमें चढ़ ही नहीं सकती। कोई भी आसानी से उनमें सफर कर नहीं सकता। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं कि जो बिना टिकट यात्रा करेगा तो सजा का मुस्तहक होगा और आप की आमदनी के बढ़ने से सम्बन्धित है तो जितनी भी बसेज आप के कन्ट्रोल में होंगी, चाहे वे प्राइवेट हों, कन्ट्रक्ट पर ली हों, या रोडवेज की हों सब के ऊपर ये लागू होना चाहिये और इस ऐक्ट में इसका स्पष्ट रूप से प्राविधान होना चाहिये। इसलिए मैंने अपने प्रस्ताव में केवल एक सप्ताह का समय मांगा है ताकि जो इसमें त्रुटियां रह गई है, उनको प्रवर समिति अपनी १ या २ मीटिंग कर के ही दूर कर देगी और देख लेगी कि ये कमियां क्यों रह गई हैं।

जहां तक चैकिंग का प्रश्न है आप देखें कि आप की जो रोडवेज की बसेज हैं उनमें कोई भी यात्री बिना कन्डक्टर और ड्राइवर की मर्जी के यात्रा नहीं कर सकता है। उ की उस यात्रा में कन्डक्टर और ड्राइवर से मिलीभगत होगी या अनऔथो राइज्ड रूप से कन्डक्टर और ड्राइवर की जेब में पैसा जाता होग। जब वे उस बस में आप के आदमी मौजूद होंगे तो बिना उसकी मर्जी के कोई कैसे यात्रा कर सकता है। अगर उन कन्डक्टर और ड्राइवर के लिए भी सजा का प्राविधान कर दिया जाता तो बात समझ में आती लेकिन आप ने कन्डक्टर और ड्राइवर को छोड़ दिया है। आप को मालूम होगा कि जब यात्री बैठ जाते हैं, तो कन्डक्टर सवारियों को गिनता है और ड्राइवर गाड़ी को नहीं चलाता है जब तक कन्डक्टर सीटी नहीं बजाता। तो जो यात्री चल रहा है जिन ने कन्डक्टर को पैसा दे दिया है वह तो १००, २०० रुपये जुर्माना या जेल का मुस्तौजित होगा लेकिन जिनके मश्विरे से या साजिश से वह बिला टिकट चल रहा है उसको कोई सजा नहीं मिल सकेगी। जिसने हकीकत में पैसा दे दिया उसको तो आपने सजा दे दी लेकिन जिन्होंने पैसा अपनी जेबों में रखा उन्हें कोई सजा नहीं दी। तो इन सब बातों को आधार मान कर मैं समझता हूं कि इस विधेयक के एम्स और ओब्जेक्ट्स में जो विरोधाभास हो गया है उसे दूर करा लिया जाय। उद्देश्य और कारणों में तो इम्प्रिजनमेंट का शब्द साफ है लेकिन क्लाजेज में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। क्लाज वाली चीज सही मानी जाय या उद्देश्य और कारण वाली चीज सही मानी जाय। भाषण में भी जेल के बारे में नहीं कहा गया तो लिखित को सही माना जाय या जबानी को सही माना जाय तो यह जो कन्ट्राडिक्शन हैं ये जो त्रुटियां हैं और आप की जो कन्ट्रेक्ट पर ली बसें हैं, जिनकी छतों पर भी आदमी बैठ कर सफर करते हैं, उन पर भी यह ऐक्ट लागू हो, मैंने अपने प्रस्ताव में केवल १ सप्ताह का समय मांगा है ताकि प्रवर समिति सम्यक रूप से इस छोटे से विधेयक पर विचार कर के अपना प्रतिवेदन दे दे।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है जो संक्षिप्त है और जनहित में है और इसकी बहुत ही आवश्यकता है। श्रीमन्, मुझे खुशी है कि माननीय रियासत साहब ने सिद्धान्तः इस विधेयक का समर्थन किया है। यह सही है कि मन्त्री जी का एक सीमित उद्देश्य है और रियासत साहब कुछ और उसमें चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी भावनाओं का भी उसमें समावेश हो जाये। सरकार जो भी विधेयक लाती है वह किसी खास उद्देश्य को लेकर लाती है। इस दृष्टि से यह विधेयक अपने में पूर्ण है।

यह कहा गया कि इसमें जेल का प्राविधान नहीं है, केवल जुर्माने का ही है। अगर किसी यात्री के पास उस समय जुर्माना देने के लिए रुपये नहीं हुये तब क्या होगा? क्या उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा? तो यह तो उसमें निहित है ही।

माननीय रियासत जी ने एक बात यह कही कि जो यात्री बिना टिकट चढ़ेगा वह बिना ड्राइवर या कन्डक्टर की मर्जी के नहीं चढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है। यही विधान सभा के सामने ही हम देखते हैं और आये दिन सुनते भी हैं कि तमाम लोग बिना टिकट बिना ड्राइवर और कन्डक्टर की इजाजत के चढ़ जाते हैं और यहां तक होता है कि कन्डक्टर जब टिकट के लिये कहता है तो उसे चाकू तक दिखाया जाता है, अराजकता की यह हालत है। अराजक तत्व तमाम इस तरह से बिना टिकट जबरदस्ती चढ़ जाते हैं। इन कन्डेक्टरों के पास पुलिस तो होती नहीं। (व्यवधान)।

एक सदस्य--

यह जनता पार्टी की देन है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

देन तो कांग्रेसी शासन की है जो ३० वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं। जनता पार्टी तो असलियत को स्वीकार करती है और दोषों के निराकरण के लिये प्रयास करती है। इसी के लिये यह विधेयक लाया गया है।

ड्राइवर और परिचालकों के लिये भी पहले से कानून तो था, पर उसका जितनी कड़ाई से पालन होना चाहिये था वह नहीं हो रहा था। कितने ही परिचालक इस अपराध में पकड़े गये पर उनके साथ रियायत बरती गई, उनको छोड़ दिया गया। मैं अपने लिए यह कह सकता हूं कि मैंने आज तक किसी भी परिचालक के लिये सिफारिश नहीं की। अगर इस जुर्म में कोई परिचालक पकड़ा जाता है और आप उसे छोड़ देते हैं तो इससे आप देश का कल्याण नहीं कर सकते। जिस प्रकार ट्रेनों में बिना टिकट पकड़े गये लोगों को सजा दी जाती है इसी प्रकार इसमें भी प्राविधान होना आवश्यक है। अगर उनको सजा देने का प्राविधान बन जायगा तब निश्चित रूप से वह टिकट लेंगे और मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था न रहने से ही उन यात्रियों की कन्डक्टर और ड्राइवर से साठ-गांठ होगी। जब यह व्यवस्था बन जायगी तो आप का जो भय है कि साठ-गांठ यात्रियों से हो जायगी, वह नहीं हो पायेगी, क्योंकि जब पकड़ा जायगा, जैसे ट्रेन में टी० टी० आता है, चेकिंग होती है, तब वह भाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है, ठीक उसी सूरत में पकड़ा गया, तो हमको दंड देना पड़ेगा, इसलिये बहु एक भावना फैलेगी, लोगों के अन्दर टिकट खरीदने की और आय बढ़ेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि आपकी भावनायें ठीक हैं। यह विधेयक बहुत सैद्धांतिक है। इस विधेयक को जल्द से जल्द पास करना चाहिये।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, अभी माननीय मन्त्री जी को मैं सुन रहा था, वैसे मोटर वेहिकिल्स विधेयक ऐसा नहीं है जिसके उद्देश्य के साथ कोई नुक्ताचीनी बहुत की जाय, लेकिन माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो तर्क उपस्थित किया है वह अकाट्य है। अगर देखा जाय धाराबार जो जो विषय रखे गये हैं, उनको सचमुच इतनी जल्दी में प्रतिपादित कर देना, पास कर देना बिना बहुत विचार किये हुए और बिना उन तमाम परिणामों को सोचे हुए मैं समझता हूं कि सरकार के लिए भी बहुत उचित और ठीक न होगा। अभी माननीय रियासत जी ने सदन के समक्ष रखा कि कोई टिकट यात्री पकड़ा गया, उसने अगर जुर्माना दे दिया, जुर्माना का प्राविधान यहां है, मैं मान गया कि उसके पास जेब में पैसा है, जुर्माना उसने दे दिया और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि उसके पास पैसा नहीं है, जुर्माना नहीं दे सका या थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि अचानक किसी वजह से यह चढ़ गया और फिर भी पैसा उसके पास नहीं है और फिर थाने में बैठाया जाय और जैसी आज की थाने की हालत है, तो आज की जब कहता हूं कि जैसे हमारे देश के थाने की और पुलिस की हालत है, वैसी हालत में गरीबों पर आरोप लगा कर थाने के सुपुर्द कर देना जनता के खिलाफ यह विधेयक पड़ जायगा और मन्त्री जी स्वयं उसे छुड़ा नहीं सकते। ५० करोड़ रुपये-पैसे खर्च कर लें, लेकिन उनको न लारी साहब बचा सकते हैं और न बड़े मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी जो इस समय जा रहे हैं, वह बचा सकते हैं, कोई कमिश्नर वगैरह भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वह व्यवस्था चल पड़ी है, पहले से चल पड़ी है। माननीय शम्भू नाथ जी ने एक बात कही, उन्होंने ३० वर्ष पहले की बात कही, मैं उनकी बात को बड़े अदब के साथ मान कर कहना चाहता हूं कि ३० वर्ष में अगर बुराई न होती तो हम लोग उधर से इधर चले क्यों आये होते? अयोग्य लोग जब उधर चले आये तो योग्य शासन आना चाहिये और अयोग्य विधायक आप के हिस्से में रह गये, तो ३० वर्ष में हमसे कंपटीशन मत करिये। बुराई में, ३० वर्षों में जो कांग्रेस ने नहीं किया, शम्भूनाथ जी आपके शासन ने एक वर्ष में हमें मात दे दिया। जनता इसको महसूस करती है। इसकी हम और आप चर्चा न करें तो अच्छा हो। न हमें सूट करता है और न आप को सूट करता है। शायद रियासत जी बीच में हैं उनको सूट करता हो। इसको जाने दीजिये। इस विधेयक में जेल जाने की भी बात है। वह एक और कठोर बात है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। माननीय, उधर के विधायक कभी मन्त्री हो जाते हैं, कभी अपोजीशन का काम करते हैं और कभी विधायक का काम करते हैं। शम्भू नाथ जी मन्त्री जी का काम करने लगे। उन्होंने यह कहा कि बतायें मन्त्री जी ने किस निकाले हुये को रख लिया। मैं बता रहा हूं। हमारे पास एक लिस्ट है, पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा मैं नाम बता रहा हूं, साधू राम यादव, इनको हटाया गया था, यह लखनऊ रीजन के हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकृत हुआ लेकिन मन्त्री जी ने इन्हें बहाल कर दिया। राम निवास सिंह, गोरखपुर मण्डल के हैं। उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया लेकिन मन्त्री जी ने बहाल कर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

यही बात मैंने कही है, मैंने आपकी ही बात कही है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मुझे खेद है । अक्सर हम और शम्भू नाथ जी एक ही बात कहते हैं । इस समय वह उधर हैं लेकिन वह इधर आयेंगे । हमें माफ करेंगे । तो यह जो विधेयक रखा गया है और इस पर जो रियासत साहब ने प्रस्ताव रखा है उस पर विचार कर लें । इसी सदन में पास करें । सदन शायद १०–१२ तक चलेगा । मेरा अनुमान ही है । ऐसी सूरत में ४–५ दिन के अन्दर बैठकर अगर धाराओं की विवेचना करके, सदस्यों से राय करके मन्त्री जी इसको करें तो उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी । और इससे जो विवाद खड़े होंगे, कोर्ट वगैरह में जाने का, वह कम होगा और अनावश्यक रूप से गरीब जनता को परेशानी जो हो सकती है, जिसकी चिंता मैं समझता हूं कि मन्त्री जी को मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मन्त्रियों में वह अच्छे मन्त्री हैं और सरल मन्त्री हैं तो मैं समझता हूं कि उस सरलता के नाते मेरी बात को स्वीकार करेंगे ।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में जो माननीय परिवाहन मन्त्री जी ने मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । इसी संदर्भ में माननीय विरोधी पक्ष के नेताओं ने जो आपत्तियां की हैं, उन आपत्तियों में कोई विशेष गुस्ता नहीं है इसलिए कि यात्रियों से भी इस प्रकार की कठिनाइयां हैं कि गाड़ी चल रही है और जब गाड़ी चलने लगी तो ४० आदमी और चढ़ गये । चालक और परिचालक स्वयं भी संकटग्रस्त हो जाते हैं इन कारणों से । उसके कई कारण हैं जिनकी तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी गम्भीर है कि ७० प्रतिशत बसें ऐसी हैं जिनमें हौज पाईप, गियर, हार्न आदि मुख्य–मुख्य पार्टस ठीक नहीं हैं । कुछ शिकायतें हैं कि चालक शराब पिये रहते हैं । सरकारी वर्कशाप्स की स्थिति यह है कि जब ड्राइवर वर्कशाप में जाता है और कहता है कि हौज पाइप को ठीक करदो तो वहां का मैकेनिक कहता है कि ४ रुपये दो तो ठीक करेंगे । उल्टी स्थिति है । इसलिये मन्त्री जी से निवेदन है कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजकीय वर्कशाप को जाकर देखें ।

पिछले दिनों आंकड़े दिये गये हैं कि रोडवेज में बड़ी उपलब्धि हुई है । तो क्या यात्रियों की पाकेट मार ली गयी है ? पहले यह कहा गया था कि फला डिपो में इतनी उपलब्धि हुई है, फला डिपो में इतनी । मुझे तो लगता है कि वहां की ऐसी बसें हैं जिनमें जानवर भी यात्रा नहीं कर सकते हैं जिन परिस्थितियों में मनुष्य यात्रा करता है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजकीय बसों की बड़ी शर्मनाक स्थिति है जो कि दुनिया में कहीं नहीं होगी । कानपुर से जब हम पश्चिम चलते हैं तो सोचते हैं कि क्या यहां की परिवहन विभाग की व्यवस्था कोई दूसरी है और परिवहन मन्त्री दूसरे हैं ? कानपुर से पूर्व में लगता है कि कोई दूसरी व्यवस्था है । परिवहन विभाग के शौचालय नीलाम किये जाते हैं और ठेके पर उठाये जाते हैं । जो कि दुनिया में कहीं नहीं है । बसों की कैपेसिटी ५० आदमी ले जाने की है लेकिन उसमें १००–१२५ आदमी तक बैठते हैं । बसों की हालत खराब है तब इतने आदमी बैठते हैं । चालक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और परिचालक की रोजीरोटी इतनी महंगी है जिससे वह अपनी जिंदगी को खतरे में डाल कर बस ले जाते हैं वरना वहां की बसें ८० प्रतिशत खतरे से खाली नहीं है। बैठने वाला आदमी सोचता है कि हम अपने लक्ष्य स्थान पर पहुचेंगे कि नहीं यह उसको कोई भरोसा नहीं रहता है। वर्कशाप की स्थिति यह है कि नायलान के टायर बेंच दिए जाते है और रबरिंग के टायर लगाए जाते हैं। बसों की सरकारी वर्कशाप में मरम्मत नहीं की जाती है बल्कि प्राइवेट वर्कशाप में उनकी मरम्मत होती है जिससे ४ हजार और ५ हजार रुपए तक मरम्मत के बेकार में दिए जाते है।

मान्यवर, यह मारुति कम्पनी ने जो बाडी बनायी है उनको जल्दी से बदलना चाहिए। यात्रा करने वाले लोगों को टी० बी० का रोग तक हो सकता है यदि वह १५ दिन यात्रा कर ले। (टोकने पर) मैं तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं लेकिन जो वह आपत्ति करते है उस पर मैं उनको चुनौती देता हूं कि जो मारुति कम्पनी ने बाडी तैयार की है उसको देखें तो कितनी वह गन्दी है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य विषय पर बोलें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मूल विषय पर ही आ रहा हूं। इस प्रकार अनावश्यक रूप से जो तत्व बसेज को क्षति पहुंचाते हैं उनको रोकने हेतु यह बिल लाया जा रहा है, इसलिए मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो यह विधेयक पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि समस्या का समाधान करते-करते समस्या ही गायब हो गयी है। मंत्री महोदय ने जब इस विभाग को सम्भाला था तो यह उम्मीद की जाती थी कि वह इसमें परिवर्तन लायेंगे और समस्या का समाधान करेंगे लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है और केवल एक संशोधन बिल लाकर समस्या का निवारण नहीं हो सकेता। परिवहन विभाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक यात्रियों के सम्बन्ध में और दूसरा माल ले जाने के सम्बन्ध में। आज तक मंत्री महोदय इन दोनों की समस्या को नहीं सुलझा सके। ट्रक्स वालों का जहां तक सम्बन्ध है चाहेपरमिट सिस्टम की वर्किंग का सम्बन्ध हो अथवा सभी डिपाजिट्स पर ५ रुपए अतिरिक्त घूस के रूप में देने का सवाल हो चाहे आर० टी० ओ० के कार्यालय में कोई सुधार की बात हो किसी पर भी सरकार विचार करने को तैयार नहीं होती रोड्स की पोजीशन यह है कि आए दिन एक्सिडेन्ट्स होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। सिटी बस की जो हालत है उसका जिक्र मैं क्या करूं? मिनी बसेज आपने एलाऊ कर दी हैं। मेरठ में अगस्त में दो नौजवान बच्चों की मौत मिनी बसेज से हो गयी और भाव ने उनको वहीं जला दिया। लोगों से पैसा लेकर यह विभाग जब परिवहन की व्यवस्था करता है तो सेवायें इतनी संतोषजनक होनी चाहिए कि संशोधन लाने की जरूरत ही न पड़े। लिहाजा माननीय रियासत साहब ने प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव किया है मैं समझता हूं वह बहुत उचित है। इंसानों की जानों से यह विभाग खिलवाड़ न कर सके और यातायात जो इतना बढ़ गया है कि ३०, ४० मील प्रति दिन एक इंसान औसतन सफर करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए उसको सुचारुरूप से चलाने हेतु यह आवश्यक

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी—]

है कि इस विभाग में सुधार किया जाय। इसलिए यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जहां सारी बातों पर विचार किया जा सके। चुंगी के सम्बन्ध में कई बार ट्रक वालों ने अपनी दिक्कतें पेश कीं। उनके टाइम की बचत होनी चाहिए उनके लिए जो रुकावटें हैं वह नहीं होनी चाहिए। मेरठ से कानपुर तक आने के लिए दो सौ रुपए खर्च लेकर आना पड़ता है।

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य संचालन नियमावली के नियम २८८ में यह है कि जब कोई माननीय सदस्य बोलेगा तो वह अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करेगा। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह इस तरफ सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मैं आपके मुखड़े का जरूर दर्शन कर रहा हूं। लेकिन मैं उधर भी कह दूंगा। आपको जो चीज लाने की ख्वाहिश थी उसके लिए धन्यवाद। आपका मुखड़ा बहुत अच्छा है और मुझे पसन्द है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सेठी जी, जब आप बोलते हैं तब सदस्यों को शक होता है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो आपकी गाइडेंस मिली है उस पर मैं अमल करूंगा। लेकिन अगर मैं उनके दर्शन कर लूं तो मेरा अहोभाग्य है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन रखे हैं उन पर नजरसानी की जाय क्योंकि इस विधेयक से कोई खास परिवर्तन होना नहीं है। इसलिए मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री मित्र सेन से) कृपया आप अपना भाषण ४ मिनट में समाप्त करें।

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (संशोधन) विधेयक पर माननीय रियासत साहब ने संशोधन रखा है मैं उसके पक्ष में हूं। मान्यवर, सभी विभागों में आज भ्रष्टाचार है लेकिन जिस विभाग को मंत्री जी ने सम्भाला है और जो उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने जो यह बिना टिकट यात्रा करने वालों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात की है उसकी प्रणाली जो है वह बहुत खर्चीली होगी। मैं समझता हूं कि पब्लिक में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो बिना टिकट चलना चाहता हो। सभी लोग दो पैसा ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। यह जरूर है कि अपार भीड़ होने की वजह से कोई टिकट न खरीद सके वह अलग बात है। भीड़ कम करने की बात होनी चाहिए। आप इसके लिए उस आदमी को जेल में बन्द करना चाहते हैं। तो इससे तो भीड़ कम नहीं होगी। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जो बिना टिकट के बस पर चढ़ते होंगे और चालक और परिचालक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कहने पर भी टिकट न लेते होंगे ऐसे तो कुछ असामाजिकतत्व के लोग ही होंगे। इस व्यवस्था के लिए आपको हर बस में पुलिस के आदमियों को रखना होगा क्योंकि कोई भी चालक या परिचालक किसी को मार नहीं सकता है। जो असामाजिक तत्व हैं वह तो लोगों को मार कर भी बस में चढ़ जायेंगे। तो इसमें जितनी आय होगी उससे ज्यादा खर्च होगा। मेरा निवेदन है कि इसके लिए जितनी बसों की आवश्यकता है उसके आधार पर बसों की संख्या बढ़ा दी जाय तो लोग बिना टिकट यात्रा नहीं करेंगे।

आज आपके बसों की जो हालत है और उसमें जो भ्रष्टाचार है, उसकी बात बताता हूं। पिछले मई, जून महीने में ही टांडा-कानपुर मार्ग में तीन-चार गायें एक बस ने मार दी। उसके ब्रेक जो हैं १७ बार फेल हुए जिसकी जानकारी मंत्री जी को भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बसों की संख्या बढ़ाई जाय। माननीय मंत्री जी फैजाबाद गए थे उनको मालूम होगा जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और संसद सदस्य श्री अनन्तराम जायसवाल के रिश्तेदारों की बोसियों बसें जो हैं वह रोडवेज बसों के आगे पीछे चलती हैं। उनकी आमदनी ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट बसों पर कोई चेकिंग नहीं है जितने चाहे पैसेन्जर भर लें। इनके सामने भले ही जब यह वहां आए थे ऐसी बसें बन्द हो गई हों लेकिन उसके बाद फिर चलने लगी। यह जो भ्रष्टाचार है, उसको पहले रोकें। पब्लिक द्वारा जो हो रहा है, उसको बाद में देखना।

*श्री अशफाक (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह पूरी तरह से जनहित में है और उसका मैं समर्थन करने के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजकल जो बस यात्रियों में मनोवृत्ति फैलती जा रही है, उसको रोकने के लिए यह विधेयक बहुत कारगर साबित होगा। देखा जाता है कि टिकट विन्डों खुली हुयी है लेकिन यात्री टिकट नहीं लेते और घूमते रहते हैं। बाद में बस में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि कन्डक्टर तो टिकट बना ही देगा। तो घुसकर बैठ गए। लेकिन अगर ठीक टाइम पर कन्डक्टर नहीं बना देता तो उसका चालान हो जाता है। अतः ५.०० बजे की गाड़ी ६ १/२ बजे छूटती है: पकड़ा कन्डक्टर जाता है। तो यह विधेयक ऐसे यात्रियों पर भी रोक लगायेगा।

दूसरे, परिवहन विभाग द्वारा 'मुझे भी ले चलो' की बस सेवा चलायी है। पैसेन्जर्स का हाथ देखते ही बिठा ले। रास्ते में ४-५ पैसेन्जर खड़े हैं, हाथ दिया और चढ़ गए। कन्डक्टर ने टिकट बनाना शुरू किया लेकिन बीच में आर० टी० ओ० आ गया और कह दिया कि बिना टिकट ले चल रहे हो। कन्डक्टर सस्पेन्ड हो गया। उसमें कोई सुनवाई नहीं।

एक चीज यह कहना चाहता हूं कि बलरामपुर डिपो के लिए बार-बार मंत्री जी को लिख चुका हूं। दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री जी ने या तो कहा नहीं, और अगर कह दिया तो उस पर कार्यवाही नहीं हुई। यह हालत बलरामपुर डिपो की है। न स्टेशन इंचार्ज का पता न फोरमैन का। ५.०० बजे गाड़ी जानी है और फोरमैन साहब आयेंगे ७.०० बजे। स्टेशन इंचार्ज के यहां ताला लगा है। १०.०० बजे के पहले आयेंगे नहीं। कई बार इन तमाम समस्याओं के बारे में लिखकर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अशफाक--]

दूसरा मामला बलरामपुर डिपो से गोंडा के लिए बस जाती है और फिर वापस आती है। अगर बीच में बस खराब हो जाय और कन्डक्टर और ड्राइवर इंकार कर दे कि सर्विस नहीं करेंगे तो गोंडा डिपो के पास कोई इन्तजाम नहीं है। घंटों यात्री पड़े रहेंगे। कई बार लिखकर दिया और कहा कि ऐसे समय में इन यात्रियों के लिए अपने यहां से बस दे दें लेकिन बताया कि कोई प्राविधान नहीं है। वहीं से बस आयेगी तो ले जायेगी। मैंने कहा क्या ऐसा कोई कानून है। तो बताया कि एक बार हमारी बस पंचर हो गयी थी तो बलरामपुर वालों ने उसको बनाया नहीं था। तो इस तरह की बातें हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इनकी ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और यह आवश्यक भी था। मुझे तो कहना है कि यह बिल पहले लाते तो अच्छा होता। दिन-ब-दिन देखा जा रहा है कि बसों में असामाजिकतत्व बढ़ रहे हैं। लोग टिकट नहीं लेते। उसका खामियाजा कन्डक्टर को और ड्राइवर को भुगतना पड़ता है। तो इस बिल को, जिसको पहले ही लाया जाना चाहिए था, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपके परिवहन विभाग में हरिजनों की संख्या बहुत कम है। उनका कोटा पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां आप यात्रियों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं वहां अपने स्टाफ पर भी प्रतिबन्ध लगावें। गाड़ियां बिना किसी काम के चलती हैं तो इसको बन्द करावें। तीसरी चीज यह है कि हर जगह नान स्टाफ बस को स्टाफ बस कर दिया जाता है तो इसको भी रोकें। साथ ही आप मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करें जो जगह-जगह चेक किया करें। जिस प्रकार दिल्ली में है कि मैजिस्ट्रीयल चेकिंग होती है और वहीं पर जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है वैसा ही आप भी करें। अन्त में एक चीज यह निवेदन करूंगा कि बसों में जो हाकर के बाजार चलते हैं कि यह नया चूरन है, यह किताब है इसको भी बन्द करें क्योंकि इससे चोरी और गिरहकटी बढ़ती है। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी का यह विभाग इतना भ्रष्ट है कि दूसरा विभाग नहीं मिलेगा। इनकी जितनी बसें हैं वह अधिकतर खराब रहती है। माननीय मंत्री जी फोन भी करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। या तो यह हमारी कमी है या मंत्री जी की कमी है। इस पर मंत्री जी को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। परिवहन विभाग के कर्मचारी सूबे भर में आन्दोलन करते हैं। बहुत से ऐसे अपराधी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं उनको पदोन्नति दे दी गयी और जो छोटे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। मैं बाराबंकी जनपद की बात कहना चाहता हूं। राजकीय बस स्टेशन के लिए एक गरीब किसान की ३ बीघा जमीन जबरदस्ती ले ली और उसका पैसा उस गरीब किसान को आज तक नहीं मिला। इस जनता पार्टी की सरकार के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे अधिक कलंक की बात क्या हो सकती है। आप सरकार में हैं और किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गरीब किसान का पैसा मार लिया जाय। हमारे यहां प्राइवेट बसें चलती थीं जिनको समाप्त कर दिया। इससे बेकारी की समस्या पैदा हो गयी है। हमारे यहां १५० परमिट थे। जो बड़े लोग हैं उनको तो कुछ परमिट दिए हैं लेकिन बाकी बसें बेकार पड़ी है। उनको भी परमिट देकर आप चालू करवायें जिससे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार मिल सके। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ४६ प्राइवेट बसें चलती थीं। अब जो सरकारीकरण की योजना लागू की गयी है उससे आम जनता को बड़ा कष्ट है। इस समय रोडवेज की बीस बसें चल रही हैं जिसमें से १८ बीमार हैं और दो सही हैं। चूंकि आपके रोडवेज में बसें भी कम हैं इसलिए बाराबंकी में ४६ प्राइवेट बसों के लिए परमिट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

(लाल बत्ती की तरफ इशारा करते हुए) दीक्षित जी, इधर भी देख लिया करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

तो मेरा निवेदन है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बाराबंकी के हैदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को, जिसे उत्तर प्रदेश की तानाशाही को समाप्त करने का सौभाग्य रहा है, उसकी उपेक्षा करना जनता पार्टी के हित में नहीं होगा। इसलिए आप मेरे सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके जनहित में तत्काल निर्णय करें।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है। बड़ा अच्छा बिल है। जहां इसके द्वारा एक तरफ बिला टिकट वालों के पकड़-धकड़ में आसानी होगी। दूसरी ओर आपको राइट आफ सिटिंग की ओर भी ध्यान देना चाहिए। टिकट लेने के बाद उसे बैठने का भी हक होना चाहिए। इस पर भी कोई बिल आना चाहिए था। यह जरूरी है। क्योंकि इससे पैसेन्जर टैक्स की चोरी भी होती है। किसी बस में ५० या ६० आदमियों के बठने की जगह है। उसमें ७०-८० पैसेन्जर भर दिए जाते हैं। राइट आफ सिटिंग होनी चाहिए। या तो जो स्टैंडिंग में जाते हैं उनका टिकट आधा और जो छत पर जाते हैं उनका टिकट चौथाई होना चाहिए। रेलवे की जो हालत है वहां पर तो गाड़ियां बढ़ाई जा रही हैं। जब दस हजार बसें चल रही थीं तो कर्मचारियों की संख्या ४ हजार थी। अब १६ हजार बसें चलाई जा रही हैं तो कर्मचारियों की संख्या न मालूम कितनी होगी।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

आप सदन में गलत सूचना दे रहे हैं। केवल चार हजार बसें चल रही हैं। इसलिए मैं बतला रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

आप बाद में बता दीजिएगा । मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि चूंकि पैसेन्जर टैक्स हमारी सरकार को मिलता है इसलिए प्राइवेट बसेज को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये । अगर वह शामिल नहीं होती हैं तो सिर्फ रोडवेज की बसों को शामिल करने से कोई काम नही बनेगा । दूसरी चीज जो जरूरी है । आजकल मिनी बस का बहुत चक्कर चल रहा है । उसके बारे में जो शहरों में चल रही हैं, उनकी हालत यह है कि इतने लोग भर दिये जाते हैं कि कन्डक्टर स्वयं चेक करके सबका टिकट नहीं बना सकता है । यह तो हालत शहर की बसों का है । जहां तक देहात और लम्बी यात्रा वाली बसों का सम्बन्ध है, वहां पर ऐसी हालत नहीं है । चालक और परिचालक को इसमें शामिल नहीं किया गया है । मेरा ख्याल है कि जो पहले से कानून है जैसा कि श्री शम्भू नाथ जी ने कहा भी था कि कुछ चालक सस्पेन्ड हैं, इस सिलसिले में सुझाव के तौर पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको कारपोरेशन चलाना है तो उसमें आम आदमी को रखा जाय तभी काम ठीक से हो पायेगा । जिस ढंग से वह चलायेगा उस ढंग से आई० ए० एस० का आफिसर नहीं चला पायेगा । मैं इस सुझाव के साथ इस बिल की ताईद करता हूं ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मोटर वेहिकल्स विधेयक, जो आज सदन में पेश है, मैं इसका समर्थन करता हूं । इसकी बहुत जरूरत थी और इसको बहुत पहले ही सदन में आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं किस कारण से यह अब तक नहीं आ सका था । जिन-जिन प्रदेशों में यह लागू हो गया है, वहां पर १६-१७ पैसा प्रति रुपये निगमों की आय बढ़ गई है और मैं समझता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश के कारपोरेशन की भी यहां काफी आय बढ़ेगी । जहां मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं, वहां इसके बारे में अपने कुछ सुझाव भी सदन के सामने देना चाहता हूं । जो जुर्माने के लिये इसमें व्यवस्था रखी है :

"यात्री ने किस स्टाप से यात्रा प्रारम्भ की इस बारे में सन्देह होने की स्थिति में किराय की गणना प्रारम्भिक बस स्टेशन से की जायगी ।"

मैं समझता हूं, यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इससे यात्रियों के साथ ज्यादती होगी । मान लीजिए कोई बस झांसी से लखनऊ के लिए चली और एक यात्री कानपुर में उस पर सवार हुआ, किन्तु यह स्थिति पैदा होने पर उससे बस की पूरी दूरी का यानी झांसी से लखनऊ तक का उससे किराया लिया जायगा तो यह उसके लिए बिलकुल ठीक नहीं होगा । पूरा जुर्माना लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा । मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कि इस व्यवस्था में आप अवश्य सुधार करेंगे । जब हम कहीं इस विभाग का नाम लेते हैं तो शर्म से लेते हैं, क्योंकि इसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी कोई सीमा नहीं है । इसमें इमरजेन्सी काल मे अवश्य कुछ सुधार हुआ था, किन्तु उसके बाद फिर इसमें ढील आ गई है । कंडक्टरों और ड्राइवरों में उस समय जो अनुशासन आया था, वह फिर खत्म हो गया है और उनमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार और अन्य बुराइयां तथा अनुशासनहीनता पैदा हो गई है । इस विभाग में चोरियां बहुत होने लगी हैं । टायरों, डीजेल और स्पेयर पार्ट्स की चोरी तो एक आम बात हो गई है और वे खुले बाजार में बिक रहे हैं । इस सम्बन्ध में कानपुर का सेन्ट्रल वर्कशाप तो चोरों और लुटेरों का खुला अड्डा बन

गया है । अधिकारियों में परस्पर यह झगड़ा रहता है कि किसकी वहां जल्दी पोस्टिंग हो जाए । क्योंकि वहां पर एक साल में अधिकारी लखपती बन जाता है । मेरा यह भी सुझाव है कि जो डिपो जिस कमिश्नरी में है, वहां पर सम्बन्धित सामान उपलब्ध होना चाहिए। बसों का सामान लेने आना जरूरी नहीं है, इस पर भी ध्यान दिया जाये । तामिलनाडु या महाराष्ट्र में केवल ५ या ६ परसेन्ट बसें ही आउट आफ आर्डर एक समय में रहती हैं, जबकि हमारे यहां करीब ३० परसेन्ट बसें कारखाने में मरम्मत के लिए पड़ी रहती हैं ।

हमारे निगम के पास ५ हजार बसें हैं और उनमें से करीब १ हजार बसें कारखानों में पड़ी हुई हैं । इसके लिए आप नियमों में कुछ सुधार करें और जो इतनी अधिक बसें खराब जाती हैं, उसमें आवश्यक सुधार किया जाए । आपके विभाग में असामाजिक और गुन्डा तत्व बहुत प्रोत्साहन पा रहे हैं, जिससे वहां पर एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं हो पाती है । आज आपके विभाग में जनरल मैनेजर के रूप में एक बहुत ईमानदार आदमी आया है, उनको यदि आप पूर्ण जिम्मेदारी देंगे और आपकी पार्टी और हमारी पार्टी के सदस्य उनके काम में कोई दखलन्दाजी नहीं करेंगे, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस विभाग का कायाकल्प हो जाएगा, इसमें एक नया जीवन आ जाएगा । इसमें आप जैसे कर्मठ मंत्री हैं और जनरल मैनेजर और कमिश्नर भी बड़े कर्मठ हैं, इनसे आपके विभाग की बड़ी उन्नति हो सकती है । इनके होते यदि उन्नति नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि शायद कभी भी उन्नति का मौका न आए । सिटी बसों की हालत बहुत ही खराब है । वहां पर गन्दगी इतनी अधिक रहती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है । सीट कवर फाड़कर कंडक्टर और स्टाफ के दूसरे लोग झोले बनवा लेते हैं, जिसे लेकर चलते हैं और विभागीय कर्मचारी होने की निशानी के रूप में उन झोलों का इस्तेमाल करते हैं, यानी बस को रोकने के लिए वे इन झोलों को आगे कर देते हैं, जिससे लोग समझ जाते हैं कि वह कारपोरेशन का कर्मचारी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

थोड़ा समय और दे दें । सिटी रोडवेज की हालत बेवा औरत जैसी है, जिसका कोई रहनुमा न हो । अगर इस बेवा औरत की, इस डिपार्टमेन्ट की यही हालत रही, हमारे नौजवान मन्त्री के रहते हुए तो बड़े दुख की बात है । जब तक यह रहें, मुझे विश्वास है उसकी हालत सुधरनी चाहिये ।

लम्बी यात्राओं के लिए रिजर्वेशन की सुविधा जरूर दें । अक्सर होता है कि बसों में जो महिलायें और वृद्ध लोग चलते हैं । उनको पक्का विश्वास नहीं रहता कि उनको जगह मिलेगी या नहीं । इसलिये ट्रेन या टैक्सी से जाते हैं । अगर रिजर्वेशन की सुविधायें दें तो महिलायें और वृद्ध रिजर्वेशन करवा लें और इससे आय भी बढ़ेगी । कुछ समय पूर्व दो रुपये की टिकट रिजर्वेशन का पड़ता था जो हटा दिया गया । यह आप सुविधा फिर दें ।

एक बात अन्त में और कह दूं, जो विधायकों के लिए सीट की परम्परा है इसका मैं और मेरा दल विरोध करते हैं । मैं नहीं समझता कि यह व्यावहारिक

श्री रणजीत सिंह 'जू देव'—]

है । इसमें आपने कानूनी पाबन्दी नहीं रखी है कि सीट कायम रहे । अक्सर ऐसा देखा गया है कि विधायक की सीट पर कोई बैठ जाता है । जब विधायक चाहता है कि सीट खाली हो तो परेशानी में पड़ता है । काफी देर हो जाती है । कन्डक्टर ड्राइवर को अजीब लगता है कि किसको कहें । अगर कानूनी पाबन्दी नहीं होती। वह सीट खाली रहेगी, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो विधायकों की सीट खत्म की जाय क्योंकि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं जनता के साथ बैठने में गर्व होना चाहिए । इतना कह कर अब मैं खत्म करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पालीवाल जी, केवल दो मिनट लें और अपने सुझाव दें । उसके बाद प्रश्न उपस्थित करूंगा ।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह परिवहन मन्त्री ने जो बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । अभी तक केवल जिम्मेदारी कंडक्टर की थी, अब पैसेन्जर पर भी डाल दी है यह अच्छा है । लेकिन इसके साथ कंडक्टर की जिम्मेदारी में कमी नहीं आनी चाहिए । उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये । जहां तक लम्बे यात्रियों का सवाल है इसमें बिना कंडक्टर की मर्जी के यात्री बिना टिकट नहीं जा सकता । लेकिन नगर में चलने वाली बसों में कुछ असामाजिक तत्व कंडक्टर को परेशान करते हैं और जबरदस्ती बिना टिकट चढ़ते हैं उनकी रोकथाम के लिए बिल अच्छा है । मैं इसका स्वागत करता हूं ।

इसके बाद मंत्री जी का ध्यान कुछ अनियमितताओं की ओर दिलाता हूं । आगरा फोर्ट बस स्टेशन से चौथाई किलोमीटर दूर पर प्राइवेट बसों का अड्डा बना हुआ है । आगरा में कोई रूट ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीकृत न हो । लेकिन फिर भी प्राइवेट बसों का अड्डा बना हुआ है जब कि नियम यह है कि एक किलोमीटर दूर निगम के बस अड्डे से प्राइवेट बस अड्डा होना चाहिये । फिर यह किस तरह से बना, इसकी जांच करायें ताकि इस अड्डे को हटा सकें । वह जमीन मिलिटरी स्टेट की है ।

दूसरा सुझाव यह है कि आगरा फोर्ट स्टेशन पर बसों की बहुत भीड़ होती है । इसलिये कभी-कभी बसें बाहर रुक जाती हैं और ट्रफिक रुक जाती है । प्राइवेट बसों को हटा कर उन बसों को वहां खड़ा किया जा सकता है ।

मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक मार्गों को राष्ट्रीकृत किया जाय क्योंकि जब तक पूरा सिस्टम राष्ट्रीकृत नहीं होगा तब तक प्राइवेट बस वाले चोरी और बेगाबाजी करते रहेंगे और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा । केवल इतना कहना है ।

*श्री आबिद अली—

मान्यवर, मैं रियासत भाई और तमाम दूसरे भाइयों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने करीब-करीब सबने इस बिल के उसूल का समर्थन किया है । जो बिल पेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ तो उस पर कुछ का कहना था कि पेनाल्टी का क्लाज होना चाहिए। रियासत भाई ने कहा कि जो प्राइवेट बसें हैं क्या उन पर भी यह कानून लागू होगा। यह कानून प्राइवेट बसों पर नहीं लागू होगा। यह विधेयक रोडवेज की बसों के लिए है, प्राईवेट बसों के लिए नहीं है। लेकिन जो हायर्ड बसेज हैं उन पर जरूर लागू होगा क्योंकि इन पर हमारा कन्डक्टर रहता है। लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं उन पर यह लागू नहीं होगा, यह बाद की चीज है कि उन पर लागू किया जाये या न किया जाये। आपने कहा कि कन्डक्टर पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, केवल पैसेन्जर पर ले लिया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले कन्डक्टर जिम्मेदार था उसी प्रकार से अब भी है। इस मामले में कई हजार कन्डक्टर और ड्राइवर निकाले गये हैं और यह मेरे सामने हेड-एक है। इसीलिए मैंने एक सब-कमेटी बना दी है कि वह ड्राइवर और कन्डक्टर्स के मामलों को देखें और उस पर अपना फैसला दें। जो ड्राइवर और कन्डक्टर की जिम्मेदारी थी, वह रहेगी। अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जावेगा तो ड्राइवर और कन्डक्टर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होंगे। एम्स एन्ड आब्जेक्ट में इम्प्रजेनमेन्ट का लफ्ज है लेकिन वह ऐक्ट में नहीं है। अभी कारागार की सजा देना मकसूद नहीं है। एम्स एन्ड आब्जेक्ट में कहने की बात थी। यह पहली स्टेज है और इसको अभी इतना सख्त नहीं करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि ५ रुपये की पिनाल्टी रखी गयी है, यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। रेलवे में १०. रुपये पिनाल्टी है। महाराष्ट्र और दिल्ली में यह ज्यादा है। हम पहली बार ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

श्री आबिद अली--

संशोधन तो कोई आया नहीं है। मैं संशोधन नहीं मानता हूं और वह है भी नहीं। इसको बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। कुछ लोगों ने कहा कि यह देर में आया। मैं इसको पिछले सत्र में रखना चाहता था और एक दिन भी मुकर्रर हुआ था लेकिन यह आ नहीं सका इसलिए यह इस सदन में रखा गया है हम और डिले नहीं करना चाहते हैं। जितनी बातें होनी चाहिये थीं वह सब इस बिल में हैं। इसलिए आप इसको वापस ले लें और इसको सर्वसम्मति से पास करें। और जो चीजें कही गयीं हैं उनको हमने नोट कर लिया है और हम कोशिश करेंगे कि उनको ठीक किया जाये।

[श्री रियासत हुसैन से]

श्री उपाध्यक्ष--

आप वापस लेते हैं ?

*श्री रियासत हुसैन--

दो मिनट का मौका तो दीजिए। मैं दोनों पक्षों के सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर हुई बहस में हिस्सा लिया। मैं २-३ बातों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं, उन्होंने स्वयं कहा है कि यह फर्स्ट स्टेज है। कोई ज्यादा कठोर दन्ड नहीं देना चाहिए। एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स में गलती से लिख गया है कि इम्प्रजेनमेंट दिया जायेगा तो जिसने गलती की है उसी को दन्ड दीजिए। अगर आपका हृदय इतना कोमल है तो कानून ही बनाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसेन---]

बेकार था । थाने वाले दो डन्डे उसे मारेंगे और वह ठीक हो जावेगा । इसलिए होता है कि पहले से आकर बैठ जाते हैं । वह इसलिए बैठ जाते हैं कि आपकी बस का पिछला आधे से ज्यादा हिस्सा इस योग्य है ही नहीं कि उसमें कोई भला आदमी बैठकर सफर कर सके । हर आदमी कोशिश करता है कि पहले से सीट घर लें ।

दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ट्रान्सपोर्ट्स बहुत मुकदमें बाज होते हैं । इसमें हायर बसेज का कोई जिक्र नहीं है । इसलिये हायर्ड बसेज वाले हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जायेंगे और उसमें अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी करनी पड़ेगी ।

तीसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि हर बस में स्टाफ सीट होती है । कोई भी उस पर बैठ नहीं सकता है । मुरादाबाद से हल्द्वानी तक सीट खाली जायेगी । अगर रास्ते में कोई रोकेगा तो बस नहीं रुकेगी । मालूम होता है जैसे बस केवल स्टाफ के लिये ही जा रही हो । माननीय सदस्यों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा । जब आपने माननीय सदस्यों के लिये रिजर्वेशन किया है तो जिस प्रकार स्टाफ की सीट खाली जाती है उसी प्रकार सदस्यों के लिए भी सीट रहे । उस पर कोई बैठ न सके ।

मान्यवर, इसमें बहुत सी कमियां रह गयी हैं इसलिये मैं कहूंगा कि केवल एक हफ्ते का समय है यह फिर पास हो सकता है । जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है । अतः मेरा प्रस्ताव है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, ३, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

ऐक्ट संख्या 4, 1939 में धारा 66—बी का बढ़ाया जाना

२—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ६६-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

राज्य परिवहन उपक्रमों की यात्री गाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने के लिए शास्ति

"66—बी (1) कोई यात्री जो किसी राज्य परिवहन उपक्रम की किसी यात्री गाड़ी में यात्रा करते समय या यात्रा कर लेने पर, की गयी यात्रा के लिए उपक्रम द्वारा निर्धारित दर पर किराया या उसका भाग देने से बचता है या बचने का प्रयास करता है तो उपक्रम के प्रधान प्रबन्धक द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा मांग करने पर किराया और यात्री कर की असंदत्त धनराशि के अतिरिक्त असंदत्त किराया और यात्री कर के बराबर अतिरिक्त प्रभार राशि या पांच रुपये, जो भी अधिक हो, का देनदार होगा।

स्पस्टीकरण—यात्री ने किस स्टाप से यात्रा प्रारम्भ की, इस बारे में सन्देह होने की स्थिति में, किराये की गणना प्रारम्भिक बस स्टेशन से की जायगी।

(2) कोई यात्री जो उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध की स्थिति में एक सौ रुपया और किसी अनुवर्ती अपराध की स्थिति में तीन सौ रुपये तक हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट, उपक्रम के अधिकारी या सेवक, और उनमें से किसी के द्वारा सहायता के लिए बुलाये गये समस्त व्यक्तियों के लिए अपराधी को गिरफ्तार करना और निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सौंप देना विधिपूर्ण होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना से प्राधिकृत राज्य परिवहन उपक्रम का कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन

दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन उपधारा (1) के अधीन असंदत्त शेष धनराशि और प्रशमन फीस की ऐसी धनराशि के, जिसे वह उचित समझे और जो अपराध के लिये निर्धारित जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से अधिक न हो, वसूल हो जाने पर, अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन--

(एक) अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी पर ऐसे अपराध के लिये अभियोग नहीं चलाया जायगा, और यदि वह अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा ;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां प्रशमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति के समान होगा ।

स्पष्टीकरण:--इस धारा में, पद "राज्य परिवहन उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो धारा 68-ए के खण्ड (बी) म उसके लिए दिया गया है ।

धारा 67 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (2) में, खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

(सी) किसी यात्री से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह कन्डक्टर या ड्राइवर को ऐसी यात्रा की घोषणा करे जिसे वह गाड़ी में करना चाहता हो या कर चुका हो, और ऐसी सम्पूर्ण यात्रा के लिये किराये का भुगतान करे और उसके लिए व्यवस्थित टिकट प्राप्त करे ।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री आबिद अली--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) :

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८*

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, वह बड़ा छोटा सा संशोधन विधेयक है। प्रदेश में भूमिहीन, लघु कृषक, ग्रामीण शिल्पी, शहरी मजदूरों के हित में ऋण कम हो और वे साहूकारों और महाजनों के शोषण से मुक्ति पा सकें, इसके लिए वर्ष १९७७ मूल अधिनियम पास किया गया था। इधर इस दौरान में इसके कार्यान्वयन में कुछ विसंगतियां अनुभव हुयी हैं, इसलिए यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

पहली कठिनाई जो सामने आयी वह यह है कि कृषक ऋण उन्मोचन के लिए जो कार्यवाही करता था अचल सम्पत्ति गिरवी रखे होता था उसके लिए कोई प्राविधान नहीं था। इसलिए प्राविधान किया जा रहा है कि ऋण के उन्मोचन के दिनांक के पूर्व जो गिरवी अचल सम्पत्ति रखी गयी वह भी मुक्त समझी जायेगी। दूसरी बात यह है कि किसी लघु कृषक को अपना ऋण कम करने के लिए ऋण परिशोधन अधिकारी को ६ मास के अन्दर आवेदन करना पड़ता था। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि इस विधेयक के अन्तर्गत नियमावली बनी, परिशोधन अधिकारी देर में नियुक्त हुए। यह अवधि कुछ कम मालूम हुयी। तो इसके द्वारा वह अवधि बढ़ायी जा रही है ताकि जो कृषक हैं, वे इस पर कार्यवाही कर सकें। लेनदार तो प्रार्थना-पत्र देता नहीं और वह लघु कृषक को डरवाता है। तो इस भय से कि हमें भविष्य में ऋण नहीं मिलेगा तो प्रार्थना-पत्र कम देते हैं। इसलिए इस बात का प्राविधान किया गया है कि विहित अवधिक में अगर कृषक प्रार्थना-पत्र नहीं देता है और लेनदार भी प्रार्थना-पत्र नहीं देता है तो उस हैसियत में जो ऋण होगा, वह मुक्त समझा जायेगा। तो कम से कम लेनदार ६ महीने में प्रार्थना-पत्र देगा अगर लघु कृषक की ओर से नहीं आता है।

एक और छोटा सा परिवर्तन इस संशोधन विधेयक के द्वारा किया जा रहा है लेनदार में उत्तराधिकारी तो सम्मिलित थे लेकिन एसाइनी सम्मिलित नहीं थे, जो कठिनाई पड़ रही थी तो उसको भी इसमें बढ़ा दिया गया है। पहले धारा २५ में अपवाद कर दिया गया है जिस पर यह अधिनियम प्रभावी नहीं होता है। उसमें कुछ अपवाद किया गया है। जैसे चिट फंड की किसी योजना के अधीन संचालित चिट के अधीन उपगत या उत्पन्न प्रत्येक दायित्व, किसी विधवा को देय प्रत्येक ऋण, प्रत्येक महर का ऋण या सेवा संविदा का उल्लंघन करने से उत्पन्न प्रत्येक ऋण, उनको बढ़ा दिया गया है जिन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। तो जो प्रदेश के गरीब काश्तकार और शिल्पी हैं जिनके लाभ के लिए यह विधेयक पारित किया गया था, और अधिनियम बन गया, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको हटाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है और मैं समझता हूं कि इसको आप सर्वसम्मति से पास करेंगे।

---

*दिनांक २८ मार्च, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, इस बिल की भावना से मैं पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस बिल द्वारा आप जिस गरीब वर्ग को राहत पहुंचाना चाहते हैं वह तब तक नहीं होगा जब तक इसका कड़ाई से पालन नहीं होगा। दूसरा वर्ग जो बड़ा शक्तिशाली है उनसे उन लोगों का छुटकारा नहीं हुआ है जो गरीब हैं, जिनके पास कोई जायदाद आदि नहीं है, जो जरूरत पड़ने पर इन्हीं लोगों से पैसे अब भी लेते हैं। आज तक यह बिल किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है। जिन लोगों का कर्जा था वह तो आपने माफ कर दिया, लेकिन वे लोग अब भी मजबूर हैं उन्हीं से कर्जा लेने के लिये। उन लोगों का किसी न किसी तरह से लेन देन अभी भी बना हुआ है। यह वह किस तरह से बनाये हुये हैं यह वही जानें। वजह उसकी यह है कि उन गरीब लोगों के लिये कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं है जहां से वे जरूरत पड़ने पर कर्जा ले सकें। उनके पास कोई सम्पत्ति वगैरह तो होती नहीं, इसलिये कर्जा लेने के लिये उसे इन्हीं साहूकारों के पास जाना पड़ता है। इसीलिये यह बिल आज तक कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ।

इस बिल के अन्दर १८ क्लाजेज हैं जिन्हें आप जोड़ने जा रहे हैं। कल को यह बिल हाईकोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है। अगर हाईकोर्ट ने किसी धारा को रद्द कर दिया तो फिर आपको संशोधन विधेयक लेकर आना पड़ेगा और आप कहेंगे कि चूंकि हाईकोर्ट का ऐसा फैसला हो गया है, इसलिये यह बिल यहां लाया गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोई किसी तरह की खामी इसमें न रह जाये, इतमिनान के साथ इस पर विचार हो, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो यह विधेयक रखा है, श्रीमन्, यह तो कांग्रेस सरकार ने ही क्रांतिकारी कदम उठाया था कि जो लोग भूमिहीन हैं, गरीब हैं, जो पुश्तैनी कर्ज से लदे हुये हैं, जिनसे सदा बेगारी ली जाती रही है, उनसे उन लोगों को किसी प्रकार मुक्ति मिले। जब यह जनता पार्टी की सरकार आयी तो साहूकार सारे के सारे ऋणियों के यहां पहुंचे और कहा कि हमारा कर्जा दो। बड़ा उपद्रव हुआ। वे लोग कहते हैं कि अब जनता पार्टी की सरकार आयी है, हमारा कर्जा देना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। इस बिल का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। इसलिये जो संशोधन पेश हुआ है मैं इस पर दो शब्द कहना चाहता हूं।

यह ठीक है कि जैसे ऋण का उन्मोचन हो जाने के बाद जो जंगम सम्पत्ति थी, उसका तो कानूनी ढंग के हस्तान्तरण हो जाता था। जो ऋणी थे, उनकी जो स्थावर सम्पत्ति है, वह उन्मोचन के बाद हस्तान्तरण नहीं हो रही थी। माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन करके अच्छा किया। लघु कृषक के लिए, ऋण कम कराने के लिए, पहले यह था कि ६ मास के अन्दर वह आवेदन दे जिससे कि ऋण कम हो सके। दो वर्ष उसको कर देंगे। इसमें जो आपने धारा १८ में संशोधन किया

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है यह पहले यह था कि लघु कृषक द्वारा अपनी आय का ब्यौरा देना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी कम आय का विवरण देना पड़ेगा । तभी तो अपने ऋण को कम कराने का आवेदन करेगा। परिवार में जो बीबी, बच्च कमाते हैं, अलग-अलग से वह अपना जीवन निर्वाह का काम करते हैं, तो आपने सब जोड़ कर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उसको कम कर ही नहीं सकते चाहे वह ६ मास बढ़ाकर १० साल कर दें। तो वह ऋण घटाने का सवाल ही नहीं हो सकता । यह आय वाला ब्यौरा जो है इसमें से निकाल दें, क्योंकि इसको अगर आप रखेंगे, तो उद्देश्य की पूर्ति निश्चित रूप से नहीं हो पायेगी । इसमें यह आगे जो संशोधन आपने इसमें किया है कि निहित अवधि के भीतर अगर आवेदन-पत्र हो, तो फिर उस पर विचार होगा, नहीं तो यह समझा जायगा कि न ऋण लेने वाला है और न देने वाला है । यह चौथे में जो इक्सेपशन दिये हैं, मुक्त कर दिये हैं लोगों को, इसमें चिट फण्ड वालों की क्या आवश्यकता थी । जो कंपनियां बन रही हैं फर्जी नाम पर, जो मेज और कुर्सी अपने कार्यालय में छोड़कर चले गये, तो निश्चित रूप से उसको देना पड़ेगा । इसको इसमें से निकाल दें, तो अच्छा रहेगा । विधवा किसी को ऋण दिये हो, तो वह वसूल जरूर करेगी, लेकिन आप उसकी हैसियत नहीं देख रहे हैं कि कितनी वह मालदार है, तो यह भी हैसियत से आप जोड़ देते, तब तो ठीक है। अब मेहर की रकम की बात इसमें है । वह तो परसनल ला से गवर्न है । इसमें मेहर कैसे ला दिया गया, वह तो परसनल ला से गवर्न होता है । मुस्लिम ऐक्ट में वह तो शादी में लेन-देन होती है, तो उसको उसमें लाने की क्या आवश्यकता थी । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि जिस मकसद से यह कानून बनाया गया था, कांग्रेस के जमाने में, उसको आप पूरा करें । मैंने जैसा कहा, पारिवारिक आय जो है, उसको इसमें से निकाल दें । इन शब्दों के साथ जो माननीय रियासत साहब ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं साथी देव बहादुर सिंह जी का कथन मानता हूं कि कांग्रेस राज्य का इस विधेयक द्वारा कदम क्रांतिकारी था, किन्तु वर्तमात संशोधन विधेयक द्वारा हम उस क्रांति को सम्पूर्ण क्रांति और अभ्योदय की तरफ ले जाना चाहता हूं । इसीलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है । कांग्रेस का दृष्टिकोण मात्र शहरों की तरफ था, इसलिए उसमें मूल अधिनियम में मात्र चल सम्पत्ति के वापसी का प्राविधान किया था, किन्तु जनता पार्टी ने ग्रामीण विकास को अपनाया है । इसलिए इसमें चल सम्पत्ति और अचल सम्पत्ति की वापसी का भी प्राविधान किया गया है ।

जहां तक माननीय रियासत भाई ने गरीबी के लिए मुक्त ऋण की वकालत की है, वह उनकी भावना से मैं सहमति प्रकट करता हूं, किन्तु ऐसा कार्य ऋण द्वारा नहीं वरन् एसे लोगों को अनुदान का कार्यक्रम बनाकर लाभान्वित किया जा सकता है । क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ऋण दाता ऋण देने वाले को बिना ऋण वापसी का ध्यान किये हुए ऋण देता हो । श्री देवबहादुर सिंह जी ने लघु कृषक परिवार के आय के हटाने का उल्लेख किया है, किन्तु इसे हटाने से तिकड़मी और सम्पन्न लोग तिकड़म करके इस विधेयक से नाजायज लाभ उठा सकेंगे और लघु कृषक बंचित रह जायेंगे, किन्तु मैं उनकी इस राय से सहमति प्रकट करता हूं कि यह चिट फण्ड को नहीं देना चाहिये । लेकिन जहां ऋण देने की बात होती है वहां यह भी देखा जाता है कि ऋण जो ले रहा है वह दे पायेगा या नहीं ? दुनिया में शायद हिन्दुस्तान में ही ऐसी व्यवस्था है, इस प्रकार का प्राविधान है कि ऋण लेने वाला यह न सोचे कि वापस होगा या नहीं। जहां तक यह कहा गया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी—]

यह क्रांतिकारी कदम था तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह क्रांतिकारी कदम केवल शहरों तक था। हमने इसको शहरों से देहात की तरफ बढ़ाने का लक्ष्य अपनाया है। इसलिये जहां पर आप केवल अचल सम्पत्ति को वापस करते थे इस विधेयक के द्वारा चल और अचल सम्पत्ति वापस करने का प्राविधान किया गया है ताकि गांव के लोग लाभान्वित हो सकें।

लघु कृषकों की आय की जो बात की गयी है तो आपने यह कहा कि आय को छोड़ दिया जाय। तो अगर आय को छोड़ दिया जायगा तो बड़े परिवार अपने नाती, पोते, पतोहू को मिलाकर एक चिट फंड कम्पनी बना लेंगे। एक बात जो चिट फंड्स के बारे में कही गयी तो जो यह व्यवस्था की गयी है तो सचमुच ऐसा लगता है कि वह चिट का ही कार्य है। क्योंकि बलिया में मैंने देखा कि चिट फंड तो खोले गये लेकिन सब गायब। पुलिस पीछे-पीछे दौड़ रही है लेकिन चिट फंड करने वालों को पकड़ नहीं पाती। तो मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसको निकाल देना चाहिये। यह विधेयक प्रदेश के हित में है, गरीबों के हित में है, इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से धारा १७ में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी जो प्रस्ताव है प्रवर समिति को सुपुर्द करने का उस पर बोलियेगा।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है और रियासत साहब ने जो उस पर प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है वह बहुत उपयुक्त और तर्कसंगत है। श्रीमन्, मैंने देखा है कि सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी बैंकों से जब लोन लिया जाता है तो लोगों को अपनी सम्पत्ति रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प्स ड्यूटी और टैक्सेज तो माफ होते हैं। और जब बैंक को लोन अदा करते हैं तब एक हजार से अधिक सम्पत्ति पर ७५ रुपये की स्टैम्प ड्यूटी देते हैं और तब हमारी सम्पत्ति मुक्त होती है। तो जहां ऐसा प्राविधान है उसमें जो संशोधन आये हैं उसमें मूल प्रश्न छिपा है। जो मंत्री जी ने संशोधन पेश किया है वह गरीबों के फायदे का है लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है उससे मंत्री जी अनभिज्ञ नहीं होंगे। यदि उस प्रक्रिया को सरल बना दें तो जिस मंशा से विधेयक पेश किया गया है उससे लघु कृषक लाभान्वित हो सकेंगे। जो कर्जा देय है वह सरल हो, इंटरेस्ट कम होना चाहिये जिससे लोन लेने में रुचि रखें। हम देखते हैं कि कोआपरेटिव का जैसे कर्जा है तो कोआपरेटिव बैंक, सेन्ट्रल बैंक को देता है, सेन्ट्रल बैंक डिस्ट्रिक्ट बैंक को देता है और फिर गांव समिति तक वह पहुंचते-पहुंचते उसकी ब्याज दर १३ प्रतिशत हो जाता है जो कि ७ प्रतिशत है। इस तरह डबल, इन्टरेस्ट हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस लोन पर जहां तक इन्टरेस्ट का सवाल है उसमें ऐसी सरल प्रक्रिया अपनावें जिसके लोग लोन ले सकें। इसलिये इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्य रियासत हुसैन जी ने जो सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है यदि उसे मान लिया जाय तो जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक में कमियां हैं, जो कठिनाइयां हैं उन पर विधिवत् विचार हो सकेगा । मैं समझता हूं कि इससे दुबारा संशोधन नहीं आयेगा और विधेयक का कार्यान्वयन हो सकेगा । इसलिये इसे सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर देना आवश्यक है । इसीलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य रियासत हुसैन जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं इस बात के लिये कि कांग्रेस शासन में जो गरीब किसान, छोटे किसान, भूमिहीन किसानों के सम्बन्ध में जो कानून बनाया गया उसके सिद्धान्त को स्वीकार करते हुये उन्होंने इसको इस प्रकार के मोड़ देने की चेष्टा की है जिससे हमारी नीति का जो आशय था वह अधिक प्रभावित हो सके । श्रीमन् राजनीति के महत्व और आरोपों में कभी हम भूल जाते हैं कि बहुत से अच्छे काम जो किये उनके महत्व को और सहयोग की भावना से कार्यान्वयन कर सकते हैं उनको छोड़ देते हैं । यह ऋण अनुतोष द्वारा गरीबों के कर्जे कम या माफ हो जायं यह हमारे प्रदेश के महत्व और लघु कृषकों तथा भूमिहीनों के लिये अत्यन्त महत्व का विषय रहा है । इस सम्बन्ध में २० सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे देश में कार्यवाही हुई थी और कानून बनाये गये थे । उसी समय हमारे सामने जो कठिनाई थी कि स्थायी रूप से अनुतोष कर दिया गया था और निर्णय ले लिया गया था । लेकिन यह निर्णय होना बाकी था कि कम स्केलिंग डाउन जिसे कहते हैं जो बहुत छोटे काश्तकार हैं, भूमिहीन हैं, उनके कर्जे को कुछ हद तक माफ कर दिया गया और उसके ऊपर किस हद तक कम किये जायं इसके बारे में कानूनी सलाह ली जानी थी जो काम अधूरा रह गया । अभी मन्त्री जी ने बहुत बातें बतायीं और कुछ कदम उठाये लेकिन पूरी स्कीम क्या है उसकी जानकारी होना बाकी है । मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान शासन की ऋण अनुतोष में बुनियादी नीति क्या है । पुराने डेट्स में रिलीफ तथा जो स्केलिंग डाउन की स्कीम थी बहुत सी बातें इसमें संशोधित की हैं वह अच्छा किया है और जो असंशोधित हैं उनको किस प्रकार से लागू करने का इरादा है वह मालूम होना चाहिये । डेट रिलीफ की व्यवहारिक रूप में अगर यह सरकार परिवर्तित कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी चाहे उसे २० सूत्री कार्यक्रम कह लें, अन्त्योदय कह लें या समाजवादी कदम कह लें । संशोधनों के जरिये से कभी-कभी पहले से सूचना न होने पर उद्देश्य और कारण में जो बारीकियां होती हैं वे नहीं आ पाती हैं । कानूनी छूट देने से ऋण अनुतोष में क्या-क्या कठिनाइयां छोटे किसानों तथा निर्बल लोगों को पेश आती हैं यह सब लोग जानते हैं । इसलिये अगर यह सप्ताह भर के लिये प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा । मुझे भी कुछ सुझाव देने हैं । प्रवर समिति में जो कागजात और फीगर्स अब तक नहीं मिल सके हैं प्राप्त हो सकेंगे जैसे दो एकड़ के जो छोटे काश्तकार हैं जो ऋण अनुतोष से प्रभावित होंगे कितने अधिकारी इस कार्य को देख रहे हैं, क्या-क्या कमियां हैं ये सब बातें प्रवर समिति के समक्ष आ सकती हैं और उसमें हम सब मिल कर इसको और प्रभावी बना सकते हैं । लिहाजा मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव आया है स्वीकार करने की कृपा करेंगे क्योंकि कुछ शाब्दिक संशोधन भी करने की आवश्यकता है, वहां उनका भी निराकरण हो सकेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लिया। जिस मकसद के साथ इस बिल को रखा गया था उसमें इस संशोधन के रखने से छोटा सा झटका लगता है। एक तरफ तो गरीब आदमी को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं लेकिन आपने उसकी पूरी फैमली की इनकम को जोड़ लिया और दूसरी तरफ जो बड़ा आदमी लोन देने वाला है उसको आपने मौका दे दिया कि वह गली से चिटफंड के नाम से या बेवा के नाम से निकल जाय। मेरे मुरादाबाद में ही एक कोठीवालों की बहुत बड़ी फैमिली है जिनका लेन देन पूरे भारत के अंदर है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और बंगाल तक उनका लेनदेन है और करोड़ों रुपयों का है। उनकी फैमिली में बेवायें भी हैं। तो इसमें जो आपने बेवा को एक्जम्ट किया उससे इस बिल की जो मंशा है वह डावां डोल हो जाती है। जो बड़े आदमी हैं उनको आप कह रहे हैं कि चिटफंड के नाम पर बेवा के नाम पर छूट ले ली। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बिल को एक सप्ताह के लिए प्रवर समिति में रख कर मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बार-बार कहा गया है कि इसका अध्यादेश कांग्रेस शासन के द्वारा किया गया था। यह सच है उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन यह भी सच है कि इसके कार्यान्वियन में काफी देर हुई। उसका कारण यह है कि अध्यादेश करने के बाद नियमावली नहीं बनी और जो अधिकारी नियुक्त करना चाहिये था वह भी कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं हो पाया। इन दो कारणों से यह कानून कागजी कानून केवल प्रचार के लिए बन कर रह गया जिसका लाभ लोगों को नहीं हुआ। तिवारी जी ने २० सूत्री प्रोग्राम का नाम लिया, उस वक्त शायद २० सूत्री प्रोग्राम में सुरंत कार्यवाही होती थी लेकिन इस सम्बन्ध म वह नहीं हुई। जब यह अधिनियम बन गया और नियमावली शासन ने बना दी और अधिकारी नियुक्त कर दिया फिर भी ६ महीने का समय दिया था उसमें भी लोग आगे नहीं आये। कानून को वह नहीं पहचान पाये। यह देखा कि लघु कृषक जो हैं प्रार्थना-पत्र नहीं दे रहे हैं। देहात में आज भी लोग कहते हैं कि कर्ज के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं देंगे। लोग गांवों में आज भी डरते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें किया गया है कि अगर गरीब आदमी प्रार्थना-पत्र नहीं देता है लेनदार के लिए अनिवार्य कर दिया है कि १८ महीने के अंदर वह प्रार्थना-पत्र दे दे। अगर दोनों तरफ से प्रार्थना-पत्र नहीं देंगे तो वह व्यक्ति कर्जामुक्त हो जायेगा। इसलिए लेनदार पर जिम्मेदारी डाल दी है कि कितना कर्ज दिया है और उसमें से कितनी वसूली हो गई है और वह वसूली दुगने से ज्यादा नहीं होगी। मैंने जैसा बताया कि गांवों में लोगों को कठिनाई हो रही है वह समझते हैं कि अगर कर्जदार के लिए, महाजनों के लिए दरखास्त दे देंगे तो भविष्य में कर्जा नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रयत्न है कि हर ब्लाक में बैंक हो। लेकिन फिर भी जो बे-पढ़ा आदमी है, जिसको महाजन द्वारा घर पर ही कर्ज मिल जाता है तो वह कर्ज ले लेता है। मैंने जो उनकी कठिनाइयों का अनुभव किया, तो उसके लिये इसको किया। अगर १०० या २०० की बात है तो कोआपरेटिव से ले सकता है। लेकिन उसे तो तुरन्त पैसा चाहिये कभी अनाज के लिये, कभी उसको धोती लेना है, तो उसके लिये। लेकिन इसको

जितना व्यापक बना सकेंगे, जितनी सुविधायें दे सकते हैं, देंगे तो उसको कर्ज मिल सकता है । अभी तक यही प्रयास कर रहे हैं कि उस पर कोई कानून के जरिये से उसकी लाचारी का लाभ उठा कर उससे अधिक से अधिक सूद वसूल करें और जिन्दगी भर के लिये उसको मजबूर कर दे, तो उसको इस चीज से मुक्त करना चाहते हैं ।

इसमें काफी देरी हो रही है । जिस भावना से इसको करना चाहते हैं, उसमें अगर सहयोग देंगे तो वह जल्दी हो जायेगा । तो जो संशोधन रखा है, उसे वापस लेंगे । मैं तिवारी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह तो पास कर लेते हैं लेकिन मैं उनसे विचार-विमर्श करने के लिये हमेशा तैयार हूं और अगर वह कोई सुझाव देते हैं कि जिससे उनको राहत मिलेगी, तो उसमें मेरी तरफ से कोई कंजूसी नहीं होगी । फिर आगे उसपर कानून बना सकते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

केवल ८ दिन की तो बात है ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

८ दिन क्या जब साल भर नहीं कर सके तो उसमें क्या हो जायेगा ? यह तो केवल एक तरह का अड़ंगा हुआ । साल भर बैठे हैं और जब कानून लाते हैं तो कहते हैं । अगर केवल प्रस्ताव रखना है तो दूसरी बात हुयी लेकिन अगर कोई सुझाव देना चाहते थे, तो दे देते तो कर लेता । तो सात दिन बढ़ा कर अब उसमें और विलम्ब न करें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता क्योंकि इस बिल से बड़े आदमियों को फायदा होने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से ९ तक

2--उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, १९७७ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में,--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 १९७७ की धारा २ का संशोधन

(क) खण्ड (४) में, शब्द 'ऐसे व्यक्ति के दायाद" के पश्चात् शब्द "या समनुदेशित" बढ़ा दिये जायेंगे और सदन से बढ़ाये गये समझे जायेंगे,

(ख) खण्ड (८) में, शब्द "का तात्पर्य" के पश्चात शब्द, "किसी ग्राम में निवास करने वाले" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे;

(ग) स्पष्टीकरण--तीन के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा; और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--चार--जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी सम्पत्ति का अन्तरण किया हो और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, १९२० के अधीन ऐसे अन्तरण के अभिशून्यन के लिए कोई कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन हो, वहां इस प्रश्न का कि अन्तरक सीमान्त कृषक है या लघु कृषक, अवधारण ऐसी कार्यवाही में दिये गये अन्तिम आदेश पर विचार करने के पश्चात् ही किया जायगा।"

धारा ४ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"(ख) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऋणी द्वारा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय दो हजार चार सौ रुपये से अधिक हो, देय प्रत्येक ऋण पूरी तौर से उन्मोचित हो जायगा, यदि ऋणी--

(एक) अपना ऋण चुकाने में, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी समय ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि की दुगुनी से अधिक या दुगुनी धनराशि का भुगतान कर चुका है, और एसा उन्मोचन ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगा;

(दो) एसे प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् ऐसी धनराशि का जो ऐसा ऋण चुकाने में पहले ही दी गयी किसी राशि को मिलाकर ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि के दुगुने के बराबर या उससे अधिक है, या वास्तव में देय धनराशि का, जो भी कम हो, भुगतान करता है, और ऐसा उन्मोचन ऐसे भुगतान के दिनांक से प्रभावी होगा।"

धारा ५ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ५ में--

(क) खण्ड (ख) में वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"परन्तु--

(एक) जहां कोई वाद या कार्यवाही ऐसी ऋणी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त रूप से संस्थित की जाय, वहां इस खण्ड की कोई बात उस वाद या कार्यवाही, जहां तक

उसका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, के अनुरक्षण के सम्बन्ध में लागू न होगी,

(दो) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व और पश्चात् दिये गये ऋण के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कोई वाद किसी ऋणी के विरुद्ध संस्थित किया जाय, वहां इस खण्ड की कोई बात, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् दिये ऋण के सम्बन्ध में वाद के अनुरक्षण पर लागू नहीं होगी;"

(ख) खण्ड (ग) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) का परन्तुक यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस खण्ड में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह उस खण्ड में विनिर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही पर लागू होता है;"

(ग) खण्ड (ङ) में, शब्द "यदि ऐसी सम्पत्ति उसके कब्जे में हो" निकाल दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(च) किसी ऋणी द्वारा निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के प्रत्येक बन्धक का मोचन हो जायगा और बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त कर दी जायगी।"

५—मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी। अर्थात्— नयी धारा ६-क का बढ़ाया जाना।

"६-क (१) धारा ५ के खण्ड (च) में निर्दिष्ट ऋणी बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश देने और मोचन करने का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये उस क्षेत्र में, जिसमें ऐसा ऋणी साधारणतया निवास करता हो, अधिकारिता रखने वाले ऋण परिशोधन अधिकारी को आवेदन-पत्र दे सकता है; स्थावर सम्पत्ति का निर्मुक्त किया जाना

(२) (क) ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् ऋण परिशोधन अधिकारी बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश देगा और विहित प्रपत्र में मोचन प्रमाण-पत्र देगा जो किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में ऐसे मोचन के साक्ष्य के रूप में अनुमन्य होगा;

(ख) ऋण परिशोधन अधिकारी लेनदार या लेनदार के अन्तरिती को—

(एक) आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व ऋणी को बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा देने का निदेश

भी देगा यदि बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति ऋणी के कब्जे में पहले से न हो; और

(दो) आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व बन्धक-विलेख या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी निदेश देगा और ऋण परिशोधन अधिकारी बन्धक विलेख या अन्य दस्तावेज पर मोचन का पृष्ठांकन करेगा ।

(३) उपधारा (२) के अधीन आदेश के लिए कार्यवाही लम्बित रहने तक कोई लेनदार या लेनदार का अन्तरिती ऋणी द्वारा बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में न तो अपने हित का अन्तरण या अन्यथा समनुदेशन करेगा और न अपने पुरोबन्ध अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

(४) जहां लेनदार द्वारा किसी बैंक को बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अन्तरित कर दी गयी हो या बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति में कोई अधिकार समनुदेशित किया गया हो, वहां ऋण परिशोधन अधिकारी लेनदार से ऐसी धनराशि, जो उक्त बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसे बैंक को देय हो, उसी प्रकार वसूल करेगा मानों वह भू-राजस्व बकाया हो, और उसे उक्त बैंक को देगा ।"

धारा ८ का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (१) में, शब्द "धारा ६ के अधीन तहसीलदार द्वारा" के पश्चात शब्द "या धारा ६-क के अधीन ऋण परिशोधन अधिकारी द्वारा" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा १० का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (३) में शब्द "उपधारा (१) या" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा १२ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १२ में, शब्द "एक वर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे ।

धारा १४ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा १४ में, शब्द "सम्पत्ति का प्रत्यक अन्तरण" के स्थान पर शब्द "१० अक्तूबर, १९७५ को या उसके पश्चात् किया गया स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण" रख दिये जायगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ९ तक इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १० तथा खण्ड ११ से १७ तक

धारा १७ का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (१) में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा १८ का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा १८ में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्--

"(ङ) लघु कृषक की वार्षिक पारिवारिक आय का ब्योरा ;

(च) धारा २० में निर्दिष्ट वर्ष के लिये कृषि उपज का स्थूल मूल्य ।"

धारा १९ का संशोधन

१२--मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (१) में, शब्द "छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से" के स्थान पर शब्द "धारा ९ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट दर से" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे ।

धारा २० का संशोधन

१३--मूल अधिनियम की धारा २० में, शब्द "ब्याज सहित" के स्थान पर शब्द "जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है" रख दिये जायेंगे ।

धारा २१ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २१ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को किसी लघु कृषक द्वारा देय प्रत्येक ऋण, जिसके सम्बन्ध में धारा १७ के अधीन कोई आवेदन-पत्र न दिया जाय, उक्त धारा की उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर और धारा ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चुकता हो जायगा और उसकी वसूली नहीं की जायगी ।"

धारा २५ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा २५ में--

(क) खण्ड (ढ) में, शब्द "ऋणी" के पश्चात् शब्द "या लघु कृषक" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे ।

(ख) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात्--

"(त) किसी चिट फण्ड योजना के अधीन संचालित चिट के अधीन उपगत या उत्पन्न प्रत्येक दायित्व;

(थ) किसी विधवा को देय प्रत्येक ऋण,

(द) प्रत्येक महर का ऋण ;

(ध) सेवा संविदा का उल्लंघन करने से उत्पन्न प्रत्येक ऋण।"

धारा २४ का संशोधन

१६--मूल अधिनियम की धारा २८ में, शब्द "ऋणी" के पश्चात् शब्द "या लघु कृषक" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे ।

धारा २९ का संशोधन

१७--मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (१) में, शब्द "दस्तावेज प्रस्तुत करने" के पश्चात् शब्द "और मामलों के समेकन" बढ़ा दिये जायेंगे ।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :--

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ में खण्ड १० के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिय जाय :

"१०--मूल अधिनियम की धारा-१७ में, उपधारा (१) में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं :"

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुतः इस सद्उद्देश्य से इस संशोधन को प्रस्तुत किया कि कृषकों को उसका वास्तविक लाभ पहुंचे । इसलिए आवश्यक है कि इसकी अवधि जो १८ मास की रखी गयी है जिसके अन्तर्गत लघु कृषक अपने ऋण को कम करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है, बढ़ा कर दो वर्ष दिया जाय । यह इसलिए भी आवश्यक है कि यह अधिनियम और संशोधन २१ फरवरी, १९७७ से लागू हुआ और १८ मास की अवधि अगर जोड़ते हैं तो २१ अगस्त, १९७८ को समाप्त हो जाती है और आज २३ अगस्त, १९७८ है । अगर यह अवधि बढ़ायी नहीं जाती तो जिस उद्देश्य से यह रखा जा रहा है वह डिफीट हो जाता है । इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि १८ मास की अवधि बढ़ाकर २ वर्ष कर दिया जाय ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

यह संशोधन व्यावहारिक है और मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १० के स्थान पर निम्नांकित खंड रख दिया जाये :

१०--"मूल अधिनियम की धारा १७ में उपधारा (१) में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० तथा खंड ११ से १७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

१८-- मूल अधिनियम की धारा ३२ में वर्तमान पार्श्व-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जायेगा अर्थात्-- धारा ३२ का संशोधन

"विधि व्यवसायियों के उपस्थित होने पर प्रतिषेध"।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, १९७७ का संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम

*श्री नरेशचन्द्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, मैंने विधेयक के खण्ड १८ का विरोध किया है और उसमें संशोधन चाहता हूं। इस प्रस्ताव के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि जहां पर यह ऋण अनुतोष विधेयक गरीबों की मदद के लिए आया है वहीं व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह विधि व्यवसायियों की मदद लेने से मना करता है जिससे गरीब के साथ अन्याय होने की संभावना है । जब गरीब इस विधेयक के अन्तर्गत कोई प्रार्थना-पत्र देता है या कोई कानूनी तौर से मदद लेना चाहता है तो उस हालत में उसको वकील की आवश्यकता पड़ती है । वकील न कर सकने की स्थिति में उसके साथ अन्याय होने की सम्भावना है और इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव रखा है ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

इस संशोधन को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं क्योंकि जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त निर्बल, निर्धन और विपन्न लोग हैं । उनके लिए वकील करना सम्भव नहीं है । अगर इसको हम वर्जित नहीं करते तो जो महाजन और साहूकार लोग हैं वह अच्छे से अच्छा वकील खड़ा कर देंगे और जो राहत हम गरीब को देना चाहते हैं वह नहीं दे सकेंगे । सलाह वह ले सकते हैं लेकिन वकील को खड़ा कर के मुकदमेबाजी कर सकें मैं समझता हूं यह उनके लिए सम्भव नहीं है । केवल नाम का कानून हो जायेगा और महाजन और साहूकारों के लिए मौका दे देंगे और ऐसा पेचीदा प्रश्न पैदा कर देंगे कि वे हाईकोर्ट तक बढ़ते चले जायेंगे । मुकदमें में देरी करा देंगे और वह मन्तव्य कि जो हम गरीबों की सहूलियत देना चाहते हैं, उसमें शीघ्रता हो, वह समाप्त हो जायेगा । इसलिए मैं समझता हूं कि श्री रमेश चन्द्र जी हमारी भावना को समझते हुए अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १८, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रियासत हुसैन--

पहले उनसे कहा जाय संशोधन तो वापस लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई संशोधन मेरे पास नहीं आया है केवल विरोध किया है । इसलिए वापस लेने का सवाल नहीं उठता ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ दें जैसा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भिक्षा-वृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, यह इस विधेयक में एक छोटा सा संशोधन है । अब तक यह व्यवस्था थी कि भिक्षा-वृत्ति अधिनियम के अन्तर्गत जो लोग पकड़े जाते थे । प्रमाणित संस्थाओं में उनको रखने की अवधि ६ मास से एक वर्ष तक की थी । इस समय उनके लिए जो शिक्षा या ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था की जाती थी वह पर्याप्त नहीं हो पाती थी और वे बाहर निकल कर पुनः भिक्षा वृत्ति को अपना लेते थे । इसलिए उस अवधि को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है ताकि उस समय के बीच वे अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें और बाहर निकलने के बाद अपनी जीविका उससे चला सकें और पुनः भिक्षा वृत्ति न अपनायें । इस विधेयक की जो मूल प्रवृत्ति थी कि उनको इस योग्य बनाया जा सके कि वे बाहर निकल कर अपना जीवन यापन कर सकें, यही इस विधेयक का मन्तव्य है । यही एक छोटा सा संशोधन है । इसके सम्बन्ध में जो भाई रियासत हुसैन का एक प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाये वे इसको न रखें और वापस ले लें तो मैं उनकी अनुगृहीत होऊंगी । इन शब्दों के साथ मैं आशा करती हूं कि वे इस पर ध्यान देंगे ।

---

†दिनांक २२ मार्च, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदस्यगण इस बात का ध्यान रखें कि अभी बाढ़ पर चर्चा होना है, इसलिए भाषण संक्षेप में दें ।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे । इसमें दो राय नहीं हैं कि जो अवधि बढ़ाने की बात मंत्री जी ने कही है वह उचित है, परन्तु उनके साथ इसमें यह कोई गारन्टी नहीं दी है कि वक्त बढ़ाने के बाद भी जब वह वहां से निकलेंगे ट्रेन्ड होकर तो उन्हें स्वयं का धन्धा चलाने के लिए उनके पास पैसा उपलब्ध रहेगा । आपने ६ महीने को एक साल और एक साल के स्थान पर दो साल कर दिया है, लेकिन इसमें यह गारन्टी नहीं दिया है कि उसकी जेब में पैसा होगा या वह खाली हाथ होगा ।

आजकल मामूली धन्धा जैसे कुर्सी बीनने के काम के लिए भी २००-२०० रुपये की जरूरत पड़ती है । आप ने इस चीज का प्रबन्ध नहीं किया है कि एक या दो साल के बाद जब वह निकलेगा उसका कोई सेफ वजीफा आप अलग रखते रहेंगे । जो उनको निकलने के समय दिया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह उनको उस रुपये की मदद से इस्टेब्लिश कर दे । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इस चीज की भी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां से ट्रेनिंग लेकर निकलने के बाद उसके पास कोई सार्टिफिकेट हो, जिसके माध्यम से उसे किसी बैंक आदि से आवश्यक लोन आदि आसानी से मिल सके । यदि ये दोनों चीजें नहीं होंगी, तो मैं समझता हूं कि समाज में भीख मांगने से मुश्किल और आसान कोई काम नहीं है और वह उसे छोड़ नहीं पायेगा । मिसाल के लिये कैदी जेलों में लम्बे अर्से तक रहने के बाद वहां से हुनर सीखकर आते हैं, लेकिन जेल से निकलने के बाद कितने लोग उस काम को अपनाते हैं ? सर्वेक्षण से पता चला है कि ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत ही कम है, क्योंकि उनके पास पैसा तो होता नहीं है । इसलिए इस बात की व्यवस्था हो कि जितने दिन भिखारी वहां रहें उनको पैसा देते रहें और वह सेफ रहेगा, जिससे वहां से ट्रेन्ड होकर निकलने के बाद उस काम को चलाने के लिए उनको रुपया मिल सके और आप का विभाग यह देखे कि उनकी ट्रेनिंग व्यर्थ न चली जाय । इसलिए इस पर पुनर्विचार करने के लिए इसे एक सप्ताह के लिए प्रवर समिति में भेज दें, यह अवधि बहुत थोड़ी है, इसमें कोई देर नहीं होगी ।

*श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने जो भिक्षावृत्ति प्रतिशेष विधेयक सदन में रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि रियासत भाई जी ने, जो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने की बात कही है, उसे वह वापस ले लेंगे, क्योंकि समाज का कोई भी व्यक्ति भिक्षा वृत्ति को अच्छी चीज नहीं समझता है । एक भी भिखारी यह नहीं चाहता है कि वह दूसरे के सामने हाथ फैला कर भीख मांगे । उसकी कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मजबूरियां होती हैं। हमारे रियासत भाई ने यह भी महसूस किया होगा कि हमारे समाज में कमजोर तबके में कुछ विशेष जातियां हैं जो भिक्षावृत्ति में लगी हुई हैं। साथ ही साथ यह भी सही है कि कुछ लोग व्यवसाय के तौर पर भिक्षा वृत्ति कराते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वतः भिखारी हैं और कुछ लोगों से भिक्षा वृत्ति करवायी जाती है। जहां तक मुझे जानकारी है ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो कि घरों से पलायन कर जाते हैं और उनको अपंग बना कर विकृत कर दिया जाता है और उनसे भिक्षा वृत्ति करायी जाती है। ऐसी भी समस्यायें सामने हैं।

माननीय मंत्री जी ने कुछ अवधि बढ़ाने की बात की है ताकि कोई भी भिखारी जो छः महीने में प्रशिक्षण ग्रहण नहीं कर सकता था वह अब दो साल में एक साल में प्रशिक्षण पूरा कर लें उसके बाद वह अपने धंधे में लगे। हमारे रियासत भाई ने एक बात कही थी कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती, उसके नाम से १५ रुपये, २० रुपये २५ रुपये रख दिये जाते। यह व्यवस्था गलत होगी। जब वह प्रशिक्षित हो कर निकलेगा तब समाज कल्याण विभाग इस दिशा में सक्रिय है, जो समाज के कमजोर लोग हैं उनके लिए समाज कल्याण विभाग की अपनी योजनायें हैं और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि एक निर्धारित धनराशि उसके लिए रख दी जाय। मुझे विश्वास है कि रियासत भाई इस विधेयक की गुरुता को दृष्टि में रखते हुए अपना संशोधन वापस ले लेंगे कि इसको प्रवर समिति को सुपु किया जाय। इसको जितनी जल्दी हो सके पास करना चाहिये। यह विधेयक पहले ही आना चाहिये था। मुझे ऐसी अपेक्षा है कि वह इसका समर्थन करेंगे।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधयक रखा है, सचमुच छोटा है। उद्देश्य भी उचित मालूम होता है। वह ठीक है। लेकिन जैसा कि रियासत जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हमारे जेलों के सुधार के लिये दो स्थान बनाये गये, घुरमा, मिर्जापुर में कैदी पत्थर तोड़ते हैं। उनको पैसा भी मिलता है छूटने के बाद। शिकारगंज में पहले पैसा दिया जाता था। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अल्टीमेटली यही नतीजा निकलेगा, सीखने के बाद अब तक का मैं रिजल्ट जानना चाहता हूं कि छः महीने में आपने काम सिखाया या एक साल में सिखाया कोई सर्वे है कि जो लोग सीख कर निकले उन्होंने उस पेशे को अपनाया कोई सर्वे नहीं है। जब से यह कानून बना है तब से ले कर आज तक भिक्षावृत्ति करने वाली की तादाद में १० गुना से ज्यादा वृद्धि हो गयी है। समाज कल्याण विभाग ने क्या तरकीब अपनायी? यह तो लिमिटेड लोगों को जिनको पकड़ लेंगे, १००, २००, ४००, दस-पांच होम्स हैं जहां वे सिखाये जाते हैं, बाकी जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं, उनकी भिक्षा वृत्ति रुके उसके लिए सरकार ने क्या विचार किया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है। इसके बाद इस विभाग को इस प्रश्न के ऊपर विचार करना चाहिये। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। समाज के सामने सबसे अपमानित पेशा यही है। अगर लोग भिक्षा वृत्ति से अलग हो जायें तो बहुत अच्छा हो जाय। इसके लिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा। जिन लोगों को हम प्रशिक्षण देते हैं उनके आंकड़े हमारे पास होने चाहिये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके लिए हमारे पास फन्ड होना चाहिये जिससे हम उनको सहायता कर सकें। उनके प्रशिक्षण के लिए मास्टर रखे जाते हैं उनपर तमाम रुपया खर्च होता है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं निकलता है। यह एक बड़ा अहम प्रश्न है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। और इसी भावना को लेकर माननीय रियासत साहब ने यह संशोधन रखा है। माननीय मंत्री जी उसे मानेंगी नहीं। यह समाज के उत्थान का प्रश्न है इस पर माननीय मंत्री जी को गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये और विचार करना चाहिये।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये। कांग्रेस के ३० वर्ष के शासन काल में ग्रामीण उद्योग धन्धों को, कुटीर उद्योगों को और छोटे २ धन्धों को नष्ट कर दिया गया। यह कहा गया कि जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे वह अपने धन्धों को कैसे चलायेंगे। हमारी सरकार ने छोटे उद्योग धन्धों को सहायता देने के लिये कार्यक्रम बना लिया है और जो लोग प्रशिक्षण कर के निकलेंगे उन्हें कार्य मिलेगा और हमारी जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन एक आशंका है कि जो कुछ हमारी किताबों में लिखा गया है कि "औरों को धन चाहिये बावरे ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा" तो इसका निदान करना पड़ेगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

वह भी तो आप छीन ले रहे हैं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। कांग्रेस के जमाने में भिक्षुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने की योजना थी और कुछ जिलों में रोक लगा दी गयी थी। लेकिन जब से यह जनता सरकार आयी है तब से मालूम होता है कि सभी जगह पर भिक्षुक हो गये हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पर इनकी संख्या बहुत कम है। कर्मचारियों की संख्या वहां पर अधिक है। कर्मचारी जो हैं उनको काम मिलता रहे, यह इसीलिए है। माननीय मंत्री जी अगर एक भी जगह बता दें कि ऐसा नहीं है तो मैं समझूंगा कि यह ठीक है। मैं तो यह समझता हूं कि मंत्री जी को सही बात कहनी चाहिए। प्रशिक्षण केन्द्रों पर कोई है नहीं। उनके साथ वही व्यवहार किया जाता है जैसा कि भिक्षुकों के साथ किया जाता है। उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। इस तरह का वहां पर व्यवहार होता है इसलिए वहां पर कोई जाना पसन्द नहीं करता है। उनके साथ मनुष्यता का व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है मान्यवर, जो प्रशिक्षित होकर बाहर निकलें तो उनके पुनर्वासन की व्यवस्था होनी चाहिए तब जाकर काम बनेगा। सच्चाई तो यह है कि भिक्षा की जो वृत्ति है वह बहुत ही अपमानजनक है लेकिन इतने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव बहादुर सिंह--]

गैंग हैं जो बच्चों का अपहरण करते हैं, उन्हें अपंग बनाते हैं और फिर उनसे भिक्षावृत्ति कराते हैं तो इसका भी प्रबन्ध होना चाहिए । उनके खिलाफ कार्यवाही हो तब तो हम समझेंगे कि सरकार सतर्क है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी चाहते हैं कि भिक्षावृत्ति का इस प्रदेश से समूल नाश हो तो उनके लिए योजना बनानी पड़ेगी । मैं तो कहूंगा कि इसे तो आप वापस ले लें । छः महीने एक-एक साल बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है । इसलिए माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल) --

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् वास्तव में यह एक लज्जा का विषय है कि ३० साल की आजादी के बाद भी आज हम देखते हैं कि बड़े-बड़े नगरों में भिक्षुकों की संख्या बहुत बढ़ी है । जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब जगह भिक्षुक हैं । जहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं वहां पर भिक्षुकों की लाइन लगी रहती है । माननीय मंत्री जी एक संशोधन ले आये और उस संशोधन के जरिये अपेक्षा करते हैं कि भिक्षा वृत्ति को खतम कर देंगे जो कि असंभव है । भिक्षा वृत्ति हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है । बहुत से विकलांग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं जो काम नहीं कर सकते । मैं पूछना चाहता हूं कि उनके लिए आपकी क्या योजना है ?

मान्यवर, हरिद्वार के अन्दर और ऋषिकेश में अनेक भिक्षुक मिलेंगे, जिनकी उंगलियां गल चुकी हैं । हाथ गल चुके हैं उनके लिए आपकी क्या योजना है ? मान्यवर, केवल एक ही योजना है कि जो भिक्षा मांगे उसको बन्द कर दो । पहले ६ महीने के लिए बन्द करते थे अब उसे २ साल के लिए कर दिया गया है । मान्यवर, यह तो समस्या का कोई हल नहीं है । क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं या नहीं कि कितने भिक्षुक हैं जिनको आपने रोजगार दिया । आप आंकड़े तो दीजिए । लगातार आप कानून पास करते जा रहे हैं और समझते हैं कि इस कानून के जरिये इतनी बड़ी समस्या का निराकरण कर लेंगे, मैं समझता हूं कि आप प्रदेश की जनता को और इस सदन को गुमराह कर रहे हैं । बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए आपके पास कौन सी योजना है ? विकलांगों को कोई काम दिलाने की आपके पास क्या योजना है ? भिक्षुकों को रोजगार देने के लिए आपके पास क्या योजना है ? क्या केवल यही एक योजना है कि जो भिक्षा मांगे उसे बन्द कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेगी जी आपका समय समाप्त हो गया है ।

(इस समय ४ बज कर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं । तो मान्यवर, मैं माननीय रियासत हुसैन जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सोचा था कि जो नयी सरकार आयेगी तो जो भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, है उसको प्रस्तुत न करके, उसको वापस ले लेगी। कांग्रेस की सरकार ने वर्ष १९७५ में एक कानून बनाया था, जो बिल्कुल ही गैर जरूरी था और गत ३ वर्षों से मैं जो वाराणसी में देख रहा हूं। वह यह है कि वे ही लोग पकड़े जाते हैं जो भिक्षा नहीं लेते हैं। उनको जबर-दस्ती पकड़ कर रोका जाता है और वे फिर भाग जाते हैं। उसका कारण यह है कि गृहों में जो दशा विद्यमान है, वह संतोषजनक नहीं है और इसलिए न उनका वर्तमान अनुरूप है और न भविष्य के लिए कोई योजना है जिसकी माननीय मंत्री जी को चिन्ता है। आप स्वयं जाकर देखें जो दशा हमारे होम्स की है उससे भिक्षावृत्ति में कमी कदाचित भी इस प्रदेश में होने वाली नहीं है। यह एक आर्थिक व्यवस्था है। न इस वृत्ति में एक जाति के ही लोग हैं, अपंग लोग हैं। चौधरी की बिरादरी के कितने लोग भिखमंगे बनारस में पड़े हुए हैं, अगर वे मेरे साथ चलें तो मैं उनको दिखा दूंगा। आप उनको टी० ए०, डी० ए० दिलवा दीजिए ? यह एक बड़ी आर्थिक समस्या है और इसके लिए कोई वृहद योजना सरकार को लानी चाहिए थी। कांग्रेस सरकार ने तो गल्ती की है लेकिन आप तो उनकी नकल न करें। मैं चाहूंगा कि आप इसको वापस ले लीजिए और एक बहुत बड़ी योजना बनाइये क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो सोचा था वह तो अपर्याप्त था लेकिन आप जो सोंच रहे हैं, वह गैर जरूरी है। यह कुछ लोगों के भोजन की व्यवस्था है, इसलिए इसको आप वापस ले लीजिए ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह जो भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक है क्या इसमें राजनैतिक भिक्षा है, उसका भी प्रतिषेध है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप एक नौन औफिशियल बिल लायेंगे तो जरूर होगा।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लिया। भिक्षा के सम्बन्ध में हमारा कुछ विश्वास है, कुछ आस्था है। देश में हर धर्म के आदमी आस्था रखते हैं। चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो और चाहे अजमेर शरीफ हो जब वहां पर एक गरीब होता है, मजबूर होता है, भीख मांगता है, भगवान और खुदा के नाम पर जोड़ी सलामत रहे के नाम पर भिक्षा मांगता है तो जो लोग आस्था रखने वाले वहां पर जाते हैं उसको ५-१० पैसा दे देते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप किसी को कोई ट्रेनिंग देते हैं.....।

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण दे रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

तो मैं कह रहा था कि जो लोग भिक्षा में बिजिनेस करते हैं उनका आपको मुकाबला करना पड़ेगा और उनके लिए आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा। जिन लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए यह होना चाहिए कि जो ६ मास तक ट्रेनिंग लेंगें, उनको ५०० रुपया और जो एक साल तक ट्रेनिंग करेंगे उनको एक हजार रुपया देंगे तो वे एस्टेब्लिश हो जायेंगे तो मेरा सुझाव है कि उनके लिए विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

*श्रीमती चन्द्रावती--

श्रीमन्, यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है। रियासत साहब की मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक की भावना और मंशा से अपनी सहमति प्रकट की है। जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा। मेरा अपना भी विचार यही है कि इस छोटे से विधेयक से ही केवल भिक्षा-वृत्ति का निवारण होना सम्भव नहीं होगा। उसके लिये अपने-अपने दिलों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होगा। यह भी सही है कि अब तक लगन से इस विधेयक के अनुसार काम किया ही नहीं गया। अगर लगन से अब तक काम किया गया होता तो कुछ परिणाम अवश्य निकला होता। दो वर्ष की ट्रेनिंग के बाद जो उनको समुचित धन देने की बात है, इस पर विचार किया जायेगा। मैं इसका भी प्रयत्न करूंगा कि जो भिक्षुक बाहर जायें उनके पूरे आंकड़े रखे जायें और उनके पते वगैरह भी विभाग के पास हों। उनके लिये ऋण की व्यवस्था भी होना चाहिये ताकि वे जीवन-निर्वाह कर सकें। मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो लोग तीर्थ स्थानों पर जायें वे भी कुछ संयम से काम लें। जो कुछ धन या सहायता वे करना चाहें वे इस विभाग को अथवा किसी संस्था को ही दें। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगी कि रियासत साहब अपना संशोधन वापस ले लें। उनकी भावनाओं पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड २, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, १९७५ का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३६, १९७५ की धारा १० का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, १९७५ की धारा १० में, उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(५) यदि पूर्ववर्ती अंतिम उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को भिक्षुक माना जाय तो न्यायालय निम्नलिखित कोई आदेश दे सकता है, अर्थात्—

(क) यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाय कि उस व्यक्ति द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक माना गया है, पुनः भिक्षा मांगने की संभावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह उस अवधि में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त रहे, भिक्षा मांगने से प्रविरत रहेगा और सदाचार रखेगा;

(ख) न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम न होगी और दो वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय किसी अनुवर्ती आदेश द्वारा, और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी निरोध अवधि को कम कर सकता है।"

श्री अध्यक्ष—

चूंकि संशोधन नहीं हैं, इसलिये मैं सब खंड एक साथ ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री हाफिज रजा खां और श्री राम आसरे वर्मा की नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना को स्वीकार किया है । दिनांक ९-८-७८ की रात्रि को रुहेलखंड विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार श्री ओमपाल सिंह पर बरेली सिविल लाइन्स स्थित रेस्टोरेंट में फायर तथा कुछ छात्रों द्वारा रजिस्ट्रार से जबरन इस्तीफा लिखवाये जाने के विषय में है ।

माननीय गृह मंत्री इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, २८ को दे देंगे ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैंने १०३ का एक प्रस्ताव दिया था, उसका अगर टाइम मुकर्रर कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

उस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार करने के बाद अगर वह स्वीकृत हुआ तो समय देने की बात आती है ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, कल का समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मैं नहीं कह सकता ।

जिला प्रशासन झांसी द्वारा आग्नेयास्त्रों की नीलामी में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, गत २४ जून, १९७८ को जनपद झांसी की कचेहरी में जब्त किये गये ९ शस्त्रों (एक रिवाल्वर, एक पिस्तौल, दो राइफल, एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक और चार एस० बी० बी० एल० बन्दूकें) की नीलामी की गयी । इस नीलामी में नौ अधिकारियों के अतिरिक्त दो अधीकृत शस्त्र विक्रेताओं ने भी बोली बोली थी । इन सभी शस्त्रों का कुल अनुमानित न्यूनतम मूल्य रु० २,५५० निर्धारित किया गया था । इसके विपरीत नीलामी में इन शस्त्रों की अधिकतम बोली के अनुसार कुल कीमत २,८५५ रुपये आई । इसी कीमत पर नीलाम स्वीकृत किये गये । इस नीलाम में हुई कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन को शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच आयुक्त, झांसी मंडल, द्वारा कराई गयी ।

आयुक्त से प्राप्त जांच आख्या से यह आभास हुआ कि प्रश्नगत नीलामी का सार्वजनिक रूप से व्यापक प्रचार समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं किया गया जिससे जनता में यह भावना हुई कि यदि इस नीलाम का व्यापक प्रचार होता तो कदाचित शासन को अधिक धनराशि प्राप्त होती । इस नीलाम में सभी शस्त्रों के लिये सरकारी अधिकारियों ने ही सबसे अधिक बोली लगाई और उन्हीं के पक्ष में नीलाम स्वीकृत किया गया यद्यपि सरकारी अधिकारी शासनादेश के अनुसार इस प्रकार की बोली लगाकर शस्त्र का क्रय कर सकते हैं परन्तु प्रशासनिक दृष्टि से उपर्युक्त परिस्थितियों में सभी अधिकारियों के द्वारा इस नीलाम में इस प्रकार बोली लगाना प्रशासकीय दृष्टि से उचित नहीं था ।

शासन ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है और उक्त नीलाम को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है । आयुक्त की जांच आख्या के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों का अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की जायेगी ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इसी जगह झांसी में केवल दो माह पूर्व एक बन्दूक की नीलामी हुई, जिसकी बोली एक बन्दूक की २८०० रुपए मिली और वह खजाने में जमा हुई ।

श्री राम सिंह—

इस प्रश्न से सम्बन्धित यह सूचना तो है नहीं जो माननीय मिश्रा जी मांग रहे हैं, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, क्या यह बात सही है कि अधिकारियों के सर्विस कन्डक्ट रूल्स में यह है कि बिना ऊपर के अधिकारियों की आज्ञा के नीलामी में भाग नहीं लेना चाहिए । यह सही है तो इन ९ अधिकारियों को जिनकी सूची मंत्री जी ने नहीं पढ़ी, मेरे पास है । इसमें हैं—श्री देवी दयाल, जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी । श्री एस० पी० सक्सेना, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी । श्री एम० सी० रावत, पुलिस अधीक्षक, झांसी । श्री बिला तिवारी, उप नियंत्रक नगर सुरक्षा, झांसी । श्री जी० एन० सिन्हा, उप पुलिस महानिरीक्षक, झांसी । श्री रोशन सिंह, आर० आई० । श्री एम० आई० हैदर, श्री मुरारी लाल तिवारी, इलेक्शन अफसर, झांसी, श्री रनवीर सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक । तो यह लोग हैं और इस नीलामी में रुपया जमा हुआ कुल मिलाकर २८५५ । बोली ११५ से लेकर ५५० तक हुयी । क्या कभी आपने ऐसी बोली सुनी थी, नियमों में क्या कुछ प्राविधान है कि बिना आज्ञा बोली बोलें ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, बोली बोलने के लिए तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि सरकारी अधिकारी भाग न ले सकें । लेकिन इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए, जब यह तथ्य सामने आया कि केवल अधिकारियों ने ही बोली लगायी तो इसको निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है । अधिकारियों के ऊपर उत्तरदायित्व फिक्स किया जायगा कि किसकी जिम्मेदारी थी और क्या उल्लंघन हुआ है ? आयुक्त इसकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अभी मंत्री जी ने नीलामी को निरस्त करने की बात कही है। तो निरस्त करने की कार्यवाही कब तक हो जायगी ? हथियार कब तक जमा हो जायेंगे ? अनुशासनहीनता के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जायगी ?

श्री राम सिंह--

वैसे तो सभी तथ्य सामने हैं। केवल इतना ही रह गया है कि कितने अधिकारियों ने नियम का उल्लंघन किया है, जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत समय लगने की गुंजाइश नहीं है। एक महीने में कार्यवाही मुकम्मल कर देंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मंत्री जी ने कहा कि जितने अधिकारियों ने अनियमितता की है, तो इसकी जांच आयुक्त कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गोल बनाकर बिना प्रचार किए अधिकारियों ने ले लिया। तो क्या बदनीयती की जांच भी करायेंगे कि धन का दुरुपयोग किया है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो वह दे चुके हैं कि आयुक्त जांच कर रहे हैं। इसमें सभी प्रश्न निहित हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

अधिकारियों ने गोल बनाकर धन का दुरुपयोग किया है। बेईमानी की है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं, निरस्त इसीलिए तो कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

अनियमितता की बात नहीं है यह तो बेईमानी है। शासन का अधिकारियों के प्रति जो रुख है उसी के कारण मंत्रियों के खिलाफ दरोगा लिखता है कि मंत्री चोर है बेईमान है। आप कहते हैं कि उत्तर दिया जा चुका है। आप बेईमानों के रक्षक बने हुए हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस नीलामी के सम्बन्ध में जो अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है उनके खिलाफ फौरन कार्यवाही करके, उनके प्रोमोशन को रोक दिया जायगा और उनका ट्रान्सफर कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि जांच के बाद जो दोषी पाए जायेंगे उनको दंडित किया जायेगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो विभिन्न अधिकारी हैं वह किस-किस अनियमितता के उत्तरदायी हैं ? इसमें तीन तरह की गलती हुई हैं । पहली गलती एडवर्टाईज-मेन्ट नहीं हुआ, दूसरी प्रोपर परमीशन नहीं ली गयी और तीसरी गलती वित्तीय अनियमितता है कि पहले एक बन्दूक २८०० रुपए में बिकी और अब ९ हथियार कुल २८५५ रुपए में बिके । इसलिए मंत्री जी बताए कि कौन-कौन इस अनियमितता के कितने उत्तरदायी है ?

श्री राम सिंह--

मैंने जो सारी सूचना सदन को दिया है तो उससे नियमों का उल्लंघन हुआ है वह फिर चाहे जिस विषय से सम्बन्धित हो और उसमें उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

वहां के कमिश्नर, जो डी० आई० जी० के साथ में मौज करते हैं उनसे क्या स्वच्छ इंक्वायरी की अपेक्षा की जा सकती है । इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दूसरे डिवीजन के कमिश्नर से क्या वह इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

श्रीमन्, अभी कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आयी है जिससे कमिश्नर के ऊपर अविश्वास करें ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि नीलामी के दिन जब लोग कचेहरी पहुंचे तो उनसे कह दिया गया कि आज नीलामी नहीं होगी और दूसरी तारीख को होगी, लेकिन ५ बजे के बाद कमरा बन्द करके नीलामी कर ली गयी ?

श्री राम सिंह--

इसकी जानकारी नहीं है । जो आपने सूचना दिया है उसको मैं दिखला लूंगा ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मैं जानना चाहता हूं कि शस्त्रों की न्यूनतम अनुमानित मूल्य २५५० रुपए निर्धारित किया गया है तो इसका आधार अधिकारियों ने क्या बताया है ?

श्री राम सिंह--

इन शस्त्रों की जो नीलामी होती है उससे पहले उनकी कीमत आंकी जाती है और उसके लिए जो रिजर्व इंस्पेक्टर है उनको दिखाकर कीमत आंकी जाती है । यदि मतभेद कुछ होता है तो आर्म डीलर्स को बुलाकर कीमत पर विचार किया जाता है । उसी आधार पर उनकी मिनिमम कीमत निर्धारित की जाती है । उसको उपयुक्त नहीं समझा गया इसीलिए उसको कसिल किया गया है ।

श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

एडवर्टाईजमेन्ट न करके आपस में बैठकर जो अधिकारियों ने नीलामी कर ली और न नियमानुसार उन्होंने सरकार से अनुमति ली तो क्या इन असलाह की कीमत सरकार मिलिटरी अधिकारियों से जंचवाने को तैयार है ।

श्री राम सिंह--

नियमों में जो प्राविधान है उन्हीं के अनुसार उनकी कीमत आंकी जायगी और इस जांच में यह मामला आयेगा ही कि किस शस्त्र की क्या कीमत थी । जो प्रक्रिया है उसको ही फालो किया जायगा ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

एक महीने पहले एक दरखास्त होम सेक्रेटरी को मैंने भेजी थी कि मुरादाबाद में जो असलाह नीलाम होने वाले हैं उनकी इजाजत मुझे दी जाय । जिलाधीश ने कहा कि होम सेक्रेटरी की परमिशन लेनी होगी । स्पेशल सेक्रेटरी वर्मा ने कहा कि हम इजाजत नहीं दे सकते । अगर एक एम० एल० ए० को उसकी दरखास्त पर उसको असलाह नहीं मिल सकता तो फिर किसको मिल सकता है ? जितना मंत्रिमंडल यहां बैठा हुआ है अथवा हाई कमांड के लोग हैं ये सब हमको जलील कराते हैं । होम सेक्रेटरी से मिलने गया तो उसने कहा कि आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा और उसी जगह अधिकारियों को नीलामी में खरीदने की इजाजत दी गयी लेकिन हमें नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

श्री मुकीमुर्रहमान ने जो प्रश्न किया है क्योंकि वह आपेक्षात्मक है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

जो नीलामी होती है वह किसी उच्चाधिकारी की देखरेख में होती है तो जब शिकायत हुई कि इसमें अनियमितता बरती गयी तो क्या उस उच्चाधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मैंने उत्तर दिया कि जिस अधिकारी का भी दोष होगा वह चाहे नीलाम करने वाला हो, नीलाम में खरीदने वाला हो उसे सूचना को प्रसार करने वाला हो, जिस किसी के विरुद्ध उत्तरदायित्व सिद्ध होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं । आप बैठ जाइए ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[* * *]

नोट--[***]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने जो बात कही है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगी ।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन औजार नीलामी के लिए रखे गए और किन-किन अधिकारियों ने नीलामी में बोलियां बोलीं ? क्या अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जिन अधिकारियों ने खरीदे हैं उनकी सूची मेरे पास है अगर आज्ञा दें तो पढ़ देता हूं वैसे मिश्रा जी ने सुन ली है । इनके नाम इस प्रकार हैं--श्री देवी दयाल, डी० एम०, श्री सक्सेना, एडीशनल एस० पी०, झांसी, एस० पी० रावत, पुलिस अधीक्षक, झांसी, श्री विलास तिवारी डिप्टी कन्ट्रोलर, सिविल डिफेंस, झांसी, जी० एन० सिन्हा, डी० आई० जी० झांसी, रोशन सिंह, आर० आई०, झांसी, एम० आई० हैदर, सहायक पब्लिक प्रोसीक्यूटर, मुरारी लाल तिवारी, सहायक इलेक्शन आफिसर, रणवीर सिंह, असिस्टेंट, डी० वाई० एस० पी० ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

मेरे जिले की बात है इसलिए एक बात मेरी सुन लें । (व्यवधान) (कई सदस्यों के बोलने पर) ।

श्री अध्यक्ष--

अब बाद पर बहस शुरू होगी आप लोग अपने-अपनी जगह पर बैठ जायें ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी मेरे जिले का सवाल है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर आप इस तरह व्यवधान डालेंगे तो मैं आज सदन बन्द कर दूंगा ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । जो कुछ बिना अनुमति के कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा (व्यवधान) देखिए मैंने कहा कि यह विषय समाप्त हुआ । अब बाद पर बहस शुरू होगी । अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आज सदन को स्थगित कर दूंगा । (व्यवधान) मैं अब इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

आज हाउस का मूड ठीक नहीं है इसलिए कल बाद पर बहस करवाइए ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अब बाढ़ पर बहस शुरू होती है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त कोई विषय मेरे सामने नहीं है जिस पर व्यवस्था चाहिए ।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)†

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

आज बाढ़ पर बहस की बात है साढ़े पांच होने जा रहे हैं । बाढ़ जैसी भीषण समस्या है जो सारे प्रदेश की है । पूर्वी अंचल पर बाढ़ का भीषण प्रकोप है लेकिन जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, उसी तरह से अगर उपेक्षा की जायेगी तो लोगों का मन सरकार से उठ जायेगा । इस समय ५·३० बज रहे हैं और बाढ़ जैसे गम्भीर समस्या पर विचार करने के लिए दूसरे दिन का समय निर्धारित करवाने की कृपा करें ताकि खुलकर विचार आ जायं । अतः मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें और दूसरे दिन बाढ़ पर बहस करायें ।

श्री अध्यक्ष—

सदन के लिए आज का निर्णय है कि इस पर ८·०० बजे तक बहस चलेगी । सदन ने निर्णय किया है और कल छुट्टी थी । इसलिए आज इस पर बहस होगी । सदन का निर्णय हो चुका है इसलिए वह स्थगित नहीं हो सकता ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

सदन का निर्णय बदल सकता है ।

*श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

मान्यवर, ४८ घंटे की मूसलाधार बरसा का रिकार्ड ३६½ इंच अंकित किया गया जोकि बलरामपुर के लिए एक इतिहास है । १६ तारीख से राप्ती और कुआनों नदी में पानी चढ़ना शुरू हुआ और बाढ़ ने भीषण रूप धारण कर लिया और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए । स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित करके गांवों की व्यवस्था की गयी । जिला प्रशासन ने सेना की सहायता मांगी और सेना १९ तारीख की रात १०·३० बजे बलरामपुर में उपस्थित हुयी । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि बलरामपुर में सेना पहुंची लेकिन निरुद्देश्य पहुंची और उससे काम नहीं लिया गया । मैं बताना चाहता हूं कि सेना के अधिकारी और जवान १९ तारीख को रात में १०·३० बजे पहुंचे और २० तारीख की सुबह से काम शुरू हो गया । इस तरह से ४ बोटें चारों तरफ आप-रेशन में लग गयीं । हमारे नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस (आई) के सदस्यों का कोई सहयोग नहीं लिया गया । मैं बताना चाहता हूं कि ३ तारीख को श्रीमती इन्दिरा जी बलरामपुर तशरीफ ले गयी थीं । अखबारों में साफ-साफ लिखा कि उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ का नजारा नहीं देखने आयी बल्कि दीन-दुखियों

†दिनांक २१ अगस्त, १९७८ की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से मिलने आयी हूं और उन्होंने स्वयं कहा कि दूसरे लोग सहायता पहुंचा रहे हैं है कि लेकिन कांग्रेस (आई) के लोग गैर मौजूद रहे। तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की बात में कितनी सच्चाई है, यह खुद इन्दिरा जी की बात से स्पष्ट हो जाता है। हमारे एक विधायक ने कहा कि जनवरिया गांव में जो अल्पसंख्यकों का गांव है, इसलिए उसको सहायता नहीं दी गयी। मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि शायद विधायक महोदय अपनी कान्स्टीट्वेन्सी में मौजूद नहीं थे। जहां तक कि राहत कार्यों का सवाल है, हमारे यहां यह समस्त जनता का ख्याल है कि ३० साल बाद पहली बार इतनी सहायता मिली। मैं आप के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सहायता २५ रुपए की दी जा रही है, वह केवल भूमिहीनों और एक एकड़ वालों के लिए है। मैं आप के माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि जब बाढ़ आयी तो उसमें एक एकड़, गरीब और अमीर का ख्याल न रखें क्योंकि सबको एक सा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से छोटे और बड़े सभी को क्षति पहुंची है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक एकड़ और भूमिहीन का जो प्रश्न रखा गया है, वह नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो एक एकड़ और भूमिहीन की शर्त लगाई गई है सहायता के लिए वह समस्त लोगों के लिए खोल दी जाय जिनको बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। जहां तक बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में सुझाव की बात है तो केन्द्रीय सरकार का एक दल बलरामपुर में आया था और उनको हमने कुछ सुझाव दिये थे। मैंने कहा था कि कुछ मोटर बोट का इंतजाम राप्ती नदी पर करा दिया जाय और बाढ़ सहायता केन्द्र स्थापित कर दिया जाय। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करके बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की कोशिश करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ और वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर विचार विनिमय करने का मौका दिया गया है। बलिया जनपद में नदियां जाती है और वहां भीषण तबाही मचा देती है। बाढ़ से हुई तबाही पर यहां चर्चा होती है, मंत्रियों के दौरे होते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी लगाये जाते हैं जो वहां जाते हैं और बाढ़ की स्थिति को देख कर चले आते हैं। हमारे यहां गंगा, घाघरा, टोंस, मगई आदि नदियां तबाही मचाती हैं। हर साल वहां बाढ़ आती है। विधान सभा में हम शोर मचाते हैं, मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, कभी-कभी मंत्रियों का दौरा हो जाया करता है। लेकिन कुछ दिन बाद बाढ़ समाप्त, मंत्रियों के दौरे समाप्त, और राहत कार्य भी समाप्त। बलिया में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बक्सर से जय प्रकाश नारायण के गांव तक गंगा और देवरिया से मांझी तक घाघरा कटान करती है। बलिया जनपद का दक्षिणी और उत्तरी इलाका बाढ़ की तबाही से परेशान रहता है। अबकी बार जय प्रकाश नारायण के गांव तक कटान पहुंच गया। वहां नाव की व्यवस्था थी नहीं। लोग किसी तरह से बचाकर लोगों को लाये। लेकिन हमारे जनपद के जो अधिकारी थे वह क्लबों में जाकर मौज ले रहे थे जबकि वहां बाढ़ से तबाही मची हुई थी। सरकार द्वारा जो कुछ सुविधा दी जाती है वह पटवारी और लेखपाल तक भीषण पैमाने पर लूट मचाने के काम आती हैं।

हमारे यहां इस बाढ़ से पहले तूफान बवंडर आया था। सरकार ने कुछ सहायता दी थी। वह भी सभी गांवों को नहीं दी गई। सहायता की बात की जाती है तो थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। लेकिन जहां के बड़े-बड़े मंत्री ह ह

[श्री गौरी शंकर भैय्या--[

सारी सहायता भेज दी जाती है और बलिया जनपद की निरन्तर उपेक्षा होती रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस जनपद में तीन चार बड़ी नदियां हैं जो तबाही मचाती हैं। जहां पर एक नदी बहती है वहां का अगर कोई मंत्री या उप मंत्री है तो सारी ताकत वहां लगा दी जाती है और जहां पर तीन-तीन चार-चार नदियां तबाही मचाती हैं उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। हमारे यहां कई पाइंट पर कटान हो रहा है और जल जमाव हो रहा है। हम जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे लेकिन शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और न ही आज भी कोई व्यवस्था की गई है। जनपद की लगान माफ की जाय। शुल्क मुक्ति की जाय। और बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाई जाय।

मान्यवर, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी का दौरा हवाई जहाज से हुआ। पता चला कि मुख्य मंत्री जी का हेलीकाप्टर से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा होने वाला है। लेकिन जब भी बाढ़ आती है उनका हेलीकाप्टर आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया तक ही सीमित रहता है। कम से कम दो वर्ष से वे यही कर रहे हैं। भविष्य में क्या करेंगे भगवान मालिक है। मैं आपके माध्यम से बलिया जिले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं बासडीह का इलाका है बांध टूट रहा है, मैनेजर सिंह के इलाके में टूटने की स्थिति में है। मेरे इलाके में टोंस और गंगा मिलने की स्थिति में पहुंच गई हैं। वहां बांध टूट गया है दो वर्ष से शोर मचाया जा रहा है कि बांध कट रहा है। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है न ही उसके बारे में मंत्री देखता है और अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री बलिया जिले में जायगा और श्री जय प्रकाश नारायण जी के घर से बक्सर तक दौरा करेगा और कुछ उनके बचाव की व्यवस्था करेगा।

*श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, यों तो प्रदेश में जब भी मानसून आती है तो देश और प्रदेश में बाढ़ अखबारों की सुर्खियों में झलकने लगती है। लेकिन आजादी के बाद इन ३० वर्षों में इसके बचाव के लिए कोई भी ठोस और निश्चित योजना सरकार ने नहीं बनाई। आज विदेशों में बाढ़ वरदान का काम करती है। किन्तु हमारे देश में यह अभिशाप के रूप में आती है और करोड़ों और अरबों रुपया हम जनता को राहत देने के लिए देते हैं। यों तो बाढ़ से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा। लेकिन फैजाबाद जनपद और विशेष रूप से फैजाबाद और टांडा अधिक प्रभावित रहे हैं। फैजाबाद तहसील में अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र में मांझा क्षेत्र आता है। वह एक समस्या है। घाघरा नदी के कारण यहां पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है। यही की सबसे बड़ी समस्या है। फैजाबाद तहसील में जल निकासी की कोई समस्या नहीं है। माया ब्लाक में जल निकासी की योजना २० वर्षों से बनाई जा रही है लेकिन कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। पूरा ब्लाक एक झील की तरह बन गया है। पूरा क्षेत्र बाढ़ के प्रभाव से भर जाता है। १५६ गांव ऐसे हैं जहां पर पूरी फसल नष्ट हो गयी है। ४६ गांव मांझा क्षेत्र के ऐसे हैं जहां पर आदमियों को उजड़ जाना पड़ा है। लाखों रुपयों की क्षति हुई है। सरकार की ओर से जो भी सहायता कार्य किया गया है वह सन्तोषजनक है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, लगान जो स्टे किया गया है, स्टे न करके ऐसी व्यवस्था की जाय कि लगान माफ कर दिया जाय । स्टे करने से उसे अगले वर्ष में देना पड़ता है । दूसरा निवेदन यह है कि मांझा क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो मिट्टी कट जाती है और फसल चौपट हो जाती है । उसके बाद गरीबों के लिए समस्या हो जाती है । बड़े लोग तो लाठी के बल पर कब्जा कर लेते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाते हैं । इसलिए मांझा क्षेत्र के लिए रिमारकेशन करने के लिए एक ठोस योजना राजस्व विभाग द्वारा होना चाहिये जिससे कि गरीब, छोटा और बड़ा सभी कब्जा कर सके । फैजाबाद कमिश्नरी होने के कारण गोंडा जिला उसके नजदीक पड़ता है, बस्ती नजदीक पड़ता है । लेकिन मोटर बोट केवल एक है । एक मोटर बोट की ओर स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि मांझा क्षेत्र में जितने भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं और जहां चारे का अभाव है, वहां-वहां उसकी पूरी व्यवस्था की जाए । मनुष्यों के खाने की तो व्यवस्था की गई है । लेकिन जानवरों के चारे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मांझा में रहने वाली आबादी को उंचाट बनाया जा सके, तो वहां के निवासियों के लिए यह एक वरदान साबित होगा ।

श्री मुन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)--

मान्यवर, बाढ़ तो हमेशा आती है और आएगी, लेकिन होना यह चाहिए कि पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था की जाये । रायबरेली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में जो किताब मिली है, उसके पेज ६७ पर लिखा है कि ८ दिनों तक गंगा नदी में बाढ़ रही है, उन ८ दिनों में जो सेवा का कार्य हुआ है, कुल ८ किलो गुड़ बांटा गया है । यह बड़ी हास्यास्पद रिपोर्ट है । केवल ४ घरों का गिरना दिखाया गया है, जबकि डलमऊ तहसील का ही २५-२६ मील का ऐसा हिस्सा है, जहां से गंगा जी की बाढ़ गुजरती है, तो वास्तव में गंगा नदी के किनारे के, आसपास के १७५ गांव और पुरवे प्रभावित हुए हैं । यह रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा बिलकुल गलत दी गई है । डलमऊ क्षेत्र में एस० डी० ओ० साहब रहते हैं वहीं पर के ६ मकान गिरे हैं, जबकि पूरे जिले में केवल ४ घर गिरे दिखाए गये हैं । ऐसी गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । बाढ़ के पानी निकासी की योजनाएं बराबर हर साल बनती हैं, लेकिन पानी चले जाने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं । वहां तारापुर और कजियाना दो गांव हैं, ये चारों तरफ से पानी से भरे हुए हैं, लेकिन उनकी योजनाएं पानी निकलने के बाद समाप्त हो जाती हैं । मंत्री जी इस ओर कुछ करें । जब तक सप्ताह में तीन बार मंत्री वहां जाते थे, जो अब कम हुआ है, उनके जाने का कुछ लाभ नहीं है, वे केवल टी० ए० बनाते हैं। जिन अधिकारियों ने ढील दी है उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । १८/१९ की रात्रि में पानी रक्षाबन्धन की रात्रि में वहां इतने जोर की भीषण बरसा हुई है कि चारों ओर जल प्लावन का दृश्य उपस्थित हो गया था ।

मैंने स्वयं अपने सामने खड़े होकर डलमऊ, इलाहाबाद रोड को कटवाया है, लेकिन ए०डी०एम० साहब ने रोड पर आने का कष्ट नहीं किया और गांवों के लोग बसों और ट्रकों तथा सवारियों को निकालते रहे हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार अपने पदाधिकारियों को उधर लगवाए और गांव-गांव में हुई क्षति का सर्वे करायें । मैं आपको चुनौती देता हूं कि ढ़ाई हजार घर केवल डलमऊ क्षेत्र में गिरे हैं । हजारों एकड़ भूमि धान लगने से रह गई है । डलमऊ एरिया के नाले,

[श्री मुन्नू लाल द्विवेदी--]

झील तालाब और ड्रेनेज सब भरे हुए हैं। वहां पर, ड्रेनेज की जो स्कीम बनी तो, उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री विजयराज सिंह का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा धैर्य रखिए। जब तक सब को अवसर नहीं मिलेगा, तब तक यह सदन चलेगा।

श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बाढ़ पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी जो बाढ़ आई है सूबे में यह पूर्वी प्रदेश में ज्यादा है और पश्चिमी जिलों में इतनी विभीषिका नहीं हुई। लेकिन कुछ मजेदार आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित गांव १ हजार ३६६ हैं और रुपया दिया गया है ८ लाख ८५ हजार। बस्ती में बाढ़ से प्रभावित गांव ४ हजार ४५४ हैं और रुपया दिया गया है ४८ लाख ८० हजार। गोंडा में बाढ़ से प्रभावित गांव हैं १ हजार १६९ और मदद दी गई है, ३२ लाख ९६ हजार रुपये की। अब हरदोई में देखिए। हरदोई में बाढ़ से प्रभावित गांव हैं ३७९ और मदद की गई है ३३ लाख रुपये।

गोरखपुर जिले में जहां पर तबाही की हालत है, बहुत नुकसान है वहां पर सेना भी गई, दूसरी संस्थायें भी काम कर रही हैं वहां पर सिर्फ ८ लाख रुपया दिया और राजस्व मंत्री के जिले हरदोई में ३७९ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए और ३३ लाख रुपये की मदद की गई है। मेरी निजी राय यह है कि बाढ़ के राहत कार्यों में सही न्यायिक दृष्टि नहीं रखी गई है। बुलन्दशहर में ३९८ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और ३ लाख ९८ हजार रुपये की सहायता दी गई है। हरदोई से ज्यादा बाढ़ वहां आई है। लेकिन रुपयों की बाढ़ हरदोई में आई है। बुलन्दशहर में १९७१ में जो बाढ़ आई थी, उसकी जो रिपोर्ट है, बुलन्दशहर की, वही थोड़ा हेरफेर कर उतार कर रख दी है जिलाधीश ने। कोई मौके पर नहीं गया। मेरे क्षेत्र में करबन और काली नदियां हैं। इन नदियों ने तूफान मचा रखा है। मेरे क्षेत्र के नब्बे फीसदी ग्राम जल मग्न है। ५०% ग्रामों का सम्पर्क टूट गया है। फसल चौपट हो गई है। पूरी तरह नष्ट हो गई। चारा भी नहीं रहा लेकिन जो रिपोर्ट दी गई है, वह यह है कि गंगा और जमुना के खादर में बाढ़ है जबकि पूरा जिला बाढ़ से डूबा हुआ है। हमारे माननीय त्रिलोकचन्द के क्षेत्र को छोड़ कर सब क्षेत्रों में बाढ़ है। लेकिन जिलाधीश ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मान्यवर, अगर आप सड़क से गुजरें तो सड़क के किनारे, गांव के लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। सड़कों पर जानवरों की लाशें पड़ी हुई हैं। बिलकुल झूठ और असत्य रिपोर्ट दी गई है हमारे जिले के बारे में। गन्ने की फसल पहले ही नुकसान दे गई थी। गन्ने का ठीक से पैसा नहीं मिला। बहुत से किसानों का गन्ना आज भी खेतों में खड़ा हुआ है। गन्ने के रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। मैं पहली मांग करता हूं कि जो जिले बाढ़ग्रस्त हैं जहां पर गन्ना पैदा होता है वहां पर गन्ने की परचियों का भुगतान तुरन्त करें। दूसरी मेरी मांग यह है कि लगान स्थगित करने से

काम नहीं चलेगा । लगान व भराई और बिजली का बिल पूरी तरह से माफ कीजिये । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफ हो, स्थगन नहीं ।

समय-समय पर बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न कमीशन और कमेटियां बैठायी गयीं । १९३९ में मान्यवर, श्री ए० पी० बाटल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ को रोकने के लिए रिपोर्ट दी । १९३९ में ही लखनऊ में ही अन्तर्राजीय बाढ़ कान्फ्रेन्स बैठाई गई । १९४८ में फिर एक बाढ़ कमेटी बनाई गई । चौधरी चरण सिंह उसके चेयरमैन थे ओर १९५४ में बाढ़ के कारणों और रोकथाम के विस्तृत तरीकों पर इस कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी । १९५४ में फिर जबरदस्त बाढ़ आई तब फ्लड कन्ट्रोल आर्गेनाइजेशन बनाये गये । उत्तर प्रदेश में २ सर्किल, ६ मंडलों को मिला कर बनाये गये । १९५८ में इन्हें समाप्त कर दिया गया । १९७२ में केन्द्र के अन्दर इर्रीगेशन कमीशन बना, ए० पी० जैन की अध्यक्षता में । उसने जांच की कि देश के अन्दर बाढ़ के कारण क्या हैं । उसने कहा कि लगातार बड़े पैमाने पर पहाड़ों में जंगलात को काटा जा रहा है ।जंगलात कटने से पहाड़ी मिट्टी बह कर आ रही है और पहाड़ियां खिसक रही हैं । इससे नदियों का जो धरातल है वह ऊंचा होता जा रहा है । बाढ़ के पानी को एकत्र करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है । तिवारी जी नहीं हैं उन्होंने हमारी सरकार की बड़ी खिंचाई की । उनके उप नेता बैठे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ३० वर्ष के कांग्रेस के शासन में बाढ़ के नियंत्रण के लिए क्या किया । कमेटी और कमीशनों की रपट दीमक चाट गई । जैसे दामोदर घाटी योजना बनाई गई । इसी तरह की बहुत उद्देशीय योजनायें बनाई जानी चाहिये । कुछ लोगों ने कहा कि कमेटी बना दी जाये, कमेटी तो बहुत बन जाती हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है । सिंचाई विभाग के पास बहुत काम है । इसलिए मेरा सुझाव है कि बाढ़ मंत्रालय का एक अलग से विभाग खोला जाना चाहिये । दूसरी बात मैं राहत के कार्यों के बारे में कहना चाहता हूं । जैसे ही बाढ़ आती है, राहत के कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाना चाहिए । इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बना दिया जाये जो इस चीज को देखे कि बाढ़ पर नियंत्रण कैसे हो । बाढ़ आ जाती है तो हमारी सरकार केन्द्र के पास पहुंच जाती है कि राहत कार्य के लिए हमें सहायता दी जाये । और हम विधायक गण इस कोशिश में लग जाते हैं कि हमारे जिले को अधिक से अधिक राहत के लिए रुपया मिले ।एक पेशेवर भिखारी जैसी हालत हो जाती है हमारी । इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि बाढ़ पर किस प्रकार से काबू पाया जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, म आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने जिले की बाढ़ समस्या के बारे में कहने का अवसर प्रदान किया । मैं अपने जिले की बाढ़ की समस्या को इस सदन में और माननीय मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूं । हमारा बस्ती जिला ऐसा है जो सब जिलों से अधिक बाढ़ से प्रभावित जिला है । ऐसा कहा जाता है कि १९३८ में जो भयंकर बाढ़ आयी थी, उससे भी भयंकर बाढ़ इस साल की है । हमारे जिले में ६ तहसीलें हैं, और वह सारी की सारी बाढ़ से प्रभावित है । सभी जगह पर जल ही जल दिखाई पड़ता है । १८ जुलाई को बाढ़ आयी और उसके बाद निरन्तर यह लगी रही । और जब ३ अगस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुखपाल पांडेय--]

को घाघरा में भयंकर बाढ़ आई और ७ अगस्त को छावनी गोदाम में पानी भर गया तब अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिए गए हैं, जो किताब छापी गई है वह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह सब गलत हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में हरैया तहसील में ८०३ गांवों में ५० प्रतिशत का नुकसान हुआ है, यह बिलकुल गलत है। १९३५ गांवों में ९०० गांव के प्रभावित होने की रिपोर्ट है। यह आंकड़े इस किताब में दिए गए हैं। जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट मिली है उसमें केवल ३५ करोड़ रुपये नुकसान की बात लिखी गई है।

मकानों के बारे में जो रिपोर्ट दी गई है वह सही नहीं है। हमारे चुनाव क्षेत्र में सिंचाई मंत्री जी माननीय कबड्डी मंत्री श्री चन्द्र शेखर गये थे और राजस्व मंत्री जी तो उड़ते हुए गए और अधिकारियों से बात की और कहा कि सारा इन्तजाम ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी जगह पर गल्ला नहीं बंटा है। मंत्रियों के क्षेत्रों में गल्ला अधिक बांटा गया है। मालूम होता है कि मंत्री जी वोट चाहते हैं और हम लोग खोढ़र से निकल कर आये हैं। कहीं-कहीं पर तो नमक भी नहीं बंटा है और कहीं-कहीं पर तेल भी नहीं पहुंच पाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान्यवर, जो स्थिति हमारे जिले की है वह बहुत ही खराब है। यहां पर दिखा दिया गया है कि हमारे जिले में ८ सौ नावें हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ८ सौ नावें फर्जी दिखाई गयी हैं। मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव है जिनको स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा हो। मान्यवर वहां का लगान माफ कर दिया जाय। छात्रों की फीस माफ की जाय। मवेशियों के लिये चारे की व्यवस्था की जाय। दवाईयों आदि का प्रबन्ध किया जाय। मान्यवर, एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बाढ़ विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे विभाग हैं कि बाढ़ के लिए जो पैसा आया वह सब इधर उधर हो जायेगा। मैं सिंचाई मन्त्री जी से और राजस्व मन्त्री जी से कहूंगा कि १२ लाख रुपया बन्धे की मरम्मत के लिए हमारे जिले में खर्च किया गया। कैसी मरम्मत हुई पता नहीं कहां से मिट्टी लाकर डाली जो किसी काम की नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री सुखपाल पांडेय--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हमारे जिले की समस्याओं को आप देखें। यह जो बाढ़ के सम्बन्ध में रिपोर्ट है। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लाऊंगा कि उन्होंने सदन में झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या के दो पक्ष हैं। एक तो इस सम्बन्ध में कोई ऐसी स्थायी नीति हो जिससे बाढ़, जो प्रति वर्ष हमारे प्रदेश के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करती है इसका हल निकाला जा सके। दूसरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तात्कालिक राहत कार्य । इस सम्बन्ध में बहुत से कार्य हुए भी जैसे जल कुण्डी योजना बनी परन्तु इन सब पर कोई विशेष अमल नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह होना चाहिये कि शीघ्र ही कोई हल निकालकर इस ओर कदम उठाये जायें । हर साल नदियों का रूप विकराल होता जा रहा है । इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़े तो नेपाल सरकार से कोई अनुबन्ध करके या विश्व बैंक से कर्ज ले कर बाढ़ की समस्या को हल करने की तरफ कदम उठाये जा सकते हैं । मान्यवर हर वर्ष नदियों का तल ऊंचा होता चला जा रहा है जिसके बहुत ही खतरनाक नतीजे निकलने वाले हैं । गंगा नदी की बात मैं नहीं करता मगर राप्ती, घाघरा आदि नदियों में अब मिट्टी नहीं बल्कि बालू आ रहा है । पहले उपजाऊ मिट्टी आती थी । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि नदियों के तले को नीचा करने की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए । मान्यवर, बन्धे आदि बनाने में भी राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है । इससे एक क्षेत्र बच जाता है तथा दूसरा तबाह हो जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि नदियों को मर्यादित करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि उनके पेटे ऊंचे न होने पायें ।

अध्यक्ष महोदय, एक दुख और परेशानी यह हुई कि जो इस प्रान्त की नेचुरल ड्रेनेज थी, जिनके जरिए बरसात का सारा पानी नदियों में चला जाता था, वह रुकने लगा । अब केवल बाढ़ का पानी ही नहीं बल्कि बरसात का भी पानी जो जमा हो जाता है उससे भी इलाके में बड़ा नुक्सान हो रहा है । तो मेरा आग्रह है कि नदियों के साथ-साथ जो हमारी नेचुरल ड्रेन्स हैं, उनको भी गहरा करने के लिए प्रान्तीय सरकार को कदम उठाना चाहिए । कटाव के लिए जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, वे कह देते हैं कि हम शासन को निमंत्रण पत्र भेज देंगे वही हम कर सकते हैं लेकिन कोई तत्काल काम या का समाधान नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, मेरे इलाके में घघरा और राप्ती से कूर परसिया, गौरा बरहज, भागलपुर, सहइया तकिया धरहरा, चुरिया नदौली और पौहरिया में बड़ा कटान हुआ है लेकिन वहां के स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास तत्काल कदम उठाने के लिए कोई साधन नहीं है । इसलिए हम कोई फौरी मदद नहीं कर सकते हैं । मेरी यह भी प्रार्थना है कि जहां पर नदियों के संगम हैं, वहां पर नदियों को मर्यादित करने के लिए कोई योजना तत्काल लागू करनी चाहिये ।

जहां तक राहत कार्यों का सम्बन्ध है जो सूचियां बनती हैं, ग्रामों की वे त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण होती हैं । जो सही लोग होते हैं उनको कोई राहत नहीं मिल पाती है । स्थानीय अधिकारियों की इच्छा रहती है कि हर साल सूखा पड़े, बाढ़ आये और जो रुपया सरकार से मिले उसका वे अपव्यय करें । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हर स्तर पर जन-समितियां बननी चाहिये और उन्हीं के माध्यम से सारे इलाके में गेहूं, कपड़ा बटे और जो भी सुविधायें दी जांय, उन्हीं के माध्यम से वितरित हो । इसके लिए चाहे रेवेन्यू ऐक्ट में परिवर्तन भी करना पड़े, वह होना चाहिये । केवल अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा ही नहीं अपितु जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा बाढ़ पीड़ित, अकाल पीड़ित व्यक्ति जो हैं उनकी सूची बननी चाहिए । यही नहीं फीस के स्थगन की बात ही नहीं उसकी माफी की और लगान माफी की तत्काल घोषणा होनी चाहिये ।

*श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया है । इस सम्बन्ध में, जहां पर इतने सुझाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामेश्वर नाथ चौबे--]

आ चुके हैं, कि कोई नया सुझाव देने की तबियत नहीं करती। मैं माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं जो कि सारे प्रदेश के लिए है। इसके उपरान्त अपने क्षेत्र की २-३ बातें कहूंगा। मेरा निवेदन है कि इस बाढ़ के मौके पर जितनी मदद की जाय वह कम है। पहली बात मुझे यह कहनी है कि जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वे करेक्ट हों। कई कई फीगर्स ऐसी हैं, जो कि मेरे सामने हैं, वे सही नहीं है। यह इतने महत्व की बात है लेकिन इससे भी महत्व की जो बात है वह यह है कि जितना रुपया सरकार से जाता है वह सारा का सारा रुपया बंट जाय। जो फीगर्स हमको देखने को मिली हैं वे बहुत कम है। बरेली में एक-एक व्यक्ति के लिए १३-१३ रुपया और एक मकान जो ध्वस्त हो गये, उनके लिये २१० रुपया आया है। तो इस तरह से इतना कम पैसा जाने से कोई फायदा नहीं है और यह धनराशि भी केवल पेपर पर ही है। गत १०-१२ साल से देखने में आया है कि जब भी बाढ़ आती है तो अधिकारियों का ही फायदा होता है। बाढ़ग्रस्त लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह है कि जब आपको सहायता बंट जाये तो आप एक रिपोर्ट इस तरह की छापें चाहे वह एक किताब के रूप में हो, या किसी लोकल पेपर में रिपोर्ट दें जिसमें यह दिया जाय कि किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी सहायता दी गयी, कितना रुपया किसको दिया गया। उससे लोगों को यह पता चल जायेगा कि जितना रुपया हमारे लिये सेंक्शन हुआ वह मिला भी या नहीं। दूसरे इससे अधिकारी लोग भी भयभीत रहा करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं कर पायेंगे क्योंकि वे यह समझेंगे कि अब तो रिपोर्ट में सारी बात छपेगी, बेईमानी नहीं हो पायेगी। इससे हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा। मैं तो सन् ६२ से देखता आ रहा हूं, इस साल भी देखा, जितनी सहायता जाती है वह सब बटती नहीं है।

दूसरा सुझाव यह है कि जहां भीषण बाढ़ आयी है वहां के किसानों का गन्ने का रुपया आप तुरन्त दिलवा दें। इसके लिये आप गन्ना फैक्टरीज को एडवान्स रुपया दे दें और उससे किसानों के बकाये की अदायगी करवा दें। इससे उनको काफी सहायता मिल जायेगी।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि आप लगान की वसूली को स्थगित न करायें, उससे कोई लाभ नहीं है। उनको तो आपको माफ ही कर देना चाहिये।

मैं बरेली की वर्षा की कुछ फीगर्स देता चाहता हूं। सन् ७५ में बरेली में ८६.१, सन् ७६ में ३२.२, सन् ७७ में ४७.८ और सन् ७८ में ४४२.०० वर्षा हुई है। इस वर्ष इतनी अधिक वर्षा के कारण वहां लगभग १४ हजार मकान गिर गये हैं और उसके लिये जो सहायता आपने दी है उसके हिसाब से एक व्यक्ति को केवल २१० रुपये ही मिलता है। इसके अलावा जो और सहायता दी है वह १० रुपये फी व्यक्ति पड़ती है। इस सहायता को बढ़ाया जाये।

हमारे यहां एक ब्लाक मझगांव है। यह ब्लाक १०-१२ दिन तक पानी में डूबा रहा और यहां इस ब्लाक का एक-एक मकान गिर गया है। इस ब्लाक को विशेष सहायता दी जाय।

इसके अलावा हमारे यहां के सभी अफसर बड़े ही जागरूक रहे हैं। एक्टिव रहे हैं। नावों की कमी जरूर रही है। मिलीटरी से भी पूरी सहायता मिली है। नावें हवाई जहाज तक से आयी हैं। फिर भी नावों की कमी रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जो लोग बोल लेते हैं वे चले जाते हैं बोल कर, इससे तो कोरम का अभाव हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आशा है आपकी इस नेक सलाह को सभी लोग मानेंगे। वैसे लाबी में आप लोगों के लिये इन्तजाम रोकने का (नाश्ते का) कर दिया गया है। (हंसी)।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आज बाढ़ की विभीषिका से प्रदेश की स्थिति डांवा डोल हो गयी है। पिछले ३०-३१ वर्षों में अपने प्रदेश और देश की सरकारों द्वारा कोई दूरगामी योजना इसके लिये न बनना ही बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। मान्यवर, बाढ़ आने में कई विभाग और कई किस्म के लोग दोषी और सम्मिलित हैं। पहले तो मैं बताऊं हमारे भूतपूर्व सरकार के सदस्य और उनके नेता जितने भी प्वाइंट आते हैं, देश में गरीबी, निर्माण, बाढ़ सबका दोष मौजूदा सरकार पर लगाते हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी इस साल, पिछले साल की जिम्मेदारी इन्दिरा सरकार की है। हमारी मौजूदा सरकार को जागरूक होना चाहिये। अगर भूतपूर्व सरकार की नकल यह सरकार यह करती है जैसा कि करीब-करीब सभी सदस्यों ने अपने भाषण में कहा कि इंजीनियर और राजस्व मन्त्री जी, सिंचाई मन्त्री जी भी कर रहे हैं। बाढ़ में सिंचाई विभाग, निर्माण विभाग और उसके साथ-साथ जो योजना बनाने वाले इंजीनियर और अधिकारी हैं वह भी सम्मिलित हैं। बाढ़ में न दैवी प्रकोप है और न किसी एक इंजीनियर का दोष है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान, जहां कि वरिष्ठ और विद्वान मन्त्री बैठे हैं, हमें इस सदन में और प्रदेश में और उस खास नालों, नदियों में दिमाग नहीं लगाना चाहिये। दुनियां की हांगहो नदी में क्या वहां हवाई सर्वेक्षण हुआ था। चीन के हांगहो नदी के उस इलाके में जो सबसे बड़ा सैलाबी इलाका था करोड़ों लोग निःशुल्क काम किये। मान्यवर, एक पैसा भी गबन नहीं हुआ। करोड़ों पत्थर डाले गये, एक भी आदमी को चोट नहीं लगी और इतनी बड़ी योजना को वहां पर कार्यान्वित कर दिया गया। मिसाल दे दूं अपने जिले के छोटे नदी नाले थिरुआ, टूडी, दखन झील है, जहां मेढक भी नहीं रहते, मछलियों को कौन कहे, उसकी योजना हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री स्वर्गीय नेहरू और उनकी बेटी इन्दिरा उस छोटी सी योजना को पालन नहीं कर सके। हमारे वरिष्ठ मन्त्री राजस्व बैठे हुये हैं, जब हम लोग सलाहकार समिति में बैठ कर बात करते हैं, कोई विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। मैं समझता हूं कि उसी तरह से हर विभाग के इंजीनियर चाहे टेहरी बांध की बात हो, चाहे भागीरथी की बात हो, चाहे घाघरा की बात हो, केवल जितना पैसा, धन व्यय होता है, उसका ५० फीसदी इंजीनियर को, हवाई सर्वेक्षण करने वाले हमारे मन्त्री के ऊपर खर्च किया जाता है। सर्वेक्षण नदियों का किया जाता है, पैसे का किया

[श्री भगवती प्रसाद सिंह--]

जाता है। मगर हर साल हाहाकार मचा हुआ है। हमारे माननीय सदस्य बस्ती के बोल रहे थे, पर्याप्त मात्रा में धन दिया गया। बस्ती सजा दिया गया। हर इंसान सुखी हो गया। लेकिन अधूरी बात मान्यवर, नहीं करनी चाहिये। सरकार से मक्खनबाजी नहीं करनी चाहिये, चापलूसी नहीं करनी चाहिये। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त कीजिये।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

क्या मक्खनबाजी शब्द संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष--

संसदीय शब्द है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मैं मन्त्री महोदय से और सरकार से आग्रह करूंगा कि जो धन बांटा गया है उसका ५० फीसदी अपव्यय हुआ है इसलिये धन नियमानुसार बांटा जाय। बाढ़ के लिये दूरगामी योजना बनानी चाहिये जिससे कि हमेशा-हमेशा के लिये बाढ़ से छुटकारा मिल सके।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरठ जनपद में बाढ़ से हुयी तबाही की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरठ जिला २ बड़ी नदियां गंगा और यमुना के बीच में स्थित है। गंगा नदी ने मेरठ जिले में बड़ी भयंकर तबाही मचायी है उसके बारे में सभी को ज्ञात है। सिंचाई मन्त्री, सिंचाई राज्य मन्त्री ने स्वयं जाकर स्थिति देखी है। जिला अधिकारी का अनुमान है कि कम से कम ५ करोड़ रुपयों की हानि केवल गंगा से मेरठ जनपद में हुई है। पिछले डेढ़ महीने में ४४८ मिली मीटर वर्षा मेरठ में हुई है जिसकी वजह से यह तबाही हुयी है। करीब करीब ८० गांव मेरठ जनपद में भयंकर रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। मेरे क्षेत्र में दो तीन गांव, आगरा, ककोर, बदरखा कगार पर स्थित हैं। मैं सिंचाई विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरठ में अलीपुर बांध से कम से कम १४ गांवों को बचा लिया गया और बांध भी सुरक्षित है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में जो हानि हुई है उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो पुस्तिका राजस्व मन्त्री ने छापी है उसमें सम्भवतः इसकी कोई चर्चा नहीं है। मेरे क्षेत्र में ३० वर्गमील के एरिया में २२ गांव ऐसे हैं जहां पर खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी है। केवल ईख की फसल बची है। चूंकि वह दो तीन फिट पानी के अन्दर है इसलिये वह फसल भी अच्छी नहीं होगी। मैं पिछले दिनों अधिकारियों को लेकर वहां गया था। भूमि जल मग्न होने के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक मृतक व्यक्ति का संस्कार करने के लिये एक मील दूर पक्की सड़क पर लाया गया और संस्कार किया गया। गांवों में स्त्री और पुरुषों को शौच जाने के लिये स्थान

नहीं है। मैं सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन २२ गांवों के लिये कोई ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। वाटर लागिंग इस क्षेत्र में हैं और पानी भरा है। बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। गरीब लोगों के ८० प्रतिशत कच्चे मकान गिर गये हैं। मैं अधिक न कहकर विशेष रूप से सिंचाई मन्त्री जी से एक निवेदन करूंगा कि वह अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वह इन २२ गांवों का विशेष रूप से सर्वेक्षण करें और ड्रेनेज की ऐसी योजना बनायें कि भविष्य में बाढ़ की रोकथाम हो सके और आने वाले वर्षों में बाढ़, अति वृष्टि से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगान की वसूली कम से कम पूरी माफ कर दी जाय और जिन गरीबों के कच्चे मकान गिर गये हैं उनको तकावी दी जाय जिससे वह अपने मकान बना सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है कि जब गर्मी होती है तब नदियां सूख जाती हैं और जब वर्षा आती है तो बाढ़ का प्रकोप होता है। हमारे कांग्रेस के साथी इसका सारा दोष जनता सरकार पर देते हैं लेकिन वास्तविक दोष तो उनका है कि उन्होंने इस दिशा में कभी कोई काम नहीं किया। और जनता सरकार भी चाहती है कि बाढ़ के लिये सुनियोजित योजना बननी चाहिये। इस वर्ष पर्वतीय जिलों में, वैसे तो समस्त उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी है, अल्मोड़ा, देहरादून, टेहरी-गढ़वाल में बहुत बाढ़ आयी है।

इस वर्ष उत्तरकाशी में भागीरथी में जो विनाशलीला देखने को मिली वैसी कभी नहीं देखने को मिली। इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आकाश-वाणी से और समाचार-पत्रों से जितनी गलत घोषणायें की गयी हैं उससे हमें काफी दुख है। ६ तारीख को जब समाचार सुना कि भागीरथी गगनानी के पास बन्द हो गयी है। भागीरथी का पानी टेहरी से पार हो गया है और हरसिला में पर्यटन विभाग का डाक बंगला भागीरथी की झील में डूब गया है। ४ हजार फुट की झील गंगा में बन गयी है। तो यह समाचार सुनकर मुझे लगा कि इससे उत्तर प्रदेश में कोई शहर बचने वाला नहीं है। इसलिये ८ तारीख को मैं उत्तरकाशी पहुंचा और वहां पर जानकारी किया तो मालूम हुआ कि ५ तारीख के बाद ८ तारीख तक कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। उत्तरकाशी सीमांत जिला है। वहां आई० टी० बी० पी०, एस० एस० बी० और पी० आर० डी० आदि जो संस्थायें हैं वह काम करती हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो गगनानी १० तारीख को ५ बजे पहुंचा लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर ऊपर से एक आदमी कालू गुजरानी ने बताया कि कनौलिया घाट में एक झील बन गयी है जो कि बहुत बड़ी है। वहां मुझे एक साथी मिल गया जिसके पास वायरलेस था मैंने उससे ऊपर चलने के लिये कहा लेकिन वह नहीं गया। दिनांक १० को ७.२० पर लखनऊ में समाचार प्रसारित किया जा रहा था कि अब कोई खतरा भागीरथी से नहीं है। लेकिन उसके बाद झील टूट गयी और गगनानी को हमेशा के लिये साफ कर दिया। उसमें ६ यात्री बह गये। कुछ दुकानें, इंस्पेक्शन हाउस, आयुर्वेदिक अस्पताल, स्कूल आदि सब बह गये। इस प्रकार ६ तारीख से १० तारीख तक कनौलिया झील के बारे में सरकार को कोई भी सूचना नहीं थी कि वहां झील बन रही है। बाढ़ से जो क्षति हुई है उसके बारे में कहा गया है कि १० करोड़ की क्षति हुई है। तो कम से कम उत्तरकाशी में १४ झूलों के पुल जो बने थे वह सब बह गये हैं। सिंचित भूमि सब बह गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणि बड़ौनी--]

इसके अलावा मनेरीभाली जो प्रोजेक्ट है उसमें १० करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी तथा हरसिल में ४७ किलोमीटर तक कहीं सड़क नहीं रह गयी है। गंगोत्री शेष हिन्दुस्तान से अलग हो गयी है और पता नहीं कोई भी आदमी वहां जीवित है या नहीं। आने-जाने के कोई साधन नहीं रह गये हैं। गंगा जो जीवन देती है उसने ऐसा विनाशकारी रुख अपनाया है जिसके बारे में अब सोचने की आवश्यकता है। वहां दानगल के पास जो पुल था बाढ़ आने से पहले ही वह अलग हो गया। मंगेरी गांव में पता नहीं किस बात के गड्ढे हैं? कन्डोलिया घाट पर १४ हजार फीट की ऊंचाई से पहाड़ टूट रहे हैं। इस विधान सभा की एक कमेटी बनाई जाय जो इन बातों की जांच करे। जो जमीन लोगों की चली गयी है उसके लिये उनको पूरा कम्पेनसेशन दिया जाय और जो सड़क है वह डी० जी० बी० आर० को दे दी जाय क्योंकि पी० डब्ल्यु० डी० उसको नहीं बना सकता। साथ ही हरसिल में जो यात्री फसे हुए हैं उनको निकालने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाय। समस्त भारत की नजर गंगोत्री की इस घटना पर है। नियम ५२ के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव है। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर कम से कम दो-तीन घटा विचार किया जाय तो ठीक ढंग से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें तथा आपको समझा सकें ऐसा क्यों हुआ? भागीरथी के जल का केमिकल टेस्ट होना चाहिये ताकि पता चल सके कि इस सीमान्त जिले में क्यों यह दुर्घटना हुई है। इसको बाढ़ न समझा जाय क्योंकि यह विनाशकारी घटना है।

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, सीतापुर जनपद में बिसवा और महमूदाबाद तहसील का जन-जीवन घाघरा तथा शारदा नदियों के कटान से अस्त-व्यस्त हो गया है। वहां अनेकों गांव बह गये हैं। १२ अगस्त को मुख्य मंत्री महोदय स्वयं देख आये हैं जिन्होंने स्वयं जा कर देखा है भीषण दैवी प्रकोप के कारण नदियां भीषण रूप धारण कर रही हैं। शारदा सहायक के कर्मचारियों की लापरवाही से मान्यवर पहला ब्लाक का आधा भाग बाढ़ से डूबा है। शारदा नहर के सहायक नहर के छोटे-छोटे नाले तथा साइफन मिट्टी से पट गये हैं। अतः पानी के निकलने में अवरोध उत्पन्न हो रही है।

मान्यवर, सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन छोटे-छोटे नालो की सफाई कराने की व्यवस्था करायें। इसी तरह रामपुर, मथुरा के लगभग ६ गावों का अस्तित्व ही घाघरा नदी से समाप्त हो गया है। वहां के लोगों की भोजन की व्यवस्था कराई जाय, जानवरों के चारे की व्यवस्था कराई जाय तथा वहां के निवासियों के लिए समुचित दवा, आवास की व्यवस्था कराई जाय। कालरा और मलेरिया का भीषण प्रकोप चल रहा है। इसलिए निवेदन है कि वहां पर औषधि आदि चीजों की हर संभव व्यवस्था की जाय।

घाघरा नदी की बाढ़ से भीषण नुकसान हुआ है। उस क्षेत्र की जनता को राहत देने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां की जनता की जीविका लिए टेस्ट वर्क की व्यवस्था की जाय। पिछली सरकार के कार्य-काल में घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए ३० लाख की एक योजना बनी थी जिसमें कुछ तट बंधे बने थे लेकिन वह सब पानी में बह गये हैं। इस प्रकार वहां जो बाढ़ आई उससे अधिकांश सड़कें और पुल बह गये हैं। वहां के

प्रभावित लोगों के लिए नावों की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है जो आने-जाने के साधन थे वह पानी में बह गये। इससे वहां का जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। यदि जल्दी ही राहत कार्य नहीं पहुचे तो लोगों का जीना कठिन हो जायेगा।

मेरा अनुरोध है कि जो पुल तथा सड़कें कट गई हैं उनकी शीघ्र व्यवस्था की जाय और लोगों के जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय और खाने की व्यवस्था की जाय।

*श्री श्यामनारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, सरकार के अधिकारी कान में तेल डाल कर बैठे रहे और जब १६ तारीख को बाढ़ का पानी बंधों के ऊपर आ गया तो फिर दौड़-धूप शुरू हुई। नावों का कोई प्रबन्ध नहीं था और ६, ७ दिनों बाद कुछ नावें वहां आई। वह भी छोटी-छोटी नावें जिन पर मछुवे मच्छली मारते हैं। किसी तरीके से कुछ लोगों को निकालने का काम शुरू किया। हमारे गोरखपुर में धानी ब्लाक पूरी तरह से जलमग्न हो गया था हम लोगों ने बार-बार सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। मैंने स्वयं सिंचाई मंत्री श्री रावत जी से दरख्वास्त की थी की धनी के पास रामकोला, खखड़ा म बांध की मरम्मत करायें वर्ना गांव बह जायेंगे। लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। बार-बार इस बात का निवेदन किया गया कि जो गोरखपुर के बधों की ड्रेनेज की व्यवस्था और उनके रख-रखाव की व्यवस्था बस्ती को दी गई है उसे गोरखपुर को ही दी जाय। बस्ती से रख-रखाव नहीं हो सकेगा उसे गोरखपुर के मातहत ही होना चाहिये लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए सारे बांध जो थे वह रख-रखाव ठीक न होने से ध्वस्त हो गये और पूरा धानी ब्लाक डूब गया। इसी तरह चौक बजरहा कमरिया गांव डूब गये। हम लोग वहां पर एक नाव में डूबते-डूबते बच गये।

पिछली बार धानी में अवर्षण से फसल नष्ट हो गई और इस बार बाढ़ से फसल चली गई। इस प्रकार चैत तक की फसल वहां नष्ट हो गई है। इसलिए वहां टेस्ट वर्क से लोगों को काम देने की जरूरत है और जो नीची जगह पर लोग हैं उनको ऊपर रखा जाय। हमारे जनपद में धानी ब्लक को अकालग्रस्त घोषित किया जाय। अगर यह नहीं किया गया तो मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि उस इलाके की बाढ़-ग्रस्त जनता आंदोलन का सहारा लेने के लिए मजबूर होगी। और इसी २९ तारीख को वहां एक प्रदर्शन होने वाला है।

यह बात केवल गोरखपुर की ही नहीं, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। और इसके दोषी कौन हैं? बाढ़ क्यों आती है। श्रीमन्, बाढ़ इसलिये आती है कि आपके हाथ में हुकूमत है। आज भी आती है और ३० वर्ष तक जब कांग्रेस हुकूमत करती रही, तब भी आती रही। बात यह है कि सारे काम मुनाफे के लिये होते हैं। जब पूंजी बढ़ेगी तो पूंजीवाद बढ़ेगा और मुनाफा बढ़ेगा और उससे जनता त्रस्त होगी, गरीबी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये सब चीजें बढ़ रही हैं। यह बात सही है कि गत वर्षों से इस वर्ष की बाढ़ अधिक भयानक थी और व्यापक थी। मैं आग्रह करता हूं कि वक्त रहते चेत जायं नहीं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम नारायण तिवारी]—

ऐसी बाढ़ आने वाली है जनता के विद्वेष की कि जिसमें आप बह जायेंगे। अगर इसके लिये स्थायी योजना बनायी है तो उसके लिये प्रयास करना होगा। मैं शतरुद्ध प्रकाश की राय से सहमत हूं कि बाढ़ की समस्या का हल निकाल सकते थे, उसको कर सकते थे लेकिन हर काम मुनाफे के लिये हो रहा है। इस वक्त जरूर है कि निःशुल्क सेवा करें। लेकिन आज गेहूं बांट कर, धोती बांटकर वोट सेक्योर किया जाता है, बंगलिंग होती है। यह राजनैतिक सौदेबाजी होती रही है। पहाड़ों से पेड़ भी कटते हैं तो मुनाफा के लिये हमारे देश में जब तक पूंजीवाद बढ़ेगा, तब एक समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिये वक्त रहते सरकार चेत जाय अन्यथा इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, पिछले बार रबी के दिनों में पत्थर पड़ा था और पूरी की पूरी रबी की फसल मारी गयी थी। इस बार गंगा की बाढ़ ने खरीफ की फसल को पूरी तरह से प्रभावित किया है। मान्यवर, जो सरकारी आंकड़े हैं, उनको वे ही बताते हैं। गाजीपुर के ८३५ गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुये और एक करोड़ से ज्यादा का फसल नष्ट हुयी। मान्यवर, इस संदर्भ में मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फसलों में क्षति होती है और लगान की छूट के कागज बोर्ड में बहुत दिनों तक अनिर्णीत पड़े रहते हैं। अतः मुझे अनुरोध करना है कि आप लगान की वसूली को स्थगित करने के बजाय जो पिछले कागज लगान की माफी के पड़े हुये हैं, उसमें जल्द से जल्द कार्यवाही करने की कृपा करें। दूसरी चीज यह है कि लगान तो स्थगित होता है लेकिन दूसरे प्रकार के बकायों की वसूली बराबर चलती रहती है जैसे बैंक, कोआपरेटिव आदि के बकाये। किसान तो फसलों से ही दे सकता है। लेकिन उसकी फसल मारी जाती है। इसलिये मुझे अनुरोध करना है कि सरकार जब लगान की वसूली स्थगित करती है तो उसके साथ ही साथ दूसरे बकायों की वसूली भी स्थगित करे।

एक और अनुरोध करना चाहता हूं। किसान फसल पैदा करने के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल करता है। अगर बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो उसकी सारी की सारी फसल मारी जाती है। बहुत दिन से हम यह बात कहते चले आ रहे हैं कि सरकार को फसल का बीमा करने पर विचार करना चाहिए जिससे किसान का जो पैसा डूबता है कम से कम उसकी लागत तो उसको वापस मिल जाय लेकिन आज तक इस ओर कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फसलों के बीमे की योजना पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे। मान्यवर, गाजीपुर जनपद में बाढ़ से चार स्थानों पर कटान होता रहा है। सैदपुर, चक्काबांध, शेरपुर, ताड़ीघाट ऐसे बिन्दु हैं जहां कटान होता है। सैदपुर की २० हजार की आबादी है। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह चारों स्थान गंगा की चपेट में कभी कभी जा सकते हैं। मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चंद महीने पहले ६ लाख की लागत से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गाजीपुर में कुडेसर सैदपुर मार्ग पर पी० डब्लू० डी ने एक पुल का निर्माण किया था। चन्द महीने पहले वह पुल चालू हुआ और इस बाढ़ में वह बह गया। हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। आप पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर को आदेश दें कि वे मौके पर जाकर देखें कि चन्द महीने पहले जो पुल बना वह मामूली सी बाढ़ की चपेट में आकर बह गया। हमने अपने कमिश्नर महोदय से कहा और बलिया जाते हुए उन्होंने उसका निरीक्षण किया था। मेरा विचार है कि उनकी भी वही धारणा होगी जो हमारी है। वह एक नमूना है पी० डब्लू० डी० विभाग के भ्रष्टाचार का। ६ लाख की लागत से पुल बना और मामूली सी बाढ़ में बह गया। शेरपुर गांव को बचाने के लिए पी० डब्लू० डी० रिंग बांध का निर्माण कर रहा है। जब बरसात आती है तो काम शुरू होती है और बाढ़ आने पर रुक जाता है। ८ साल से काम हो रहा है लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। हर बरसात में यह एक नई समस्या पैदा कर देता है। मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर इसको पूरा कराय।

मान्यवर, अतिवर्षा और बाढ़ की समस्या जहां एक ओर है वहीं दूसरी ओर वाटर लागिंग की भी समस्या है। गाजीपुर जनपद की जमनिया तहसील और मेरा क्षेत्र चारों ओर से वाटर लागिंग का शिकार रहता है। हमने माननीय मंत्री जी से कहा और उन्होंने निर्देश भी दे दिया लेकिन आज तक वाटर लागिंग की जो समस्या है वह हल नहीं हुई। तरइया, चौराही ड्रेन्स मंजूर होने के बाद भी आज तक उन पर काम नहीं हुआ। मान्यवर, एक और अनुरोध है और वह है छात्रों की फीस की बात। काम के बदले गेहूं देने की योजना है। काम के बदले गेहूं योजना के अन्तर्गत जो जिला जितना काम कराना चाहे उसके लिए सरकार द्वारा छूट मिलनी चाहिए। यदि ऐसा हो जायगा तो गरीबों को काम मिल जायगा अन्यथा उन्हें कर्जा के लिए दौड़ना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, बाढ़ रोकने के दो पहलू हैं। एक तो राहत कार्य दूसरा नियंत्रण कार्य। इसमें कोई शक नहीं इस बार रिकार्ड तोड़ राहत कार्य हुआ है शायद पिछले २५-३० वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि इस प्रकार की भीषण बाढ़ भी पहले नहीं आई। जो राहत कार्य किये गये उसका दिग्दर्शन इस छपी हुई पुस्तिका से मिलता है जो राजस्व विभाग द्वारा जारी की गयी है। बहुत जगहों पर अब भी सहायता कार्य चल रहा है। मैं समझता हूं कि अगर यही कार्य समय से हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत से गांव तो जल से अभी भी पूरी तरह प्रभावित हैं। अगर उन्हें तात्कालिक सहायता मिल जाती तो वे और उपयोगी सिद्ध होती।

मान्यवर, नावों की व्यवस्था की गयी। फिर भी हमारे जिले की बाढ़ की भयंकरता को देखते हुये जो भी नावों का इन्तजाम हुआ वह बहुत कम रहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज बजराज सिंह--]

जहां पर जल भराव की स्थिति थी चाहे बाढ़ के कारण या जल भराव के कारण, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर लगान मुल्तवी न किया जाय बल्कि माफ कर दिया जाय। अब बाढ़ नियंत्रण की बात आती है। सरकार जितना रुपया खर्च करती है। यदि उसके आधे में भी सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर कुछ करती तो शायद बाढ़ का यह भयंकर विभीषिका से प्रदेश का काफी क्षेत्र बच जाता। पिछले तीन वर्ष तक कोई सुनियोजित योजना बनाकर काम नहीं किया गया। अभी बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार का एक दल आया था जिसमें एक सचिव तथा एक अभियन्ता भी थे। उन्होंने हमारे जिले के लिये कुछ संस्तुतियां की हैं और सुझाव दिये हैं। मैं चाहूंगा कि उसके लिए केन्द्रीय सरकार पैसा देने में कमी नहीं करेगी और प्रदेश सरकार को चाहिए कि केन्द्रीय सरकार से पूरा सहयोग बाढ़ नियंत्रण में ले। हम लोगों ने राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य तो सुना। सिंचाई मन्त्री जी मौजूद हैं और बाढ़ नियंत्रण का कार्य बहुत कुछ उन्हीं से सम्बन्धित है। वे सक्षम, अनुभवी और योग्य हैं और प्रदेश को उनके अनुभव का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका भी वक्तव्य होना चाहिए कि वे इसको किस प्रकार नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। इससे हम लोगों को अवगत करायें। जहां तक हमारे जिले लखीमपुर की बात है, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं।

हमारा लखीमपुर जनपद तीन ओर से--शारदा, घाघरा और सरयू नदियों से घिरा हुआ है। मेरा क्षेत्र शारदा और घाघरा के बीच का है। मैंने बाढ़ की विभीषिका देखी है। कांग्रेस शासन के जमाने में बनी शारदा सहायक योजना सबसे बड़ी प्रदेश की योजना है, वहां बांध निर्माण हुआ। उसके और नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, हर वर्ष उसमें जलभराव की स्थिति रहती है, चाहे पानी बहाव के कारण या अतिवृष्टि के कारण या किसी अन्य कारण से हो। उसमें बसे हुये ८ किलोमीटर क्षेत्र के लोगों को ऊपर बसाने के लिए सरकार प्रबन्ध करे। इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप जलप्लावन की स्थिति में जो लोग पड़े हुए हैं, उनको ऊंचे स्थान पर पुनः बसाने की व्यवस्था की जाए। इस पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, उसके लिए आपको जल आयोग के निर्माण की जो योजना है, उसे आप पूरा करें, चाहे विश्व बैंक से कर्ज लेकर या किसी भी अन्य प्रकार से उसे पूरा किया जाए और पंचवर्षीय योजना में इसको बनाकर आप कुछ ऐसा कार्य करें, जिससे यह भीषण स्थिति सुधर सके।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य कितने बार उठने बैठने के बाद बोलने का अवसर पा सकेंगे ?

*श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, यह बाढ़ की विनाश लीला हमारे देश और प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है, प्रत्येक वर्ष एक मुद्दत से हमारा देश और प्रदेश बाढ़ की विनाश लीला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से प्रभावित होता रहा है । वही हाल इस बार भी हुआ । पिछली सरकार ने ३० साल शासन किया और उसके समय में भी बाढ़ें आती थीं, लेकिन उसने बाढ़ को रोकने के लिए कोई स्थायी हल नहीं निकाला । इस सरकार को एक साल हुआ है, उससे अपेक्षा करता हूं कि बाढ़ की समस्या का वह कोई स्थायी उपाय खोजेगी । वह वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के जरिए इसकी खोज करावे कि कैसे बाढ़ को रोका जावे । इससे हर साल अरबों रुपये के जन धन की बर्बादी होती रहती है । आप तटबन्ध लगाकर अन्य उपाय से बाढ़ को रोकने का उपाय कीजिए । मैं अपने जिले बाराबंकी की ओर माननीय सिंचाई मंत्री तथा राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां की दो तहसीलें रामसनेही घाट व फतेहपुर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, वहां फसल नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । वहां १७ बाढ़ चौकियां कायम की गई हैं, लेकिन उन तक पहुंचना दुर्गम है, क्योंकि रास्ता नहीं है । मुझे जिलाधीश के साथ वहां जाने का मौका मिला, मैंने पाया कि चेक पोस्ट रानी परनापुर, रानीमऊ, बेलसर, चिर्रा आदि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पहुंचने का कोई साधन नहीं है । छोटे कर्मचारी लेखपाल वगैरह भले ही ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच जाएं, बड़े अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं । चौकियां अच्छे स्थान पर बनानी चाहिए, जिससे अधिकारी या और कोई भी वहां पहुंचना चाहें तो पहुंच सकें और पीड़ित ग्रामवासी बाहर आना चाहें तो आ सकें ।

मेरे जिले के जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, उन इलाकों में भुखमरी व्याप्त है । खासतौर से खेतिहर मजदूर की हालत बहुत खराब है । खेतिहर मजदूर खेत में काम करके अपनी जीविका चलाते थे । लेकिन जब फसल नहीं रह गयी तो उनकी जीविका का साधन नहीं रह गया । इस लिए उन खेतिहर मजदूरों के खाने के लिए, उनके बच्चों के पालनपोषण के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए । इसके लिए टेस्ट वर्क चलाएं जो वहां के रास्ते खराब हैं उनको ऊंचा कर लिया जाय और जो गांव नीचे हैं उनको ऊंचा कर लिया जाय । इस तरह से काम में लोगों को लगाया जा सकता है । जहां तक मालगुजारी का सवाल है, मैंने तहसीलदार से बात की । स्थगन का लिखित आदेश नहीं है लेकिन स्थगित कर दी गयी है मालगुजारी, लेकिन अगर आदेश नहीं जाता है तो आगे मालगुजारी वसूल होगी । इस लिए मेरी मांग है कि मालगुजारी का लिखित आदेश भेजा जाय और जो फसल नष्ट हुई है उसकी आगे मालगुजारी माफ की जाय । बिना सूदी कर्जा दिया जाय । आगामी फसल के लिए बीज की व्यवस्था करायी जाय । क्योंकि ओला बरसने के कारण पिछली फसल भी नष्ट हो गयी है । कटाव से लोगों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ अपनी बात खतम करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री देवबहादुर सिंह का नाम पुकारने के बाद शासक पक्ष के सदस्यों के खड़े रहने पर) आप लोग बैठिए । विरोधी पक्ष का भी भाग है । मैं तीन इधर से बुला रहा हूं और एक उधर से । आप लोगों को स्वयं ध्यान रखना चाहिए ।

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, जो बाढ़ आयी है प्रदेश में बड़ी प्रलयंकारी और अभूतपूर्व रही है । पिछले वर्षों में जो बाढ़ आती थी उसका इस बाढ़ से बड़ा अन्तर है ।

[श्री देव बहादुर सिंह]--

अबकी पर्वतीय अंचल से ले कर पूर्वी छोर तक कोई अंचल बाढ़ से नहीं बचा है। हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि कभी पर्वतीय अंचल में भी बाढ़ आयेगी। पर्वतीय अंचल भी इस बार अछूता नहीं रहा। मैं नहीं कह सकता कि जनता पार्टी की सरकार बाढ़ ले कर आयी है। नाम का भी असर होता है। बादल साहब कृषि मंत्री बने तो घनघोर वर्षा हुई उसके बाद बरनाला साहब कृषि मंत्री हुए तो सारे नदी नाले प्रलयंकारी हो गये। भागीरथी नदी में बाढ़ आयेगी, हम यह कल्पना नहीं कर सकते थे। कि यह विनाश लीला लायेगी। अब की पर्वतीय अंचल को भी बाढ़ की प्रलयंकारी स्थिति से गुजरना पड़ा। जैसा कि राजस्व मंत्री ने कहा है १७२ करोड़ रुपये के नुकसान का आगणन आपने किया है सरकारी भवनों को छोड़ कर। मेरा अन्दाजा है कि पौने तीन सौ, तीन सौ करोड़ रुपये की क्षति हुई है। सरकार ने पिछली बार साढ़े छः करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी बाढ़ नियंत्रण के लिए। हमारे प्रदेश में पिछड़ेपन का मुख्य कारण बाढ़ है। हर साल ४०, ५०, १०० करोड़ का नुकसान बाढ़ से उठाना पड़ता है। अगर बाढ़ नियंत्रण कर लिया जाय तो हमारे प्रदेश का पिछड़ापन का जो कारण है वह समूल नष्ट हो जायेगा। इस साल अभूतपूर्व स्थिति रही है। पिछले सालों में जब बाढ़ आती थी तो फसल आधी तिहाई तैयार रहती थी। अब की बार जब पौधे छोटे ही रहे तो समूल नष्ट हो गये। इसलिए जो राहत कार्य दे रहे हैं उसमें आवश्यकता है पुनःस्थापित करने के लिए ऐसी सहायता दी जाय जिससे उनको बाढ़ पीड़ित अंचलों में बसाया जा सके।

राजस्व मंत्री जी ने राहत कार्य की बात बतायी है। सिर्फ ५० क्वीन्टल आटा बंटा है। जब यह जनता सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार ने इसको एक करोड़ ८० लाख टन गल्ला दिया था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने उसका आटा क्यों नहीं बनवाया। अगर आटा दिया जाता तो उसका उपयोग होता। गल्ला देने से बाढ़ पीड़ितों के लिए और एक समस्या बन गयी। गेहूं आप के पास बहुत है। आप उसका आटा बनवावें तो उनको सही माने में सहायता मिल सकेगी। गोंडा की सूचना है कि जो चीजें बांटी जा रही है उनमें चोरी हो रही है। राजस्व मंत्री को ही क्यों कोसा जाये माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं इस विभीषिका के लिए इनको दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस कुर्सी पर हैं तो दायित्व से बच नहीं सकते हैं और अगर आप दायित्व को नहीं निभा सकते हैं तो कुर्सी छोड़िए जो आवेंगे वह निभावेंगे।

हमारे जिले नैनीताल में शांतीपुरी एक स्थान है जो गोला नदी के द्वारा काफी कट गया है। सतुइया में काफी कटान हुई है। मैंने इस सम्बन्ध में पत्र माननीय सिंचाई मंत्री जी को लिखा तो उसका उत्तर मिला कि हमारा पत्र अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम पूरा होता ही नहीं है। आप कह देते हैं कि सीमेंट की कमी है। इन सब चीजों का प्रबन्ध तो सरकार को ही करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना नुकसान प्रदेश को हुआ उसको देखते हुए आपको लगान माफ करना चाहिए, टेस्ट वर्क शुरू करना चाहिए, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए इस तरह के राहत के कार्य करने चाहिए। आप एक मास्टर प्लान बनावें कि हम बाढ़ से कैसे बच सकते हैं और इसके

लिए योजना बनावे कि बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है। तभी बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता है। मेरा सुझाव है कि इस कार्य के लिए एक अलग से बाढ़ विभाग बना दिया जाये जो यह सारा कार्य करे और इसके लिए एक अलग से मंत्री बना दिया जाये तो कोई अनुचित न होगा। इन सुझाओं के के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने जो मुझे बाढ़ की समस्या पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जब बाढ़ आती है तो राहत के कार्यों की चर्चा होने लगती है, लेकिन बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाते हैं। १६ तारीख को बाढ़ गोंडा में आयी। १६ और १७ तारीख को २४ घंटे में ३६ इंच पानी आ गया। बलरामपुर में जो रास्ता था वह चारों ओर से घिर गया। तुलसीपुर का पुल टूट गया। उसकी मरम्मत में लाखों रुपया लगाया जा चुका होगा लेकिन उसको पक्का नहीं किया जा सका। रेलवे लाइन बह गयी तो इस प्रकार १६ तारीख से २० तारीख तक कोई सहायता नहीं पहुंचायी जा सकी। पेड़ों पर लोग बैठे इन्तजार करते रहे। १९ तारीख को सेना बुलाई गयी और २१ तारीख को कुछ गांवों में सहायता पहुंचायी गयी। गोन्डा जिले में जब बाढ़ आती है तो फैजाबाद से नावें मंगायी जाती है। जब हर साल बाढ़ आती है तो वहां पर नावों की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। राप्ती नदी है उसमें नाव भी रखी जा सकती है, मोटर बोट भी रखी जा सकती है। लेकिन पिछले ३० वर्ष के शासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे बाढ़ के समय वहां पर किसी प्रकार की सहायता पहुंचायी जा सके। जब बाढ़ आती है जो बाढ़ में सहायता पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको भेज दिया जाता है। परन्तु पानी अधिक होने के कारण वे वहां जाने से डर जाते है मेरा सुझाव है कि बाढ़ के कंट्रोल के लिए एक टीम बना दी जाय। उसमें एक्सपर्ट भी हों जो कि सहायता पहुंचाने का कार्य कर सकें।

मान्यवर हमारे यहां एक बांध है उसमें सिंचाई कार्य के लिए पानी रखा जाता है। तो ज्यादा पानी भर जाने से भी उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जितना पानी रखना आवश्यक हो उसमें केवल उतना ही पानी रखा जाय। वर्षा आरम्भ होने के पूर्व ही उस पानी को निकाल देना चाहिए ताकि उसमें अधिक पानी न रुकने पाये।

मान्यवर, राहत कार्यों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया है जो कि प्रशंसनीय है। पिछली सरकार से काफी ज्यादा राहत कार्य इस सरकार ने वहां पर किये हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने केवल एक एकड़ वाले किसानों के लिए ही कुछ छूट दी है। बहुत से बड़े किसान ऐसे हैं जिनकी पूरी फसल नष्ट हो गयी है। खरीफ की फसल तो नष्ट हो गयी है और रबी की फसल को भी कोई आशा नहीं है इसलिए जो राहत है वह सभी किसानों को दी जानी चाहिए। राजस्व मंत्री जी कृपया इस पर ध्यान दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिन्दू लाल]--

बहुत से गांवों में बाढ़ आई हुई है। पूरी फसल बर्बाद हो गयी है। खेतों में १०-१० दिन तक पानी रहने से फसल बिल्कुल ही समाप्त हो गयी है। उनके पास खाने का कोई इन्तजाम नहीं रह गया है। मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर एक कमेटी बनायी जानी चाहिए जो कि राहत कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव दे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बिन्दू लाल--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे यहां नहरों और रजबाहों के पुल इतने छोटे हैं कि जो पानी २ घंटे में निकल जाना चाहिए वह ४ घंटे में भी नहीं निकल पाता है। हमारे क्षेत्र....।

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। अतः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बिन्दू लाल--

मान्यवर, बाढ़ क्षेत्र में जो बाढ़ सेन्टर बनाये गये हैं वे ऐसी जगह बनाये गये हैं कि वहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता है। इन सब सुझावों के साथ में अनुरोध करता हूं कि बाढ़ के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की जो विभीषिका आई है उसके सम्बन्ध में विशेषकर फर्रुखाबाद क्षेत्र के विषय में मुझे आप ने जो अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस वर्ष की बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं है। ऐसा जल प्लावन हुआ है कि स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गयी है इस लिए हमारे पूरे सदन को बड़ी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि जो दैवी विभीषिका इस बार प्रदेश में आयी है उसकी पुनरावृत्ति न हो। इसलिए इस चर्चा को मैं २ हिस्सों में बांटता हूं। एक बाढ़ नियन्त्रण और दूसरा बाढ़ से हुयी क्षति के लिए राहत कार्य।

जहां तक बाढ़ नियन्त्रण का प्रश्न है वह हमारे सिंचाई मंत्री जी से सम्बन्धित है, जो इस समय सदन में हैं और जहां तक राहत पहुंचाने का प्रश्न है वह राजस्व मंत्री जी से सम्बन्धित है, इस समय वे भी सदन में उपस्थित हैं। इसलिए किस प्रकार से बाढ़ की विभीषिका को कैसे रोका जाय, इस पर हमें विचार करना होगा।

फर्रुखाबाद में जो इस वर्ष स्थिति थी उससे मालूम पड़ता था कि यह बाढ़ का पानी नहीं था। राजेपुर में जहां तक भी दृष्टि जाती, एक समुद्र सा मालूम पड़ता था। जब इसके कारण पर हम विचार करते हैं तो यही निष्कर्ष

निकालते हैं कि किसी समय वहां पर नदियों का जल स्तर गहरा रहा होगा और अब गंगा और राम गंगा छिछली हो गयी होगीं। मेरा सुझाव है कि इनका सर्वे कराकर उनको गहरा कराना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द पानी निकल जाय और गांवों के आस-पास पानी न फैल सके जिससे खेती का नुकसान भी न हो।

हमारे यहां पर जो राहत कार्य हुआ है वह बड़ी देर से आरम्भ हुआ है। वहां पर राम गंगा और गंगा का जो डेन्जर प्वाइन्ट है वह भी बड़ा डिफेक्टिव है, गलत है। इतनी बड़ी बाढ़ की विभीषिका आयी और केवल ४ ब्लाकों में ५२१ गांव बाढ़ से पीड़ित दिखाये गये और केवल ८ करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया गया। मेरा अनुमान है कि उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इतना होते हुए भी पानी डेन्जर प्वाइन्ट को पार नहीं कर पाया। सिर्फ मेरे ब्लाक में ही डेढ़ सौ, गांव, राजपुर ब्लाक में प्रभावित हुए हैं। जो गांव सबसे ऊंचे पर बसे हुए थे उन तक में आबादी में कमर से ऊपर पानी पहुंचा। मेरी प्रार्थना है कि पूरे क्षेत्र में सर्वे कराया जाय और डेन्जर प्वाइन्ट को नये स्थान पर लगाया जाय। मेरी यह भी प्रार्थना है कि नदियों के किनारे तटबन्ध बनाये जायं ताकि उसके विस्तार को रोका जा सके, उनकी गहराई बढ़ाई जाय, यह एक परमानेन्ट सौल्युशन है। वर्ष १९७६ में जो क्षेत्र जलमग्न हुआ था केवल एक ब्लाक में ४१७ लाख रुपये का नुकसान हुआ था। लेकिन इस वर्ष तो तबाही ही आ गयी है। इसलिए बाढ़ रोकने के लिए कोई परमानेन्ट योजना चलायी जाय। इसलिए बाढ़ नियंत्रण योजना जो कि हमारे सिंचाई विभाग के विचाराधीन है और ९ करोड़ रुपये की है, उसको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाय जिससे वहां पर हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ को रोका जा सके।

जहां तक राहत कार्य का सम्बन्ध है जो राहत कार्य के सरकार द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वे २ लाख २५ हजार ७९४ एकड़ जमीन प्रभावित हुई और १ लाख ८३ हजार एकड़ जमीन पर शत प्रतिशत फसल चौपट हुई हैं। अगर एक लाख एकड़ जमीन का २ हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुमान लगाया जाय तो २० करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हो जाता है और ११/४ करोड़ रुपये का नुकसान मकानों के गिरने से हुआ है। इनकी संख्या भी हजारों में है जो अंशतः नहीं पूर्णतः ध्वस्त हुए हैं। ऐसी भीषण स्थिति में भी राहत कार्य के लिए केवल ५ लाख रुपया दिया गया है। जहां पर २० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ हो वहां के लिए केवल ५ लाख रुपया दिया गया है। इससे क्या हो सकता है। हमारे यहां पर जनता ने बड़ा बुनियादी काम किया है। जो लोग बाढ़ में फसे हुये थे उनको निकाला और जिन लोगों को ६-६ दिन से खाना नहीं मिला था उनको खाना दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारे राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री जो जो जिलाधिकारी की रिपोर्ट आयी है जहां पर लोग रोटी खाने तक की तबाह हो गये हैं उनके लिए ५ वर्ष के लिये लगान माफी की घोषणा की जाय। इसके अतिरिक्त ऐसी योजना चलायी जाये जिस प्रकार की योजनायें आप सूखा पड़ने पर चलाते हैं। उससे लोगों को कुछ काम मिल जायेगा। जहां शत प्रतिशत नुकसान हुआ है वहां तो आगे भी कोई फसल नहीं हो पायेगी और भिक्षावृत्ति विधेयक पास होने पर वे भिक्षा भी नहीं मांग सकते। हमारे राजपुर ब्लाक में तो बहुत अधिक नुकसान हुआ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

हमारे यहां विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि वे फीस दे सकें । विश्वविद्यालय के बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते । उनकी फीस माफ की जायें । गत वर्ष भी वे फीस नहीं दे पाये थे, वह फीस भी माफ की जाये ।

ऐसे लड़के भी हैं जो बाढ़ में फसे होने के कारण अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके और किताबें भी उनकी बह गयीं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें । अब समय नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

ऐसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तिथियां अलग से घोषित की जायें ।

सबसे ज्यादा जानवरों की स्थिति खराब है । उनको एक नयी बीमारी लग गयी है जिसमें उनके पांव फूल जाते हैं और १२ घंटे में वे मर जाते हैं । राजेपुर ब्लाक में दर्जनों बैल इस रोग से मर गये । यह जानवर दूसरी जगह जा रहे हैं और वहां भी यह बीमारी फैल रही है । इसकी रोक थाम तुरन्त की जाये ।

श्री अध्यक्ष--

आप अब कृपया बैठ जायें ।

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने के लिए मुझे समय दिया । उत्तर प्रदेश निश्चय ही बाढ़ की चपेट में बुरी तरह से पीड़ित है । आज लाखों लोगों का जन जीवन खतरे में है । हमीरपुर जिले की स्थिति सबसे खराब है । हमीरपुर तहसील में जमुना और बेतवा दोनों नदियां मिलती है । इन दोनों नदियों ने हमीरपुर तहसील में भीषण कटाव करके आस पास तक के क्षेत्र को बरबाद कर रखा है । गावों में भीषण तबाही की हालत पैदा हो गयी है । पुस्तक में जो सहायता मिली है उसे मैंने देखा, पर वह शून्य है । हमीरपुर की स्थिति और राहत के लिए जो धन दिया गया है उसे मैंने इस पुस्तिका में पढ़ा । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो राशि बांटी है, वह वहां की हालत को देख कर त्वरित कार्यवाही के लिए विचार करके निश्चित की है । परन्तु उसके साथ-साथ में यह भी बता देना चाहता हूं कि यह राशि लखनऊ से हमीरपुर जिला केन्द्र में जो पहुंच गयी होगी, जो खासकर जमुना और बेतवा नदी के बीच में है । यही क्षेत्र खासकर प्रभावित होता है । वहां पर एक पैसा भी राहत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य के लिए नहीं भेजा गया है । इसमें उर्मिल नदी, चन्द्रावलि नदी पर ३० जून, ७८ को घटना हुई थी, जिसमें दो महिलायें और एक कन्या की मृत्यु हुई थी । इस समय जो बाढ़ की दुर्गति है उसके विषय में कोई भी आंकड़ा नहीं दिया गया । मैं प्रदेश के यहां के प्रशासन को जरूर बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने हमारे जिले के सम्बन्ध में आंकड़ इकट्ठा किए । जिले की उदासीनता और दुर्गति के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वहां के बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ भी आंकड़े नहीं इकट्ठा किये गये । वहां पर पचासों गांव ऐसे हैं जहां बहुत से नाले हैं जो गांवों के चारों ओर गांव को घेर लेते हैं । खरीफ की फसल जो वहां की प्रमुख फसल है वहां का काश्तकार ज्वार और बाजरा की कमाई करता है । वहां की खरीफ की फसल पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है ।

हमीरपुर तहसील में कडौलपारा आदि ऐसे गांव हैं जहां जहां पर बाढ़ से पूरी फसल बरबाद हो गयी है । वहां पर उपलवृष्टि के कारण फसल बरबाद हो गयी है । वहां का किसान आशा में था कि किसी तरीके से रदी की फसल और आगे की फसल की व्यवस्था कर लेगा । जानवरों के लिए चारे भी नहीं बचे हैं । राहत कार्य के लिए एक पैसा भी नहीं बचा है । वहां पर बाढ़ का पानी ८ दिन तक जमा रहा । जब बाढ़ का पानी कुछ दिन धीरे-धीरे बेतवा नदी में गया तो वहां पर महामारी फैल गई, एक आदमी अगर अभी भी बीमार हुआ तो ४ घंटे बाद उसकी मौत हो गयी । ३ दिन के अन्दर ८ आदमी की मौत हो गयी । वहां पर राहत कार्य पर कुछ भी नहीं हुआ । वहां पर मैं गया, वहां पर मेरे जाने के बाद तहसीलदार आदि के द्वारा किसी तरह से चेकअप किया गया । वहां पर लांच पड़ी हुई है जो बिगड़ गयी है, जिसको तीन साल पहले कलकत्ते से खरीद कर लाया गया है । जब से लाया गया, तबसे कोई भी काम नहीं हुआ है । लांच से सम्भालने की कोशिश की गयी । लांच जरा भी नहीं चल पाया । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से और राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो साधन पहले से पड़े हुए हैं उनको सुधारा जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री ओंकार नाथ--

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूं । वहां पर प्रभावी कार्यवाही की जाय । १९७१ में हमीरपुर तहसील में पूरी तरह से बाढ़ आई थी । हमीरपुर के सैकड़ों घर गिर गये थे । गरीब आदमी बेघरबार हो गये थे ।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मिर्जापुर जिले से मुतालिक बाढ़ के सिलसिले में कुछ बातों को कहना चाहता हूं । हमारे मिर्जापुर जिले में बबुरा एक ग्राम है जो छानबे ब्लाक में है । मान्यवर, यह कटता जा रहा है और स्थिति यह आ गयी है कि गांव के लोगों को निकलने के लिए दूसरी जगह नहीं है । मेरा आपके माध्यम से शासन से निवेदन है कि तत्काल यहां से सर्वेयर भेजे जायं और वह जाकर देखें कि इस गांव को कैसे बचाया जा सकता है । मैंने वहां का दौरा किया है और देखा है । अगर वहां से उत्तर की ओर बालू का कटाव कर दिया जाय तो इस गांव को बचाया जा सकता है । विशेषज्ञ तत्काल भेजे जांय नहीं तो यह गांव पूरी तरह से कटकर खत्म हो जायगा ।

[श्री पुरुषोत्तम दास -]

मिर्जापुर जिले में हलिया ब्लाक, लालगंज ब्लाक, में खरीफ की फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है । पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा यह निवेदन है कि फसल नष्ट होने के कारण लोगों में त्राहि त्राहि मची है इसलिए उनके लगान को स्थगित न किया जाय बल्कि इस बार लगान पूरा माफ कर दिया जाय । खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है और जब तक रबी की फसल नहीं आयेगी तब तक किसानों के पास पैसे का कोई साधन नहीं है इसलिए इनका जो पिछला लगान है उसको जब तक रबी की फसल न आये स्थगित कर दिया जाये और इस बार के लगान को माफ कर दिया जाय । हलिया, लालगंज छानबे ब्लाक में रबी की फसल के लिए जितनी सुविधायें सरकार उपलब्ध करा सके उपलब्ध करानी चाहिए । अगर रबी की फसल न हुई तो वहां अकाल जैसी स्थिति हो जायगी । इस क्षेत्र के हरिजन तथा सवर्ण लोग भी बहुत गरीब हैं । इनकी मदद की जाय । यहां पर सड़कों की स्थिति खराब है । सड़कें नष्ट हो गयी हैं । गैपूरा-रामपुर, अकोठी-रामपुर इन सड़कों को ठीक किया जाय । अकोठी के पास एक रेलवे पुल है । रामपुर जाने के लिए एक रास्ता यहां से है लेकिन कोई पुल नहीं है नतीजा यह है कि लोग रेलवे पुल से जाते हैं और हर महीने के एक आधा केस हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है । अकोठी के रेलवे पुल के पास जो जगह बची है वहां पर पुल बनाया जाय ताकि लोगों के आने जाने के लिए सुविधा हो सके । साथ ही साथ मिर्जापुर जिले में सबासी चुंगी के पास हरिजनों की बस्ती है । यहां पर बरसात में इतना पानी भर जाता है कि रास्ता चलने की गुंजाइश नहीं होती है । इससे थोड़ी दूर एक किलोमीटर पर गंगा नदी बहती है । मेरा सुझाव है कि सबासी से नटाबर होते हुए इमामबाड़ा होते हुए नाली बनाकर इसको गंगा से मिला दिया जाय तो यह पानी आसानी से निकल जायगा और आने जाने का रास्ता ठीक हो जायगा । श्रीमन्, साथ ही साथ इस सड़क की मरम्मत करा दी जाय । इस बार मिर्जापुर में १९७८ के लिए १,४०,००० रुपया दिया गया है । हमारे यहां एक योजना मिर्जापुर बचाव की बनी थी जिसमें ६ करोड़ रुपये की स्कीम थी यदि उसको मंगवा लिया जाय और सर्वेयर भेजकर जांच कराकर विचार करें, तो जो हर साल १,४०,००० रुपये जिस बात के लिए खर्च होते हैं और हमेशा खर्च होते रहेंगे तो उससे अच्छा होगा कि एक परमानेन्ट योजना यदि होगी, जैसे कि मिर्जापुर बचाव की ६ करोड़ की योजना है उस पर अमल किया जाय, तो यह १,४०,००० रुपया हर साल खर्च नहीं होगा । जितना मिर्जापुर से टैक्स वसूल किया जाता है यदि उसका दसवां हिस्सा भी वहां खर्च कर दिया जाय तो काफी कल्याण हो सकता है । इसी के साथ निवेदन है कि फतहा के पास एक रोड है जो कि बाढ़ से कटता चला जा रहा है और उसी के पास सरकारी बंगले बने हैं जिनको भी कटकर समाप्त होने की आशंका है इसलिए उस सड़क को बनवाने की कृपा करें । अगर बाढ़ से रोक-थाम न की गयी तो मिर्जापुर कटता जायेगा ।

*श्री राम जी--

अध्यक्ष महोदय, बाहर नदियों में बाढ़ है इसलिए माननीय सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं । लेकिन सदन के अन्दर उठने बैठने की बाढ़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आ गयी है तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाय इस पर भी विचार होना चाहिए। श्रीमन्, जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है तो बराबर बाढ़ आती है, हमेशा ही बाढ़ के ऊपर हम और हमारे पूर्व के सदस्य विचार करते रहे हैं। लेकिन बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार हो, उसकी रोक-थाम कैसे हो ताकि हर साल राहत पर जो करोड़ों रुपये शासन के खर्च होते हैं उस पर रोक लगायी जा सके, विकास की दिशा में उसका कैसे उपयोग हो ? इस पर अभी तक कोई विचार नहीं आ सके। इस सम्बन्ध में नदियों की सतह ऊपर होती जाती है और उनकी चौड़ाई कम होती जा रही है। पिछले सत्र में मैंने शासन से निवेदन किया था कि बाढ़ की रोक-थाम के लिए नदियों को गहरा करना चाहिए और चौड़ा करना चाहिए। इससे दोहरा लाभ होगा। नदी गहरी और चौड़ी होगी और साथ ही साथ यह होने से उससे जो मिट्टी निकलेगी उससे तटबन्ध के गांव ऊंचे हो जायेंगे और वह बाढ से बच सकेंगे। इससे साथ ही साथ खेतों की मेड़बन्दी होनी चाहिए। मेड़बन्दी से बाढ़ का पानी जब बढ़ेगा तो खेतों में पानी जाने से रुकेगा और नुकसान बाढ़ से जो होता है वह नहीं होगा। हमारा जिला आजमगढ़ ऐसा है कि वहां १८ नदियां बहती हैं। इन १८ नदियों में हर साल बाढ़ आती है। छोटी-छोटी नदियां जो हैं उनको गहरा करने के साथ साथ बाढ़ से बचाव के लिए रिजरवायर तैयार किये जायं ताकि सूखा पड़ने पर सिंचाई का काम उनसे लिया जा सके। अगर इस तरह से व्यवस्था की जायगी तो बाढ़ से जो धन और जन का नुकसान होता है उस पर काफी रोक लग सकेगी। स्थान-स्थान पर बांध अवैज्ञानिक ढंग से बांधे जा रहे हैं।

मऊ में भी इसी तरह की योजना बनी। वहां की जनता ने उस बांध का विरोध किया। सिंचाई मंत्री ने इंजीनियर भेज दिये। लिहाजा जब वह बांध शुरू हुआ तो नदी के एक बम किनारे से बनना शुरू हुआ जिससे पानी बढ़ने पर बांध बह जायगा। इस बांध के बीच इतनी कम जमीन है जिससे एक नई नदी बन रही है जिसके फलस्वरूप कोपागंज ब्लाक जो है उसमें पानी भर जायगा और सारा कस्बा तबाह हो जायगा और उससे अन्य गांवों में भी बाढ़ का पानी पहुंच जायगा क्योंकि अनावश्यक रूप से बांध का निर्माण वहां हो रहा है। इस तरह की योजनायें बनाकर धन व जन के नुकसान को रोका जाय और मैंने तथा मेरे पूर्ववक्ताओं ने बाढ़ पर स्थायी नियंत्रण हेतु जो सुझाव दिये हैं उन पर शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिये।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। मेरा अनुरोध है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस विषय पर चर्चा के लिये सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)

श्री रामजी—

मान्यवर, इस साल शासन ने जो राहत कार्य किये वे पिछले समय की अपेक्षा ६ गुना अधिक किये हैं और जनता ने यह अनुभव किया है कि पिछले तीस वर्षों के अन्दर बाढ़ रोकने का कोई स्थायी हल नहीं ढूढ़ा गया, न राहत देने हेतु गंभीरता से विचार किया गया लेकिन इस बार प्रशासन ने तात्कालिक दृष्टि से जो सहायता देनी चाहिये थी वह पिछले वर्षों की अपेक्षा ६ गुनी अधिक ज्यादा पहुंचा कर मानवीय दृष्टि से उत्तम कार्य किया है जिसके लिये शासन धन्यवाद का पात्र है ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मुरादाबाद जिले से आया हूं और तुमरिया ढेला और रामगंगा के बीच में मैं फंसा हुआ हूं । पुल का नाम नहीं है । सिंचाई मन्त्री जी तथा अधिकारी वर्ग ने हमारे यहां जो कार्य किये हैं उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन साथ ही साथ जो परेशानी है वह भी कम नहीं है । कोई नहीं कह सकता कि मेरे क्षेत्र में पानी कितना अधिक आयेगा ? हमारे यहां सिरकोट के अन्दर बैराज है । पानी की केपेसिटी बढ़ने से रामगंगा में पानी आया । मेरे यहां २३ गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं । इनमें से ५-६ गांव के लोगों को हटा कर हमने सूर्यनगर में डलवा दिया है । लेकिन मुख्य बात जो है वह काशीपुर से मुरादाबाद वाली रोड में जो ठाकुद्वारा पड़ता है वह कट गया है वहां पर टेम्परेरी पुल की व्यवस्था की जाय । आजकल हम लोगों को कढ़ावों से बैठकर इधर-उधर आना-जाना पड़ रहा है । पहले बस से ठाकुरद्वारा जाने में तीन रुपये किराया पड़ता था लेकिन अब सरकार की नई नीति से इधर वाले दो रुपया लेते हैं और दो रुपया उधर वाले लेते हैं और एक रुपया कढ़ावों का किराया लगता है । इस तरह से ५ रुपया लोगों को देना पड़ रहा है । मेरा राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह डी० एम० को इस बात की हिदायत दें कि जिस जगह का पहले ३ रुपया किराया था उससे ज्यादा लोगों से न लिया जाय । लेडीज जो हैं इन कढ़ावों में बैठ भी नहीं सकती हैं ।

मान्यवर, मैं यह खबर दे रहा हूं खास कर सिंचाई मन्त्री जी तथा राजस्व मन्त्री जी को कि राम गंगा का लेविल जो है वह ३३६ तक पहुंच गया है । वहां पर पानी उससे ऊपर छोड़ दिया गया होगा या छोड़ा जायेगा । राम गंगा के लेविल से ४ फुट पानी ऊपर होगा । इस प्रकार वहां सारे बांध और गांव बह गये हैं । वहां पर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हरकत की और १३, १४ तारीख को बिना इनफारमेशन के, एस० डी० एम० को बताये तुमरिया बांध से पानी छोड़ दिया । जिससे काशीपुर वाली रोड कट गई और २३ गांव बह गये और तमाम फसल का नुकसान हुआ । इसलिए मैं उनके ध्यान में दो तीन बातें लाना चाहता हूं । एक तो वहां के लिए चलता फिरता हास्पिटल का प्रबन्ध किया जाय ताकि हैजा न फैले क्योंकि जो सैकड़ों की मात्रा में जानवर सड़ रहे हैं उनसे हैजा फैल रहा है, दूसरा गावों के अन्दर जो लोग फंसे हैं उनको हटाने का तुरन्त इन्तजाम किया जाय । मैंने डी० एम० और चीफ इंजीनियर को लिखा है कि इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पांच गांवों के लोगों को सेफ जगह में पहुंचाया जाय । जहां रास्तों में गड्ढे पड़ गये हैं उनको ठीक करके कंपाउन्डर वहां भेजे जायं क्योंकि गाड़ियां वहां जा नहीं सकती हैं । अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है तो जाहिर है कि सैकड़ों लोग हैजे से मर जायेंगे मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे और चलता फिरता अस्पताल वहां भेजा जायेगा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रदेश के ५६ जिलों में से लगभग ४६ जिलों में बाढ़ का प्रकोप हुआ है । जहां तक मैंने बाढ़ क्षेत्रों में घूम कर देखा है यह इतिहास में सबसे भयंकर बाढ़ है और गांवों के लोग भी कहते हैं कि तीस वर्षों में ऐसी बाढ़ नहीं आई । इस बाढ़ में जिस प्रकार जनता सरकार ने लोगों की सहायता की है वैसी सहायता भी पहले कभी नहीं दी गई । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में मकला, राप्ती, घाघरा और सरजू नदियां बहती हैं इसके साथ-साथ कई नाले भी बहते हैं । आज वहां के भिनगा, नानपारा, कैसर गंज, फखरपुर आदि के सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं । लगभग ६२५ गांव अब तक बाढ़ से प्रभावित हुये हैं और लगभग मकानों और फसलों की जो क्षति आंकी गयी वह ५ करोड़ से भी अधिक है । इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ के लिये जो त्वरित सहायता की जाती है जैसे चना, गेहूं, नमक, तेल और माचिस आदि जो बांटी जाती है, वह तो तत्काल सहायता है लेकिन बाढ़ को स्थायी रूप से रोकने के लिये जब तक उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर एक स्थायी योजना नहीं बनायी जायेगी, तब तक बाढ़ पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है । इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक हाई पावर कमेटी बनायी जाय । वह इन नदियों राप्ती और घाघरा आदि का सर्वे कर योजना बनाये जिससे पानी को रोका जा सके और बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके ।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि हमारे बहराइच जिले में जो सड़कें बनायी गयी हैं वे ऐसी बनायी गयी हैं कि उनके ऊपर से पानी बहने लगता है जैसे बहराइच से भिनगा, मकला घाट से भंगहा । जो दूसरी सड़कें हैं, वे भी कट कर बह गयी हैं । मेरा सुझाव है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कुछ दूर तक ऊंची और कुछ दूर तक नीची सड़कें बनायी जायं ।

एक सुझाव यह है कि जो बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र हैं, वहां पर विलेज रेजिंग का काम शुरू किया जाना चाहिये क्योंकि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, वहां के खेतिहर मजदूर उस काम में लग जायं और अपने लिये रोजी कमा सकें । इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे शासन ने विद्यार्थियों की फीस के सम्बन्ध में यह कहा है कि उनकी फीस की वसूली स्थगित होनी चाहिये । मैं सरकार से इस बात के लिये अनुरोध करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों की फीस की वसूली स्थगित न होकर माफ की जानी चाहिये । साथ ही बहराइच में ओला और पत्थर से भी भीषण नुकसान हुआ है और जो खरीफ फसल है वह भी चौपट हो गयी है । शासन ने घोषणा की है कि किसानों के लगान की वसूली स्थगित की जायेगी । मैं चाहता हूं जहां पर ओला पत्थर से रबी की फसल चौपट हो गयी है और खरीफ की फसल भी इधर चौपट हो गयी है, ऐसे क्षेत्रों में खरीफ का लगान पूरा का पूरा माफ किया जाना चाहिये ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, कोरम नहीं है । आपने कहा था कि जब तक कोरम रहेगा तब तक सदन चलायेंगे ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी ।)

श्री अध्यक्ष--

आप कोरम लानकर चलें । कोरम की घंटी बज रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

लेकिन तब तक तो कार्यवाही चलती ही रहे ।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन कोई इस बात का संकेत कर देता है तो उसको करना पड़ता है । कोरम की घंटी बज रही है ।

एक सदस्य--

अध्यक्ष जी, कल इस पर एक घण्टा रख दें और आज अब समाप्त करें ।

बाबा राम अधार यादव--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज के बजाय अब कल रखें ।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि कल के बाद तीन दिन की छुट्टी हो रही है ।

बाबा राम अधार यादव--

कल ढाई घण्टे गये । सुबह से आया हूं । आप ९ बजे तक के लिये कह रहे हैं । जो समय की बात है उसमें सदस्यों की गल्ती नहीं । हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमको मौका कल दिया जाय ।

एक सदस्य--

कल तीन घंटे की चर्चा कर दी जाय ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय सदस्य जैसा निवेदन कर रहे हैं तो वह इसलिए कि वह बाढ़ की विभीषिका से चिन्तित हैं । मैं स्वयं बाढ़ कार्य में लगा हुआ था और आज बाढ़ की चर्चा में भाग लेने के लिए आया था । अच्छा होगा यदि आप आज के बजाय कल समय निकालें । कल गैर सरकारी दिवस है । यदि उचित समझें तो वह डाल दें और बाढ़ पर चर्चा करा दें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय यह अच्छा होगा कि कल कुछ समय इसके लिये दे दें ।

एक सदस्य--

जिन जिलों और तहसीलों में बाढ़ आयी है उनकी आप पहले लिस्ट बनाकर मौका दें ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई ।)

श्री अध्यक्ष—

अब कोरम हो गया है। श्री कमला प्रसाद वर्मा अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

बहराइच जनपद में बहराइच से मल्हीपुर जाने वाली सड़क पर उलटाहवा पुल बहकर दो फरलांग दूर जाकर लगा। बहराइच से भिनगा जाने वाली सड़क पर उस जगह पर रास्ता कट गया और इस कारण वहां बसें और मोटरें जाने के लिए नहीं रह गयी। इसके साथ-साथ जो पाइप ब्रिज था उसके दोनों तरफ सड़क कट कर बह गयी। इस वजह से वह रास्ता अवरुद्ध हो गया। बहराइच से भिनगा जाने वाली सड़क पर एक भाखला सेतु बनाया गया था जो कि आज खतरे में है। इसके पहले जब बाढ़ आयी थी तब वह ३१ सेंटीमीटर उत्तर की ओर टिल्ट कर गया था। अबकी बार जब बाढ़ आयी तो पुल के उत्तर तरफ कटान बढ़ गया है और जब वह नदी दक्षिण से पूर्व की ओर आती है तो पश्चिम की तरफ भाखला सेतु का कटान बढ़ गया है। मैं सरकार को पहले से आगाह किये देता हूं कि शासन भाखला सेतु को, जिस पर ४६ लाख रुपया खर्च हो चुका है, समुचित कदम उठाये। साथ ही उन क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं है वहां पर टेस्ट वर्क चालू किये जायं। निचले गांवों का विलेज रेजिंग कराया जाय, लिंक रोड्स से जोड़ने के लिये टेस्ट वर्क शुरू किये जायं ताकि लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल सकें। साथ ही तकावी वितरण का भी कार्य किया जाना चाहिए। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बाढ़ के मौके पर जहां कभी ३० वर्ष के अन्दर कोई कार्य नहीं किया गया था वहां कुछ काम हुआ है। माननीय राजस्व मंत्री और शासन के अन्य मंत्रीगण मौके पर पहुंचे और वहां की स्थिति का अवलोकन किया।

बाबा राम अधार यादव—

मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि कोरम नहीं है। कोरम पूरा हो जाय तब सदन को चलायें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रदेश में...

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कोरम के बिना जो बोलेंगे, वह रेकार्ड नहीं होगा।

(कोरम के लिए घन्टी बजायी गयी।)

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, यदि कोरम नहीं है तो इस चर्चा को एक घन्टे के लिए कल या जब भी उचित समझें रखने की कृपा करें। जो लोग अभी तक बैठे हैं इनको बोलने का अवसर नहीं मिला है, उन्हें भी बोलने का अवसर मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोरम नहीं होगा तो मैं अभी बन्द कर दूंगा ।

(कोरम पूरा न होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं । कल ग्यारह बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ८ बज अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ ।

२३ अगस्त, १९७८ ।

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर]

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड एका के अगस्त, १९७२ के पूर्व के अध्यापकों की सूची जिनका अवशेष वेतन बकाया है :

१--प्राइमरी पाठशाला, उसमानपुर	श्री ओम प्रकाश, सहायक अध्यापक
२--प्राइमरी पाठशाला, फरीदपुर पैंढ़	श्री रक्षपाल सिंह, सहायक अध्यापक
३--प्राइमरी पाठशाला, पलिया	श्री दत्त सिंह यादव, सहायक अध्यापक
४--प्राइमरी पाठशाला, गिनौली	श्री कन्हो सिंह, सहायक अध्यापक
५--प्राइमरी पाठशाला, रुहन्सी	श्री मथुरा प्रसाद, सहायक अध्यापक
६--प्राइमरी पाठशाला, रुहन्सी	श्री सावरन सिंह, सहायक अध्यापक
७--प्राइमरी पाठशाला, जैतपुर	श्री बनवारी लाल, सहायक अध्यापक
८--प्राइमरी पाठशाला, ईख	श्री होती लाल, प्रधान अध्यापक
९--प्राइमरी पाठशाला, फताना	श्री चन्द्र पाल शर्मा
१०--प्राइमरी पाठशाला, राजगढ़	श्री गोरे लाल
११--प्राइमरी पाठशाला, राजगढ़	श्री रामदीन
१२--प्राइमरी पाठशाला, टाण्डा	श्री महेन्द्र दास शर्मा
१३--प्राइमरी पाठशाला, टाण्डा	श्री गोपी सिंह
१४--प्राइमरी पाठशाला, फताना	श्री राम स्वरूप
१५--प्राइमरी पाठशाला, गौरा	
१६--प्राइमरी पाठशाला, गोहाना	श्री सुनहरी लाल
१७--प्राइमरी पाठशाला, पाहप	श्रीमती अंगूरी देवी

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

अप्रैल–जून, १९७८ त्रैमास में विभिन्न जिलों को कुल आवंटित सीमेंट की मात्रा मी० टनों में

जिले का नाम	आवंटित मात्रा	जिले का नाम	आवंटित मात्रा
१	२	१	२
१—देहरादून	५,०००	२२—इलाहाबाद	८,०००
२—सहारनपुर	६,०००	२३—बांदा	२,७००
३—मुजफ्फरनगर	७,५००	२४—हमीरपुर	२,८००
४—मेरठ	९,०००	२५—झांसी	३,५००
५—बुलन्दशहर	६,०००	२६—जालौन	३,०००
६—अलीगढ़	६,०००	२७—ललितपुर	२,६००
७—आगरा	७,५००	२८—वाराणसी	८,०००
८—मथुरा	४,८००	२९—मिर्जापुर	३,५००
९—मैनपुरी	३,५००	३०—जौनपुर	४,०००
१०—एटा	४,०००	३१—गाजीपुर	३,५००
११—बरेली	६,०००	३२—बलिया	४,०००
१२—बिजनौर	४,०००	३३—गोरखपुर	६,५००
१३—बदायूं	४,०००	३४—देवरिया	५,०००
१४—मुरादाबाद	६,५००	३५—बस्ती	६,५००
१५—शाहजहांपुर	४,०००	३६—आजमगढ़	६,०००
१६—पीलीभीत	३,८००	३७—नैनीताल	४,८००
१७—रामपुर	३,०००	३८—अल्मोड़ा	८००
१८—फर्रुखाबाद	४,५००	३९—गढ़वाल	७००
१९—इटावा	४,५००	४०—लखनऊ	१०,०००
२०—कानपुर	१०,०००	४१—उन्नाव	४,०००
२१—फतेहपुर	२,७००	४२—हरदोई	३,७००

विधान सभा

१	२	१	२
४३--सीतापुर	४,०००	५०--प्रतापगढ़	३,०००
४४--रायबरेली	४,०००	५१--बाराबंकी	३,०००
४५--खीरी	४,०००	५२--टेहरी-गढ़वाल	१००
४६--फैजाबाद	४,५००	५३--चमोली	५००
४७--गोंडा	४,०००	५४--उत्तरकाशी	१००
४८--बहराइच	३,५००	५५--पिथौरागढ़	५००
४९--सुल्तानपुर	३,५००	५६--गाजियाबाद	९,०००
			२,५०,०००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)।

तालिका

झकहिया कठेला मदरहवा होरिलापुर मार्ग पर खर्च का विवरण

क्रम-संख्या	कार्य का नाम	खर्च की धनराशि	टिप्पणी
		रु०	
१	मिट्टी परीक्षण एवं मार्ग निर्माण सामग्री परीक्षण हेतु आवश्यक संयन्त्रों की खरीद	५,५६६.९८	गुणता नियन्त्रण हेतु यह क्रय किया गया।
२	मिट्टी ध्वनि प्रथम एवं द्वितीय सतह लेपन हेतु प्लेन रोलर की खरीद	९,९१४.००	रोलरों के अभाव में कठिनाई दूर करने हेतु यह क्रय करना आवश्यक था।
३	छोटे-मोटे सामान जैसे अमोनिया रोल आदि की खरीद	९६.९०	नक्शे निकालने हेतु यह क्रय किया गया था।
४	मिट्टी फेकने हेतु बेत की टोकरियों की खरीद	१,८००.००	
५	मिट्टी के कार्य पर व्यय	२०,४६७.५०	
६	तदेव	१८,६६५.७५	
७	लेबिछ मशीन की खरीद	१,०२६.२०	
	योग ..	५७,५३७.२३ या ०.५७५ लाख	

नत्थी 'ड़'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक ५ जून, १९७८ में जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर के सम्बन्ध में उल्लिखित मुख्य शिकायतें

१—महाविद्यालय स्थापित हुये १० वर्ष हो गये किन्तु विभागीय आडिट नहीं हुआ।

२—प्रबन्धक ने अपने परिवार के आधा दर्जन लोगों को नियुक्त किया है

३—मनमाने ढंग से बी० एड० में भर्ती की जाती है। प्रत्येक छात्र से जिनमें हरिजन भी हैं, ८०० रुपये लेते हैं।

४—कालेज के लाखों रुपये इन्होंने व्यक्तिगत कार्य पर खर्च किया।

५—विभाग को धोखा देकर गणेश शंकर विद्यार्थी इन्टर कालेज की प्राभूत को डिग्री कालेज की सम्पत्ति दिखाया है।

६—विद्यालय फरवरी, १९७८ से बन्द है। छात्रों का जीवन नष्ट किया जा रहा है।

७—प्रबन्ध समिति में विवाद है एवं रिजोलेशन मीटिंग बुलाने की मांग कुछ सदस्यों ने की है।

८—चन्द माह पूर्व विद्यालय के समस्त अभिलेख तथा नगद भारी मात्रा में धन प्रबन्धक विद्यालय से बाहर ले गये जिसकी सूचना तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य ने पुलिस और विभागीय अधिकारियों को दी।

९—प्रबन्धक अपने बाप, अपनी मां तथा अपने भाई के नाम कागजी संस्था चलाकर शासन का हजारों रुपया प्रति वर्ष लेते हैं।

१०—कालेज में कुछ प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। इन्हें विज्ञापित करके चुनाव भी कराया गया है। चूंकि चयन समिति ने इनके रिश्तेदार को नहीं चुना अतः नियुक्ति नहीं हो रही है।

११—इनके भाई के पहले दामाद इस कालेज के प्राचार्य हैं। प्रबन्धक के भाई स्वयं प्रबन्ध समिति के सदस्य हैं।

१२—प्राचीन इतिहास विभाग में तीन प्रवक्ताओं को यू० जी० सी० को झूठी सूचना देकर कार्यमुक्त किया गया।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्या पद हेतु अभ्यर्थिनियों की सूची :

क्रम-संख्या	अभ्यर्थिनी का नाम	योग्यता	पूर्व अनुभव	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	सुश्री स्नेह प्रभा सक्सेना (अनुपस्थित)	एम० ए०, द्वितीय श्रेणी (मनोविज्ञान), बी० टी० तथा बी० म्यूज०, डिप्लोमा इन फ्रेंच	..	..
२	सुश्री सरोज श्रीवास्तव (अनुपस्थित)	एम० ए०, द्वितीय श्रेणी (हिन्दी), एम० एड०	तारा गर्ल्स इन्टर कालेज बहराइच में वर्ष १९६३ से प्रधानाचार्या।	उचित माध्यम से नहीं।
३	कु० मिथलेश कुमारी (निर्धारित सीमा से कम आयु)	एम० ए० (राजनीति शास्त्र), बी० एड०	१--वर्ष १९६४-६६ में कस्तूरबा कन्या जूनियर स्कूल, लखनऊ में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्य किया था। २--वर्ष १९६७-६८ में जी० एम० एच० एम० के० डी० इन्टर कालेज मोहन (उन्नाव) में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्य किया था। ३--वर्ष १९६८-६९ में नागरिक शास्त्र प्रवक्ता पद पर आर्य कन्या इन्टर कालेज, टान्डा, फैजाबाद में कार्य किया था।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५
4	सुश्री शक्ती सक्सेना (अनुपस्थित)	एम० ए०, पी० एच० डी० द्वितीय श्रेणी (संस्कृत)	शून्य	..
५	सुश्री पूर्णा चन्द्रा	एम० ए०, एल० टी०	वर्ष १९५६ से आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, शाहजहांपुर में प्रधानाचार्या पद पर कार्यरत ।	उचित माध्यम से नहीं।
६	श्रीमती कृष्णा सक्सेना (अनर्ह)	एम० ए० (राजनीति शास्त्र), एम०ए० (हिन्दी) एल० टी० (हिन्दी में विशिष्ट योग्यता सहित)	नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ में तीन वर्ष के अध्यापन का अनुभव ।	..
७	श्रीमती शान्ति देवी गुप्ता (अनुपस्थित)	एम०ए० (संस्कृत), एम०ए० (भूगोल) बी० टी०	1—जू० हा० स्कूल में सहायक अध्यापिका—एक वर्ष । २—प्रधानाध्यापिका, जू० हा० स्कूल—दो वर्ष । ३—प्रधानाचार्या, हाई स्कूल—सात वर्ष । ४—प्रधानाचार्या, इन्टर कालेज—तीन वर्ष ।	
८	कु० लक्ष्मी सक्सेना (निर्धारित सीमा से कम आयु/अनर्ह)	एम० ए० (हिन्दी) द्वितीय श्रेणी एल० टी० (हिन्दी में विशिष्ट योग्यता सहित)	..	..
९	कु० सुशीला श्रीवास्तव (अनुपस्थित)	एम० ए०, बी० एड०	६ वर्ष का अध्यापन अनुभव दिनांक १०-१०-६७ से वैदिक कन्या इन्टर कालेज, नगीना (बिजनौर) में प्रधानाचार्या ।	..

१	२	३	४	५
१०	श्रीमती विद्या गुप्ता	एम०ए० (हिन्दी), एल०टी० (द्वितीय श्रेणी)	६ वर्ष सहायक अध्यापिका के रूप में । १ वर्ष उप-प्रधानाचार्या के रूप में। १ वर्ष प्रधानाचार्या के रूप में ।	..
११	श्रीमती साहना चटर्जी	एम०ए०, एल० टी० (अंग्रेजी), द्वितीय श्रेणी में	१—नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ में १७ वर्ष का अध्यापन अनुभव । २—नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ में १-१-६९ से प्रधानाचार्या के पद पर कार्यरत । ३— नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ में उप-प्रधानाचार्या के पद पर पांच वर्ष का अनुभव । ४—स्थायी प्रधानाचार्या की अनुपस्थिति में प्रधानाचार्या के रूप में कार्यरत ।	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर)

सूची

फैजाबाद जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अपूर्ण मार्ग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये गये हैं--

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम
१	सुचेता गंज-दौलतपुर मार्ग ।
२	तारून हैदरगंज-कुड़ेभार मार्ग ।
३	मुबारकगंज-पिलखवा मार्ग ।
४	बाला पकोली-सराय बीर सिंहपुर मार्ग ।
५	माया बाजार-महबूब गंज मार्ग ।
६	बसखारी-टांडा मार्ग ।
७	टांडा-बसखारी मार्ग ।
८	महरूबा-मयथानी मार्ग ।
९	कुमारगंज-खंडासा मार्ग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के लिए सर्वश्री शतरुद्ध प्रकाश तथा राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा पूछे गए अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या २५ जून, १९७५ से १८ मार्च, १९७७ तक आपात्स्थिति में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार द्वारा दमन व ज्यादतियों के सम्बन्ध में कोई समिति अथवा आयोग केन्द्रीय सरकार के परामर्श से या स्वतः किसी संस्था द्वारा जांच कराने का निश्चय सरकार ने किया है ? अगर हां, तो किससे और किन अधिकारियों से ?	२५ जून, १९७५ से २० मार्च, १९७७ तक, आपात्स्थिति में हुई ज्यादतियों की शिकायतों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश श्री जे० सी० शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग की सहायतार्थ आयोग के सुझाव एवं भारत सरकार की स्वीकृति से एक आपादतिरेक जांच अधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष हाई कोर्ट इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री गंगेश्वर प्रसाद हैं।

राम नरेश यादव,
मुख्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—७१ वि० सभा—२०-१-७९—८३५ (पी० डी०)।